लोक-सभा वाद-विवाद

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
3rd
LOK SABHA DEBATES

[सोलहवां सत्र
Sixteenth Session]

Preservation Unit
6-7-92
Fumigated
On 1.1.84
Parliament Library

सत्यमेव जयते

[खंड 61 में अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. LXI contains Nos. 11—20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee.

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनुदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।]

[This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 22, गुरुवार, 2 दिसम्बर, 1966/11 अग्रहायण, 1888 (शक)

No. 22-Friday, December 2, 1966/Agrahayan 11, 1888 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर		Oral Answers to Questions		
तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	S.Q. Nos	Subject	पृष्ठ/Pages
631.	स्कूटरों तथा ऑटो-साइकिलों का निर्माण	Manufacture of Scootters and Auto-Cycles		2822—25
632.	ट्रेक्टरों तथा खेती के अन्य औजारों का निर्माण	Manufacturing of Tractors and other Agricultural Implements		2825—29
633.	खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली द्वारा अपमिश्रित चीजों की बिक्री	Sale of adulterated articles by Khadi Gramodyog Bhavan, New Delhi		2829—32
634.	संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास सम्मेलन	Uncatad		2832—35
635.	विशाखापतनम में जस्ता प्रद्रावक (स्मेल्टर) परियोजना	Zinc Smelter Project at Visakhapatnam		2835—37
636.	निर्मित माल का निर्यात	Export of Finished Products		2837—39
अल्प सूचना प्रश्न संख्या		Short Notice Questions		
5.	केरल में ग्रामसेवकों के नेता द्वारा अनशन	Fast by Leader of Gramsevaks in Kerala		2839—40
प्रश्नों के लिखित उत्तर		Written Answers to Questions		
तारांकित प्रश्न संख्या		Starred Questions Nos.		
637.	जाली रेल टिकटों की बिक्री	Sale of Forged Railway Tickets		2840—41
638.	कपड़ा उद्योग को लाइसेंस लेने की शर्त से छूट	Delicensing of Textile Industry		2841
639.	ट्रेक्टर निर्माण कारखाना	Tractor Factory		2841—42
640.	अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्य	Prices of Essential Commodities		2842
641.	निर्यात के लिए नकद सहायता योजना	Cash Assistance Scheme for Exports		2842
642.	निर्यात की जा सकने वाले कृषि वस्तुएं	Agricultural Exportable Commodities		2842—43

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक हैं कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The Sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	U.S.Q. Nos.	Subject	पृष्ठ/Pages
643.	डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, वाराणसी में डीजल रेल इंजनों की निर्माण लागत	Cost of Production of Diesel Locomotives at D. L. W. Varanasi		2843—
644.	खुली गाड़ियों में अनाज लाना ले जाना	Transportation of Foodgrains in Open Wagons		2843—44
645.	कार्फी का उत्पादन	Production of Coffee		2844
646.	मैसर्स नानक चन्द शादी राम	Nanakchand Shadiram		2845
648.	पाकिस्तान में भारतीय होटल	Indian Hotels in Pakistan		2846
649.	पूंजीगत सामान के आयात के लिए विदेशी मुद्रा का नियतन	Foreign Exchange Allocation for Import of Capital Goods		2846—47
650.	दक्षिण, मध्य तथा पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे में दुर्घटनाएं	Accidents on South Central and North East Frontier Rlys.		2847
651.	देश में डी. टी. -14 बी. रूसी ट्रेक्टरों का निर्माण	Manufacture of DT-14 B Russian Tractors in the Country		2847—48
652.	फालतू रेलवे इंजन	Surplus Railway Locomotives		2848—49
653.	रेलवे के कार्मिक (पर्सानल) अधिकारी	Personnel Offices on Railways		2849
654.	मैसर्स राम कृस्ण कुलवन्तराय को आयात लाइसेंस	Import Licences to M/s. Ram Krishan Kulwant Rai		2849
655.	मैसर्स ए. एच. व्हीलर एण्ड कम्पनी	M/s. A. H, Wheeler and Co.		2850
656.	कोयला खानों के लिये कन्वेयर बैल्टिंग का निर्माण	Manufacture of Conveyer Belting for Collieries		2850
657.	पाकिस्तान को किये गये निर्यात से होने वाली आय की वसूली	Recovery of Export Earnings from Pakistan		2851
658.	शल्य चिकित्सा के उपकरण	Surgical Equipment		2851—52
659.	यूरोपीय साझा बाजार	European Common Market		2852
660.	कांगड़ा में चाय बागान	Tea Plantations in Kangra		2852—53
अतारांकित प्रश्न संख्या		**Unstarred Question Nos.**		
2877.	पूर्व रेलवे पर तेलवा बाजार में रेलवे हाल्ट स्टेशन	Halt at Telwa Bazar on Eastern Railway		2853
2878.	रिपब्लिक फोर्ज	Republic Forge		2853
2879.	रेलवे में तकनीकी कर्मचारियों की छंटनी	Retrenchment of Technical Staff in Railways		2854
2880.	रेलवे कर्मचारियों का स्थानान्तरण	Transfer of Railway Employees		2854

तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	U.S.Q. Nos.	Subject	पृष्ठ/Pages
2881.	सहायक निर्माण परीक्षकों को प्रशिक्षण	Training of Assistant Inspectors of Works		2855
2882.	शयन डिब्बों के साथ चलने वाले टिकट परीक्षक	T. T. Es. attached to Sleeper Coaches		2855—56
2883.	हथकरघा बोर्ड	Handloom Board		2856
2884.	रेलवे समय सारिणी	Railway Time Table		2856
2875.	अंडाल सांइथिया सैक्शन पर गाड़ियों में अतिरिक्त डिब्बों का लगाया जाना	Introduction of Additional Bogies on Andal-Sainthia Section		2856—57
2886.	अहमदपुर-काटोग्रा लाइटरेलवे	Ahmadpur Katwa Light Railway		2857
1887.	हरियाना में आटा मिलें	Flour Miils in Haryana		2857
2888.	आगरा बयाना सैक्शन पर रेलवे प्लाटों का किराया	Rent for Railway Plots on Agra Bayana Section		2858
2889.	गुना शाहजहांपुर मक्सी रेलवे लाइन	Guna-Shahjahanpur-Maksi Railway Line		2858—59
2880.	संसद सदस्यों को कारों का नियतन	Allotment of Cars to M. Ps.		2859
2891.	मैसर्स भारत बैरल एण्ड ड्रम मैनुफैक्चरिंग कम्पनी लि. बम्बई	M/s. Bharat Barrel and Drum Manufacuring Co. Ltd. Bombay		2859—60
2892.	केनिया में रायल एग्रीकल्चरल शो"	Royal Agricultural Show in Kenya		2860
2893.	हावड़ा मद्रास ऐक्सप्रैस गाड़ी के एक डिब्बे में शव का पाया जाना	Dead Body in Compartment of the Howrah Madras Express		2861
2894.	दक्षिण रेलवे के स्टेशन मास्टर तथा सहायक स्टेशन मास्टर	S. Ms. and A. S. Ms. on Southern Railway		2861
2895.	उत्तर रेलवे के दिल्ली डिवीजन में द्वितीय श्रेणी के टिकिट कलक्टर	Ticket Collectors Grade II in Delhi Division of the N. Railway		2861—62
2896.	पंजाब मेल रेलगाड़ी में भीड़	Rush in Punjab Mail		2862
2897.	बीकानेर रेलवे स्टेशन से धन की चोरी	Theft of Cash Bikaner Railway Station		2862—63
2898.	नई दिल्ली में मथुरा रोड और ग्रीन फील्ड कालोनी को मिलाने वाला नीचे का पुल	Underbridge connecting Mathura Road with Green Field Colony in New Delhi		2863

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	U.S.Q. Nos.	Subject	पृष्ठ/Page
2899.	औद्योगिक विकास में औद्योगिक बस्तियों का योगदान	Contribution of Industrial Estates		2863
2900.	बंगलोर में घड़ी निर्माण कारखाना	Watch Factory at Bangalore		2864
2901.	औद्योगिक परियोजनाओं की लागत में वृद्धि	Increase in the cost of Industrial Projects		2864—65
2902.	हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि०	Hindustan Machine tools, Ltd.		2865
2903.	सैंचुरी फलोर मिल्स	Century Flour Mills		2865—66
2904.	काटन बफर स्टाक एसोसिएशन	Cotton Buffer Stock Association		2866
2905.	कानपुर बांदा ब्रांच लाइन पर एक्सप्रैस रेलगाड़ी	Express Train on Kanpur Banda Branch Line		2866—67
2906.	आयातित वस्तुओं का सरकारी कार्यालयों द्वारा इस्तेमाल	Use of imported goods by Government Offices		2867
2907.	मूल्यों को स्थिर रखने के बारे में आश्वासन	Assurances for maintaining prices		2867—68
2908.	नेवेली तापीय बिजली घर	Neyveli Thermal Power Station		2868
2909.	महरौली रोड, नई दिल्ली के रेलवे फाटक पर ऊपरी पुल	Overbridge at Railway Crossing on Mehrauli Road, New Delhi		2868—69
2910.	प्लास्टिक के सामान के निर्यात के लिये राज सहायता	Subsidy for export of plastic goods		2869
2911.	विदेशी सहयोग	Foreign Collaboration		2869—70
2912.	कच्चे रेशम का आयात	Import of Raw Silk		2870
2913.	पांडू पिंडरा (उत्तर प्रदेश) से तथा वहां तक रेलगाड़ी	Train Service to and from Pandu Pindra (N. Railway)		2871
2914.	पांडू पिंडारा रेलवे स्टेशन पर स्टेशन मास्टर	Station Master at Pandu Pindara Station		2871
2915.	पांडू पिंडारा रेलवे स्टेशन के लिये बिना टिकट यात्रा	Ticketless Travel to Pandu Pindara Station		2872
2916.	कानपुर में रेलवे पुलिस तथा एक पुलिस दल में झगड़ा	Clash between Railway Police and a Police Party at Kanpur		2872
2917.	फाफामाऊ के पास मालगाड़ी का पटरी से उतर जाना	Derailment of Goods Train near Phaphamau		2872
2918.	बरौनी रेलवे स्टेशन पर चोरी	Theft at Barauni Railway Station		2873
2919.	प्रदर्शन कक्ष तथा व्यापार केन्द्र	Show Rooms and Trade Centres		2873

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	U.S.Q. Nos.	Subject	पृष्ठ/Page
2920.	भटिंडा रेलवे स्टेशन पर पूछ-ताछ कार्यालय	Enquiry office at Bhatinda Railway Station		2878—74
2921.	तीसरे दर्जे के शयन डिब्बे	Third Class Sleeper Coaches		2874
2922.	डीजल इंजन	Diesel Locomotives		2874—76
2923.	रूरकेला इस्पात कारखाने का उर्वरक एकक	Fertilizer Unit of the Reurkela Steel Plant		2876
2924.	दक्षिण पूर्व तथा पूर्व रेलवे में रेलवे ठेकेदारों द्वारा नकली वाति पेय की बिक्री	Sale of Spurious Aerated Drinks by Railway Contractors on South Eastern and Eastern Railways		2876—77
2925.	हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि०	Hindustan Machine Tools. Ltd.		2877
2926.	हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन रांची द्वारा भारी मशीनों का निर्यात	Export of Heavy Machinery by Heavy Engineering Corporation, Ranchi		2877
2927.	खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग	Khadi and Village Industries Commission		2878
2928.	दस्तकारी संबंधी दास समिति	Das Committee on Handicrafts		2878—79
2929.	खेत्री तांबा परियोजना	Khetri Copper Project		2879
2931.	खनिजों का निर्यात	Export of Minerals		2879—80
2932.	फिसप्लेटों का हटाया जाना	Removal of Fish Plates		2880
2933.	बेलाडिल्ला में इस्पात कारखाना	Steel Plant at Bailadila		2880
2934.	पुस्तकालय के लिये हिन्दी पुस्तकें	Hindi Books for the Library		2881
2935.	हिन्दी में कार्यालय आदेश	Office Orders in Hindi		2881
2936.	वाणिज्य मंत्रालय द्वारा प्रकाशित प्रकाशन	Publication brought out by the Ministry of Commerce		2881
2937.	हिन्दी में फार्म (प्रपत्र)	Forms in Hindi		2881—82
2938.	कपड़े का निर्माण	Production of Cloth		2882
2939.	उड़ीसा में भूतत्वीय सर्वेक्षण	Geological Surveys in Orissa		2882—88
2940.	जस्ता चढ़ी नालीदार चादरों का निर्माण	Production of Galvanized Corrugated Sheets		2883
2941.	किराया खरीद योजना	Hire Purchase Scheme		2884
2942.	बम्बई हावड़ा मेल गाड़ी का रोका जाना	Detention of Bombay Howrah Mail		2885
2943.	थरमोस फ्लाक्स का निर्यात	Export of Thermos Flasks		2885
2944.	भारतीय रेलों के मेकेनिकल तथा इलैक्ट्रीकल विभागों में श्रेणी दो की सेवा के लिये पदोन्नति	Promotion to Class II Service in the Mechanical and Electrical Deptts. of the Indian Railway		2885

तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	U.S.Q. Nos.	Subject	पृष्ठ/Pages
2945.	"प्रशिक्षणार्थी जर्नीमेन"	Trainee Journeymen		2886
2946.	कोटा और गंगापुर में निर्माण परीक्षक द्वारा काम पर लगाये गये मजदूर	Labourers Engaged at Kotah and Gangapur by I. O. W.		2886—87
2947.	गेहूं के चोकर का निर्यात	Export of Wheat Bran		2887
2948.	पश्चिम रेलवे में क्षमता से अधिक सामान लादना	Over loading on Western Railway		2887—88
2949.	मिश्रित इस्पात कारखाना, दुर्गापुर	Alloy Steel Plant, Durgapur		2888
2950.	मोटर गाड़ियों के टायर	Automobile Tyres		2888
2952.	तेल शोधक कारखाने के लिये उपकरणों का निर्माण	Manufacture of Equipment for Oil Refinery		2888—89
2953.	प्रसन्न दत्त काजोरा कोयला खान	Prashanna Datta Kajora Colliery		2889
2954.	नई दिल्ली में बड़ौदा हाउस की दीवारों पर भित्ति चित्र	Mural Painting on the walls of Baroda House, New Delhi		2889—90
2955.	चक्रधरपुर रेलवे स्टेशन के सुपरिन्टेन्डेन्ट के विरुद्ध आरोप	Allegation against superintendent Chakradarpur Railway Station		2890
2956.	रेलवे मंत्रालय में विधि स्नातक	Law Graduates in Railway Ministry		2890—91
2957.	कटिहार से गोहाटी तक सीधी सवारी गाड़ी	Through Passenger Train from Katihar to Gauhati		2891
2959.	पूर्वी यूरोपीय देशों को रेल के मालडिब्बों का निर्यात	Export of Railway Wagons to East European Countries		2891—92
2960.	काली सूची में दर्ज की गयीं फर्में	Black listed Firms		2892
2961.	रोपड़ नंगल बांध सैक्सन के रेलवे प्लेटफार्मों पर शैड	Sheds on Platforms on the "Rupar-Nagal Dam Section		2892
2962.	रोपड़ जिले में हिन्दुस्तान मशीन टूल्स कारखाना	H. M. T. Unit in Rupar District		2892—93
2963.	रूरकेला इस्पात कारखाने को कच्चे लोहे तथा मैंगनीज अयस्क की सप्लाई	Supply of Raw Iron and Manganese Ore to Rourkela Steel Plant		2893
2964.	काठगोदाम तक बड़ी लाइन	Broad Gauge Line to Kathgodam		2893—94
2965.	उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में ऊन उद्योग	Wool Industry in Hill Regions of U. P.		2894
2966.	चरखरी रोड स्टेशन के निकट यात्रियों का लूटा जाना	Looting of Passengers near the Charkhari Road Station		2894—

तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	U.S.Q. Nos.	Subject	पृष्ठ/Pages
2967.	फिश प्लेटों का हटाया जाना		Removal of fish Plates	2894—95
2968.	कायनकुलम से एरणाकुलम तक बड़ी लाइन		B. G. Line from Kayamkulam to Ernakulam	2895
2969.	रामगुण्डम निजामाबाद रेलवे लाइन		Ramgundam-Nizamabad Rail Line	2896
2970.	घटिया किस्म का कोयला		Lower Grades of Coal	2896
2971.	रोपड़ नंगल सैक्शन में रेलवे यात्रियों के लिए सुविधाएं		Passenger Amentities at Rupar-Nangal Section	2896—97
2972.	रेलवे के चिकित्सा अधिकारी		Railway Medical Officers	2897
2973.	पाक्कम और मदुरंतकम स्टेशनों के बीच रेल दुर्घटना		Accident between Pakistan and Madurantakam Stations	2897
2974.	नकली रेशम का आयात		Import of Art Silk	2898
2975.	भारतीय रेलों के टाइपिस्टों को दिया गया भत्ता		Allowance paid to Typists on Indian Railways	2898—99
2976.	रेलवे सेवा आयोग, इलाहाबाद		Railway Service Commission Allahabad	2893—99
2977.	भारतीय रेलों के टाइपिस्टों का दैनिक काम		Daily output of Typists on Indian Railways	2899
2978.	भारतीय रेलों में क्लर्कों की संख्या के मुकातले टाइपिस्ट की संख्या का अनुपात		Ratio of Typists to Clerks on the Indian Railways	2899—2900
2979.	जोनल रेलों में टाइपिस्ट लिए समयोपरि भत्ता		Overtime Allowance to Typists on Zonal Railways	2900
2980.	दक्षिण रेलवे में सहायक स्टेशन मास्टरों की वरिष्ठता		Seniority of A. S. Ms. on the Southern Railway	2900—1
2981.	ट्रैक सर्किटिंग सिस्टम		Track circuiting System	2901
2982.	घाना अन्तर्राष्ट्रीय मेला		Ghana International Trade Fair	2901—2
2983.	बन्देल (पूर्वी रेलवे) में रेलवे पुलिस तथा चावल के तस्कर व्यापारियों का झगड़ा		Clash between police aud Rice Smugglers at Bandel E. Railway)	2902
2984.	मौजा बान्द्रा दमदम (कलकत्ता) में सार्वजनिक सड़क में रुकावट		Blocking of Public Road under Mouza Bandra Dum Dum (Calcutta)	2902—3
2985.	खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के लिए अनुदान		Grants to Khadi and Village Industries Commission	2903
2986.	संभरण विभाग		Supply Department	2903—4
2987.	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे में विशेष सैनिक रेलगाड़ी का पटरी उतर जाना		Derailment of Military Special on the N. E. F. Railway	2904

तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	U.S.Q. Nos.	Subject	पृष्ठ/Pages
2988.	रेल दुर्घटना का टल जाना	Train Mishap Averted		2904—5
2989.	इस्पात जांच समिति	Steel Enquiry Body		2905
2990.	डानकुली स्टेशन पर रेलवे कर्मचारियों और पुलिस में मुठभेड़	Clash between Railway Employees and Police at Dankuni Station		2905—6
2991.	दिल्ली रेलवे स्टेशनों का नवीकरण	Renovation of Delhi Railway Stations		2906
2992.	मकई का आयात	Import of Maize		2906
2993.	दो शायिकाओं वाले शयन डिब्बे	Two tier sleeping coaches		2906—7
2994.	ऐस्बेस्टस सीमेंट उद्योग	Asbestos Cement Industry		2907
2995.	रेलवे माल यातायात का कम हो जाना	Decline in Railway Goods Traffic		2907—8
2996.	बीकानेर डिवीजन में भूतपूर्व बीकानेर स्टेट रेलवे के कर्मचारी	Staff on ex-BKS Bikaner Division		2908
2997.	कार्य का समय विनियम	Hours of Employment Regulation		2908—9
2999.	मंगलौर में कच्चे लोहे का कारखाना	Pig Iron Plant at Mangalore		2909—
3001.	तीसरी श्रेणी के शयन डिब्बों में स्थान के आरक्षण में भ्रष्टाचार	Corruption in Reservation of Third Class Sleeper Coach		2909
3002.	मध्य रेलवे में बाकंज और जुनहेटा स्टेशन	Bakanj and Junehta Stations on Central Railway		2910
3003.	जबलपुर इटारसी सैक्शन पर अतिरिक्त रेलगाड़ी का चलाया जाना	Additional Train on Jabalpur Itarsi Section		2910
3004.	ब्रजराजनगर स्टेशन पर दो माल गाड़ियों की टक्कर	Collision between two goods trains at Brajarajnagar Station		2910
3005.	डीजल रेल इंजन निर्माण कारखाना, वाराणसी	Staff in Diesel Locomotive Works, Varanasi		2911
3006.	हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड, हरिद्वार	Heavy Electricals Ltd-, Hardwar		2911
3007.	रैलवे के नैमित्तिक श्रमिक	Casual Labourers on Railways		2912
3008.	फगवाड़ा रेलवे स्टेशन का जलाया जाना	Burning of Phagwara Railway Station		2913

तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	U.S.Q. Nos.	Subject	पृष्ठ/Page
3009.	तिरूवन्नूर स्पिनिंग एण्ड वीविंग कम्पनी के प्रबंधक	Management of Tiruvannoor Spinning and Weaving Co.		2913
3910.	सेन नगर रेलवे कालोनी, बम्बई कर्मचारियों के क्वार्टर	Staff Quarters in Sen Nagar Railway Colony; Bombay		2913—14
3011.	तिरूनेलवेली जंक्शन पर तीसरी श्रेणी के यत्रियों के लिये स्नानागार	Bath Room for Third Class Passengers at Tirunelveli Junction		2914
3012.	रेलवे इंजनों और माल डिब्बों का निर्माण	Production of Locomotives and Wagons		2915
3013.	खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा अलौह धातुओं की खरीद	Purchase of Non-Ferrous Metals by M. M. T. C.		2915—16
3014.	खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा अलौह धातुओं की खरीद	Purchase of Non-Ferrous Metals by M. M. T. C.		2916
3015.	अलौह धातुओं का नियतन	Allotment of Non-Ferous Metals		2916
3016.	उत्तर रेलवे में जलपान गृह तथा रेस्तरां	Refreshment Rooms and Restaurants on Northern Railway		2916
3017.	इलैक्ट्रिकल मेनुफैक्चरिंग कं०	Electrical Manufacturing Co.		2917
3018.	नयागांव स्टेशन के निकट पुलिया को उड़ाने का प्रयास	Attempt to blow up culvert near Nayagon Station		2917—18
अतारांकित प्रश्न संख्या 464 दिनांक 2-12-66 के उत्तर में शुद्धि		**Correction of reply Uustarred question No. 464 Dated 2—12—66**		2918
	अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance		2918
	पोर्ट ब्लेयर में सरकारी कर्मचारियों के निष्कासन तथा नेताओं की गिरफ्तारी	Eviction of Government employees at port Blair and arrest of leaders		2918
	श्री स० मो० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee		2918—19
	श्री यशवन्तराव चव्हाण	Shri Y. B. Chavan		2919—21
	सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table		2921—22
	गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति कार्यवाही सारांश	Committee on Private Members' Bills and Resolutions minutes		2924
	सदस्य के त्यागपत्र के बारे में श्री लक्ष्मीदास	Committee on petition Minutes Re. Resignation of Member (Shri Laxmi Das)		2923

अतारांकित प्रश्न संख्या विषय	U.S.Q. Nos. Subject	पृष्ठ/Pages
संविधान (संशोधन) विधेयक पर राय	Opinions on the Constitution (Amendment) Bill	2925
राज्य सभा के सन्देश	Message from Rajya Sabha	2925
विशेषाधिकार समिति	Committee of Privileges	2925
चौदहवां प्रतिवेदन	Fourteenth Report	2925
प्राक्कलन समिति	Estimates Committee	2925
एकसौ ग्यारहवां प्रतिवेदन तथा एक सौ बारहवां प्रतिवेदन	One hundred and eleventh Report and one hundred and twelfth Report	2925
लोक लेखा समिति	Public Accounts Committee	2925
पैंसठवां प्रतिवेदन तथा छियासठवाँ प्रतिवेदन	Sixty-fifth Report and Sixty-Sixth Report	2925—26
याचिका समिति	Committee on Petitions	2926
पांचवां प्रतिवेदन	Fifth Report	2926
लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति	Joint Committee on Offices of profit	2926
पांचवा प्रतिवेदन	Fifth Report	2926
मैसूर राज्य के साथ कुछ क्षेत्र मिलाये जाने के बारे में याचिका	Petition re. Merger of certain areas with Mysore State	2926
वैयक्तिक स्पष्टीकरण की बात	Points of Personal Explanation	2926—33
(श्री स० का० पाटिल तथा श्री स्वर्णसिंह	(Shri S. K. Patil and Shri Swaran Singh)	2926—32
सदस्य की गिरफ्तारी के बारे में	Re. Arrest of Member	2931
(डा. राम मनोहर लोहिया)	(Dr. Ram Manohar Lohia)	2931
नेपाल में हाल में लगाये गये विधान जिसका भारतीयों के अधिकारों पर प्रभाव पड़ता है, के बारे में वक्तव्य	Statement re. Recent Legislation in Nepal affecting rights of Indians	2934—42
श्री दिनेश सिंह	Shri Dinesh Singh	2934
विशेषाधिकार समिति के ग्यारहवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	Motion Re. Eleventh Report of Committee of Privileges	2934—42
विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में	Re. Question of Privileges	2943—50

तारांकित प्रश्न संख्या विषय	S.Q. No . Subject	पृष्ठ/Pages
नई दिल्ली की 7 नवम्बर, 1966 की घटनाओं तथा गौ-बध पर प्रतिबन्ध लगाने के बारे में प्रस्ताव	Motion Re. Incidents in New Delhi on 7th November 1966 and Re- Banning of Cow Slaughter	2948
श्री हुकमचन्द कछवाय	Shri Hukam Chand Kachhavaiya	2948
श्री प्रकाशवीर शास्त्री	Sbri Prakash Vir Shastri	2949
श्री राम सहाय पाण्डेय	Shri R. S. Pandey	2950
सभा के कार्य के बारे में	Re : Business of the House	2951
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा सदस्यों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति सौवां प्रतिवेदन	Committee on Private Members Bills and Resolutions Hundredth Report	2951
विधेयक पुर:स्थापित	Bills Introduced	2952
(1) संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 324 का संशोधन) (श्री श्रीनारायण दास का)	(1) Constitution (Amendment) Bill (Amendment of Article 324) by Shri Shree Narayan Das	2952
(2) संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 370 का संशोधन) श्री हरि विष्णु कामत का)	(2) Constitution (Amendment) Bill (Amendment of Article 370) by Shri Hari Vishnu Kamath	2952
संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 130 का संशोधन) श्री हरि विष्णु कामत का)	Constitution (Amendment) Bill (Amendment of Article 130) by Shri Hari Vishnu Kamath	2952
उदजनित वनस्पति तेलों के निर्माण तथा आयात का निवेध विधेयक अस्वीकृत (श्री यशपाल सिंह का)	Prohibition of manufacture and Import of Hydrogenated vegetable oils Bill— Negatived (Shri Yashpal Singh)	2953—54 2954
परिचालित करने का प्रस्ताव	Motion to circulate	2953
श्री राधेलाल व्यास	Shri Radhelal Vyas	2953
श्री शिन्दे	Shri Shinde	2954
श्री यशपाल सिंह	Shri Yashpal Singh	2954
हिन्दु उत्तराधिकार (संशोधन) विधेयक वापिस लिया गया	Hindu Succession (Amendment) Bill Withdrawn	

(धारा 14 का संशोधन (श्री द्वा. ना. तिवारी का)	(Amendment of Section 14) by Shri D. N. Tiwary	2954—55
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to Consider	2954
श्री द्वा. ना. तिवारी	Shri D. N. Tiwary	2954
श्री दी. चं. शर्मा	Shri D. C. Sharma	2955
श्री कु. कृ. वर्मा	Shri K. K. Verma	2955
श्री बड़े	Shri Bade	2956
श्री श्रीनारायण दास	Shri Shree Narayan Das	2956
श्री शिव नारायण	Shri Sheo Narain	2956
श्री बाल्मीकी	Shri Balmiki	2956
श्री चे. रा. पट्टाभिरामन	Shri C. R. Pattabhi Raman	2959
संसद् सदस्यों के बारे में आधे घंटे की चर्चा	Half-an-hour discussion Re. M. Ps. Flats	2956
श्री हेम बरुआ	Shri Hem Barua	2956—58
श्री मेहर चन्द खन्ना	Shri Mehar Chand Khanna	2958—59
लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक (नई धारा 6 का रखा जाना) (श्री प्रकाशवीर शास्त्री का)	Representation of the People (Amendment) Bill (Insertion of New section 6 A by Shri Prakash Vir Shastri	2960
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to Consider	2960
श्री प्रकाशवीर शास्त्री	Shri Prakash Vir Shastri	2960

लोक–सभा
LOK SABHA

शुक्रवार, 2 दिसम्बर 1966/11 अग्रहायण, 1888 (शक)

Friday, December 2, 1966 Agrahayan 11, 1888 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए / Mr. Speaker in the Chair]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

स्कूटरों तथा ऑटो-साइकिलों का निर्माण

*631. श्री वासुदेवन नायर :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री बालकृष्ण सिंह :
श्री वारियर :
श्री राजदेव सिंह :

क्या **उद्योग मंत्री** 26 अगस्त, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 691 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्कूटरों तथा ऑटो-साइकिलों के निर्माण के लिये प्राप्त आवेदन-पत्रों पर, जिन्हें प्रारम्भिक जांच में उपर्युक्त पाया गया था, इस बीच अन्तिम रूप से विचार कर लिया गया है ।

(ख) यदि हां, तो उनके बारे में क्या निर्णय किया गया है;

(ग) उन निर्माताओं के नाम क्या हैं, जिन्हें लाइसेंस देने का विचार है; और

(घ) चौथी पंचवर्षीय योजना-अवधि में स्कूटरों तथा ऑटो-साइकिलों के निर्माण का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मंत्री, (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) ।

(क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते ।

(घ) चौथी योजना में स्कूटरों तथा ऑटो-साइकिलों के निर्माण के लक्ष्य के बारे में अभी अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है। चौथी योजना के मसौदे में वर्ष 1970--71 तक मोटर-साइकिलों, स्कूटरों और (मोपड़ों) की गाड़ियों की श्रेणी के लिये क्षमता और निर्माण सम्बन्धी लक्ष्य प्रतिवर्ष क्रमश: 150 000 और 120,000 गाड़ियों की व्यवस्था है। ऑटो-साइकिलों के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

श्री वासुदेवन नायर : कब आवेदन-पत्र मांगे गये थे और प्राप्त हुए आवेदन-पत्रों में से कब चुनाव किया गया ? लाइसेंस दिये जाने के बारे में अन्तिम निर्णय करने में अनुचित विलम्ब का क्या कारण है ? क्या इसका कारण यह है कि चौथी पंचवर्षीय योजना अभी अनिर्णीत पड़ी हुई है ?

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : आवेदन पत्र मई, 1965 तक मांगे गये थे और कुल 192 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे। पहले इन्हें मंत्रालय के कुछ अधिकारियों की जांच समिति के पास भेजा गया था जिन्होंने लगभग 17 आवेदन-पत्रों की सिफारिश की है। इन्हें लाइसेंस देने वाली समिति के समक्ष रखना पड़ता है। चौथी योजना के लिये अन्तिम लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। सब कुछ तैयार है। एक दो महीनों में ऑटो-साइकिलों के लिए लाइसेंस दे दिये जायेंगे।

श्री वासुदेवन नायर : क्या स्कूटरों और ऑटो-साइकिलों के निर्माण की किसी योजना के लिए विदेशी सहयोग प्राप्त करने का भी कोई प्रस्ताव है ?

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : अधिकांश परियोजनाओं में विदेशी सहयोग प्राप्त करने का प्रस्ताव है।

श्री राजदेव सिंह : क्या लाइसेंस देने वाली समिति के विचारार्थ सूची में उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिली से प्राप्त हुए कोई आवेदन-पत्र भी हैं ?

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : जी, हां, उसमें आवेदन-पत्र हैं।

Shri M. L. Dwivedi : In regard to scooters and auto-cycles now being manufactured in India, the Government has decided to reduce the number of import licenses by and by so that they become self sufficient, may I know which of the scooters—Vespa, Lambretta etc. We have advised self-sufficiency and what is the number of those for which import licences are being issued and what is the foreign exchange Component required for them ?

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : स्कूटरों में अब 91 प्रतिशत से भी अधिक पुर्जे देश में ही बनने आरम्भ हो गये है।

श्री म० ला० द्विवेदी : लम्ब्रेटा और वेस्पा के बारे में ?

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : सामान्य रूप से स्कूटरों के बारे में।

श्री म० ला० द्विवेदी : अन्य स्कूटरों के बारे में क्या स्थिति है ? कुछ ऐसे स्कूटर भी हैं जिनके सारे पुर्जे इसी देश में ही बनते हैं ? वे किसी चीज का भी आयात नहीं कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : ऐसा कोई भी स्कूटर नहीं है जिसके पुर्जों के बारे में हम आत्म-निर्भर हों।

श्री लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या सरकार ने स्कूटरों और ऑटो-साइकिलों के लिए आवेदन पत्र देने के पश्चात् वास्तविक अलाटमेंन्ट में जो इतना अधिक समय लगता है, इसकी ओर ध्यान

दिया है ? यदि हां, तो प्राथमिकता प्राप्त आवेदक के अतिरिक्त एक साधारण आवेदक को इस प्रकार कितने समय के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती है और आम लोगों की बढ़ती हुई मांग को ध्यान म रखत हुए क्या सरकार इन स्कूटरों के निर्माण की कोई योजना बनाने के बारे में सोच रही है ?

श्री रंगा : यदि वे कोई योजना बनाने लगेंगे तो और भी अधिक समय लगेगा ।

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : जहां तक समय लगने की बात है, अनिर्णित आवेदन-पत्रों की संख्या पर निर्भर करते हुए समय स्थान-स्थान पर भिन्न-भिन्न लगता है ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : अत्यधिक समय कितना लगा और कहां ?

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : केन्द्रीय सरकार के अभ्यंश से अलाटमेंन्ट में 3 वर्ष लगते हैं ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : मेरा प्रश्न एक साधारण आवेदक के बारे में है । केन्द्रीय सरकार का अभ्यंश तो एक बहुत ही अधिकार-प्राप्त श्रेणी के लिये है, बहुत से लोग तो इससे लाभ नहीं उठा सकते ।

श्री रंगा : भारत सरकार केवल दिल्ली में है और अन्य स्थानों पर नहीं है ।

श्री प्र० चं० बरुआ : स्कूटरों और ऑटो-साइकिलों की किस्म और मूल्यों को नियंत्रित करने और कुछ ही उद्योगपतियों को जो एकाधिकार प्राप्त है, उसे समाप्त करने के लिए क्या सरकार हिन्दुस्तान मशीन टूल्स द्वारा सरकारी क्षेत्र में इनका निर्माण करने के किसी प्रस्ताव पर विचार किया है और यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

श्रीमती सावित्री निगम : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि स्कूटरों की इतनी अधिक कमी है कि पुराने स्कूटर भी चोर बाजार में बिक रहे हैं, उतनी क्षमता के लिए लाइसेंस देने के बारे में कितना समय लगेगा जितनी चौथी योजना में हमारी आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त हो और प्रत्येक आवेदक को एक स्कूटर अथवा ऑटो-साइकिल जब भी वह मांगे मिल सके ?

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : ऑटो-साइकिलों के बारे में बहुत जल्दी अर्थात् एक दो महीने में निर्णय कर लेने की सम्भावना है ।

श्री जसवन्त मेहता : क्या सरकार का ध्यान 1 दिसम्बर के "इकोनोमिक टाइम्स" में छपे इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि स्कूटरों का निर्माण करने के लिए किसी नये एकक को लाइसेंस नहीं दिया जायेगा ? क्या यह सच है कि विकास परिषद ने कोई ऐसा निर्णय किया है ? सरकार को कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं ? क्या यह भी सच है कि विदेशी मुद्रा सम्बन्धी वर्तमान कठिनाइयों के कारण कोई निर्णय नहीं किया गया है ? क्या कोई ऐसा आवेदन-पत्र भी प्राप्त हुआ है जिसमें विदेशी मुद्रा का प्रश्न ही न हो, अथवा, यदि प्रश्न हो भी तो क्या यह विदेशी सहयोगी द्वारा स्वयं जुटायी जायेगी ?

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : ऐसा कोई निर्णय नहीं किया गया है किसी एकक को लाइसेंस नहीं दिया जायेगा । लक्ष्य निर्धारित करने के पश्चात् यह निर्णय किया जायेगा कि क्या वर्तमान एकक पर्याप्त है अथवा नये एककों को चालू करने की आवश्यकता है । सरकार के विचाराधीन कई आवेदन-पत्रों में कहा गया है कि स्कूटरों के निर्माण करने में लगभग 90 से 95 प्रतिशत पुर्जे देश में बने हुए ही लगाये जायेंगे ।

श्री जसवन्त मेहता : मेरा प्रश्न था : क्या कोई ऐसा आवेदन-पत्र भी आया है जिस कहा गया हो कि विदेशी मुद्रा की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

श्री विभुवेन्द्र मिश्र : जी नहीं।

श्री फतहसिंहराव गायकवाड़ : कई प्रकार के अभ्यंश हैं, केन्द्रीय सरकार का अभ्यंश, राज्य सरकार का अभ्यंश आदि, मैं जानना चाहता हूं कि साधारण उपभोक्ताओं को निर्मित स्कूटरों में से कितने प्रतिशत स्कूटर मिल पाते हैं ?

श्री विभुवेन्द्र मिश्र : जितने स्कूटरों का निर्माण किया जाता है उनमें से केन्द्रीय सरकार का अभ्यंश केवल 1,060 स्कूटर हैं और राज्य सरकार का अभ्यंश तो इससे भी कहीं कम है। बाकी सब स्कूटर साधारण उपभोक्ताओं को मिलते हैं।

ट्रैक्टरों तथा खेती के अन्य औजारों का निर्माण

+

*632. **श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :**
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री दलजीत सिंह :
श्री प्र० रं चक्रवर्ती :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री प० ह० भील :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में ट्रैक्टर तथा खेती के अन्य उन्नत औजार बनाने के लिये क्या सुविधायें उपलब्ध की गई हैं, ताकि विदेशों से उनका आयात न करना पड़े ;

(ख) ट्रैक्टर तथा बिजली ने चलने वाले टिलर (हल) बनाने के लिये अब तक कितने निर्माण कारखानों को लाइसेंस दिये हैं ; और

(ग) क्या देश में ट्रैक्टरों की आवश्यकता के सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण किया गया है और यह मांग किस प्रकार पूरी की जायेगी ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विभुवेन्द्र मिश्र) :

(क) से (ग) : एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

ट्रैक्टरों का निर्माण करने के लिये गैर-सरकारी क्षेत्र में पांच फर्मों को पहले ही लाइसेंस दिये जा चुके हैं। बिजली से चलने वाले टिलरों का निर्माण करने के लिये दो फर्मों को लाइसेंस दिये गये हैं।

बिजली से चलने वाले टिलरों का निर्माण करने के लिये 6 और फर्मों को उद्देश्य-पत्र दिये गये हैं। देश में विद्युत-चालित कृषि औजारों का निर्माण भी बड़े, मध्यम तथा छोटे पैमाने के क्षेत्रों में कई फर्में कर रही हैं।

कृषि ट्रैक्टर उद्योग को अब प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों की सूची में शामिल कर लिया गया है। इस उद्योग के लिये विदेशी मुद्रा उपलब्ध की जा रही है जिससे इसे पूरी क्षमता से चलाया जा सके। इसके फलस्वरूप 1967–68 में कृषि-ट्रैक्टरों के उत्पादन में काफी वृद्धि होने की सम्भावना है।

अनुमान लगाया गया है कि 1970--71 में हमें प्रतिवर्ष 40,000 ट्रैक्टरों की आवश्यकता पड़ेगी। गैर-सरकारी क्षेत्र में लाइसेंस प्राप्त 5 एककों की कृषि-ट्रैक्टरों का निर्माण करने की पूरी क्षमता प्रतिवर्ष 30,000 ट्रैक्टर है। मांग और लाइसेंस प्राप्त क्षमता में अन्तर को दूर करने के लिये चौथी पंचवर्षीय योजना में प्रतिवर्ष 12,000 कृषि-ट्रैक्टरों और इतने ही कृषि औजारों का निर्माण करने के लिये सरकारी क्षेत्र में एक परियोजना आरम्भ करने का विचार है।

श्री हु० चं० लिंग रेड्डी : विवरण में यह बताया गया है कि कृषि-ट्रैक्टरों तथा बिजली से चलने वाले 'टिलरों' का निर्माण करने के लिये गैर-सरकारी क्षेत्र में क्रमश: 5 और 2 फर्मों को लाइसेंस पहले ही दिये जा चुके हैं। इन फर्मों के नाम क्या हैं, इन्हें कब लाइसेंस दिये गये थे और इन औजारों के निर्माण की क्या स्थिति है और उन्होंने अब तक कुल कितने ट्रैक्टरों और विद्युत-चालित टिलरों का निर्माण किया है ?

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : पांच फर्मों अर्थात् मैसी-फर्ग्यूसन, इन्टरनेशनल हारवेस्टर, हिन्दुस्तान, एस्कार्ट और ईचर को लाइसेंस दिये गये हैं।

श्री हु० चा० लिंग रेड्डी : इन पुर्जों का निर्माण किस अवस्था में है और अब तक उन्होंने कितने ट्रैक्टरों और कितने विद्युत-चालित टिलरों का निर्माण किया है ?

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : 1965--66 में 5,714 ट्रैक्टरों का निर्माण किया गया था और आशा है कि इस वर्ष 10,000 ट्रैक्टर बनकर तैयार हो जायेंगे। विद्युत-चालित टिलरों का अभी बहुत कम निर्माण हो रहा है।

श्री हु० चा० लिंग रेड्डी : विवरण में कहा गया गया है कि 12, 000 ट्रैक्टरों का निर्माण करने के लिए एक सरकारी क्षेत्र में परियोजना चालू करने का प्रस्ताव विचाराधीन है, मैं जानना चाहता हूं कि सरकारी क्षेत्र की यह परियोजना कितने अर्से से सरकार के विचाराधीन है और क्या सरकार सस्ते ट्रैक्टरों का निर्माण कर सकेगी, उत्पादन कब आरम्भ हो जायेगा और इस परियोजना पर कितनी लागत आने की सम्भावना है ?

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : परियोजना प्रतिवेदन दिसम्बर, 1966 के अन्त तक प्राप्त हो जायेगा।

श्रीमती सावित्री निगम : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ट्रैक्टरों की काफी मांग है, क्या मैं माननीय मंत्री से पूछ सकती हूं कि क्या सरकार की नीति ट्रैक्टरों के लिये भारी मात्रा में इंजनों का आयात करने की है जिससे लाइसेंस-प्राप्त एककों में कार्य में कोई ढील न आये ? क्या मूल्य को कम करने का भी कोई प्रयास किया गया है जिससे किसान इसे सुगमता से खरीद सके ?

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : खाद्य और कृषि मंत्री स्वयं इस समस्या की ओर ध्यान दे रहे हैं और वे कुछ ट्रैक्टरों तथा पुर्जों का आयात करने की भी बात सोच रहे हैं ..... (**अन्तर्बाधायें**)।

अध्यक्ष महोदय : वह यह भी जानना चाहते हैं कि मूल्यों को नीचे लाने के लिए क्या सोचा जा रहा है जिससे उपभोक्ता इन्हें सुगमता से खरीद सकें :

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : मूल्य इसलिये ऊंचे हैं क्योंकि उत्पादन कम है। चूंकि इसे अब प्राथमिकता वाले उद्योगों में शामिल कर लिया गया है और आवश्यक विदेशी मुद्रा की मंजूरी दे दी गई है, और जब उत्पादन बढ़ जायेगा तो मूल्य अपने आप गिर जायेंगे।

Shri Vishwanath Pandey : In the statement laid on the Table of the House by the Hon. Minister, it has been stated : "To fill the gap between the demand and the capacity already licenced, it is proposed to set up a public sector project." May I know where this project will be located ?

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : सरकारी क्षेत्र में यह परियोजना वाराणसी के निकट रामनगर में लगायी जायेगी ।

Shri Daljit Singh : Has Government looked into this matter that the tractors being imported and being manufactured here are sold in the black market and if so, what are the reasons for their being sold in the black market ?

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : हमें इसकी कोई जानकारी नहीं है कि ट्रैक्टरों में चोर-बाजारी होती है । यदि कोई मामला हमारे ध्यान मे लाया जायेगा तो हम उसकी जांच करेंगे ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या सरकार यह बता सकती है कि भारत में बनाये जा रहे ट्रैक्टरों में कितने प्रतिशत पुर्जे बाहर से मंगाने पड़ते हैं ?

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : 20 से 40 प्रतिशत पुर्जे बाहर से मंगाये जाते हैं ।

Shri Bade : In his statement the hon. Minister has stated :
"The demand of agricultural tractors by 19670-71 has been assessed as 40,000 Nos. per annum."

But our farmers have got small pieces of land for which 25,000 small tractors known as baby tractors are required. May I know the decision which has been taken about this category of tractors ?

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : यह प्राक्कलन खाद्य और कृषि मंत्रालय तथा योजना आयोग द्वारा तैयार किया गया है । हम इस के अनुसार ही आगे बढ़ेंगे ।

श्री बड़े : यह तो 1970-71 के लिये है । इस समय हमें कितने ट्रैक्टरों की आवश्यकता है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवय्या) : 1970-71 तक तो हमें प्रतिवर्ष 40,000 ट्रैक्टर चाहियें । इस बीच 30,000 ट्रैक्टरों का निर्माण करने के लिये गैर-सरकारी क्षेत्र में पांच फर्मों को लाइसेंस दिये गये हैं । इसके अतिरिक्त सरकार सरकारी क्षेत्र में वाराणसी के निकट रामनगर में एक उपक्रम चालू करने जा रही है जिसमें 12,000 ट्रैक्टरों का निर्माण किया जायेगा । यह कम हार्सपावर अर्थात 20 हार्सपावर से भी कम के होंगे । ये छोटी जातों वाले किसानों के लिये उपयोगी होंगे ।

Shri Bibhuti Mishra : In India paddy is sown in 20-22 crores of Acres of land out of total cultivated land of about 32 crores of acres. The tractors being manufactured at present are suitable for dry land, may I know whether Government have manufactured any such tractors which are suitable for paddy cultivation ?

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : चेकोस्लोवकिया के सहयोग से बनाये जाने वाले ट्रैक्टरों का उनकी संस्था में परीक्षण किया गया है । खाद्य और कृषि मंत्रालय का कहना है कि ये ट्रैक्टर भारतीय दशाओं के लिये उपयुक्त हैं ।

Shri Bibhuti Mishra : Mr. Speaker, my question has not been replied.. .....

अध्यक्ष महोदय : यह भारतीय दशाओं के लिये उपयुक्त है परन्तु वह जानना चाहते हैं कि क्या यह धान की खेती के लिये उपयुक्त है ।

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : जी, हां, यह है जो उन्होंने बताया है ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : क्या यह सच है कि विद्यमान कारखानों में 20 हार्सपावर से अधिक शक्ति वाले जो ट्रैक्टर बनाये जा रहे हैं वे हमारे देश के लिये उपयुक्त नहीं हैं और, मालूम हुआ है कि भारी संख्या में ट्रैक्टर कारखानों में बेकार पड़े हुए हैं क्योंकि आयातित ट्रैक्टर यहां पर बने हुए ट्रैक्टरों की तुलना में अधिक हलके और सस्ते हैं, क्या यह बात सरकार के ध्यान में लायी गई है और यदि हां, तो सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : मैंने इसका पहले ही उत्तर दे दिया है ।

अध्यक्ष महोदय : हां, उन्होंने अभी बताया कि वे एक कारखाना स्थापित करने जा रहे हैं जहां हल्के ट्रैक्टर बनाये जायेंगे ।

Shri Yashpal Singh : The Government has stated last time that there are 60,000 tractors in the country out of which 25,000 remain out of order. Is this small number of tractors adequate for cultivating 32 crores acres of land ? The number of ploughs for which bulls, after having been slaughtered, are available is only 2 crores which cannot even go round this much land as stated by Shri Bibhuti Mishra. May I know the number of those agriculturists from whom Government had collected Rs. 4,000 each a year back and to whom tratcors have not so far been supplied ?

श्री अध्यक्ष महोदय : वह केवल यह जानकारी देना चाहते हैं । श्री बासप्पा ।

श्री बासप्पा : क्या योजना आयोग ने कुछ समय पहले खेती के औज़ारों के बारे में श्री अजित प्रसाद जैन के नेतृत्व में विशेषज्ञों का एक दल नियुक्त किया था और यदि हां तो क्या उन्होंने अपनी सिफारिशें दे दी हैं और सरकार ने उन सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : इस प्रश्न का उत्तर खाद्य और कृषि मंत्रालय ही दे सकता है । हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है ।

श्री बासप्पा : प्रश्न खेती के औजारों के बारे में है ।

अध्यक्ष महोदय : उनके पास अभी उत्तर तैयार नहीं है ।

श्री शिवाजीराव शं० देशमुख : क्या सरकार के ध्यान में कभी यह बात आई है कि भारतीय खेती विशेषकर धान की खेती के लिये जापान की मशीनें उपयुक्त हैं और भारी मशीनें जो सूखी भूमि में खेती करने के लिये चाहियेगी, उनका निर्माण केवल सरकारी क्षेत्र में रुपया भुगतान लेने वाले देशों के सहयोग से किया जा सकता है ? इसलिये 30,000 लाइसेंसों को पाँच दुर्लभ मुद्रा क्षेत्रों में बांटने की बजाये सरकार को रुपया में भुगतान लेने वाले देशों के सहयोग से सरकारी क्षेत्र में 50,000 ट्रैक्टरों का निर्माण करने की क्षमता का एक ही बड़ा कारखाना स्थापित करने में क्या बाधा है ?

श्री संजीवय्या : जैसा कि योजना आयोग ने अनुमान लगाया है, हमें 40,000 ट्रैक्टरों की आवश्यकता है और हमने गैर सरकारी क्षेत्र में किसी को नये रूप से कोई लाइसेंस नहीं दिया है । ये पांच निर्माता तो पहले ही इस कार्य में लगे हुए हैं और उन्हें इनका विस्तार करने के लिये कहा गया है । वे उच्चतर हार्सपावर के ट्रैक्टरों का निर्माण कर रहे हैं और अब जब हमें छोटे ट्रैक्टरों की आवश्यकता पड़ी है तो इस के लिये चेकोस्लोवाकिया की सरकार हमें ऋण दे रही है । इसीलिये हमने इस परियोजना को हाथ में लिया है ।

Shri Ram Sewak Yadav : Mr. Speaker, may I know the time by which this factory

at Ramnagar will start running, the cost of the tractors to be produced here in comparison to the cost in foreign countries of such type of tracters and whether any attempt will be made to reduce the difference between these two costs of production ?

श्री संजीवय्या : यह बताया जा चुका है कि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन इस वर्ष के अन्त तक उपलब्ध होंगे। उसके बाद ही यह बताया जा सकेगा कि वास्तव में कारखानों में कब उत्पादन शुरू होगा और मूल्य क्या होंगे आदि।

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : क्या रिग मशीनों का भी विदेश से आयात किया जाता है और क्या देश के विभिन्न भागों में सूखे के कारण इन मशीनों की भारी मांग को ध्यान में रखते हुए इन रिग मशीनों का स्थानीय तौर पर निर्माण किया जायेगा ?

श्री संजीवय्या : इसका इस प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है।

Shri Jagdev Singh Sidhanti : Are Government aware that a number of ex-soldiers particularly from Haryana, applied for tractors long back but tractors have not been supplied to them so far. Will Govt. give them preference in this respect ?

श्री संजीवय्या : हमारा सम्बन्ध केवल ट्रैक्टरों के निर्माण से है। जहां तक भूतपूर्व सैनिकों आदि की इसके अलाटमेंट का समम्बन्ध है, यह काम खाद्य तथा कृषि मंत्रालय राज्य सरकारों के सहयोग से करता है।

श्रीमती विमला देशमुख : काश्मीर में जापानी विशेषज्ञों की सहायता से चावल की खेती का प्रदर्शन किया गया और वह उसमें एक विशेष प्रकार का औजार इस्तेमाल करते थे। क्या सरकार इस बात की जांच करेगी कि क्या वे औजार छोटे छोटे भारतीय किसानों के लिये लाभप्रद होंगे और यदि हां, तो क्या सरकार इन औज़ारों को भारत में बनाने और किसानों को उनकी सप्लाई करने का प्रयत्न करेगी ?

श्री संजीवय्या : छोटे ट्रैक्टरों के बारे में कुछ गलत फहमी हुई लगती है। संभवत: इससे माननीय सदस्यों का तात्पर्य उन कृषि-औजारों से है जिनका जापान के सहयोग से निर्माण किया जा रहा है। इनके एक कारखाने में उत्पादन आरम्भ हो चुका है।

खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली द्वारा अपमिश्रित चीजों की बिक्री

+

***633. श्री मधु लिमये :** **श्री किशन पटनायक :**
डा० राम मनोहर लोहिया :

क्या वाणिज्य मंत्री 19 अगस्त, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 539 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली के प्रबन्धक को, जो अपमिश्रित शहद बेचने के आरोप से सम्बद्ध था, इस बीच बरखास्त/मुअत्तल कर दिया गया है। उसका तबादला कर दिया गया है। दर्जा घटा दिया गया है/अथवा कोई अन्य दण्ड दिया गया है ; और

(ख) क्या यह सच है कि ये भण्डार मिलावट वाली चीजें/घटिया किस्म की चीजें बेचते हैं। पुराने बाट और माप प्रयोग करते हैं, तथा 25 दियासलाई वाली डिबिया बेचते हैं, जिस पर 50 दियासलाई की पर्ची लगी होती है, और इस प्रकार जनता को धोखा देते हैं तथा ऐसी ही अन्य कार्यवाही भी करते हैं ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) जैसा कि 12 अगस्त 1966 को अतारांकित प्रश्न संख्या 2260 के उत्तर में बताया गया था, नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली पर खाद्य अपमिश्रण रोक अधिनियम के अधीन चलाया गया मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है । भवन के प्रबन्धक को या किसी अन्य व्यक्ति को जो किसी उलंघन के लिये उत्तरदायी सिद्ध हों, दण्ड देने के प्रश्न पर न्यायालय के निर्णय को देख कर ही, जब वह घोषित कर दिया जाय, समुचित रूप से विचार किया जा सकता है ।

(ख) खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली दारा घटिया शहद बेचे जाने के आरोप को छोड़ कर, जो न्यायालय में विचाराधीन है, खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा चलाये गये किसी भण्डार में अपमिश्रित पदार्थों या घाटिया किस्म के पदार्थों की बिक्री का कोई मामला जानकारी में नहीं आया है ।

खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग ने सब भण्डारों को स्पष्ट हिदायतें भेज दी हैं, कि पुराने बाटों तथा पैमानों का किसी प्रयोजन के लिये आगे से प्रयोग न किया जाये ।

जैसा कि मैंने 23 अगस्त, 1966 और 3 सितम्बर 1966 को इस सभा में दिये गये अपने वक्तव्यों में स्पष्ट कर दिया था, उन माचिस की डिब्बियों की, जिन पर 50 तीलियों की उत्पादन शुल्क पट्टिटी लगी हुई हो, बिक्री बिल्कुल बंद करदी गयी है । आयोग के विचाराधीन ऐसे प्रस्ताव हैं कि अन्य प्रकार की उत्पादन शुल्क पट्टियों का, जिनकी केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा सीमा शुल्क बोर्ड अनुमति दे, प्रयोग किया जाये ।

Shri Madhu Limaye : In reply to part (a) of the question it is said in the statement :

"The question of punishment to be awarded to the Manager of the Bhawan or any other persons found responsibile for any breach can appropriately be considered only in the light of the court's judgment after it has been pronounced.'

Whenever such allegations are made, the convention of Govt. offices is that in the first instance action is taken departmentally. Either the person concerned is suspended or he is forced to go on leave. Sometimes it happens that even when one is freed by court, departmental action is taken against him. In this case the Chairman of Khadi Commision intervened and the person concerned was not forced to go on leave. The hon. Minister had given an assurance in this House that he will be sent on leave. What are the difficulties in complying with those assurances ?

Shri Manubhai Shah : When a case is pending in the Court, how can I say that he is guilty. I had said that it would be better to enquire into the matter in his absence. He was sent on leave for one month. During this period, the investigation was completed and we got the report of the commission. Now the whole matter is pending in Court. I cannot anticipate whether Court will convict him or not. If he is convicted then departmental action will be taken. Before the judgment of the Court, we cannot take any action.

Shri Madhu Limaye : On a point of Order, Sir, My question has not been answered. The hon. Minister has said that it would be better to enquire into the matter in his absence. But the Manager stated before the Court that :

"It is wrong to say that I have been asked to go on compulsory leave."

He is giving a false reply. He was not sent on leave. It is a policy of side-tracking the issue.

Mr. Speaker : It is not the time for comments.

Mr. Speaker : In the statement the hon. Minister has stated :

"Khadi and Village Industries Commission has categorically issued instructions to all Bhandars that old weights and measures should no longer be used for any purpose."

But I want to know what action has been taken against those who have used it ?

श्री मनुभाई शाह : बात यह है कि नई मीट्रिक प्रणाली को लागू करने के लिए हम लोगों को समय देते रहे है और यह कहते रहे है कि नयें बाटों तथा मापों से ग्राहकों को अवगत कराने के लिए, यह नई व्यवस्था लागू करने का एक निर्धारित कार्यक्रम होना चाहिये'। ऐसा किया जा रहा था। तब माननीय सदस्य ने कहा था कि पुराने बाट नहीं रखे जाने चाहियें क्योंकि इससे ग्राहकों में भ्रान्ति फैलेगी। अतः खादी तथा ग्रामोद्योग ने ये आदेश जारी किये कि पुराने बाटों को नमूने के तौर पर रखा जाये।

Shri Madhu Limaye : What is this answer ?

Mr. Speaker : The hon. Minister and the hon. member may kindly take their match boxes which they had sent to me.

Shri Kishen Pattnayak : They are selling 25 match sticks in a match box containing lable of 50 match sticks. In that respect it was said that :

"The sale of these match boxes with the excise banderol showing '50 matches' has been totally stopped."

I want to know the action taken against the persons responsible for this ?

Shri Manubhai Shah : There is nothing illegal. These general band labels of 50 match sticks is used through out the country with the permission of Central Board of Excise and Revenue. Last time it was said in reply to a question that if they feel the matter may be taken up with the Central Baard of Excise.

Shri M. L. Dwivedi : May I know whether the matter re-sale of sugar in place of honey was enquired into. What was the percentage of sugar mixed with honey ?

Shri Manubhai Shah : The matter is before the Court of law.

श्री० स० मो० बनर्जी : विवरण से पता चलता है कि ग्रामोद्योग भवन में घटिया किस्म के शहद की बिक्री के अलावा, जिसके बारे में आवाज उठाई गई है, सरकार को खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के किसी भंडार में मिलावटी अथवा घटिया किस्म के सामान की बिक्री के किसी मामले की जानकारी नहीं है। क्या यह सच है कि इसका पता चलने पर सम्बन्धी व्यक्ति के विरुद्ध अदालत में मामला चल रहा है। क्योंकि मिलावटी शहद की बिक्री से खादी तथा ग्रामोद्योग भवन के नाम को बट्टा लगा है, क्या मंत्री महोदय इस ग्रामोद्योग भवन के मैनेजर को, जो कोई गल्ती होने पर या न होने पर, कर्मचारियों को सताने के लिये जिम्मेदार है, हटाने अथवा स्थानांतरित करने के बारे में विचार करेंगे ताकि ग्रामोद्योग भवन का नाम बना रहे।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय इस पर विचार करें।

Shri Kashi Ram Gupta : Is the hon. Minister aware that such adulterated honey is sold in Gram Udyog Bhandars through out the country If so, whether an enquiry was made to find out as to from where this adulterated honey reaches there ? Have some measures been taken to ensure that this adulterated honey does not reach the Bhandars ?

Shri Manubhai Shah : It is a question of municipal health. This house and my

ministry are not concerned with it. A case is there before the Court of law and let us wait or see the results. I have not got the list of suppliers of honey to these Bhandars.

संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास सम्मेलन

+

*** 634 डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी :**

क्या वाणिज्य यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास सम्मेलन के उद्देश्यों तथा सिफारिशों की कार्यान्विति के बारे में हुई प्रगति का पुनर्विलोकन किया है;

(ख) क्या सरकार ने मुख्य वस्तुओं के संसार में होने वाले कुल निर्यात में विकासशील देशों के योगदान में हुई भारी कमी पर ध्यान दिया है तथा उसका अध्ययन किया है : और

(ग) क्या यह सच है कि अधिकांश विकसित देशों ने जैनेवा में संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास सम्मेलन द्वारा निर्धारित किये गये अपने दायित्वों को पूरा करने में कोई रुचि नहीं दिखाई है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :

(क) जी, हां। संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास सम्मेलन के उद्देश्यों तथा सिफारिशों की कार्यान्विति के बारे में हुई प्रगति का निरन्तर पुर्नविलोकन सरकार द्वारा किया जाता है।

(ख) क्रियान्विति के संबंध में संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास सम्मेलन के महासचिव द्वारा व्यापार एवं विकास बोर्ड के चौथे अधिवेशन में पेश किये गये प्रतिवेदन से पता चला है कि मुख्य वस्तुओं के संसार में होने वाले कुल निर्यात में विकासशील देशों का भाग 1953—55 के 94 प्रतिशत से घटकर 1963 64 में 40 प्रतिशत हो गया है। इस कमी का मुख्य कारण यह है कि विकासशील देशों द्वारा मुख्यत: निर्यात की जाने वाली वस्तुओं को प्रतिस्थानापन्न वस्तुओं से अधिक खतरा पैदा हो गया है और उन्नत देशों में से कुछ वस्तुओं का अधिक उत्पादन होने लग गया है।

(ग) विकासशील देशों में भी यह सामान्य भावना है कि विकसित देशों ने प्रथम संयुक्तराष्ट्र व्यापार तथा विकास सम्मेलन की सिफारिशों की पर्याप्त अथवा सुनियोजित रुप से कार्यान्वित करने के लिये कार्यवाही नहीं की है। तथापि विकासशील देश आशापूर्ण हैं कि वे उनके द्वारा व्यापार एवं विकास बोर्ड अपनी विभिन्न समितियों की बैठकों में किये जा रहे निरन्तर प्रयत्नों के परिणामस्वरुप व 1967 में होने वाले दूसरे सम्मेलन से पूर्व संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास सम्मेलन की कम से कम कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशों की क्रियान्विति करा सकेंगे। यह भी आशा की जाती है कि दूसरा सम्मेलन प्रथम सम्मेलन की मुख्य सिफारिशों की क्रियान्विति के बारे में बातचीत द्वारा करारों के करने का अवसर प्रदान करेगा।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : मुझे खुशी है कि सरकार यह महसूस करती है कि विकासशील देशों के लिए यह बड़ा महत्वपूर्ण विषय है और सरकार इन प्रस्तावों को क्रियान्वित कराने के लिए प्रयास करती रही है क्या सरकार यह समझती है कि यद्यपि विकसित देश प्रथम संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास सम्मेलन के प्रस्तावों के बारे में बातें तो करते हैं लेकिन वे इनको क्रियान्वित

करने के अनिच्छुक है क्योंकि उन पर पर्याप्त कूटीनतिक और राजनीतिक दबाव नहीं पड़ा है; यदि हां, इस बारे में भारत सरकार और अन्य अफ्रीकी और एशियाई देशों, विशेषत: लैटिन अमरीकी देशों का जिन्हें इनसे काफी लाभ होगा और जिनका भविष्य इन सिद्धान्तों का क्रियान्विति पर निर्भर करता है, क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्री मनुभाई शाह : हम सभी उद्योग—सम्पन्न राष्ट्रों पर उनके राष्ट्राध्यक्षों के जरीये कूटनीतिक दबाव डालने का प्रयत्न कर रहे हैं। हमारा विचार है कि संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास सम्मेलन अगले वर्ष यहां हो, जेनेवा में 77 राष्ट्रों का एक सम्मेलन हो और एक मंत्री-समिति चुनी जाये जो पांच बड़े राष्ट्रों, अर्थात्, अमरीका, रुस, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी और यदि आवश्यक हुआ तो कुछ अन्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों से बातचीत करे ताकि यह पता चले कि विकासशील देशों के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में वे क्या रियायतें देंगे।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या सरकार ने इसको अपनी विदेश नीती का एक अंग बनाया है और क्या इन 76 अन्य देशों के साथ मिल कर कार्यवाही करने का निश्चय किया है जैसे यह हमारी विदेश नीति का मूल आधार हो ताकि यह देखा जा सके कि क्या सरकार यह समझती है कि किसी बाहरी सहायता की माला की अपेक्षा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में अधिक कहीं सहयोग आवश्यक है ?

श्री मनुभाई शाह : मैं माननीय सदस्य के विचारों से पूर्णत: सहमत हूं ?

श्री रंगा : मुझे खुशी है कि माननीय मित्र ने कूटनीतिक प्रभाव डालने की आवश्यकता को माना हैं और इसलिए वह जेनेवा में मंत्रियों के सम्मेलन के बारे में कार्यवाही कर रहे है। इस बात को देखते हुए कि संसार भर में इस सारे मामले को इतना सार्वजनिक महत्व दिया गया है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र यह महसूस करता है कि विकासशील और कम विकसित देशों को यह सहायता दी जाये, क्या यह उचित समय नहीं है जब कि दूसरा सम्मेलन करने से पूर्व संयुक्त राष्ट्र महासभा में इस मांग को रखा जाये और विकासशील देशों की आवश्यकता के बारे में बताया जाये और इस प्रकार इन देशों के पक्ष में जनमत दृढ़ किया जाये ताकि इन विकसित देशों पर दबाव डाला जा सके ?

श्री मनुभाई शाह : जैसा माननीय सदस्यों और इस सभा को मालूम है, संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास सम्मेलन की समूची कार्यवाही का संयुक्त राष्ट्र महा-सभा द्वारा अनुमोदन किया जा चुका है अब इसके ऊपर कोई अधिकार नहीं है। अतः राष्ट्रों को फिर से विस्तृत प्रस्ताव का अनुमोदन करना है। अत: महा-सभा का समर्थन पाने के लिए सभी प्रयत्न किये जा रहे है। जब मंत्रि-समिति राष्ट्राध्यक्षों से बातचीत करेगी, फिर यह मामला दूसरे संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास सम्मेलन के समक्ष आयेगा और यह अनुमोदन के लिये महा-सभा में रखा जायेगा। लेकिन अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में कमजोरी यह है कि ऐसा कोई अधिकार नहीं है जो किसी देश की राष्ट्रीय प्रभुसत्ता पर दबाव डाल सके।

श्रीमती रेणुका राय : इस बात को देखते हुए कि मंत्री महोदय यह बात मानते हैं कि आर्थिक संकट से निकलने के लिये किसी अन्य बात की अपेक्षा व्यापार अधिक महत्वपूर्ण है, मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास सम्मेलन की अगली बैठक से पूर्व विकासशील देश मिलकर यह अनुमान लगायेंगे कि इन विकसित देशों ने किस हद तक इन

सिफारिशों को क्रियान्वित नहीं किया है ?

श्री मनुभाई शाह : विकसित देशों ने इतनी सिफारिशें क्रियान्वित नहीं की है कि यह बताना मुशकिल होगा कि कितनी और कौन कौन सी सिफारिशें क्रियान्वित नहीं की है । केवल कुछ थोड़ी सी बातें छोड़ कर उन्होंने कुछ किया ही नहीं है । इसलिए हम एक बार फिर विश्व से अधिकाधिक संभव कूटनीतिक वार्ता और पत्र-व्यवहार द्वारा यह अपील कर रहे हैं ताकि एक दिन निर्धन देशों की पुकार धनी देशों के कानों तक पहुंचे और उनसे कुछ सहायता मिले ।

श्री भागवत झा आजाद : विकसित देशों ने स्वेच्छा से यह वायदा किया था कि विकास शील देशों के लिए वे अपनी राष्ट्रीय आय का एक प्रतिशत का योगदान देंगे, परन्तु यह वायदा पूरा नहीं किया जा रहा है । व्यापार और वाणिज्य के क्षेत्र में भी ऐसा ही हो रहा है । इस बात को ध्यान में रखते हुये क्या सरकार ने संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभा की आर्थिक समिति के नवीनतम प्रस्ताव की ओर ध्यान दिया है जिसमें उसने विकसित देशों को ऐसा योगदान देने के लिये कहा है ? परन्तु इस दिशा में अभी तक कुछ भी प्रगति नहीं हुई है । हालांकि उनकी आय दिन पर दिन तेजी से बढ़ती जा रही है और हमारी प्रति व्यक्ति आय घटती जा रही है । ऐसी स्थिति में सरकार ने इस अन्तर को पूरा करने के लिये क्या प्रस्ताव किया है ?

श्री मनुभाई शाह : मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत नहीं हूं । साधारणत: सभी विकसित देशों ने अपनी आय का एक प्रतिशत सहायता के रूप में देने के लिये अलग रखा है ।

श्री भागवत झा आजाद : आप संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभा के नवीनतम प्रस्ताव को देखियेगा । वे ऐसा नहीं कर रहें हैं ।

श्री मनुभाई शाह : मैं यह मानता हूं कि यह औसतन एक प्रतिशत नहीं है । वास्तव में फ्रांस ने 1·9 प्रतिशत तक दिया है । मैं सभा को बताना चाहता हूं कि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों की बैठको में हमने ऐसी सहायता के अंशदान के लिये शुद्ध 2 प्रतिशत पर जोर दिया है, चूंकि उनकी आय का एक प्रतिशत योगदान विकासोन्मुख देशों के लिये प्रर्याप्त नहीं है क्योंकि उन्हें ऋण का भारी भुगतान करना पड़ता है और ब्याज की दर भी बढ़ गयी है । इससे कम विकसित देशों पर बहुत अधिक आर्थिक भार पड़ रहा है ?

श्रीमती सावित्री निगम : क्या मंत्री महोदय को यह मालूम है कि इस प्रस्ताव को विकसित देशों द्वारा क्रियान्वित न किये जाने के कारण विकासशील देशों की निर्यात-आय कम हो गयी है । इसका कारण स्पष्ट है कि कच्चे माल की कीमत घटती जा रही है, और तैयार माल की कीमत बढ़ती जा रही है ? क्या सरकार ने कोई ऐसा प्रयास किया है कि सब विकासशील देश सामूहिक रूप से कच्चा माल विकसित देशों को कम कीमत पर देना बन्द कर दें और इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से उच्च प्रस्ताव को लागू करे ।

श्री मनुभाई शाह : इस दिशा में कुछ कदम उठाये गये हैं । पहला कदम यह है कि हमने संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभा के व्यापार और विकास मंडल के अधीन एक वस्तु आयोग बनाया है जिसमें चीनी गेहूं, चावल, चाय, काफी आदि वस्तुओं पर अन्तर्राष्ट्रीय वस्तु करार किये जाने का सुझाव दिया गया है, जिसके अनुसार इन वस्तुओं का न्यूनतम मूल्य स्थिर किया जायेगा और जिससे कम मूल्य पर कोई भी विकसित विकासशील देशों से ये वस्तुएं न खरीद सकेगा । इस कार्य में सफलता नहीं मिली है परन्तु साथ ही ऐसे देशों के कच्चे माल के मूल्य को स्थिर

करने के लिये भी प्रयास किया जा रहा है।

विकसित देशों से आधुनिक और उन्नत प्राद्योगिकीय सामग्री को आयात करने के प्रश्न पर प्रशुल्क हटाये जाने के लिये बातचीत की जा रही है। आयात करने वाले देशों के लिये आयात को सस्ता बनाने के लिये यह आवश्यक है कि प्रशुल्कों में कमी की जाय। परन्तु इस सम्बन्ध में जो प्रगति अब तक हुई है, मैं उससे संतुष्ट नहीं हूं, फिर भी इस दिशा में प्रयास किया जा रहा है।

विशाखापतनम में जस्ता प्रद्रावक (स्मेल्टर) परियोजना

+

***635. डा० पू० ना० खां :** **डा० म० मो० दास :**
श्री भागवत झा आजाद **श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्री स० चं० सामन्त : **श्री सुबोध हंसदा :**

क्या **खान और धातु मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशाखापतनम में जस्ता प्रद्रावक (स्मेल्टर) परियोजना के बारे में एक व्यापक परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने के लिये पोलैंड की फर्म मैसर्स सेन्ट्रोजैप के साथ करार किया गया है तथा क्या इस बारे में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जा चुका है ;

(ख) क्या सरकार को इस परियोजना को क्रियान्विति के लिये पोलैंड से तकनीकी तथा वित्तीय सहायता मिलने की आशा है ;

(ग) यदि हां, तो क्या पोलैंड की सरकार के साथ कोई करार किया गया है ; और

(घ) इस परियोजना को क्रियान्विति में यदि कोई प्रगति हुई है, तो क्या ?

खान और धातु मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सं० अ० मेहदी) :

(क), (ख), (ग) और (घ) 26-2-1966 को पोलैंड के मैसर्स सेंट्रोजैप के साथ एक समझौता किया गया था जिसमें चौथी योजना के दौरान आयातित सकेन्द्रकों पर आधारित पोलिश तकनीकी तथा वित्तीय सहायता से एक जस्ता प्रद्रावक स्थापित करने का निर्णय किया था। परन्तु चौथी पंचवर्षीय योजना में इस परियोजना के शामिल न होने के कारण परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का काम सितम्बर, 1966 में स्थगित कर दिया गया।

डा० पू० ना खां : इसके लिये शुरू में किन स्थानों को चुना गया था और विशाखापतनम को ही इस मामले में प्राथमिकता क्यो दी गयी ? क्या उस राज्य द्वारा इस सम्बन्ध में कोई राजनीतिक दबाव डाला गया था ?

श्री सं० अ० मेहदी : इस सम्बन्ध में कोई राजनीतिक दबाव नहीं डाला गया है। जैसा कि मैंने गत सप्ताह में बताया था कि यह आयातित खदानों (कन्सेन्ट्रेट्स) को प्राप्त करने का प्रश्न है चूंकि इस समय विदेशी मुद्रा की स्थिति सकटमय है।

डा० पू० ना खां : क्या इस परियोजना की रिपोर्ट अपने देश की किसी फर्म द्वारा तैयार कराने का प्रयास भी किया गया है ? यदि हां, तो वे फर्म कौन सी हैं ?

श्री सं० अ० मेहदी : मैंने कहा है कि ठेका दे दिया गया है और परियोजना की रिपोर्ट पहले ही तैयार की जा चुकी है।

डा० म० मो० दास : मंत्री महोदय ने बताया है कि ठेका दिया जा चुका है और पौलेंड सरकार वित्तीय और तकनीकी सहायता देने के लिये तैयार हो गयी है और गत सितम्बर में यह योजना स्थगित कर दी गयी थी। ये सब बातें एक साथ समझ में नहीं आती। इस महत्व पूर्ण योजना को स्थगित करने के क्या कारण थे ? पौलेंड सरकार के साथ जो करार किया गया है, उसकी शर्तें क्या हैं ?

श्री सै० अ० मेहदी : इस परियोजना की रिपोर्ट तैयार करने के लिये पोलैंड सरकार को ठेका दिया गया था और इस कार्य पर अब तक 13 लाख रुपये तथा कुछ अन्य खर्च किये जा चुके हैं। परन्तु रिपोर्ट तैयार हो जाने के बाद इस मामले में आगे प्रगति नहीं की जा सकी क्योंकि जस्ते का वार्षिक आयात इसके लिये पर्याप्त नहीं है।

खान और धातु मंत्री (श्री सु० कु० डे) :

इस सम्बन्ध में दूसरी विचारणीय बात यह भी है कि जस्ता प्रद्रावक परियोजना की स्थापना में एक बड़ी माला में विदेशी मुद्रा खर्च होगी। विशेषज्ञों के अध्ययन के आधार पर योजना आयोग ने यह निष्कर्ष निकाला था कि उक्त परियोजना पर विदेशी मुद्रा के निवेश की तुलना में उससे देश को लाभ कम होगा। इस कारण से इस योजना को स्थगित कर दिया गया था।

Shri M. L. Dwivedi : May I know whether concentrates have been found since then in India ? Has it not been felt necessary that such a plant is greately required in India for Military and Civilian purposes ? I would like to know whether it could be run with the imported zinc and if so, why this scheme was postponed.

श्री सु० कु० डे : प्रतिरक्षा तथा औद्योगिक क्षेत्र की जस्ते सम्बन्धी आवश्यकता के प्रति हम पूर्णतः जागरूक हैं। जैसा कि माननीन सदस्य को भी मालूम है कि उदयपुर में एक जस्ता प्रद्रावक कारखाना स्थापित किया जा रहा है जिससे लगभग 18,000 टन जस्ता प्रतिवर्ष प्राप्त किया जा सकेगा। देश के अन्य भागों में भी जस्ता-धातु की खोज तीव्रता से की जा रही है और इसका पर्याप्त भंडार मिल जाने की आशा है।

Shri M. L. Divivadi : I asked whether there is any possibility of starting this plant.

श्री सु० कु० डे : मैं पहले ही यह संकेत दे चुका हूं कि देश में जस्ते का उत्पादन बढ़ाया जायेगा और इस लिहाज से प्रद्रावक क्षमता भी बढ़ जायेगी।

Shri Bhagwat Jha Azad : An agreement for a smelter project at Visakhapattnam has been signed and it has gone into production. What will be its initial and final capacity ?

श्री सु० कु० डे : इसमें अभी उत्पादन प्रारम्भ नहीं हुआ है। अभी तक केवल परियोजना की प्रारम्भिक सम्भावनाओं के सम्बन्ध में ही छानबीन की गयी है और पौलेंड द्वारा उसी के आधार पर परियोजना की रिपोर्ट तैयार की जा रही थी।

श्री म० ला द्विवेदी : कितनी क्षमता के लिये ?

श्री सु० कु० डे : तीस हजार टन की वार्षिक क्षमता के लिये।

श्री स० चं० सामन्त : क्या जस्ता देने वाले कुछ अन्य देशों से भी इस सम्बन्ध में सम्पर्क किया गया है ? यदि हां, तो उसके लिये कितनी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी ?

श्री सु० कु० डे : हम सभी स्थानों से जस्ता प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। विशाखापतनम के कारखाने के रेलवे जो जस्ता आयात किया जायेगा, उसमें से कुछ ईरान से भी मंगाया जायेगा।

श्री सुबोध हंसदा : इस परियोजना की रिपोर्ट पोलैंड की मैसर्स सेन्ट्रोजेप द्वारा तैयार की गयी है। क्या इसके तैयार किये जाने में भारतीय विशेषज्ञों का भी सहयोग रहा है ?

श्री सु० कु० डे : यह रिपोर्ट अभी तैयार की जा रही है। यहां यह उल्लेख करना भी उचित होगा कि भारत में इस समय जस्ता-विशेषज्ञों की बहुत ही कमी है।

श्री काशीराम गुप्त : उन राज्यों के नाम क्या हैं जहाँ पर्याप्त मात्रा में जस्ता मिलने की सम्भावना है। विशाखापतनम के प्रद्रावक कारखाने की आवश्यकता को क्यों एक राज्य से पूरा किया जायेगा या कई राज्यो से पूरा किया जायेगा और क्या इसके लिये जस्ते का विदेशों से भी आयात किया जायेगा।

श्री सु० कु० डे : इस कारखाने के पूरा हो जाने पर ही यह बताया जा सकता है। कि इसकी आवश्यकता देशी संशोधनों से ही पूरी की जा सकेगी या उसका आयात भी करना पड़ेगा।

श्री काशीराम गुप्त : यह एक आश्चर्यजनक बात है कि संसाधनों पर ध्यान दिये बिना ही वे प्रद्रावक कारखाना शुरू करने जा रहे है।

श्री पें० वेंकटसुब्बया : विशाखापतनम में स्थापित किये जाने वाला यह कारखाना कब तक तैयार हो जायेगा ? क्या यह समाचार सही है कि केन्द्रीय सरकार वहाँ के लोगों के असंतोष के कारण इस परियोजना को बिल्कुल छोड़ रही है ?

श्री सु०कु० डे : मैं यह पहले ही बता चुका हूं कि विदेशी मुद्रा की कमी और अन्य आर्थिक पहलुओ को सोचकर यह परियोजना कुछ समय के लिये स्थगित कर दी गयी थी।

श्री स० मो० बनर्जी : मंत्री महोदय ने बताया है कि उदयपुर स्थित जस्ते के कारखाने को बढ़ाया जा रहा है। उस कारखाने को बढ़ाने के लिये सुझाव देने के लिये जो फ्रांस के विशेषज्ञ आने वाले थे, क्या वे अभी भारत में ही हैं, और वे अपनी अन्तिम रिपोर्ट कब तक देंगे ?

श्री सु० कु० डे : फ्रांसीसी विशेषज्ञों को गत मास के अन्त तक भारत में आ जाना चाहिए था। मैं नहीं कह सकता कि वे वास्तव में आ चुके हैं। जब वे आयेंगे तो हम अवश्य ही वर्तमान प्रद्रावक कारखाने की कार्य-पद्धति और उसके विस्तार के बारे में उनका परामर्श लेंगे, क्योंकि उस पर अभी निर्माण-कार्य जारी है।

श्री स० मो० बनर्जी : मैंने यह पूछा था कि क्या वे विशेषज्ञ आ चुके हैं :

अध्यक्ष महोदय : इसका उत्तर वे पहले ही दे चुके हैं।

निर्मित माल का निर्यात

+

*636. **डा० कर्णी सिंहजी** :

क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1965-66 में भारत द्वारा किये गये कुल निर्यात की तुलना में निर्मित माल की प्रतिशतता क्या है ; और

(ख) देश से निर्मित माल का निर्यात बढ़ाने तथा कच्चे माल के निर्यात की मात्रा कम करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री मनुभाई शाह) :

(क) 1965-66 में भारत से हुए कुल निर्यात में पूर्णतः या प्रमुखतः निर्मित वस्तुओं का अनुपात लगभग 48 प्रतिशत है ।

(ख) उत्पादन तथा निर्यात को बढ़ाने के मामले में निर्माता एककों की सहायतार्थ अव-मूल्यन के पश्चात् की गई कार्यवाही का ब्यौरा 16-8-66 को लोक सभा के पटल पर रखे गये विवरण में दिया गया है । निर्माण के माल के उत्पादन किस्म नियंत्रण तथा लदानपूर्व निरीक्षण, अच्छी पैकिंग तथा मण्डारण व्यवस्था, बिक्री के बाद साज-संभाल तथा लागत घटाने के लिये योजना तथा कार्यक्रम बनाने के हेतु फैक्ट्री में अच्छे संगठन को प्रोत्साहन दिया जाता है । इसके अतिरिक्त, व्यापार बोर्ड द्वारा समय समय पर की गयी सिफारिशों के अनुसार, निर्यात से पहिले कच्चे माल के समापन को प्रत्येक प्रकार से प्रोत्साहन दिया जाता है उदाहरणतः बूटों तथा जूतों के कारखानों के आधुनिकीकरण, कच्ची खालों तथा चमड़ियों के निर्यात करने के स्थान पर चमड़े को संवारने के बाद निर्यात करना, लोह अयस्क की गुटिकाये बनाकर भेजना आदि ।

डा० कर्णी सिंह जी : निर्मित वस्तुओं का जितना निर्यात किया गया हैं, उसमें औद्योगिक मशीनें और उपकरण कितने हैं और उपभोक्ता वस्तुयें तथा कृषि आधारित वस्तुएं कितनी हैं ?

श्री मनुभाई शाह : कृषि जन्य वे 'वस्तुयें जिनके लिये किसी विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती, उनकी मात्रा लगभग 30 प्रतिशत है । परन्तु यदि हम पटसन का सामान, चीनी और कपास जैसी तैयार की गयी वस्तुओं को लें तो भारत के कुल निर्यात में कृषि जन्य और कृषि पर आधारित वस्तुओं की मात्रा लगभग 78 प्रतिशत होती है ।

डा० कर्णी सिंह जी : औद्योगिक वस्तुओं तथा अन्य ऐसी वस्तुओं जो कृषिजन्य नहीं है, के लिये विदेशों में आकर्षण करने और अपने निर्यात को बढ़ाने के लिये सरकार क्या कदम रही है ? ऐसा क्या प्रयास किया जा रहा है जिससे हमारी निर्यात की जाने वाली सभी वस्तुओं का स्तर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर से मेल खा जाय । विदेशों में भारतीय माल की सामान्यतः क्या प्रतिष्ठा है ?

श्री मनुभाई शाह : भारत से निर्यात किये जाने वाले कुल माल के 82 प्रतिशत माल पर किस्म-नियंत्रण और लदान-पूर्व निरीक्षण अनिवार्य रूप से लागू होता है । मैं सभा को यह बता देना चाहता हूं कि गत दो वर्षों में, विशेषतः पिछले एक वर्ष में, हमें विदेशी ग्राहकों से कम से कम क्षति सम्बन्धी दावे प्राप्त हुए हैं ।

कृ० चं० पन्त : यह सच है कि भारत में उत्पादन लागत अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों से कहीं अधिक है । इसके कारणों में एक कारण यह भी है कि प्रशुल्क आयोग कीमत निर्धारित करते समय अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों का ध्यान नहीं रखता । क्या सरकार प्रशुल्क आयोग को कुछ ऐसे अनुदेश देगी जिससे कीमत इस प्रकार निर्धारित की जायं कि अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों और हमारी कीमतों में सम्यक् सम्बन्ध स्थापित हो सके ।

श्री मनुभाई शाह : देशी वस्तुओं की कीमतों का निर्धारण करते समय अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों को आधार नहीं बनाया जा सकता । यद्यपि औद्योगिक और कृषिजन्य वस्तुओं की कीमत घटाने के

लिये प्रयास निरन्तर किया जा रहा है। अतः प्रशुल्क आयोग को इस सम्बन्ध में आदेश नहीं दिये जा सकते।

Shri Bhagwat Jha Azad : Is it a fact that inspite of all the steps taken, exports have declined ?

Shri Manubhai Shah : As far as I know there has been decline in exports during first four months. The results of imports liberalization and application of fertilizers to agriculture are still to be seen.

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या यह सच है कि दस दिन पहले चाय पर यथामूल्य व्यवस्था के अनुसार निर्यात शुल्क लगा देने के बाद, चाय के निर्यात में अवरोध आ गया है ? यदि हाँ, तो स्थिति को सुधारने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

श्री मनुभाई शाह : ऐसी कोई बात नहीं है। कलकत्ते के बन्दरगाह तथा सीमाशुल्क अधिकारियों ने कल ही चाय के 32 लदान बिलों में से 28 बिलों को पास किया है।

Shri K. N. Tiwary : What is the price of sugar in the international market and what is the quantity of it Govt. intend to import ?

Shri Manubhai Shah : The rate is 15 Pound sterling, which is equal to Rs. 315/—. Govt. intend to export 300 to 350 Lakhs ton of sugar.

श्रीमती सावित्री निगम : क्या यह सच है कि मानकीकरण और पैकिंग सुविधाओं के अभाव के कारण भी हमारे निर्यात में अवरोध आया है, यदि हाँ, तो अवमूल्यन के बाद सरकार ने इन दोनों पहलुओं पर उचित ध्यान देने के लिये क्या कदम उठाये हैं ?

श्री मनुभाई शाह : मैं इन दो पहलूओं को समझ नहीं पाया।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हो गया है।

केरल में ग्राम सेवकों के नेता द्वारा अनशन

5. **श्री पं० कुन्हन :** **श्री मुहम्मद कोया**
श्री अ० कु० गोपालम : **श्री उमानाथ :**

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामसेवक संघ, केरल, का नेता अनशन कर रहा है ;

(ख) ग्राम सेवकों ने किन शिकायतों को दूर करने की मांग की है ; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य में उप-मंत्री (पू० शे० नास्कर) :

(क) केरल के ग्राम सेवक संघ के उप-प्रधान ने 14 नवम्बर 1966 से 28 नवम्बर 1966 तक अनशन किया।

(ख) उनकी मांगें इस प्रकार थीं।

(i) वेतन क्रमों में संशोधन।

(ii) मकान भाड़ा भत्ता की मांग।

(iii) पदोन्नति के अवसरों की व्यवस्था।

(iv) वाहन-भत्ते में वृद्धि।

(v) विकास विभाग को पृथक् तथा स्थायी विभाग बनाना।

(ग) राज्य सरकार ने उनकी मांगों पर विचार करना स्वीकार कर लिया है और ग्राम सेवकों ने 28 नवम्बर, 1966 के अपराह्न से अपना आन्दोलन वापस ले लिया।

श्री प० कुन्हन : सरकार और ग्राम सेवकों के प्रतिनिधियों के बीच किन शर्तों पर समझौता हुआ है ?

श्री पू० शे० नास्कर: ये इस प्रकार की बातचीत नहीं थी कि किसी प्रकार की शर्तों पर समझौता होता। उन्होंने सरकार के सामने कुछ मांगे रखी थी और सरकार ने उन्हें बताया कि सरकार उन पर विचार कर रही है। इस पर अनशन समाप्त कर दिया गया है और आन्दोलन भी वापिस ले लिया गया।

श्री पं० कुन्हन : ग्राम सेवकों की किन मांगों को सरकार ने स्वीकार कर लिया है ?

श्री पू० शे० नास्कर : मूल प्रश्न के भाग (ग) में मैंने यह बताया कि सरकार उनकी मांगों पर विचार करने के लिये मान गयी है।

श्री उमानाथ : अखबारों में यह छपा था कि सरकार ने ग्राम सेवकों की कुछ मांगे स्वीकार कर ली हैं और शेष मांगों पर उचित वातावरण में बातचीत की जायेगी। क्या अखबारों में छपा यह समाचार सत्य है, यदि हाँ, तो वे मांगें क्या हैं ? यदि नहीं, तो सरकार इस सम्बन्ध में कब बातचीत करेगी ?

श्री पू० शे० नास्कर : मैंने बताया है कि राज्य सरकार उनकी मांगों पर विचार करने के लिये सहमत हो गयी है। उनकी क्या मांगे मान ली गई हैं और किन मांगों के बारे में अभी बात चीत की जानी है, इसकी जानकारी मुझे नहीं है।

श्री वासुदेवन नायर : वेतन आयोग की सिफारिशों का अनुसरण करने के कारण वहाँ कुछ विषमतायें पैदा हो गयी थी। ग्राम सेवकों सहित सरकारी कर्मचारियों को कई श्रेणियों ने उन विषमताओं को दूर कराने के लिये आन्दोलन किया था। क्या मंत्री महोदय को मालूम है कि केरल की संसदीय परामर्शदातृ समिति ने सरकार से यह सिफारिश की है, इन विषमताओं से ग्रसित मामलों की जिनमें ग्राम सेवकों के मामले भी सम्मिलित हैं., जांच करने के लिये एक न्यायाधिकरण को नियुक्त किया जाय ? क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई निर्णय कर लिया है ?

श्री पू० शे० नास्कर : परामर्श दावृ की सिफारिशें तो मुझे ठीक ठीक याद नहीं हैं. परन्तु जहां तक ग्राम सेवकों के प्रश्न का सम्बन्ध है, उनकी मांग भी वेतन–मांगों में संशोधन करने से सम्बन्धित है और राज्य सरकार ने कहा है कि उनकी मांगों पर विचार किया जा रहा है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

जाली रेल-टिकटों की बिक्री

***637. श्री विश्वनाथ पान्डेय :** श्री यशपाल सिंह :
श्री बागड़ी : डा० राममनोहर लोहिया :

क्या रेलवे मन्त्री जाली रेल-टिकटों की बिक्री के बारे में 5 सितम्बर, 1966 के अल्प सूचना

प्रश्न संख्या 27 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या जांच कार्य इस बीच पूरा हो चुका है ;

(ख) यदि हां, तो इस जांच से किन किन मुख्य बातों का पता लगा है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस जांच के कब पूर्ण हो जाने की सम्भावना है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) :

(क) जी नहीं ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

(ग) पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और इसमें कुछ समय लगेगा ।

कपड़ा उद्योग को लाइसेंस लेने की शर्त से छूट

***638. श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :**
श्री महेश्वर नायक :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री लीलाधर कटकी :
श्री रा० बरुआ :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री स० चं० सामन्त
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री नि० रं० लास्कर :

क्या वाणिज्य मंत्री 29 जुलाई, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 123 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में कपड़ा उद्योग से लाइसेंस लेने की शर्त हटाने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की नीति की मुख्य बातें क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :

(क) तथा (ख) : कपड़ा उद्योग पर से लाइसेंस लेने की शर्त हटाने का प्रस्ताव अभी भी सरकार के विचाराधीन है ।

Tractor Factory

***639. Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**
Shri Surendra Pal Singh :
Shri Bade :
Shri Sarjoo Pandey :

Will the Minister of Industry be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1453 on the 5th August, 1966 and state :

(a) whether the report on the scheme for the setting up of a tractor factory with the collaboration of Czechoslovakia has since been received by Government;

(b) if so, the main features thereof; and

(c) if not, the time by which it is likely to be received ?

The Minister of Industry (Shri D. Sanjivayya) :

(a) : No, Sir.

(b) : Does not arise.

(c) : As indicated in the reply given to Unstarred Question No. 1453 on the 5th August, 1966, the first part of the Detailed Project Report is expected to be received by the end of this year.

अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्य

*640. **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हसदा :
श्री प्र० चं० रुबआ :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री भागवत झा आजाद :
डा० म० मो० दास :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मूल्यों सम्बन्धी मन्त्रि-मंडलीय समिति ने अनुचित लाभ रोकने के लिये बहुत सी अत्यावश्यक वस्तुओं के उत्पादन तथा वितरण की क्या व्यवस्था की है ;

(ख) रुपये का अवमूल्यन करने का निर्णय किये जाने के साथ २ किये गये निर्णय के अनुसार अनाज, उर्वरक, मिट्टी का तेल, डीजल तेल तथा अन्य पेट्रोलियम उत्पादकों के मूल्यों में कहां तक कमी हुई है ; और

(ग) भोजन बनाने के लिये तेलों की कमी को पूरा करने के लिये खोपरा, खजूर, सूरजमुखी तथा सोयाबीन तेल का अधिक आयास करने की क्या व्यवस्था की गई है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री मनुभाई शाह) :

(क) से (ग) :एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये सख्या एल० टी० 7498/66**]

निर्यात के लिए नकद सहायता योजना

*641. **श्री यशपाल सिंह :**

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पहले ही अधिसूचित की गई वस्तुओं के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं के निर्यात पर नकद सहायता योजना लागू करने से इन्कार कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो अवमूल्यन के कारण व्यापार के लिये उत्पन्न हुई भारी कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए अन्य वस्तुओं के लिये यह सुविधा न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :

(क) तथा (ख) जिन मदों पर नकद सहायता दी जा सकती है उनके विषय में घोषणा पहले ही की जा चुकी है।

निर्यात की जा सकने वाली कृषि वस्तुएं

*642. **श्री विभूति मिश्र**
श्री क० ना० तिवारी :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने निर्यात-आयात सलाहकार समिति की दिल्ली में 17 सितम्बर, 1966 को हुई बैठक में यह बताया था कि सरकार निर्यात की जा सकने वाली विभिन्न कृषि वस्तुओं पर लगाये गये निर्यात शुल्क को कम करना चाहती है;

(ख) यदि हां, तो क्या उनको कोई और सलाह दी गई थी ; और

(ग) इससे भारतीय कृषकों को और निर्यात को कितनी सहायता मिलेगी ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री मनुभाई शाह) :

(क) जी, नहीं ।

(ख) **तथा (ग)** : प्रश्न ही नहीं उठते ।

डीजल-लोकोमोटिव वर्क्स, वाराणसी में डीजल रेल-इंजनों की निर्माण लागत

*643. **श्री प्र० चं० बरुआ :** **श्री भागवत झा आजाद :**
श्री स० चं० सामन्त : **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री म० ला० द्विवेदी : **श्री महेश्वर नायक :**

क्या **रेलवे मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रुपये के अवमूल्यन के परिणामस्वरूप डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, वाराणसी में डीजल रेल-इंजनों की निर्माण लागत 25 प्रतिशत बढ़ गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या निर्माण लागत में हुई इस वृद्धि के कारण डीजल रेल-इंजनों का निर्माण बहुत कम हो गया है और यदि हां, तो कितना कम हुआ है ; और

(ग) रुपये के अवमूल्यन के बाद हुआ निर्माण कार्य पिछले वर्ष इसी अवधि में हुए निर्माण की तुलना में कितना कम है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) :

(क) जी नहीं ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

(ग) जब से अवमूल्यन हुआ है तब से लेकर पांच महीनों में, अर्थात् जून से अक्तूबर तक, 17 रेल इंजन बनाये गये जबकि पिछले वर्ष इन्हीं पांच महीनों में 19 रेल इंजन बनाये गये थे । इस वर्ष उत्पादन में कमी का कारण अवमूल्यन नहीं है बल्कि धुरियों की कमी है । यदि धुरियों की कमी नहीं होती तो इस वर्ष के इन पांच महीनों में 25 रेल इंजनों का उत्पादन होता ।

खुली गाड़ियों में अनाज लाना ले जाना

*644. **श्री सुबोध हंसदा :** **श्री स० च० सामन्त :**
श्री भागवत झा आजाद : **श्री म० ला० द्विवेदी :**
डा० म० मो० दास : **श्री प्र० च० बरुआ :**

क्या **रेलवे मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1965-66 में देश के एक भाग से दूसरे भाग में अनाज लाने ले जाने में भारी मात्रा में अनाज खराब हो गया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या उस कारण हुई अनाज की हानि का कोई अनुमान लगाया गया है ;

(ग) क्या यह हानि इस कारण हुई थी कि अनाज लाने ले जाने के लिये खुली गाड़ियों का प्रयोग किया गया था ; और

(घ) यदि हां, तो खुली गाड़ियों का प्रयोग किये जाने के कारण क्या थे ?

रेलवे मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) :

(क) जी नहीं, कुछ अनाज खराब हो गया था।

(ख) जी हां, कुछ मामलों में हानि का अनुमान लगाया गया था लेकिन कुल आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं है।

(ग) अनाज को खुले माल डिब्बों में ले जाने के कारण कुछ हद तक क्षति पहुंची लेकिन जो माल बन्द माल डिब्बों में ढोया गया था उसे भी क्षति पहुंची।

(घ) अनाज भेजने के लिए आमतौर पर बाक्सनुमा/खुले माल डिब्बों को तिरपाल से ढक दिया जाता है और इन डिब्बों को पहरेदारों की निगरानी में ब्लाक गाड़ियों से भेजा जाता है। ऐसा केवल तभी किया जाता है जब मौसम साफ हो। 1965-66 के मानसून के महीनों में मद्रास में काफी संख्या में जहाज जमा हो गये थे। साथ ही 1966-67 की उसी अवधि में अप्रत्याशित रूप से भारी मात्रा में विदेशों से अनाज का आयात हुआ। इन कारणों से रेलों को बन्दरगाहों से अनाज ले जाने के उद्देश्य से कुछ हद तक खुले माल डिब्बों की व्यवस्था करनी पड़ी क्योंकि एकाएक और अप्रत्याशित रूप से इतनी भारी मात्रा में ढुलाई के लिए अतिरिक्त बन्द माल डिब्बों की व्यवस्था करना संभव नहीं था। लेकिन इस काम के लिए बाक्स माल डिब्बों की व्यवस्था की गयी है जिनमें विशेष फिटिंग्स की व्यवस्था है जिसकी वजह से माल डिब्बों को तिरपाल से इस प्रकार ढका जा सकता है कि उनका ढाल बाहर की ओर रहे ताकि पानी आसानी से बह जाय।

काफी का उत्पादन

***645. श्री महेश्वर नायक : श्री विश्वनाथ राय :**

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) काफी का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में बढ़ाने तथा इसके निर्यात से अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिये क्या विशेष प्रयत्न किये जा रहे हैं ; और

(ख) क्या उन राज्यो को, जहां काफी की उपज के लिये प्राकृतिक सुविधायें उपलब्ध हैं, केन्द्रीय सहायता दी जाती हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :

(क) काफी उत्पादन में निम्न साधनों द्वारा वृद्धि की जा रही है:—

(1) काफी कृषि की भूमि के क्षेत्रफल में विस्तार।

(2) उर्वरकों तथा कीटनाशकों के प्रयोग से तथा काफी उगाने वालों को काफी बोर्ड द्वारा दिये गये अधिक उपज वाले तथा रोगरोधक काफी बीजों को बोकर अधिक सघन खेती करना।

(3) काफी उगाने वालों को दीर्घकालिक ऋण देना ताकि वे सघन खेती कर सकें, इसके लिए काफी बोर्ड द्वारा किराया—खरीद के आधार पर वांछित उपकरण तथा मशीनें भी दी जाती हैं।

(ख) जी, हां।

मैसर्स नानक चन्द शादी राम

***646. श्री किशन पटनायक : श्री मधुलिमये :**

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नानक चन्द शादी राम फर्म के, जो सरकार द्वारा नियंत्रित इस्पात के स्टाकिस्ट तथा आयातक हैं, और जिसके कार्यालय दिल्ली, मद्रास, कानपुर तथा कलकत्ता में हैं, द्वारा प्रचलित काननों का उलंघन किये जाने के कारण उसके विरुद्ध मुकद्मे चलाये गये हैं ; और उसे दण्ड दिया गया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इसके बावजूद भी इस फर्म से संबंधित पक्षों/सह-भागियों को एक पब्लिक लिमिटेड कम्पनी खोलने की अनुमति दी गई है ;

(ग) क्या मद्रास सरकार ने इस कम्पनी को रियायतीं दर पर भूमि दी है ;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों की वित्तीय संस्थाओं तथा अन्य विभागों ने इस कम्पनी को अनेक किस्म की सहायता दी है ;

(ङ) क्या इस कम्पनी ने उत्पादन आरम्भ कर दिया है और क्या कोई निर्माण कार्य किया गया है ; और

(च) यदि नहीं, तो जनता तथा राज्य के हितों की रक्षा करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवय्या) :

(क) लोहा और इस्पात नियन्त्रण आदेश और भारतीय दण्ड संहिता के उपबन्धों के साथ पठित अत्यावश्यक वस्तुएं अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत झूठे विवरण देने के लिये तृतीय प्रैजीडेंसी मैजिस्ट्रेट, मद्रास द्वारा नानक चन्द शादी राम की फर्म को दोषी ठहराया गया था। उन्होंने उच्च न्यायालय में अपील दायर की है जो कि लम्बित है।

(ख) इस दोष सिद्धि से काफी पहले 1961 में नानक चन्द शादी राम की फर्म के एक भागीदार द्वारा समर्थित मैसर्स मद्रास ट्यूब कम्पनी मद्राम को निगमित किया गया था।

(ग) जी नहीं। बाजार भाव पर 162.59 एकड़ भूमि दी गई थी।

(घ) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत मैसर्स मद्रास ट्यूब कम्पनी, मद्रास को प्रति वर्ष 48,000 टन ई० आर० डब्लू० ट्यूबों के निर्माण के लिये 1961 में लाइसेंस दिया गया था। इस परियोजना के लिये, पूंजीगत उपकरणों के लिये आवश्यक आयात लाइसेंस, एक विदेशी फर्म के साथ सहयोग प्राप्त करने सम्बन्धी समझौते का अनुमोदन और पूंजी देने के लिये अनुमति दे दी गई है। अंशों के जारी किये जाने के सम्बन्ध में मद्रास औद्योगिक विनियोजन निगम जैसे वित्तीय संस्थानों ने बीमा किया है।

(ङ) कारखाने ने अभी निर्माण कार्य आरम्भ नहीं किया है और इस लिये, उत्पादन का प्रश्न ही नहीं उठता।

(च) जैसा कि ऊपर भाग (ख) में बताया गया है। मैसर्स मद्रास ट्यूब कम्पनी द्वारा कोई अनियमित कार्य नहीं किया गया है और इसलिसे इसके कार्य में भाग लेने वालों के हितों की रक्षा करने का प्रश्न नहीं उठता।

पाकिस्तान में भारतीय होटल

***648. श्री राम सहाय पाण्डेय :**

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाकिस्तान में भारतीय लोगों द्वारा चलाये जा रहे कितने और कौन कौन से होटलों को गत वर्ष हुये भारत-पाकिस्तान संघर्ष में पाकिस्तान सरकार ने अपने अधिकार में ले लिया था ; और

(ख) पाकिस्तान ने भारतीय होटल मालिकों के जिन होटलों को अपने कब्जे में ले लिया था क्या उनकी आस्तियों को छुड़ाने के लिये भारत सरकार ने कोई कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :

(क) उपलब्ध जानकारी के अनुसार पाकिस्तान सरकार द्वारा लिये गये होटलों की संख्या 6 है । होटलों के नाम निम्नलिखित हैं:—

(1) ओवराय सेसिल, मरी

(2) ओबराय फ्लैशमैन्स, रावलपिण्डी ।

(3) ओबराय डीन्स, पेशावर ।

(4) ओबराय फैलेटिज, लाहौर ।

(5) ब्रिस्टल होटल, करांची ।

(6) पैलेस होटल, करांची ।

(ख) जी, हां, सितम्बर 1965 के संघर्ष के दौरान दोनों सरकारों द्वारा ली गयी सम्पत्तियों तथा परिसम्पत्तियों की पूर्ण रूप से वापसी के लिये भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार से बार बार प्रस्ताव किया है । दुर्भाग्यवश पाकिस्तान सरकार से कोई उत्तर नहीं मिला है ।

पूंजीगत सामान के आयात के लिये विदेशी मुद्रा का नियतन

***649. श्री बसुमतारी :**

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने निर्यात उद्योगों के आवश्यकता वाले पूंजीगत सामान के आयात के लिये विदेशी मुद्रा का विशेष नियतन करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने कच्चे माल के देसी निर्माताओं को यह निदेश देने की शक्तियां भी प्राप्त करली है कि वे वरीयता के आधार पर निर्यातकों की आवश्यकता के अनुसार उन्हें माल सप्लाई करे ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :

(क) इस सभा में 16 अगस्त, 1966 को दिए गए वक्तव्य के पांचवें पैरा की ओर सदस्य महोदय का ध्यान आकर्षित किया जाता है । व्यवस्था के ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं और निकट भविष्य में इनकी घोषणा की जायेगी ।

(ख) एक योजना जारी की गई है जिसमें यह व्यवस्था की गई है कि इंजीनियरी,

रासायनिक, प्लास्टिक, समापित माल तथा परिधान उद्योगों में निर्माण करने वाले कारखाने को, चाहे वे सीधा निर्यात करते हों या निर्यात के लिए किसी अन्य व्यक्ति अथवा फर्म को माल बेचते हों, कतिपय स्वदेशी कच्चे माल का (जिनमें से अधिकांश अनिवार्य वस्तु अधिनियम 1966 के अधीन पहले से ही "अनिवार्य वस्तुएं" घोषित किये जा चुके हैं) शीघ्र संभरण किया जाये ।

दक्षिण-मध्य तथा पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे में दुर्घटनाएं

*650. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** :

क्या **रेलवे मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण-मध्य तथा पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे में हाल में हुई तीन बड़ी रेलवे दुर्घटनाओं के कारणों की जांच के कार्य में क्या प्रगति हुई है ?

(ख) क्या जांच पूरी होने से पहिले संबंधित अधिकारियों के द्वारा इस आशय के सार्वजनिक वक्तव्य जारी करना उचित है कि इन दुर्घटनाओं का कारण "तोड़-फोड़" अथवा "मानवीय भूल" है ; और

(ग) जांच निकायों द्वारा अन्तिम निर्णय दिये जाने से पहिले रेलवे के कुछ कर्मचारियों को गिरफ्तार करने के क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :

(क) सम्भवत: आशय उन गाड़ी दुर्घटनाओं से है जो 10.10.66 और 12.10 66 को दक्षिण मध्य रेलवे पर और 20.10.66 को पूर्वोत्तर सीमा रेलवे पर हुई थीं । इन तीनों दुर्घटनाओं की जांच रेल संरक्षा आयोग द्वारा की गयी थी और उसकी अन्तिम रिपोर्ट अभी नहीं मिली है ; लेकिन, रेल संरक्षा आयोग के अन्तिम निष्कर्षों के अनुसार, 12.10.66 को हुई दुर्घटना का कारण रेल कर्मचारियों की गलती थी जबकि दूसरी दोनों दुर्घटनाओं का कारण तोड़-फोड़ की कार्रवाइयां थीं ।

(ख) जब कभी रेल संरक्षा आयोग कोई जांच करता है, तो एक संक्षिप्त प्रारम्भिक व्याख्यात्मक रिपोर्ट के साथ-साथ अपने अनन्तिम निष्कर्ष देता है । यह रिपोर्ट तथ्यों के आधार पर होती है, और इसमें दुर्घटना के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों का कोई हवाला नहीं होता । अनन्तिम निष्कर्षों के आधार पर, कभी-कभी दुर्घटना के कारण के सम्बन्ध में जनता की सूचनार्थ प्रेस विज्ञप्तियां जारी की जाती हैं ।

(ग) यह मामला राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में पड़ता है ।

देश में डी० टी०–14 बी० रूसी ट्रेक्टरों का निर्माण

*651. **श्री बाल गोविन्द वर्मा** :
श्री विश्वनाथ पान्डेय :
श्री चांडक :
श्री मधु लिमये :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्री प्रभात कार :
श्री ब्रज बिहारी महरोत्रा :
श्री राम स्वरूप :
श्री यशपाल सिंह :
श्री सरजू पाण्डेय :
श्री उटिया :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या यह सच है कि डी० टी०--14 बी० रूसी ट्रैक्टर बनानें की योजना 1964 में सरकार को प्रस्तुत की गयी थी ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कोई निर्णय क्यों नहीं किया गया जब कि इस हॉर्स पावर का ट्रैक्टर देश में नहीं बनाया जाता और किसानों की अधिकांश मांग इसी प्रकार के ट्रैक्टरों की है ; और

(ग) इस बात को ध्यान में रखते हुये कि इस किस्म के हजारों डी० टी०--14 बी रूसी ट्रैक्टरों का पहले से ही भारत के फार्मों में प्रयोग किया जा रहा है तथा इस वर्ष ऐसे लगभग 4000 ट्रैक्टरों का आयात किया जा रहा है और कोई निर्माण कार्यक्रम न होने के कारण पुर्जे न मिलने से ये ट्रैक्टर बेकार रहेंगे, क्या इन ट्रैक्टरों का निर्माण आरम्भ करना राष्ट्रीय हित में नहीं होगा ?

उद्योग मंत्री (श्री सजीव रेड्डी) :

(क) से (ग) : 1964-65 के दौरान सरकार को गैर-सरकारी पत्रों से डी० टी०-14 बी रूसी ट्रैक्टरों के निर्माण के लिए कई योजनाएं प्राप्त हुई थी। इन सभी योजनाओं को अस्वीकार कर दिया गया था, चूंकि सरकार ने चैकोस्लोवाकिया के सहयोग से इसी प्रकार के ट्रैक्टरों के निर्माण के लिये सरकारी क्षेत्र में एक कारखाना स्थापित करने का निर्णय किया है। यह निर्णय, भारतीय वातावरण में विभिन्न प्रकार के ट्रैक्टरों की उपयोगिता सहित सम्बन्धित तकनीकी आंकड़ों पर ध्यान पूर्वक विचार करने के बाद कृषि विभाग तथा अन्य सम्बन्धित मंत्रालयों की सलाह से लिया गया था। इसको देखते हुए इस समय उक्त प्रकार के ट्रैक्टरों के निर्माण के लिए किसी योजना पर विचार करने की गुंजाइश नहीं है।

देश में आयातित डी० टी०-14 बी० ट्रैक्टरों का बड़ी संख्या में होना और उनकी मरम्मत आदि के लिये फालतू पुर्जों की आवश्यकता का होना ही एक निर्माण परियोजना के लिये काफी नहीं है। फालतू पुर्जों की कमी के कारण इन ट्रैक्टरों के खराब होने का खतरा नहीं है क्योंकि अपेक्षित फालतू पुर्जे व्यापार योजना के अन्तर्गत रूस से आयात किये जा सकते हैं।

फालतू रेलवे इंजन

***652. श्री हरि विष्णु कामत :**

क्या रेलवे मंत्री 2 सितम्बर, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 834 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1964 के प्रारम्भ में रेलवे के पास बड़ी लाइन तथा मीटर गेज लाइन के लगभग 100 इन्जन उसकी आवश्यकता से अधिक थे और इस मामले पर जनरल मैनेजरों के सम्मेलनों में बार-बार चर्चा हुई थी ;

(ख) क्या इस फिजूल खर्ची के लिये जिम्मेदारी निर्धारित करने के उद्देश्य से डीजल तथा विद्युत-चालित इन्जनों की खरीद के सभी सौदों तथा सहयोग करारों की शर्तों तथा निबन्धनों के बारे में सरकार का कोई जांच कराने का विचार है ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं।

रेलवें मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :

(क) जी नहीं । 1964 के आरम्भ में भारतीय रेलों में बड़ी लाइन/मीटर लाइन के कोई फालतू रेल इन्जन नहीं थे । परिचालन, इन्जनों की उपलब्धता और उनके उपयोग, अनुरक्षण आदि से सम्बन्धित मामलों पर सामान्यत: महाप्रबन्धकों के सभी सम्मेलनों में विचार विमर्श किया जाता है ।

(ख) और (ग) : सवाल नहीं उठता ।

रेलवे के कार्मिक (पर्सानल) अधिकारी

***653. श्री प्रिय गुप्त :**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे की कार्मिक (पर्सानल) शाखा में वरिष्ठ पदों को भरने के लिये कोई पदावधि नहीं है और उन पदों को थोड़े समय के लिये पदावधि के आधार पर रेलवे के अन्य विभागों से अधिकारी मांग कर भरा जाता है ;

(ख) क्या रेलवे में कार्मिक (पर्सानल) अधिकारियों के इस प्रकार बार-बार तबादले के कारण कार्मिक शाखा का कुशल कार्य संचालन बिगड़ गया है ; और

(ग) क्या निकट भविष्य में कार्मिक अधिकारियों के लिये सरकार का एक पृथक पदालि बनाने का विचार है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :

(क) और (ख) : कार्मिक कार्य के लिये अलग पदों की मंजूरी दी जाती है,लेकिन इनके निये कोई सीधी भर्ती नहीं की जाती और इन पदों को रेलवे के दूसरे विभागों से कुछ वर्षों के लिए अधिकारियों को बुलाकर और श्रेणी III के कर्मचारियों को, जिनमें से अधिकतर कार्मिक शाखाओं में काम कर चुके होते हैं, पदोन्नत करके भरा जाता है । इस प्रणाली से सन्तोषजनक ढंग से काम हो रहा है ।

(ग) जी नहीं ।

मैसर्स राम कृष्ण कुलवन्त राय को आयात लाइसेंस

***654. श्री यशपाल सिंह :** **श्री बागड़ी :**

डा० राम मनोहर लोहिया :

क्या **लोहा और इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स राम कृष्ण कुलवन्त राय को 1967 में दिये गये 1 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के आयात लाइसेंसों के बारे में की जा रही जांच इस बीच पूरी हो चुकी है ; और

(ख) यदि हां, तो कब जांच रिपोर्ट सभा-पटल पर रखी जायेगी ?

लोहा और इस्पात मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) :

(क) और (ख) : माननीय सदस्यों ने जिस मामले का जिक्र किया है वह सरकार समिति को जांच के लिये सौंपे गये मामलों में एक है । माननीय सदस्य इस बात को समझेंगे कि प्रत्येक मामले की रिपोर्ट अलग से प्रस्तुत करना सम्भव नहीं है ।

M/s. A. H. Wheeler and Co.

***655. Shri Bibhuti Mishra : Shri K. N. Tiwary :**

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government propose to do away with the monopoly of M/s. A. H. Wheeler and Co. and other companies which sell books on various Railway Stations in the country; and

(b) if so, the stage at which the matter stands at present ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Sham Nath)

(a) The rights previously given to firms like M/s. A. H. Wheeler & Co., for running bookstalls exclusively over an entire Railway or portions thereof, have, with effect from 1.8.1960 been modified so that (i) at stations where there are no bookstalls, others can be permited to open bookstalls and (ii) even at stations where bookstalls exist at present, it is permissible to open other bookstalls for the sale of books, periodicals etc. of certain specified institutions like the Ramakrishna Mission, the Gita Press etc. In the circumstances, M/s A. H. Wheeler & Co. or any other firm do not now have a monopoly in running bookstalls. There are about 80 other contractors besides M/s A. H. Wheeler & Co., running their bookstalls on the Railways.

(b) Does not arise.

कोयला खानों के लिये कन्वेयर बैल्टिंग का निर्माण

***656. श्री मधु लिमये :**

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयले की खानों में प्रयोग में आने वाली कंन्वेयर बैल्टिंग के निर्माण के बारे में सरकार को कोई प्रस्ताव पेश किया गया था ;

(ख) इस परियोजना के लिये कितनी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता है ;

(ग) कन्वेयर बैल्टिंग का आयात करने पर प्रति वर्ष कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गई है ; और

(घ) देश में इसका निर्माण आरम्भ करने के लिये अनुमति देने से इन्कार के क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवय्या) :

(क) से (ग) : कन्वेयर बैल्टिंग के निर्माण के लिये हाल में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है । तथापि, इस उद्योग द्वारा आगे लाइसेंस दिया जाना वर्जित है क्योंकि पर्याप्त क्षमता के लिये लाइसेंस दिया जा चुका है ।

(ग) पिछले तीन वर्षों में कन्वेयर बैल्टिंग के आयात के आंकड़े निम्न है :—

वर्ष	मूल्य	लाख रु०
1963-64	33·85	,, ,,
1964-65	26·27	,, ,,
1965-66	12·92	,, ,,

पाकिस्तान को किये गये निर्यात से होने वाली आय की वसूली

*657. **श्री सुबोध हंसदा :** **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री प्र० चं० बरुआ : **श्री म० ला० द्विवेदी**
श्री भागवत झा आजाद : **डा० म० मो० दास :**

क्या **वाणिज्य** मंत्री 26 अगस्त, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 703 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाकिस्तान को किये गये निर्यात से होने वाली आय की बकाया राशि को उस देश से वसूल करने के लिये इस बीच क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ख) उसका क्या परिणाम रहा है ?

वणिज्य मन्त्री (श्री मनुभाई शाह) :

(क) तथा (ख) : क्योंकि पाकिस्तान के साथ पुनः व्यापार अभी तक प्रारम्भ नहीं किया गया है इसलिये उस देश को किये गये निर्यात से होने वाली आय की बकाया राशि की उस देश से वसूली के लिये इस समय कोई और कदम उठाना सम्भव नहीं है ।

शल्य चिकित्सा के उपकरण

***658 श्री महेश्वर नायक :**

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री ने पार-पैसिफिक सर्जिकल असोसिएशन द्वारा आयोजित शल्य चिकित्सा सम्बन्धी चल शिक्षा गोष्ठी का उद्घाटन करते समय अपने भाषण में यह मत वक्तव्य किया था कि भारत को शल्य चिकित्सा के नवीनतम उपकरणों की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है, जिससे देश की जनता को कठिनाई उठानी पड़ रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस कमी को कैसे पूरा किया जायेगा ; और

(ग) क्या इस कमी को दूर करने के लिये इन उपकरणों के निर्माण के लिये विदेशी सहयोग से अथवा उसके बिना ही देश में उद्योग स्थापित करने का विचार है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवय्या) :

(क) जी, हां ।

(ख) विरोधीकृत शल्य उपकरणों के लिये, जो कि इस समय उपलब्ध नहीं है, वर्तमान नीति यह है कि कोई भी डाक्टर 500 रु० की कीमत के शल्य चिकित्सा उपकरण, और कोई भी चिकित्सीय संस्थान 1000 रुपये की कीमत तक के शल्य चिकित्सा के उपकरण आयात कर सकते हैं ।

(ग) रूसी सहायता से मद्रास में सरकारी क्षेत्र में एक शल्य चिकित्सा उपकरण संयंत्र स्थापित किया गया है । परियोजना एक सितम्बर, 1965 से चालू की गयी थी । आम तौर पर इस्तेमाल में आने वाले शल्य चिकित्सा के कई उपकरणों का अब निर्माण किया जा रहा है । विभिन्न प्रकार के शल्य चिकित्सा के औजारों के निर्माण के लिये गैर-सरकारी क्षेत्र के तीन एककों का अस्थायी तौर पर पंजीकरण किया गया है । आशा है कि चालू योजना के अन्त तक अधिकांश

राज्य चिकित्सा उपकरण देश में ही बनने लगेंगे। बहुत ही विदेशीकृत और नई प्रकार के उपकरणों का आयात, जिनके लिये मांग इतनी नहीं है कि उसका निर्माण करना लाभप्रद हो, फिर भी जारी रहेगा।

यूरोपीय साझा बाजार

***650. श्री प्र० चं० बरुआ :**

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि ब्रिटेन के प्रधान मंत्री, श्री हैराल्ड विल्सन, अब इस बात के इच्छुक हैं कि ब्रिटेन को यूरोपीय साझा बाजार में शामिल होना चाहिये ; और

(ख) यदि हां तो इस प्रस्ताव के कार्यरूप में परिणत हो जाने की अवस्था में भारतीय निर्यात व्यापार के संरक्षण के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :

(क) जी, हां। सरकार ने ब्रिटेन के प्रधान मंत्री, श्री विल्सन द्वारा दिये गये वक्तव्य से सम्बन्धित समाचार देखा है कि ब्रिटिश सरकार ने यूरोपीय आर्थिक समुदाय से एक नये उच्च स्तर पर बातचीत करने का विचार किया है कि जिससे कि यह पता लग सके कि सफल वार्ता के लिए परिस्थितियां विद्यमान हैं या नहीं तथा किस आधार पर ऐसी वार्ता हो सकती हैं।

(ख) इस बातचीत का प्रयोजन यह मालूम करना है कि यदि ब्रिटेन यूरोपीय आर्थिक समुदाय में शामिल होता है तो क्या ब्रिटेन और राष्ट्रमण्डल आवश्यक हितों का सुरक्षित रहना सम्भव है। इस मामले में विकसित हुई परिस्थितियों से सम्बन्धित जानकारी भारत सरकार प्राप्त करती रहती है तथा ब्रिटेन की सरकार राष्ट्रमण्डल की सरकारों से जो परामर्श करेगी उस पर भी सरकार विचार करेगी। भारत के विदेशी व्यापार पर पड़ने वाले प्रभाव का ठीक-ठीक स्वरूप तथा परिणाम इस बात पर निर्भर होगा कि ब्रिटेन किन शर्तों तथा परिस्थितियों में यूरोपीय साझा बाजार में शामिल होता है और राष्ट्रमन्डल के अन्य देशों के व्यापारिक हितों को कैसे संरक्षण दिये जाते हैं।

कांगड़ा में चाय बागान

***660. श्री हरि विष्णु कामत :**

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कांगड़ा चाय बागान मालिक सम्भरण तथा विपणन औद्योगिक सहकारी समिति लिमिटेड ने सरकार को अभ्यावेदन दिया है कि जब तक उचित विश्लेषण कर के उन की चाय के लिये पृथक मानक निर्धारित नहीं किया जाता तब तक कांगड़ा क्षेत्र की चाय को खाद्य अपमिश्रण रोक अधिनियम के उपबन्धों से छूट दी जाये ;

(ख) क्या उक्त अभ्यावेदन पर विचार कर लिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :

(क) तथा (ख) : जी, हां।

(ग) विभिन्न क्षेत्रों के लिये पृथक मानक निर्धारित नहीं किये जा सकते क्योंकि उपभोक्ता के पास पहुंचने पर यह पहिचानना सम्भव नहीं है कि चाय कौन से बागान की है। अतः समस्या तो यह है कि उस ख्याति को ध्यान में रखते हुये जो भारतीय चाय ने अपनी किस्म के लिये अर्जित की है, भारत में उगायी जाने वाली सभी प्रकार की चाय के लिये, जिसमें कांगड़ा क्षेत्र की चाय भी शामिल है, उपयुक्त मानक खोजा जाये। मामला केन्द्रीय खाद्य मानक समिति के विचाराधीन है।

पूर्व रेलवे पर तेलवा बाजार में रेलवे हाल्ट स्टेशन

2877. श्री लाखन दास : श्री मधु लिमये :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पूर्व रेलवे (मुख्य लाइन) में सिमुलतला के निकट तेलवा बाजार स्टेशन को कम से कम प्रयोगात्मक आधार पर हाल्ट स्टेशन बनाने के बारे में कोई नया अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेलवे मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शाम नाथ) :

(क) जी नहीं।

(ख) सवाल नहीं उठता।

रिपब्लिक फोर्ज

2878. श्री मधु लिमये :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि "रिपब्लिक फोर्ज" तेजा की एक कम्पनी है या उसका इससे कोई सम्बन्ध है ;

(ख) क्या हाल ही में इस कम्पनी के कार्यकरण में किन्हीं अनियमितताओं/कदाचारों का पता चला है ;

(ग) यदि हां, तो वे क्या हैं ; और

(घ) सार्वजनिक हितों और अंशधारियों के हितों की रक्षा के लिये यदि कोई सुधारात्मक कार्यवाही की गई है, तो वह क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवय्या) :

(क) डा० धर्म तेजा 20-4-63 से 3-4-66 तक इस कम्पनी के अध्यक्ष थे।

(ख) और (ग) : जी हां। बताई गई अनियमितताओं का सम्बन्ध, रकम अनुबन्धित भुगतान की प्राप्ति से पहले और (दो) रिजर्व बैंक की पूर्व अनुज्ञा के बिना दी जैसा कि किसी विदेशी मुद्रा विनियमों के अन्तर्गत आयोजित है, कुछ अंशों के आवांटित किये जाने से है।

(घ) जनता को इस कम्पनी की कोई पूंजी अभी तक जारी नहीं की गई है। यह समझा जाता है कि इस समय कम्पनी अपने आपको सुदृढ़ बनाने का प्रयत्न कर रही है।

रेलवे में तकनीकी कर्मचारियों की छंटनी

2879. श्री मं० रं० कृष्ण : श्री मधु लिमये :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि छंटनी योजना के अन्तर्गत उनके मंत्रालय का विचार कुछ सहायक निर्माण परीक्षकों तथा सहायक रेल पथ निरीक्षकों को बर्खास्त करने का है ;

(ख) क्या यह सच है कि उनमें से अधिकांश व्यक्तियों को नौकरी करते 2 से 4 वर्ष तक हो गये हैं और उन्होंने एम० एस० सी० परीक्षा पास करने के बाद तीन वर्षीय सिविल इन्जीनियरी डिप्लोमा पाठ्क्रम भी पूरा कर लिया है ;

(ग) क्या यह सच है कि वे रेलवे सेवा आयोगों द्वारा चुने गये थे और उनके प्रशिक्षण-काल के दौरान रेलवे ने उन्हें अधिछात्रवृत्ति भी दी थी ; और

(घ) यदि हां, तो क्या इन युवा तकनीकी कर्मचारियों की छंटनी न होने देने के लिये सरकार का कोई कार्यवाही करने का विचार है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :

(क) रेल मंत्रालय में कोई छंटनी योजना नहीं है ।

(ख), (ग) और (घ) सवाल नहीं उठता ।

रेलवे कर्मचारियों का स्थानान्तरण

2880. श्री मं० रं० कृष्ण : श्री मधु लिमये :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य तथा पश्चिम रेलवे के बम्बई सैक्शन के कुछ बुकिंग क्लर्कों, टिकट कलेक्टरों तथा लगेज क्लर्कों को अन्य स्टेशनों पर स्थानान्तरित कर दिया गया था क्योंकि वे 5 साल से अधिक और कुछ मामलों में तो दस साल से भी अधिकें की अवधि तक उस ही स्टेशन पर रह चुके थे ;

(ख) क्या यह सच है कि उनके स्थानान्तरण सम्बन्धी आदेश कुछ महीने/वर्ष पहले दिये गये थे कि किन्तु उन्हें अभी तक भी कार्यमुक्त नहीं किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) :

(क) जी, हां ।

(ख) और (ग) : जहां तक पश्चिम रेलवे का सम्बन्ध है, स्थानान्तरण के आदेश जुलाई 1966 में जारी किये गये थे लेकिन काम की अपेक्षाओं के कारण कुछ कर्मचारियों को स्थानान्तरण पर जाने के लिए छोड़ा नहीं जा सका । फिर भी, पश्चिम रेल प्रशासन द्वारा हिदायतें जारी की जा रही हैं कि शेष कर्मचारियों को स्थानान्तरण पर जाने के लिए अविलम्ब छोड़ा जाय ।

सहायक निर्माण परीक्षकों को प्रशिक्षण

2881. श्री मं० रं० कृष्ण : श्री मधु लिमये :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन सहायक निर्माण परीक्षकों तथा सहायक रेल पथ निरीक्षकों की संख्या क्या है, जिन्होंने रेलवे के खर्चे पर प्रशिक्षण प्राप्त किया है परन्तु जिन्हें रोजगार नहीं दिया गया है ;

(ख) उनमें से कितनों ने तीन-वर्षीय सिविल इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में डिप्लोमा परीक्षा पास की है ; और

(ग) रेलवे ने उनको प्रशिक्षण देने के लिये प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी पर अनुमानतः कितना खर्च किया ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम सुभग सिंह) :

(क) दक्षिण-पूर्व रेलवे पर केवल 38 सहायक निर्माण निरीक्षक और पश्चिम रेलवे पर 8 सहायक रेल पथ निरीक्षक ।

(ख) किसी ने नहीं ।

(ग) लगभग 3,540 रुपये प्रति सहायक निर्माण निरीक्षक । लगभग 8,345 रुपये प्रति सहायक रेल पथ निरीक्षक ।

शयन डिब्बों के साथ चलने वाले टिकट परीक्षक

2882. श्री मं० रं० कृष्ण : श्री मधु लिमये :

क्या रलवे वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे बोर्ड ने 22 दिसम्बर, 1965 के अपने पत्र संख्या 65/टी० जी०/1/139 में यह आदेश निकाला है कि कोई भी शयन डिब्बा बिना टिकट परीक्षक के नहीं होना चाहिये ?

(ख) क्या यह सच है कि रेलवे बोर्ड ने भी 4 फरवरी, 1966 तथा 4 अगस्त 1966 को आदेश जारी किये थे जिनमें इस प्रयोजन के लिये टिकट कलेक्टरों तथा टिकट परीक्षकों की एक विशेष प्रतिशत निर्धारित की गई थी ?

(ग) क्या यह भी सच है कि रेलवे बोर्ड द्वारा निर्धारित की गई प्रतिशतता के के आधार पर पश्चिम तथा मध्य रेलवे के बम्बई सेक्शन में अभी तक भी नियुक्तियों की मंजूरी नहीं दी गई है और इस कारण नियमित रूप से जांच करने वाले कर्मचारियों को शयन डिब्बों का प्रबन्ध करने के कार्य पर लगाया गया है जिनके फलस्वरूप याली गाड़ियों में इन कर्मचारियों की कमी हो गई है, परिणामतः रेलगाड़ियों में बिना टिकट याली अधिक संख्या में चलने लगे हैं और इस प्रकार रेलवे को राजस्व की हानि हो रही है ; और

(घ) यहि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० रामसुभग सिंह) :

(क) जी हां ।

(ख) जी हां।

(ग) और (घ) : सूचना मंगायी जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

हथकरघा बोर्ड

2883. श्री राम हरख यादव :

क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हथकरघा बोर्ड का हाल में पुनर्गठन किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह)

(क) तथा (ख) : अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड, बम्बई का पुनर्गठन अन्तिमवार जनवरी, 1963 में हुआ था। तब से इसका कार्यकाल प्रति वर्ष बढ़ाया जाता रहा है। हाल ही में इसका कार्यकाल 27 जनवरी, 1967 से और एक वर्ष के लिये बढ़ाया गया था।

Railway Time Table

2884. Shri Rananjai Singh :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether arrangements exist for the publication of All India Railway Time-Table in Hindi; and

(b) if not, when it is proposed to start its publication in Hindi ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) :

(a) and (b) : Yes, an All India Railway Time Table in Hindi is published for sale by the "Railway Time Table Office — Varanasi" — a private agency. A few copies of All India Time Table in Hindi are also published by the Railway Board for official use and supply as complimentary copies to Members of Parliament and Members of National Railway Users' Consultative Council who prefer a Hindi Copy to an English one.

अंडाल-साईथिया सैक्शन पर गाड़ियों में अतिरिक्त डिब्बों का लगाया जाना

2885. डा० सारादीश राय :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने पूर्व रेलवे की अंडाल-साईथिया सैक्शन पर 4 डिब्बों के स्थान पर 6 डिब्बे लगाने का निर्णय कर लिया है ?

(ख) यहि हां, तो यह निर्णय कब लागू किया जायेगा ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मन्त्री (डा० रास सुभग सिंह) :

(क) जी नहीं।

(ख) सवाल नहीं उठता।

(ग) 1-7-66 से अंडाल साईथिया खण्ड पर गाडियों में तीसरे वर्ग का एक अतिरिक्त

डिब्बा लगाकर डिब्बों की संख्या बढ़ा दी गई है। इन गाड़ियों में इस समय 5 बोगियां लगायी जाती हैं। इनमें चलने वाले यात्रियों की संख्या का विश्लेषण करने से पता चला है कि इन गाड़ियों में बोगियों की संख्या बढ़ा कर 6 करने से यातायात सम्बन्धी औचित्य नहीं है।

अहमदपुर-काटोआ लाइट रेलवे

2886. डा० सारादीश राय

क्या **रेलवे मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने अहमदपुर-काटोआ लाइट रेलवे के प्रबन्ध को अपने अधिकार में लेने के प्रस्ताव पर विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रबन्ध को कब अपने अधिकार में लिया जायेगा ;

रेलवे मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री शाम नाथ) :

(क) और (ख) : इस लाइन के प्रबन्ध को अपने हाथ में लेने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है।

हरियाना में आटा मिलें

2887. श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :

क्या **उद्योग मंत्री** 18 नवम्बर, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1901 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हरियाना में उन आटा मिलों के नाम क्या हैं जिनकी पीसने की क्षमता खाद्य तथा कृषि मंत्रालय की ऐजेन्सी द्वारा वास्तविक उत्पादन के परीक्षण के परिणामस्वरूप 3,000 टन अथवा अधिक निर्धारित की गई है परन्तु उन्हें इसके अनुसार आटा पीसने के लिये गेहूं का वांछित मासिक कोटा दिया जाने के लिए अब तक मान्यता नहीं दी गई है ;

(ख) इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) आटा पीसने के लिये गेहूं देने के लिये किसी आटा मिल की लाइसेंस-प्राप्त, क्षमता निर्धारित करने के लिये यदि कोई सिद्धान्त बनाये गये है, तो वे क्या हैं ?

उद्योग मन्त्री (श्री संजीवय्या) :

(क) 1. मैसर्स सेठ राम नारायण रोलर फ्लोर मिल्स, बहादुर गढ़; और 2. मैसर्स कैपिटल फ्लोर मिल्स, फरीदाबाद ने उद्योग (विकास तथा विनियम) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत गेहूं की वस्तुओं के निर्माण के लिये व्यापारिक लाइसेंस दिये जाने के लिये प्रार्थना पत्र दिये है। सेठ रामनारायण रोलर फ्लोर मिल्स के मामले को अन्तिम रूप दिया जा चुका है और उसको लाइसेंस दिया जा रहा है। कैपिटल फ्लोर मिल्स ने जून, 1966 में ही मिल स्थापित की है। उनके पास 1250 टन प्रति मास की क्षमता की आज्ञा थी, परन्तु अब उसने 4600 टन प्रति मास की क्षमता करने के लिये कहा है। इस पत्र के विरूद्ध आयात व्यापार विनियमों के उल्लंघन के एक मामले की जांच आयात तथा निर्यात के मुख्य नियन्त्रक द्वारा की जा रही है। सम्बन्धित अधिकारियों की सलाह से क्षमता बढ़ाने में उसके आवेदन-पत्र की जांच की जा रही है।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठता।

आगरा-बयाना सैक्शनों पर रेलवे प्लाटों का किराया

2888. श्री श० ना० चतुर्वेदी :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम रेलवे के आगरा-बयाना सैक्शन पर बाहर भेजे जाने वाले माल को रखने के काम में लिये जाने वाले रेलवे प्लाटों का किराया 18 रुपये से बढ़ा कर 75 रुपये कर दिया है ?

(ख) क्या बिजली, पानी और सफाई की सुविधाओं के लिये शुल्क के रूप में 7 रुपये 20 पैसे लिये जा रहे हैं जबकि वहां इनको कोई व्यवस्था नहीं है ; और

(ग) यदि हां, तो इस शुल्क का क्या औचित्य है और इस बारे में प्राप्त अभ्यावेदनों पर सरकार का निर्णय क्या कर रहा है ?

रेलवे मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) :

(क) जी हां ।

(ख) जी नहीं :

(ग) वर्तमान नियमों के अनुसार स्थानीय राजस्व प्राधिकारियों द्वारा मूल्य निर्धारण के आधार पर हर पांच वर्ष बाद जमीन का किराया संशोधित किया जाता हैं । लेकिन इस मामले प्लाट मालिकों के अभ्यावेदनों को देखते हुए इस विषय पर आगे विचार किया जा रहा है ।

Guna-Shahjahanpur-Maksi Railway Line

2889. Shri Radhelal Vyas :

Will the **Minister of Railways** be pleased to state :

(a) the date on which the construction work of the Guna-Shahjahanpur-Maksi Railway line was started;

(b) the scheduled date for the completion of the said work;

(c) the number of Railway Employees and Officers engaged on the construction of this line as well as the quantity of construction material removed from this line for use on other Railway lines;

(d) the causes of slow progress in the work on this line; and

(e) when the said work is likely to be completed and the line opened for goods and passenger traffic ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Sham Nath):

(a) October, 1962.

(b) December, 1969, depending on availability of funds.

(c) When the work was started; the strength of gazetted staff was as follows :—

Deputy Chief Engineer	— 1
Executive Engineer	— 3
Assistant Engineers	— 6
Assistant Medical Officers	— 2

Due to paucity of funds, the strength has, however, since been reduced to 4 officers in Engineering (one Executive Engineer, 3 Asstt. Engineers) and Assistant Medical Officer; the strength of non-gazeted staff is as follows—

Class III	—172 approximetely;
Class IV	—175 approximately; and
Casual Labour	—326.

Except for some consumable stores like cement, tools and plant, no construction materials have been transferred to other lines;

(d) The work has been slowed down due to paucity of funds failure of some of the contractors.

(e) Please see reply to (b) above.

संसद-सदस्यों को कारों का नियतन

2890. श्री स० मो० बनर्जी : श्री दाजी :

क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ संसद-सदस्यों को 'फिएट' कार खरीदने के लिए गत दो वर्ष में एक से अधिक बार परमिट दिये गये हैं ?

(ख) क्या सरकार की यह दृढ़ नीति है कि दो वर्ष समाप्त होने से पहले किसी भी सदस्य को दूसरा परमिट न दिया जाये ?

(ग) उपरोक्त भाग (क) में उल्लिखित सदस्यों के नाम तथा अन्य ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्री (श्री संजीव रेड्डी) :

(क) 1 जनवरी, 1964 के बाद दो संसद सदस्यों को एक बार से अधिक 'फिएट' कार खरीदने के लिये परमिट दिये गये हैं।

(ख) पहली कार खरीदने की तारीख से दो वर्ष बाद तक सामान्यतः किसी संसद सदस्य को नई फिएट कार आबंटित नहीं की जाती। तथापि, अपवादजनक परिस्थितियों में ढील दी जाती है, उदाहरणार्थ, जबकि पहली कार गम्भीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है और काफी क्षति पहुंचती है या वह चोरी हो जाती है या उसमें गंभीर खराबी पाई जाती है।

(ग) भाग (क) में निर्दिष्ट संसद सदस्यों के नाम हैं; श्री अब्दुल गनी दार और श्री ओम मेहता। श्री अब्दुल गनी दार ने मार्च, 1964 में केन्द्रीय सरकार के कोटे से एक फियेट कार खरीदी थी।

मई 1965 में उन्होंने शिकायत की कि कार में कई निर्माण सम्बन्धी खराबियां थीं और यह कि जब से उन्होंने कार खरीदी है वह ठीक नहीं चल रही है। इसलिये, अक्तूबर, 1965 में उनको केन्द्रीय सरकार के कोटे से दूसरी फिएट कार आवंटित कर दी गई और साथ ही उन्हें पहली कार बेचने की अनुमति भी दे दी गई। श्री ओम मेहता ने मई, 1965 में केन्द्रीय सरकार के कोटे से आवंटित एक फिएट गाड़ी खरीदी थी। कार गम्भीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो गई जिसके परिणामस्वरूप कार को भारी क्षति पहुंची। चूंकि उनके मामले में नई कार देना उचित समझा गया, इसलिए इस वर्ष नवम्बर में उनको दूसरी फिएट कार आवटित की गई।

मैसर्स भारत बैरल एण्ड ड्रम मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड, बम्बई

2891. श्री स० मो० बनर्जी :

क्या **लभरण, तकनीकी विकास तथा सामग्री आयोजन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई की मैसर्स भारत बैरल एण्ड ड्रम मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड नामक फर्म को 1964 में काली सूची में रखा गया था ?

(ख) क्या इस फर्म को अभी तक कच्चे माल का सरकारी कोटा दिया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ।

संभरण, तकनीकी विकास तथा सामग्री आयोजन मन्त्री (श्री कोत्ता रघुरामय्या) :

(क) जी हां । इस फर्म को 1964 में लोहा और इस्पात संभरण मंत्रालय द्वारा काली सूची में रखा गया था ।

(ख) जी हां ।

(ग) वर्तमान संहिता के अधीन काली सूची में रखने के आदेश में यह निहित है कि भारत सरकार के सभी विभागों को सम्बन्धित फर्म से सभी भावी व्यापार तत्काल बन्द कर देने चाहिए; परन्तु इस संहिता में यह भी लिखा है कि काली सूची में शामिल फर्म को नियंत्रित कच्चे माल की पूर्ति से वंचित नहीं किया जायेगा ।

केनिया में रायल एग्रीकल्चरल शो

2892. श्री सुबोध हंसदा : **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री भागवत झा आजाद : **श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्री प्र० चं० बरुआ : **डा० मं० मो० दास :**

क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सितम्बर, 1966 के अन्तिम सप्ताह में केनिया में हुए "रायल एग्रीकल्चरल शो" में भाग लिया था ;

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या-क्या भारतीय वस्तुयें प्रदर्शित की गई थीं ?

(ग) क्या इससे कृषि उत्पादों के निर्यात के लिये क्रयादेश प्राप्त करने में सहायता मिली है ; और

(घ) यदि हां तो कृषि उत्पादों के लिये कुल कितने क्रयादेश प्राप्त हुए हैं ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री मनुभाई शाह) :

(क) जी, हां ।

(ख) एग्रीकल्चरल शो के 'भारतीय मण्डप' में न केवल केन्या बाजार अपितु निकटवर्ती देशों के बाजारों को भी दृष्टि में रखते हुए ये वस्तुएं प्रदर्शित की गई थीं, मशीनें तथा इंजीनियरी माल विशेषत: कृषि में, प्रयोगार्थ विद्युत्तीय साज़-सामान, निर्मित उपभोक्ता माल, शक्ति-चालित तथा हथकरघा दोनों के बने कपड़े, डिब्बा-बन्द खाद्य तथा फल' मसाले, कच्चा माल तथा अर्ध-निर्मित माल आदि ।

(ग) तथा (घ) : शो में भाग लेने के परिणामस्वरूप 4.41 लाख रुपये मूल्य के खेती के औजारों, हाथ के औज़ारों, आटोमोबाइल के पुर्जों के संभरण के आदेश प्राप्त हुए। इसके अतिरिक्त "भारतीय मण्डप" में प्रदर्शित विभिन्न उत्पादों के सम्बन्ध में कई व्यापारिक पूछताछें हुई तथा आशा है कि इसके परिणामस्वरूप पर्याप्त मात्रा में अतिरिक्त व्यापार होगा ।

हावड़ा-मद्रास एक्सप्रेस गाड़ी के एक डिब्बे में शव का पाया जाना

2893. **श्री बागड़ी :** **श्री यशपाल सिंह :**
श्री राम सेवक यादव :

क्या **रेलवे मन्त्री** 2 सितम्बर, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4193 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 8 अगस्त, 1966 को हावड़ा-मद्रास एक्सप्रेस गाड़ी के एक डिब्बे में पाये गये एक महिला के शव के बारे में जांच पूरी हो चुकी है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला है ?

रेलवे मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह)

(क) जी हां ।

(ख) हैदराबाद खुफिया विभाग के जांच अधिकारी ने एक अभियुक्त व्यक्ति को गिरफ्तार किया । लगभग 480 रुपये के सोने के जेवरात जो मृत महिला के शरीर से उतार लिये गये थे पूरे के पूरे बरामद हो गये हैं । पुलिस ने अभियुक्त पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 और 404 के अन्तर्गत आरोप लगाया है और अदालत में मुकदमा चल रहा है । इसलिए मामला न्यायाधीन है ।

दक्षिण रेलवे के स्टेशन मास्टर तथा सहायक स्टेशन मास्टर

2894. **श्री बागड़ी :** **श्री यशपाल सिंह**
श्री राम सेवक यादव :

क्या **रेलवे मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण रेलवे के स्टेशन मास्टरों तथा सहायक स्टेशन मास्टरों ने अपनी वरिष्ठता के बारे में अभ्यावेदन भेजे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) :

(क) जी हां,

(ख) यह मामला रेलवे बोर्ड के विचाराधीन है ।

उत्तर रेलवे के दिल्ली डिवीजन में द्वितीय श्रेणी के टिकट कलक्टर

2895. **श्री बागड़ी :** **श्री यशपाल सिंह :**
श्री राम सेवक यादव

क्या **रेलवे मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे के दिल्ली डिवीजन में द्वितीय श्रेणी के टिकट कलक्टरों के बहुत से स्थान रिक्त हैं ;

(ख) क्या इन रिक्त स्थानों को गत एक वर्ष से भरा नहीं जा रहा है और इस प्रकार इस

डिवीजन के वरिष्ठतम टिकट कलक्टरों को इन स्थानों पर पदोन्नत होने के उनके अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेलवें मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० रामसुभग सिंह) :

(क) जी नहीं ।

(ख) **और** (ग) : सवाल नहीं उठता ।

पंजाब मेल रेलगाड़ी में भीड़

2896. **श्री बागड़ी : श्री यशपाल सिंह :**
श्री राम सेवक यादव

क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्वा यह सच है कि दिल्ली और फिरोजपुर के बीच चलने वाली पंजाब मेल गाड़ी में बहुत अधिक भीड़ होती है ; और

(ख) यदि हां तो क्या पंजाब मेल गाड़ी में होने वाली भारी भीड़ को कम करने के लिए सरकार का विचार इस सेक्शन पर एक और पंजाब मेल गाड़ी चलाने का है ?

रेलवे मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह)

(क) और (ख) : अप्रैल 1966 में की गई गणना के अनुसार दिल्ली-फिरोज़पुर खण्ड पर 37 अप/38 डाउन पंजाब डाक गाड़ियों में यात्रियों की संख्या का विश्लेषण करने से पता चला है कि वहां कुछ भीड़-भाड़ होती है । तदनुसार इस भीड़-भाड़ को दूर करने के लिये इन गाड़ियों में तीसरे दर्जे के दो डिब्बे लगाकर डिब्बों की संख्या बढ़ा दी गई है । इस समय इस खण्ड पर अतिरिक्त लाइन क्षमता न होने और साथ ही दिल्ली/नयी दिल्ली स्टेशनों पर अपेक्षित टर्मिनल सुविधायें न होने के कारण एक और गाड़ी चलाना परिचालन की दृष्टि से व्यावहारिक नहीं है ।

बीकानेर रेलवे स्टेशन से धन की चोरी

2897. **श्री बागड़ी : श्री यशपाल सिंह :**
श्री रामसेवक यादव :

क्या रेलवे मंत्री 26 अगस्त, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3503 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 8 अगस्त, 1966 को बीकानेर रेलवे स्टेशन पर 15,713,29 रु० की चोरी के मामले की इस बीच जांच कर ली गई है ?

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ? और

(ग) जांच शीघ्रता से कराने के बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राम सुगम सिंह) :

(क) और (ख) : विभागीय जांच पूरी हो चुकी है और जिस रेल कर्मचारी की लापरवाही साबित हुई है उसके विरुद्ध उपयुक्त कार्यवाई की जा रही है । फिर भी पुलिस द्वारा जांच का काम अभी चल रहा है ।

(ग) राज्य सरकारी रेलवे पुलिस अधिकारियों से अनुरोध किया गया है कि जांच का काम जल्दी पूरा करायें :

नई दिल्ली में मथुरा रोड़ और फील्ड कालोनी को मिलाने वाला नीचे का पुल

2898. श्री रामसेवक यादव : **श्री बागड़ी :**
श्री यशपाल सिंह :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली और फरीदाबाद के बीच मुख्य मथुरा रोड तथा ग्रीन फील्ड कालोनी को मिलाने वाले नीचे के एक पुल के निर्माण में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाम नाथ) :

(क) क्या निर्माण-कार्य के संशोधित अनुमान को रेलवे ने जून, 1966 में अन्तिम रूप दिया था लेकिन इस काम के लिए नगर सुधार कम्पनी द्वारा देय रकम सितम्बर, 1966 में जमा करायी गई। अब इस काम की मंजूरी दे दी गई है और इसे शुरू करने के लिए रेलवे द्वारा आवश्यक टेण्डरों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

(ख) जी नहीं।

(ग) उपर्युक्त (ख) को देखते हुए सवाल ही नहीं उठता।

औद्योगिक विकास में औद्योगिक बस्तियों का योगदान

2899. श्री हु० चा० लिंग रेड्डी : **श्री प्र० रं० चक्रवती :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश की पंचवर्षीय योजना की अवधि के अन्त तक कुल कितनी औद्योगिक बस्तियां स्थापित की गयी और उनमें कुल कितनी धनराशि लगाई गयी ;

(ख) औद्योगिक प्रगति में बेरोजगारी की समस्या को सुलझाने में उनका क्या योगदान रहा हैं ; और

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में औद्योगिक बस्तियां स्थापित करने के बारे में कार्यक्रम क्या हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवय्या) : (क) तृतीय योजना के अन्त तक 283 औद्योगिक बस्तियां स्थापित कर दी गई थीं, जिनमें से 198 बस्तियों ने कार्य करना आरम्भ कर दिया था और योजनावधि के अन्त तक उन बस्तियों पर सरकार द्वारा 32·27 करोड़ रु० व्यय किया गया।

(ख) उन बस्तियों का वार्षिक औद्योगिक उत्पादन 67·00 करोड़ रु० का है और 31. 3. 1966 को इनमें 54, 651 व्यक्ति काम कर रहे थे।

(ग) चतुर्थ योजना के दौरान सारे देश भर में भिन्न भिन्न आकार की लगभग 700 औद्योगिक बस्तियां स्थापित करने का विचार है।

बंगलौर में घड़ी निर्माण कारखाना

2900 श्री हु० च० लिंग रेड्डी :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या उद्योग मंत्री 26 अगस्त, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 697 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर स्थित घड़ी बनाने के कारखाने को पूरी क्षमता पर चलाने के लिए प्रबन्ध किया जा रहा हैं ;

(ख) तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में कितनी घड़िया बनाई गई ;

(ग) इस कारखाने को अब तक कितना लाभ हुआ है तथा उक्त अवधि में इस कारखाने में कितने लोगो को रोजगार दिया गया और उसमें कितना धन लगाया गया; और

(घ) क्या तिवर्ष उत्पादन का कोई लक्ष्य निर्धारित किया जाता है और यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों का तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और वास्तव में कितना निर्माण हुआ है –

उद्योग मंत्री (श्री संजीवय्या) : (क) पुर्जों और कच्चे माल की सीमित उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए घड़ी निर्माण कारखाने की पूरी क्षमता पर चलाना संभव नहीं हो सका है ।

(ख) 5, 78, 761 ।

(ग) हिन्दुस्तान मशीनरी औजार कारखाने द्वारा अर्जित लाभ कम्पनी के लाभ और हानि लेखों और संतुलन पत्रों में प्रकाशित किये जाते है । ये लाभ वस्तु वार प्रकाशित नहीं किये गये हैं । घड़ी निर्माण कारखाने में कर्मचारियों की संख्या 1113 है । अचल और चल सम्पत्ति में अब तक क्रमशः 205 लाख रु० और 56 लाख रु० विनियोजित किये गये है ।

(घ) जी हां । पिछले तीन वर्षों में उत्पादन लक्ष्य और वास्तविक उत्पादन निम्न थे:—

वर्ष	उत्पादन लक्ष्य	वास्तविक उत्पादन
	संख्या	संख्या
1963—64	1,30,000	1,21,602
1964—65	2,40,000	1,95,048
1965—66	3,00,000	1,96,110

औद्योगिक परियोजना की लागत में वृद्धि

2901 श्री सुबोध हंसदा :
श्री प्र० चं बरुआ :
श्री भागवत झा आजाद
श्री सं० च० सामन्त :
श्री म० ला० द्विवेदी :
डा० म० मो दास :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरी पंचवर्षीय योजना में आरम्भ की गई औद्योगिक परियोजनाओं की लागत में रुपये के अवमूल्यन के कारण कुछ वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां तो अवमूल्यन के कारण किन–किन सरकारी उपक्रमों पर कुप्रभाव पड़ेगा; और

(ग) क्या इसके कारण इन परियोजनाओं को चालू करने में भी विलम्ब होगा ?

उद्योग मंत्री (श्री सजीवय्या) : (क) से (ग) जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड

2902 श्री सुबोध हंसदा : **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री प्र० च० बरुआ : **श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्री भागवत झा आजाद : **डा० म० मो० दास :**

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड का विचार आयातित पुर्जों के स्थान पर देसी पुर्जे इस्तेमाल करने का है;

(ख) यदि नहीं तो क्या हिन्दुस्तान मशीन टूल्स अपनी कीमतें अवमूल्यन से पहले के स्तर पर बनाये रख सकेगा; और

(ग) क्या इससे पहले उसे अपने उत्पादों की बिक्री से कोई घाटा होगा ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवय्या) : (क) हिन्दुस्तान मशीनी औजार कारखाने के पास, अपने सयंत्र और मशीनों के लिये अपेक्षित फालतू पुर्जे बनाने के पूरे उपकरण हैं । 'परिसीजन बाल नियोरेग्स' 'आयल सील्स' क्लचिज़, इलैक्ट्रिकल रिलेज, जैसे कुछ पुर्जों का निर्माण अभी नहीं किया जाता हैं और उन्हें आयात करना पड़ता है । इसी प्रकार विशेष इस्पात मिश्र जैसे कच्चे माल को आयात करना पड़ता है । कच्चे माल और पुर्जों के मामले में ऊंचे दर्जे की कार्य कुशलता प्राप्त करने के लिये कम्पनी प्रयत्न रही है ।

(ख) जी, नहीं । मुनाफे की उचित दर बनाये रखने के लिये कम्पनी को मूल्यों में उस हद तक वृद्धि करनी पड़ती है जिस हद तक अवमूल्यन के परिणामस्वरुप आयातित पुर्जों की लागत में वृद्धि हुई हैं । अगस्त, 1966 से उसको यह वृद्धि करनी पड़ी है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

सैंचुरी फ्लोर मिल्स

2903. श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सैंचुरी फ्लोर मिल्स तथा नेशनल बिस्कुट कम्पनी, अमरीका के बीच हाल में हुए सहयोग करार में निर्यात के बारे में कोई निश्चित गारंटी नहीं है ; और

(ख) इस मामले में स्पष्ट गारंटी न प्राप्त करने के क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवय्या) :

(क) और (ख) सहयोग करार का अनुमोदन करते समय सरकार ने पहले से ही यह शर्त रखी थी कि मैसर्स संचुरी फ्लोर मिल्स उत्पादन आरम्भ होने के बाद के सात वर्षों में 20 लाख रु० के बिस्कुट निर्यात करेगी ।

अमरीकी कम्पनी को और लाभांश के रूप में दी जाने वाली विदेशी मुद्रा इससे पूरी की जायेगी ।

काटन बफर स्टाक एसोसिएशन

2904. डा० म० मो० दास :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री ब० कु० दास :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कपास के मूल्य को स्थिर रेखने के लिये निकट भविष्य में कोटन बफर स्टाक एसोसिएशन नामक एक अभिकरण स्थापित करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो इस संगठन से कपास की खेती करने वालों को क्या लाभ होगा ; और

(ग) क्या सरकार का कच्चे पटसन के मूल्य स्थिर रखने के लिये भी ऐसा ही संगठन बनाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :

(क) रूई समीकरण भण्डार संघ स्थापित करने के प्रस्ताव पर आगे कार्रवाई नहीं की जा रही है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) जूट उद्योग द्वारा स्थापित जूट समीकरण भण्डार संघ 1962 से ही विद्यमान है ।

Express Train on Kanpur—Banda Branch Line

2905. Shri M. L. Dwivedi.
Shri Bhagwat Jha Azad.
Dr. M. M. Dass.
Shri Subodh Hansda.
Shri S. C. Samanta,
Shri P. C. Borooah.

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the difficulty in regard to the conversion of the Express train running on the Kanpur-Banda Branch line of the Central Railway into Lucknow-Banda Express train;

(b) whether a demand for two or three additional halting stations for this train has been received and, if so, the decision taken thereon; and

(c) whether timings of the said train do not suit the passengers and, if so, the difficulty being experienced by the Railway Administration to make the timings suitable ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) :

(a) Nos. 109 Dn/110 Up Banda-Kanpur Expresses have been extended to and from Lucknow with effect from 2-10-66.

(b) Demands for stopping these Express trains at Kathara Road, Bhimsen and and Sirhi Itara stations have not been accepted to avoid multiplicity of halts, not justified in the context of offering of traffic at these stations; and also the consequent deceleration of these fast trains defeating the very object of their introduction and depriving them of their express character.

(c) The timings of these Expresssss after their extension to and from Lucknow have also been suitably revised from 2—10—66 to comply with a demand made **inter alia** by a Member of Parliament and to provide better connections at Kanpur to suit the passengers. Suitability or otherwise of the revised timings is also being watched and such further action as is feasible and justified in this regard will be taken.

Use of Imported Goods by Government Offices

2906. **Shri M. L. Dwivedi :**
Shri Bhagwat Jha Azad :
Shri P. C. Borooah :
Shri Subodh Hansda :
Shri S. C. Samanta :
Dr. M. M. Das :

Will the Minister of **Supply, Technical Development and Materials Planning** be pleased to state :

(a) the quantity and value of the goods, materials and other equipment imported during the last one year to meet the various types of demands of various Ministries and Government of India;

(b) whether a list showing the said imported goods would be laid on the Table;

(c) the names of Ministries and Departments which contrary to the central Government's policy insist on the supply of foreign goods instead of indigenous products; and

(d) the reasons as to why such goods as are produced in the Public Sector are purchased from abroad ?

The Minister of Supply, Technical Development and Material Plannings (Shri K. Raghu Ramaiah) :

(a) and (b) : A list showing value of orders placed for imported stones by the DGS & D., I. S. Ms. London and Washington during 1965—66, classified by main groups of stores is placed on the Table. **[Placed in Library.Sec No. LT—7499/66]**

(c) No such case has been brought to our notice.

(d) Does not arise.

मूल्यों को स्थिर रखने के बारे में आश्वासन

2907. श्री मधु लिमये :
श्री किशन पटनायक :

क्या **वाणिज्य** मंत्री 5 अगस्त, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1529 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रधान मंत्री को यह आश्वासन कि वे अवमूल्यन के बावजूद अपने उत्पादों के मूल्य स्थिर रखेंगे देने वाले निर्माताओं में से किन किन ने यह आश्वासन पूरा नहीं किया है तथा अपने उत्पादों के मूल्य बढ़ा दिये हैं ;

(ख) मूल्य-वृद्धि के बारे में इस समय क्या स्थिति है ; और

(ग) क्या सरकार इस बात से संतुष्ट है कि उपभोक्ताओं को ये वस्तुएं जुलाई, 1966 को उपरोक्त प्रश्न के उत्तर में उल्लिखित दामों पर निर्बाध रूप से मिल रही थी ।

वाणिज्य मन्त्री (श्री मनुभाई शाह) :

(क) दिये गये आश्वासनों से अनुसार, अवमूल्यन के बाद के लगभग दो महीनों तक निर्माताओं ने मूल्यों को लगभग स्थिर बनाये रखा ।

उस समय से जो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए है, वे निम्न प्रकार हैं :

वनस्पति और नहाने धोने के साबुन तथा सूती कपड़ों के निर्माताओं ने क्रमशः 19-8-65, 8-9-66 तथा 1-10-66 से अपने मूल्यों में परिवर्तन करके वृद्धि की थी।

तदपि वनस्पति निर्माताओं ने 1-10-66 से मूल्य घटा दिये थे, जिसके फलस्वरूप 15-8-65 से बढ़ी हुई वृद्धि का लगभग निराकरण हो गया। पुनः 1-11-1966 से नवम्बर 1966 में सभी 4 क्षेत्रों-उत्तर, दक्षिण, पूर्व तथा पश्चिम में लगभग 25 पैसे प्रति कि० ग्रा० तक मूल्य में और कमी कर दी गई थी ;

साबुन निर्माताओं ने भी 15-11-66 से मूल्यों में नहाने के साबुन में 20 पैसे प्रति कि० ग्राम तथा कपड़े धोने के साबुन में 12 पैसे प्रति कि० ग्रा० तक कमी कर दी है यद्यपि इससे हाल में मूल्य में हुई वृद्धि का निराकरण नहीं हो सका है।

सूती वस्त्रों के सम्बन्ध में, उत्पादन की लागत में वृद्धि होने के परिणामस्वरूप निर्माताओं द्वारा नियन्त्रित श्रेणियों के कपड़े के मूल्यों मे प्रतिशत तक की वृद्धि किये जाने पर सरकार सहमत हो गई थी। किन्तु इसके साथ साथ, मूल्य वृद्धि के प्रभाव को कुछ कम करने के लिये धोतियां, साड़ियों तथा अन्य लोकप्रिय किस्मों पर से उत्पादन शुल्क हटाने का निर्णय किया गया था ताकि उपभोक्ता द्वारा दिये जाने वाले मूल्य 3 से 5 प्रतिशत ही बढ़ सकें।

(ख) समस्त देश में चुनी वस्तुओं के थोक भावों तथा दिल्ली में चुनी वस्तुओं के फुटकर भावों को दर्शाने वाला एक विवरण (अंग्रेजी में) संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 7500/66]**

(ग) यद्यपि कुछ स्थानों पर कुछ वस्तुओं की कमी कभी कभी होने के कुछ समाचार मिलते थे तो भी ये वस्तुयें सामान्यतः विवरण में निर्दिष्ट मूल्यों पर उपभोक्ताओं को उपलब्ध थीं।

नेवेली तापीय बिजली घर

2908. श्री यशपाल सिंह :

क्या खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेवेली तापीय बिजली घर का निर्माण निर्धारित समय के अनुसार किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो यह परियोजना कब पूरी हो जायेगी ?

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु० कु० डे) :

(क) नेवेली ऊष्मा शक्ति केन्द्र कार्य कर रहा है। संभवतः माननीय सदस्य उसके विकास के तृतीय चरण की ओर संकेत कर रहे है। यह भी निर्धारित समय में पूरा हो जाने की आशा है।

(ख) इसके मार्च, १९६९ में पूरा हो जाने की आशा है।

महरौली रोड, नई दिल्ली के रेलवे फाटक पर ऊपरी पुल

2909. श्री यशपाल सिंह :

क्या रेलवे मंत्री 26 फरवरी, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 393 के उत्तर के सम्बन्ध में

यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सफदरजंग हवाई अड्डे के निकट महरौली रोड, पर रेलवे फाटक पर ऊपरी-पुल बनाने का काम आरम्भ हो गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण है ?

रेलवे मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शाम नाथ) :

(क) जी नहीं ।

(ख) मूल योजना के अनुसार एक निचला पुल बनाया जाना था । विस्तृत सर्वेक्षण और छान-बीन से पता चला है कि इस स्थान पर जमीन के नीचे पानी का स्तर बहुत ऊंचा है जिससे नींव से सम्बन्धित विशेष समस्याओं का सामना करना पड़ेगा । इस लिए निचला पुल बनाने का मूल अनुमान बहुत बढ़ गया हैं । इसे देखते हुए निचले पुल के बजाय वहां ऊपरी पुल बनाने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

निचला पुल बनाने में कई वर्ष लगेंगे लेकिन अन्ततः यदि वहां ऊपरी पुल बनाने का निश्चय किया जाता है तो उसकी लागत और उस पर लगने वाले समय में काफी बचत होगी ।

प्लास्टिक के सामान के निर्यात के लिये राज-सहायता

2910. डा० म० मो० दास :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत से प्लास्टिक का सामान निर्यात किया जाता है ;

(ख) क्या इस निर्यात के लिये सरकार द्वारा 120 प्रतिशत तक राज सहायता दी जाती है ; और

(ग) यदि हां, तो इतनी अधिक राज-सहायता दिये जाने का क्या औचित्य है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :

(क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

विदेशी सहयोग

2911. डा० म० मो० दास :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद से इस देश में गैर-सरकारी तथा सरकारी क्षेत्र में विदेशी सहयोग से स्थापित किये गये औद्योगीक कम्पनियों की पृथक-पृथक संख्या क्या है ;

(ख) गैर-सरकारी तथा सरकारी क्षेत्रों में इन कम्पनियों में अलग अलग कितनी विदेशी पूंजी लगाई गई ; और

(ग) उन में कितनी कम्पनियां अपने उत्पादों का निर्यात कर रही है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवय्या) :

(क) से (ग) जानकारी 12 मार्च, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1049 के उत्तर में दिये गये आश्वासन की पूर्ति में दी गई थी। उसमें बताई गई स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इस सम्बन्ध में रिजर्व बैंक द्वारा किये गये सर्वेक्षण के प्रकाशन में अभी थोड़ा समय और लगने की सम्भावना है। निर्यात करने वाली फर्मों सम्बन्धी जानकारी निर्यातकों की निर्देशिका में समय समय पर प्रकाशित की जाती है।

कच्चे रेशम का आयात

2912. डा० म० मो० दास : **श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्री भागवत झा आजाद : **श्री स० च० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1965-66 में राज्य व्यापार निगम द्वारा एक सौ मीट्रिक टन कच्चे रेशम का आयात किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो वह विशेष उद्देश्य क्या था जो केवल विदेशी कच्चे रेशम से ही पूरा हो सकता था और देश में बने कच्चे रेशम से काम नहीं चल सकता था ; और

(ग) इस आयात पर खर्च की गई विदेशी मुद्रा की राशि क्या है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री मनुभाई शाह) :

(क) से (ग) : सूरत में जरी निर्माताओं को, वाराणसी में कढ़ाई वाला रेशमी माल तैयार करने वालों को, और निर्यात के लिए उत्कृष्ट किस्म के वस्त्र तैयार करने वाले बुनाई उद्योग के विशेषज्ञ क्षेत्रों को आयातित कच्चे रेशम की आवश्यकता पड़ती है। विस्तृत रूप से रेशम हथकरघा बुनाई उद्योग में प्रयुक्त होने वाले गोटे के बनाने में अच्छी सफाई लाने के लिये, कच्चे रेशम में आकारों की उच्च एकरूपता की आवश्यकता होती है। बनारसी कढ़ाई वाले रेशमी माल के लिये जो कि उत्कृष्ट ढंग से तैयार किया जाता है, उच्च समता वाले कच्चे रेशम की आवश्यकता होती है जिसके बिना इतनी मूल्यवान सामग्री में उच्च स्तर की सफाई और लालित्य नहीं आ सकता।

उसी प्रकार हथकरघों पर समावलित करके कच्चे रेशम से बुनी चन्देरी, कोयम्बतूर की कम बारीक साड़ियों के लिये और शक्तिचालित करघों पर बुनी बारीक चिफौन तथा जारजेट के लिये समतारहित स्वदेशी कच्चे रेशम का प्रयोग करने से उच्च स्तर का माल तैयार नहीं किया जा सकता। मांग तथा स्वदेशी उत्पादन के बीच के अन्तर को पूरा करने के लिये भी आयात की आवश्यकता पड़ती है। इस लिये राज्य व्यापार निगम ने 1965-66 में 9, 11, 631, 72 रु० (मूल्य बीमा जहाज भाड़ा सहित) मूल्य के 13, 164, 52 कि० ग्रा० कच्चे रेशम के आयात करने की व्यवस्था की है।

पांडू पिंडारा (उत्तर रेलवे) से तथा वहां तक रेलगाड़ी

2913. श्री मौर्य :
श्री बागड़ी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री राम सेवक यादव :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रत्येक अमावस्या को पांडू पिंडारा जाने वाले हजारों लोगों को पांडू पिंडारा (जींद पानीपत लाइन) पर रेलगाड़ी लेने में काफी कठिनाई होती है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार रेलगाड़ियों में कुछ अतिरिक्त डिब्बे लगाने तथा इस अवसर पर कुछ विशेष रेलगाड़ियां चलाने का है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)

(क) और (ख) जींद-पानीपत खंड पर पांडू पिंडारा में जो मेला विक्रमी महीने की हर अमावस्या को लगता है, उसमें अधिकांशतः स्थानीय लोग ही जाते हैं। इस समय इस खण्ड पर दोनों ओर के लिये जो तीन-तीन गाड़ियां चल रही हैं, वे उन यात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त समझी गयी हैं जो इस मेले में जाने के लिए रेलगाड़ी से सफर करते हैं। इस अवसर पर स्पेशल गाड़ियों के चलाने की बात तो दूर रही, वर्तमान गाड़ियों में अतिरिक्त डिब्बे लगाने का भी कोई औचित्य नहीं है।

पांडू पिंडारा रेलवे स्टेशन पर स्टेशन मास्टर

2914. श्री मौर्य :
श्री बागड़ी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री राम सेवक यादव :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पांडू पिंडारा रेलवे स्टेशन पर एकमात्र एक स्टेशन मास्टर ही नियुक्त किया गया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि प्रत्येक अमावस्या को वहां जाने वाले हजारों व्यक्तियों को रेलवे टिकट प्राप्त करने में कठिनाई उठानी पड़ती है ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार वहां पर अतिरिक्त कर्मचारी रखने का विचार कर रही है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :

(क) एक टिकट बाबू (न कि स्टेशन मास्टर) की व्यवस्था की गयी है।

(ख) जी नहीं। अमावस के दिन अतिरिक्त कर्मचारियों की व्यवस्था की जाती है जिसमें एक पर्यवेक्षक अधिकारी शामिल है।

(ग) और (घ) सवाल नहीं उठता।

पांडू पिंडारा रेलवे स्टेशन के लिये टिकट यात्रा

2915. श्री मौर्य : **श्री यशपाल सिंह :**
श्री बागड़ी : **श्री राम सेवक यादव :**

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रत्येक अमावश्या को पांडू-पिंडारा जाने वाले हजारों व्यक्ति बिना टिकट यात्रा करते हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि टिकट परीक्षक उन लोगों से रुपये ले लेते हैं और उनको कोई रसीद नहीं देते ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार टिकट परीक्षकों के विरुद्ध जांच करने का है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :

(क) और (ख) जी नहीं ।

(ग) सवाल नहीं उठता ।

Clash Between Railway Police and a Police Party at Kanpur

2916. Shri Hukam Chand Kachhavaiya : **Shri Bade :**

Will the Minister of **Railways** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1427 on the 5th August, 1966 and state :

(a) whether the inquiry into the case in which two persons were arrested as a result of a clash between the Railway Police and a Police Party at Kanpur has since been completed;

(b) if so, the conclusion arrived at; and

(c) if not, the further time likely to be taken in the matter ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) :

(a) Yes.

(b) The case is subjudice as the persons who had been arrested are facing trial in Court.

(c) Does not arise.

Derailment of Goods Train near Phaphamau.

2917. Shri Hukam Chand Kachhavaiya : **Shri Bade :**

Will the Minister of **Railways** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1421 on the 5th August, 1966 and state :

(a) whether the report of the Inquiry Committee on the derailment of a goods train near Phaphamau has since been received;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, when it is likely to be received ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Sham Nath) :

(a) Yes.

(b) The accident was due to defect of track in layout.

(c) Does not arise.

Theft at Barauni Railway Station.

2918. Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Shri Bade :

Will the Minister of Railways be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1420 on the 5th August, 1966 and state :

(a) whether the investigation into the case of theft of bales of cloth and tins of ghee from a goods train at Barauni Railway Junction on the 12th April, 1966 has since been completed;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not the further time likely to be taken ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) :

(a) Yes.

(b) State Government Railway Police Barauni closed the investigation and submitted a final report as sufficient evidence could not be found to submit charge sheet against the arrested persons. However, stolen property worth Rs. 5,000/— was recovered (in this case) by the Railway Protection Force staff.

(c) Does not arise.

प्रदर्शन कक्ष तथा व्यापार केन्द्र

2919. श्री स० चं० सामन्त : श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री सुबोध हंसदा : श्री भागवत झा आजाद :
श्री प्र० चं० बरुआ : डा० म० मो० दास :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में कितने भारतीय प्रदर्शन कक्ष तथा व्यापार केन्द्र स्थापित हैं ;

(ख) उनमें से कितनों का संबंध हमारे राजदूतावासों से है तथा उनकी निगरानी में है ;

(ग) पिछले पांच वर्षों में (वर्षवार) इन पर कितना व्यय किया गया ; और

(घ) हमारे राजदूतावासों के द्वारा कितनी राशि के क्रयादेश प्राप्त हुए तथा उनका माल भेजा गया ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री मनुभाई शाह) :

(क) ग्यारह ;

(ख) दस ;

(ग) तथा (घ) : दो विवरण संलग्न हैं [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 7501/66**]

भटिंडा रेलवे स्टेशन पर पूछ-ताछ कार्यालय

2920. श्री यशपाल सिंह :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भटिंडा रेलवे स्टेशन पर पूछताछ कार्यालय हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस कार्यालय में कितने कर्मचारी रखने की स्वीकृति है और क्या वहां पर कोई भी पूछ-ताछ क्लर्क स्थायी रूप से नहीं लगाया गया है ;

(ग) क्या वहां के कर्मचारियों को रेलवे स्टेशनों के आख्यापकों (अनाउन्सरों) को मिलने वाला विशेष भत्ता मिलता है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :

(क) जी हां, अस्थायी तौर पर एक कार्यालय खोला गया है ।

(ख) अभी तक भटिंडा के पूछ-ताछ कार्यालय के लिये कोई कर्मचारी मंजूर नहीं किये गये हैं लेकिन इस काम को दो टिकट कलेक्टर कर रहे हैं ।।

(ग) जी नहीं ।

(घ) विशेष वेतन उन व्यक्तियों को देय है जो अनन्य रूप से ऐसे स्टेशनों पर एनाउन्सर नियुक्त किये जाते हैं जहां पूर्णकालिक एनाउन्सर रखने का औचित्य हो, न कि उन लोगों को जो एनाउन्स करने के काम को केवल अंशकालिक रूप में करते हैं ।

तीसरे दर्जे के शयन-डिब्बे

2921. श्री हु० चा० लिंग रेड्डी : **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्रीमती सावित्री निगम : **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**

क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रेलवे में इस समय प्रयुक्त तीसरे दर्जे के शयन डिब्बों की संख्या क्या है ; और

(ख) क्या हर वर्ष उनकी संख्या में वृद्धि करने का विचार है और यदि हां, तो कितनी तथा कब ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :

(क) इस समय भारतीय रेलों में तीसरे दर्जे के जो शयन यान इस्तेमाल किये जा रहे हैं उनकी संख्या इस प्रकार है :—

बड़ी लाइन	667
मीटर लाइन	370

(ख) 1967-68 में बड़ी लाइन के तीसरे दर्जे के 135 अतिरिक्त शयन यान तैयार करने का विचार है । इनके अलावा, चौथी योजना में बड़ी लाइन के 555 और मीटर लाइन के 550 तीसरे दर्जे के और शयन यान बनाने के लिये अस्थायी तौर पर व्यवस्था की गयी है ।

डीजल इंजन

2922. श्री हु० चा० लिंग रेड्डी : **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय : **श्रीमती सावित्री निगम :**

क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रेलों में कोयले से चलने वाले इंजनों के स्थान पर किस हद तक डीजल से चलने वाले इन्जन लगाये गये हैं ;

(ख) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना में इसमें वृद्धि की जायेगी ;

(ग) यदि हां, तो किस हद तक ; और

(घ) इस प्रतिस्थापन से लागत, आराम तथा गति में क्या तुलनात्मक लाभ हुए हैं ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) :

(क) 1958 में कुछ मार्गों पर सीधे भेजी जाने वाली माल गाड़ियों को डीजल इंजन से चलाना शुरू किया गया था और तब से उत्तरोत्तर अधिकाधिक खण्डों पर डीजल इंजनों से गाड़ियां चलायी जा रही हैं। डीजल इंजनों की संख्या 1958 में 171 थी जो बढ़कर 1966 में 727 हो गयी। फलस्वरूप इन इंजनों द्वारा ढोये गये यातायात के शुद्ध मीटरिक टन किलोमीटर के आंकड़े ढोये गये कुल माल यातायात की तुलना में 1958-59 के 4·2 प्रतिशत से बढ़कर 1965-66 में 33 प्रतिशत हो गये। डीजल इंजन मुख्यत: सीधी माल गाड़ियों को चलाने में इस्तेमाल किये जाते हैं। फिर भी, नीचे लिखी कुछ चुनी हुई सवारी गाड़ियों के साथ भी डीजल इंजन लगाये गये हैं जिनका विवरण इस प्रकार है :—

1. हवड़ा-मद्रास डाक गाड़ियां।
2. दिल्ली और मद्रास के बीच चलने वाली सदर्नएक्सप्रेस/डीलक्स गाड़ियां।
3. मद्रास और बेंगलूरु के बीच चलने वाली वृन्दावन एक्सप्रेस गाड़ियां।
4. हवड़ा और आसनसोल तथा मुगलसराय और दिल्ली के बीच चलने वाली हवड़ा-कालका डाक गाड़ियां।
5. बम्बई और दिल्ली के बीच चलंने वाली फ्रंटियर डाक गाड़ियां।
6. हवड़ा-अमृतसर डाक गाड़ियां।
7. नागपुर और नेनपुर के बीच तथा गोंदिया और जबलपुर के बीच चलने वाली लम्बे सफर की छोटी लाइन की दो जोड़ी सवारी गाड़ियां।

इनके अलावा, दिल्ली क्षेत्र में कुछ उपनगरी गाडियां और कालका-शिमला तथा नरेल-माथेरान पहाड़ी खण्डों की सभी सवारी गाड़ियां डीजल इंजनों से चलायी जा रही हैं।

(ख) जी हां।

(ग) गाड़ियों को उत्तरोत्तर डीजल इंजनों से चलाने का कार्यक्रम इस तरह बनाया गया है कि डीजल इंजनों से अधिक से अधिक काम लिया जा सके। ऐसा करते समय धन की उपलब्धता, देश में चल-स्टाक और दूसरे उपस्कर आदि के निर्माण की क्षमता को भी ध्यान में रखा गया है।

(ग) भापचालित इंजनों की अपेक्षा डीजल इंजन अधिक औसत चाल पर अधिक डिब्बे ले जा सकते हैं। इस प्रकार डीजल इंजनों के उपयोग से ढुलाई तेजी से होती है और भारवहन में सामान्य रूप से वृद्धि होती है जिसके फलस्वरूप मार्ग की लाइन की क्षमता बढ़ जाती है। लेकिन डीजल इंजन का मूल्य भापचालित इंजन की अपेक्षा काफी अधिक होता है। परिचालन का खर्च विभिन्न बातों पर निर्भर करता है, जैसे-खण्ड का स्वरूप, यातायात का घनत्व, यातायात का गठन

ईंधन का खर्च। इनके अलावा उन गाड़ियों को भी ध्यान में रखा जाता है, जिनके साथ डीजल इंजन लगाये जाते हैं। इस तरह खण्ड विशेष पर इस तरह की विशेषताओं के अनुसार तुलनात्मक खर्च अलग-अलग होंगे। फिर भी, यह उल्लेखनीय है कि जिन खण्डों पर यातायात का घनत्व अधिक है, वहां डीजल इंजनो का उपयोग परिचालन सम्बन्धी लाभ के साथ-साथ, आमतौर पर भापचालित इंजनों की अपेक्षा कम खर्चीला होता है।

रूरकेला इस्पात कारखाने का उर्वरक एकक

2923. श्री स० चं० सामन्त :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री भागवत् झा आजाद :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री म० ला० द्विवेदी :
डा० म० मो० दास :

क्या लोहा और इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूरकेला इस्पात कारखाने के उर्वरक एकक में शीघ्र ही एक नेफथा एकक खोले जाने की कोई संभावना है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस एकक के डिजाइन सप्लाई करने तथा इसे लगाने के लिये संसार के सब देशों से टेंडर मांगे गये है ; और

(ग) कितनी फर्मों ने अपने टेंडर भेजे हैं और ये टेंडर कब खोले जायेंगे और इन पर अन्तिम निर्णय कब किया जायेगा ?

लोहा और इस्पात मंत्री (श्री त्रि. ना. सिंह) :

(क) से (ग) : राउरकेला इस्पात कारखाने के उर्वरक कारखाने में नेफथा रीफाइनिंग यूनिट लगाने के बारे में पश्चिमी जर्मनी की फर्मों से टेंडर मांगे गये थे। तीन फर्मों से टेंडर प्राप्त हुए और वे 31 मार्च 1966 को खोले गये। नेफथा रीफाइनिंग यूनिट के डिजाइन, सप्लाई, संयंत्र लगाने तथा उसके संचालन तथा सिविल इंजीनियरी के कार्यों की देखभाल के लिये ठेका 1 अगस्त, 1966 को दे दिया गया है। कारखाने के जून 1968 तक चालू होने की सम्भावना है।

दक्षिण-पूर्व तथा पूर्व रेलवे में रेलवे ठेकेदारों द्वारा नकली वाति-पेय की बिक्री

2924. श्री स० चं० सामन्त :
श्री भागवत झा आजाद :
डा० म० मो० दास :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अक्तूबर, 1965 में रेलवे सतर्कता कर्मचारियों ने नकली वाति-पेय बनाने वाले कुछ कारखानों का पता लगाया था जिनमें दक्षिण-पूर्व रेलवे तथा पूर्व रेलवे के रेलवे ठेकेदारों का हाथ था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस सम्बन्ध में 11 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये थे ; और

(ग) क्या कोई जांच की गई थी, और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) :

(क) जी हां।

(ख) इस सम्बन्ध में बारह व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था लेकिन एक को छोड़ दिया गया ।

(ग) कलकत्ता पुलिस के गुप्तचर विभाग की सहायता से जांच-पड़ताल की गई थी और सितम्बर, 1966 में भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी/420, 420 के अन्तर्गत 11 व्यक्तियों के विरुद्ध अदालत में अभियोग पत्र दाखिल किया गया । मुकदमा न्यायाधीन है ।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड

2925. श्री स० चं० सामन्त :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री म० ला० द्विवेदी :
डा० म० मो० दास :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड में इस समय पूरी क्षमता पर कार्य नहीं हो रहा है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि बड़ी संख्या में मशीनें बिना बिक्री पड़ी हैं ; और

(ग) यदि हां, तो क्या देश में उनकी मांग कम हो गई है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवय्या) :

(क) जी हां ।

(ख) जी, हां । 30 सितम्बर, 1966 को 246 लाख रु० के मूल्य की 489 मशीनें स्टॉक में थी ।

(ग) मांग में ऐसी कोई कमी नहीं है । वास्तविक कठिनाई रुपया वित्त की कमी प्रतीत होती है ।

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची द्वारा भारी मशीनों का निर्यात

2926. श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री प्र० चं० बरुआ :
डा० म० मो० दास :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन को एशियाई तथा अफ्रीकी देशों से भारी मशीनरी के निर्यात के लिये आदेश प्राप्त हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो कितने निर्यात के आदेश मिले हैं और किन किन देशों से ; और

(ग) क्या ये आदेश आस्थगित भुगतान-आधार पर आये हैं, और यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई समझौता किया गया है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवय्या) :

(क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग

2927. **श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री प्र० चं० बरुआ :
डा० म० मो० दास :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग सरकार को ऋण पर कोई ब्याज दे रहा है ;

(ख) यदि हां, तो यह ब्याज कब से दिया जा रहा है ;

(ग) क्या सरकार को ऋण की अदायगी स्थगित कर दी गई है ; और

(घ) यदि हाँ, तो किस तिथि तक के लिये ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री मनुभाई शाह) :

(क) तथा (ख) : खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग को दिये गए सभी ऋणों पर मंजूरी के समय प्रचलित सामान्य दर का ब्याज लगाया जाता है। उसके बदले, आयोग, अन्य उद्योगों को धन देता है। किसी भी वर्ष में आयोग द्वारा प्राप्त सभी ब्याज सरकारी खाते में जमा किया जाता हैं। यह कार्य-प्रणाली 1960–61 से ही चल रही है। ऐसा अवश्य होता है कि वसूल की हुई और सरकारी खाते में जमा की गई कुल रकम, सरकार द्वारा आयोग को दिये गये ऋणों पर देय ब्याज से कम होती है। इस अन्तर को सरकार प्रत्येक वर्ष आयोग को सीधा उपदान देकर पूरा कर देती है।

(ग) तथा (घ) : यह निश्चय किया गया है कि भारत सरकार आयोग के लिये एक 'कार्यकर निधि' की व्यवस्था करे जिसको खादी तथा ग्रामोद्योग आदि के विकास के कार्यक्रमों की कार्यान्विति के लिये प्रयोग किया जायेगा। 'कार्यकर निधि' की राशि को आयोग के उत्पादन स्तर तथा विक्रियों के साथ सम्बन्धित रखा जायेगा। इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर 34·05 करोड़ रु० की रकम के ऋणों का 30-9-1969 तक नवीकरण कर दिया गया है और 9·995 करोड़ रु० की अतिरिक्त धनराशि का 30-9-1970 तक नवीकरण कर दिया गया है।

दस्तकारी सम्बन्धी दास समिति

2928. **श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री प्र० चं० बरुआ :
डा० म० मो० दास :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दस्तकारी के बारे में दास समिति का प्रतिवेदन स्वीकार कर लिया है ;

(ख) इसकी सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(ग) क्या उनकी क्रियान्विति पर कुछ धन खर्च आयेगा, और यदि हां, तो कितना ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री मनुभाई शाह) :

(क) तथा (ख) : निर्यात बढ़ाने के लिये दास समिति की सिफारिशों पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है और उन पर यथासम्भव शीघ्र निर्णय किया जायेगा ।

(ग) दास समिति की सिफारिशों को क्रियान्वित करने में चौथी योजना काल में लगभग 10 करोड़ रु० ऋणों तथा अनुदानों की आवश्यकता होगी ।

खेत्री तांबा परियोजना

2929. श्री भागवत झा आजाद : **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त : **श्री म० ला० द्विवेदी :**
डा० म० मो० दास : **श्री प्र० चं० बरुआ :**

क्या **खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय खनिज विकास निगम जो राजस्थान स्थित खेत्री तांबा परियोजना का प्रभारी है, खेत्री तांबा परियोजना से सम्बन्ध उर्वरक कारखाना स्थापित करने का कार्य भी करेगा ;

(ख) यदि हां, तो यह परियोजना तैयार करने का कार्य किस एजेंसी को सौंपा गया है ;

(ग) क्या इस परियोजना के उपोत्पादों का उपयोग करने की दृष्टि से इसके साथ कोई उर्वरक कारखाना स्थापित किये जाने की सम्भावना है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उर्वरक कारखाना तैयार करने में कितना समय लगेगा ?

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु० कु० डे) :

(क) हां, महोदय ।

(ख) उर्वरक प्लांट के आकल्प संरचना तथा उसकी स्थापना का कार्य फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इंडिया को सौंपे जाने के उद्देश्य से उनसे बातचीत की जा रही है ।

(ग) उर्वरक प्लांट भी मुख्यतः तांबा प्लांट के साथ ही 1969 के अंत तक प्रारम्भ होने की आशा है ।

(घ) उपरोक्त (ग) को देखते हुए यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

खनिजों का निर्यात

2931. श्री दी० चं० शर्मा : **श्री महेश्वर नायक :**

क्या **खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक खनिजों के निर्यात को दुगने करने का विचार है ताकि इसे विदेशी मुद्रा अर्जित करने की दिशा में तीसरा स्थान दिया जा सके ;

(ख) यदि हां, तो उत्पादन बढ़ाने की दिशा में क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(ग) खनन की वर्तमान गति के आधार पर उपलब्ध खनिज संशोधन आन्तरिक खपत और निर्यात दोनों के लिये कब तक चल सकेंगे ?

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु० कु० डे)

(क) हां, महोदय ।

(ख) धातुओं के उत्पादन तथा निर्यात को बढ़ाने के लिये सरकार ने समय समय पर कई कदम उठायें हैं जैसे नई रेल की पटरियां बनाना ; सड़क द्वारा परिवहन की सुविधाएं बढ़ाना, पत्तनों पर सुविधाएं बढ़ाना ; मिनरल तथा मैंटल कारपोरेशन आफ इण्डिया लि० के जरिये कच्चे लोंहे तथा मैंगनीज धातु के निर्यात को नियमित करना आदि आदि।

(ग) जहां तक लोहा एवं मैंगनीज अयस्क, तथा माइका आदि महत्वपूर्ण खनिज पदार्थों का सम्बन्ध है, आंतरिक एवं वाह्य दोनों आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये देश में पर्याप्त निक्षेप हैं।

Removal of Fish Plates

2932. Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Shri Bade : Shri Vishram Prasad :

Will the Minister of **Railways** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 295 on the 5th August, 1966 and state :

(a) whether Government have since received the report of the Police investigations into the arrest of certain persons in connection with the removal of fish plates and bolts near Kolar village in Gorakhpur;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the further time likely to be taken in this connection ?

The Minister of State in the Ministry of Railways: (Dr. Ram Subhag Singh) :

(a) — Yes.

(b)— State Govt. Railway Police Mau Junction had arrested 3 accused persons, who could not be prosecuted in court due to lack of sufficient evidence. The police have closed the investigation and have submitted a final report to the Magistrate in the case.

(c)— Does not arise.

Steel Plant at Bailadilla

2933. Shri Bade : Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Shri Vishram Prashad :

Will the Minister of **Iron and Steel** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1415 on the 5th August, 1966 and state :

(a) whether Government have decided to set up an iron and steel plant in Bailadilla in the public sector;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, how much more time is likely to be taken for arriving at a decision ?

The Minister of Iron and Steel (Shri T. N. Singh) :

(a) No Sir.

(b) Does not arise.

(c) Government have to examine various factors, including the availability of resources and the comparative advantages of different sites, before a decision can be taken to locate a steel plant. It is not possible at this stage to indicate when a decision may be taken.

Hindi Books for the Library

2934. Shri Vishram Prasad :

Will the Minister of Commerce be pleased to state :

(a) the arrangements made to obtain those Hindi books for the Library of his Ministry, a list of which has been printed in the Indian National Bibliography; and

(b) the number of Hindi books received in the Library on the basis of this list during the last six months ?

The Minister of Commerce (Shri Manubhai Shah) :

(a) There is no library under the Ministry of Commerce.

(b) Does not arise.

Office Orders in Hindi

2935. Shri Vishram Prasad :

Will the Minister of Commerce be pleased to state :

(a) the total number of office orders and memoranda issued by his Ministry and its attached and subordinate offices from 1st January, 1966 to 31st August, 1966 regarding appointments, leave, pay, allowances of class III and class IV staff; and

(b) the number of orders, memoranda among them issued in Hindi or alongwith a Hindi translation and the reasons for not doing so in respect of others ?

The Minister of Commerce (Shri Manubhai Shah) :

(a) and (b) : The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Publications brought out by the Ministry of Commerce

2936. Shri Vishram Prasad :

Will the Minister of Commerce be pleased to state :

(a) the number of publications brought out by his Ministry and its attached and subordinate offices during 1965—66 and from April, 1966 to August, 1966 and the number of publications of which a Hindi version was issued;

(b) the reasons for not bringing out Hindi version of all the publications; and

(c) whether arrangements are being made for bringing out English and Hindi versions simultaneously of all these publications in future ?

The Minister of Commerce (Manubhai Shah):

(a) The number of publications brought out in English by this Ministry and its attached and subordinate offices was 364 and 113 during the year 1665—66 and for the period from April to August, 1966 respectively. During 1965—66 nine publications were brought out in Hindi. Two lists showing the names of the publications brought out during 1965—66 and April to August, 1966 are attached. **[Placed in Library. See No. LT—7502/66]**

(b) and (c) : As many of the publications brought out by this Ministry are for External Publicity, it is not considered necessary to bring out Hindi versions in every case. Wherever found necessary, Hindi versions of publications are brought out, taking into account the demand and utility thereof.

Forms in Hindi

2937. Shri Vishram Prasad :

Will the Minister of Commerce be pleased to state :

(a) the number of forms used in his Ministry which have been translated in Hindi so far; and

(b) the number of such forms printed in Hindi or English-Hindi diglot shape — and the date by which the remaining forms will be so printed ?

The Minister of Commerce (Shri Manubhai Shah) :

(a) and (b) : Standard forms are in use in the Ministry of which 18 are at present printed in both Hindi and English (diglot form). The remaining standard forms will also be used in diglot form as soon as they are made available.

कपड़े का निर्माण

2938 श्री महेश्वर नायक :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1966 में अब तक देश में सूती कपड़े का कुल कितना उत्पादन हुआ,

(ख) निर्यात के लिए कपड़े की कितनी मात्रा पृथक् रूप से निर्धारित की गई और इस निर्यात से कितनी आय हुई; और

(ग) इस समय देश में खपत के लिये प्रति व्यक्ति कितना कपड़ा उपलब्ध है और इसका उत्पादन बढ़ा कर इतना कर देने में कितना समय लगेगा कि हर व्यक्ति की समूची आवश्यकता पूरी हो जाये ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री मनुभाई शाह) :

(क) जनवरी से अक्टूबर, 1966 तक सूती कपड़े का कुल उत्पादन अनुमानत: 610·5 करोड़ मीटर है।

(ख) जनवरी से अगस्त 1966 तक सूती कपड़ा मिलों ने निर्यात के लिये 30·7 करोड़ मीटर कपड़े का उत्पादन किया। इसमें से, 30·5 करोड़ मीटर कपड़ा वास्तव में मिलों से निकल चुका है। मिल के बने सूती कपड़े तथा परिधान आदि बने हुए सामान से अगस्त 1966 के अंत तक निर्यात आय का अनुमान 34 करोड़ 13·5 लाख रुपये तथा सूती हथकरघा कपड़े तथा बने हुये कपड़ों से जुलाई 1966 के अंत तक क्रमश: 391·3 लाख रुपये तथा 58·86 लाख रुपये है।

(ग) 1965 में सूती कपड़े की प्रति व्यक्ति उपलब्धि 14·58 मीटर थी। चौथी योजना में, कपड़े के उत्पादन लक्ष्य का आधार लगभग 16·90 मीटर प्रति व्यक्ति उपलब्धि है।

उड़ीसा में भूतत्वीय सर्वेक्षण

2939. श्री महेश्वर नायक :

क्या खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अब उड़ीसा के कौन कौन से क्षेत्रों में भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग के सर्वेक्षण कार्यक्रम चालू किये गये हैं तथा किन किन क्षेत्रों में खनन कार्य आरम्भ किया गया है ?

खान तथा धातु मन्त्री (श्री सु० कु० डे) :

उड़ीसा का सामान्य भौमिकी तथा खनिज मूभिक्षण लगभग पूरा हो चुका है। राज्य का पूर्ण सर्वेक्षण एक इंच एक मील अनुमाप पर तथा खनिजों के विदोहन का वृहत कार्यक्रम

प्रगति पर है। तालचर कोयला खानों तथा इकलदी कोयला खानों से कोयले; कालाहांडी से स्फोदिल; सम्बलपुर में क्रोमाइट; तथा धेनकानाल और कटक में क्रोमाइट; क्योंनझार सुन्दर गढ़ जिले में कच्चे लोहे का अनुसंधान करने के लिए बड़े पैमाने पर मानचित्रण किया गया है।

उड़ीसा सरकार से पता चला है कि लगभग 286 वर्गमील के कुल क्षेत्र के लिए खनन पट्टे विभिन्न पक्षों को निम्नलिखित जिलों में खनिज सचयों के विदाहन के लिए स्वीकार किये गये हैं:—

जिला	पट्टे के आधीन खनिज
1—बोलमगीर	ग्रेफाइट, मैंगनीज़।
2—सम्बलपुर	अग्नि-मृत्तिका, ग्रेफाइट, रैडग्रोक्साइड, लोहा, फाइनाइट, चिकनी मिट्टी, अग्नि-मृत्तिका, कोरेंडम, मैंगनीज़।
3—क्योनझार	लोहा, मैंगनीज़, क्रोमोइट, वाचनाइट, सिलीमीनाइट, क्वार्टरजाइट्स, रेत, चिकनी मिट्टी,
4—पुरी	सफेद मिट्टी।
5—कालाहांडी	ग्रेफाइट, मैंगनीज और लोहा।
6—कोरापुत	मैंगनीज, ग्रेफाइट, अबरक, चूना पत्थर, डोलोमाइट
7—कटक	क्रोमाइट, मैंगनीज, लोहा, अग्नि—मृत्तिका।
8—धेनकानाल	फाइनाइट, क्रोमाइट, कार्टज।
9—कुलबानी	ग्रेफाइट।
10—सुन्दरगढ़	चूना, पत्थर, डोलोमाइट, मैंगनीज़, एसबैसटास, कांउलीन, क्वार्टरजाइट्स, अग्नि-मृत्तिका, सोब स्टोन, गैलेना।

जस्ता चढ़ी नालीदार चादरों का निर्माण

2940. श्री महेश्वर नायक :

क्या लोहा और इस्पात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नालीदार चादरों पर जस्ता चढ़ाने के लिये जस्ते के आयात पर से नियन्त्रण में ढील देने के बाद सरकार ने गत अप्रेल से इन चादरों के निमार्ण को सीमित कर दिया हैं;

(ख) यदि हां, तो उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है; और

(ग) वास्तविक उपभोक्ताओं की आवश्यकता कहां तक पूरी की गई है तथा कमी को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही हैं ?

लोहा और इस्पात मन्त्री (श्री वि० ना० सिंह) :

(क) से (ग) : जस्ते के आयात के लिए विदेशी मुद्रा की कमी के कारण जस्ती चादरों का उत्पादन 1965—66 में काफी कम हुआ। जस्ती चादरों का उत्पादन करने की अनुमति इसी शर्त पर दीं गई कि जस्ता उपलब्ध हो। आयात को कुछ सरल करने के पश्चात उत्पादन कुछ हद तक बढ़ गया है। उपलब्ध माल में से वास्तविक उपभोक्ताओं की आवश्यकताएं जहां तक संभव है पूरी की जाती हैं। बहुत से उपभोक्ताओं ने कोट चढ़ी हुई काली नालीदार चादरों का इस्तेमाल करना आरम्भ कर दिया है।

किराया—खरीद योजना

2941. श्री शिवमूर्ति स्वामी :

क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कुछ उद्योगों में किराया–खरीद योजना लागू करने के परिणामस्वरूप कितनी सफलता मिली हैं ?

उद्योग मन्त्री (श्री संजीवय्या) : राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड की किराया खरीद योजना के अन्तर्गत छोटे पैमाने के उद्योगों और छोटे पैमाने के सहायक एककों को मशीनें दी जाती है । अक्टूबर, 1966 के अन्त तक निगम द्वारा लगभग 6,000 एककों को लगभग 26·00 करोड़ रु० की मूल्य की मशीनें दी गई थीं । दिसम्बर 1965 को समाप्त होने वाली अवधि के लिये एक उद्योगवार विश्लेषण किया गया था और विश्लेषण से पता चलता है कि सहायता के परिणाम स्वरूप किन किन उद्योगों को स्थापित किया गया जो कि निम्न हैं:—

क्रम संख्या और उद्योग का नाम	एकको की संख्या	किराया खरीद मूल्य रु०
1 कृषि उपकरण	75	10,34,525
2 मोटर गाड़ी मरम्मत	284	75,58,622
3 भवन निर्माण सामग्री	136	45,40,703
4 मृत्कला	18	12,84,603
5 रसायन	171	84,50,633
6 आधान पात्र	55	21,09,185
7 बिजली का सामान	215	1,15,31,651
8 खाद्य वस्तुएं	151	43,35,982
9 ढलाई	149	68,20,988
10 चमड़ा	46	12,18,169
11 हल्का इंजीनियरी सामान	2,355	11,13,69,574
12 धात के बर्तन	106	57,13,700
13 विविध	497	1,79,78,211
14 पलास्टिक की वस्तुएं	183	1,18,99,966
15 छपाई और जिल्दसाजी	362	90,22,892
16 रबड़ पर आधारित उद्योग	118	58,87,869
17 वैज्ञानिक सामान	117	47,53,049
18 लेखन सामग्री	154	87,84,895
19 कपड़ा	128	33,17,944
20 इमारती लकड़ी पर आधारित उद्योग	537	79,32,123
21 पहनने के वस्त्र	132	26,37,803
कुल	5,989	23,81,83,087

बम्बई –हावड़ा मेल गांड़ी का रोका जाना

2942. श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 29 सितम्बर, 1966 को यह समाचार मिलने के बाद कि कचपुरा रेलवे स्टेशन के निकट कुछ लड़के रेल की पटरी को हानि पहुंचा रहे थे, 8 अप बम्बई-हावड़ा मेल गाड़ी को सावधानी के तौर पर जबलपुर रेलवे स्टेशन पर 2½ घण्टे से अधिक समय के लिये रोका गया था; और

(ख) यदि हां तो इसका ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख) : जी हां। 29. 9. 66 को 8 अप हावड़ा–बम्बई डाक गाड़ी के पहुँचने से पहले जबलपुर के जिला न्यायाधीश को किसी सूत्र से यह सूचना मिली थी कि कुछ विद्यार्थी काचपुर की ओर गये हैं और ऐसा संदेह हुआ था कि वे रेलवे लाइन से छेड़छाड़ करेंगे। इस सूचना के मिलने पर लाइट इंजन भेजकर भेड़ाघाट और मदनमहल स्टेशनों के बीच पटरी की जांच कराने का प्रबन्ध तुरन्त किया गया। पटरी को सुरक्षित प्रमाणित किया गया और 8 अप डाक गाड़ी को, जो जबलपुर स्टेशन पर देर से 19·07 बजे पहुंची थी, 22·00 बजे सावधानी से चलाने की हिदायतों के साथ रवाना होने की अनुमति दे दी गई। रेल पथ निरीक्षक और राज्य सरकारी रेलवे पुलिस गाड़ी के साथ गयी। इस सम्बन्ध में न तो कोई मामला दर्ज किया गया और न ही कोई गिरफ्तारी की गयी।

थरमोस फ्लास्क का निर्यात

2943 श्री विश्व नाथ पाण्डेय :

श्री राम हरख यादव :

क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

क्या यह सच है कि राज्य व्यापार निगम ने थरमोस के फालतू रिफ्लिों के अतिरिक्त थरमोस फ्लास्कों के निर्यात के लिये रुस सरकार से एक करार किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस करार की मुख्य बाते क्या हैं ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री मनुभाई शाह)

(क) तथा (ख) : राज्य व्यापर निगम ने वी/ओ. रेजनो एक्सपोर्ट, मास्को के साथ वैक्यूम फ्लास्कों के संभरण के लिए अक्टूबर 1966 में एक संविदे पर हस्ताक्षर किये। संविदे में आधे लिटर वाली 50,000 और एक लिटर वाली 25000 वैक्यूम फ्लास्कों के संभरण की व्यवस्था की गई है। इनके अतिरिक्त 17,000 अदद आधे लिटर वाले शीशे के अतिरिक्त रिफ्लिों तथा 8,000 अदद एक लिटर वाले रिफ्लिों का भी संभरण किया जायेगा। संविदे का कुल मूल्य 5·70 लाख रु० है और इस माल का लदान दिसम्बर 1966 के मध्य तक हो जायेगी।

भारतीय रेलो के मैकेनिकल तथा इलैक्ट्रिकल विभागों में श्रेणी दो की सेवा के लिये पदोन्नति

2944. श्री शिवमूर्ति स्वामी :

क्या **रेलवे मन्त्री** 19 अगस्त, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2815 के उत्तर के सम्बन्ध

में यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय रेलों के मैकेनिकल तथा इलेक्ट्रिकल विभागों में, जोन-वार, श्रेणी 3 से श्रेणी 2 के पदों पर पदोन्नत किये जाने वाले कर्मचारियों की निश्चित प्रतिशतता क्या है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) :

भारतीय रेलों पर यांत्रिक और विद्युत विभागों में तीसरे दर्जे से दूसरे दर्जे में पदोन्नति के लिए कोई विशिष्ट प्रतिशतता नहीं है । इन विभागों में दूसरे दर्जे के सभी पद, तीसरे दर्जे के पदों पर काम करने वाले पात्र उम्मीदवारों में से विभागीय चुनाव बोर्ड द्वारा किये गये चुनाव के पर भरे जाते हैं ।

प्रशिक्षणार्थी जनीमैन

2945. श्री शिवमूर्ति स्वामी :

क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे द्वारा वर्ष 1954, 1955 तथा 1956 में चुने गये प्रशिक्षणार्थी जनीमैनों को भूतपूर्व एप्रैंटिस मैकेनिक 1951 (ई० आई० आर०), 1954 तथा 1957 से वरिष्ठ घोषित किया गया है यद्यपि एप्रैंटिस मैकेनिकों ने अपना प्रशिक्षण-काल इन जनीमैनों की अपेक्षा पहले ही पूरा कर लिया था;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) प्रशिक्षणार्थी जनीमैनो की वरिष्ठता प्रशिक्षण अवधि में निर्धारित करने का क्या कारण था जबकि ऐप्रैंटिस मैकेनिको की वरिष्ठता प्रशिक्षण-काल के पूरा करने के बाद निर्धारित की गई ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) :

(क) ऐसा कोई मामला नहीं है जिसमें सापेक्ष वरिष्ठता निश्चित करने की नीति की अवहेलना करके अप्रैंटिस मैकेनिको को उनका प्रशिक्षण समाप्त होने के बाद, जनीमैनों से कनिष्ठ रखा गया हो । अप्रैंटिस मैकेनिकों की सापेक्ष वरिष्ठता उनकी सफलता पूर्वक अवधि पूरी होने की तारीख के आधार पर और जनीमैनों की सापेक्ष वरिष्ठता, क्रियाशील पदों पर उनके नियुक्त होने की तारीख के आधार पर निश्चित की जाती है ।

(ख) और (ग) : सवाल नहीं उठता ।

Labourers Engaged at Kotah and Gangapur by I. O. W.

2946. Shri Onkar Lal Berwa : Shri Onkar Singh

Will the **Minister of Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the payment of the difference of Rs. 0.75 due to the labourers engaged at Kotah and Gangapur by the Inspector of Works has been stopped after making this payment only to certain persons;

(b) whether it is also a fact that this amount should have been paid to the building helpers;

(c) if so, the reasons for non-payment to them;

(d) whether it is also a fact that the Vigilence Department at Kotah investigated into the matter and submitted its report during 1956-57 that all that had been done was wrong; and

(e) if so, the action taken by Government on that report ?

The Minister of state in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhg Singh) :

(a) As already stated in reply to Unstarred Question No. 737 of 29.7.1966, 79 Casual Labourers under the Inspector of Works, Kotah who were paid at of Rs. 1.50 per day for the period from 1.4.1952 to 31.8.1954, were paid arrears at the rate of Rs. 0.75 per day for the period in question on the basis of relevant records available. In regard to labour employed under the Inspector of Works, Gangapur City, the eligibility for payment of difference could not be verified as relevant records were not available to ascertain if any such labourers were employed on scheduled employments.

(b) There is no category of Casual labourers designated as 'Building Helpers.'

(c) Does not arise.

(d) No.

(e) Does not arise.

Export of Wheat Bran

2947. Shri Mohan Swarup :

Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the State Tradiag Corporation has decided to export wheat bran;

(b) if so, the quantity to be exported; and

(c) the amount of foreign exchange expected to be earned thereby ?

The Minister of Commerce (Shri Manubhai Shah) :

(a) Yes, Sir.

(b) 10,000 M/Tons.

(c) Rs. 43.95 lakhs C. I. F.

or £ 2,16,225/- (approx.)*

पश्चिम रेलवे में क्षमता से अधिक सामान लादना

2948. श्री उ० मू० त्रिवेदी :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिमी रेलवे के मुख्य वाणिज्य अधीक्षक ने माल डिब्बों की भार उठाने की अधिकतम क्षमता से अधिक माल भरने का आदेश दिया था और उसी रेलवे के मुख्य परिचालन अधीक्षक (चीफ आपरेटिंग सुपरिटेंडेंट) उस प्रस्ताव से सहमत नहीं थे ;

(ख) क्या माल डिब्बों में उनकी क्षमता से अधिक माल भरा गया और यदि हां, तो कितना अधिक माल भरा गया और उससे रेलवे को कितना वित्तीय लाभ हुआ ;

(ग) क्या इस उपबन्ध का उल्लंघन करने के लिये पश्चिमी रेलवे के वाणिज्य क्लर्कों के नाम में राशि डाल दी गई है ; और

(घ) उनके नाम में इस प्रकार कितनी राशि डाली गई है और अब तक कितनी राशि वसूल की गई है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :

(क) जुलाई, 1964 में पश्चिम रेलवे के वाणिज्य विभाग ने इंजीनियरिंग विभाग के परामर्श से मालडिब्बों में, उन पर अंकित वहन क्षमता से अधिक लदान के आदेश जारी किये थे। इन हिदायतों से अन्य विभाग के असहमत होने का सवाल नहीं उठता ।

*Exports effected in the pre-devaluation period converted at old conversion rate and post-devaluation exports at the new conversion rate.

(ख) बड़ी लाइन पर 2 मीटरिक टन और मीटर लाइन पर 1 मीटरिक टन माल के अधिक लदान की अनुमति दी गयी थी और इतनी मात्रा में ही अधिक लदान हुआ। लेकिन मीटर लाइन के कुछ खंडों पर, जहां धुरा-भार से सम्बन्धित प्रतिबन्ध लागू था, इन हिदायतों के बारे में गलतफहमी के कारण कर्मचारियों ने मालडिब्बों में अधिक लदान की अनुमति नहीं दी। अब स्थिति यह है कि हिदायतों का स्पष्टीकरण कर दिया गया है और उनका ठीक से पालन किया जा रहा है। माल के अधिक लदान से रेलों को कितना वित्तीय लाभ हुआ इसका अनुमान लगाने के लिए अलग से आंकड़े नहीं रखे जाते।

(ग) जी हां।

(घ) कुल 2,34,113 रुपये 80 पैसे की राशि नामखाते में डाली गयी है। नामखाते में इतनी राशि डाले जाने का उन्होंने विरोध किया है और उनसे उक्त राशि वसूल करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

मिश्रित इस्पात कारखाना, दुर्गापुर

2949. श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **लोहा और इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिश्रित इस्पात कारखाना दुर्गापुर के कुप्रबन्ध के बारे में कुछ आरोप लगाये गये है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

लोहा और इस्पात मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) :

(क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मोटर गाड़ियों के टायर

2950. श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में मोटर गाड़ियों के टायरों का वितरण करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ख) टायरों की उपलब्धि की वर्तमान स्थिति क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवय्या) :

(क) और (ख) मोटर गाड़ियों के टायरों का उत्पादन बढ़ रहा है। टायरों की कमी या इसके उपलब्ध न होने के बारे में कोई शिकायत नहीं है। इसलिये देश में मोटर गाड़ियों के टायरों के वितरण को नियन्त्रित करने के लिये कोई कदम नहीं उठाये गये हैं।

तेल शोधक कारखाने के लिए उपकरणों का निर्माण

2952. श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **उद्योग** मंत्री 12 अगस्त, 1966 तारांकित प्रश्न संख्या 440 के उत्तर के सम्बन्ध में

यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल शोधक कारखाने के लिये उपकरण बनाने के लिये एक परियोजना की स्थापना के सम्बन्ध में तकनीकी प्रतिवेदन की जाँच के काम में कितनी प्रगति हुई हैं ; और

(ख) इस समय इस मामले की स्थिति क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवय्या) :

(क) और (ख) रूमानियों से प्राप्त तकनी में प्रतिवेदन की इस बीच जांच कर ली गई है और परियोजना स्थापित करने के लिये निर्णय कर लिया गया है। अग्रेतर कार्यवाही करने से पूर्व सरकार परियोजना की क्रियान्विति के लिये आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता की जांच इस समय कर रही है।

प्रसन्न दत्त काजोरा कोयला खान

2953. श्री मुहम्मद इलियास :

क्या खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को प्रसन्न दत्त कजोरा कोयला खानों के स्वामित्व के विक्रय तथा प्रभार के सम्बन्ध में आसन सोल की कोयला खान मजदूर सभा से कोई अभ्यावेदन मिला है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु कु० डे) :

(क) नहीं, महोदय।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

नई दिल्ली में बड़ौदा हाउस की दीवारों पर भित्ति-चित्र

2954. श्री विश्राम प्रसाद : **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री दलजीत सिंह : **श्री छ० म० केदरिया :**
श्री रमापति राव : **श्री राज देव सिंह :**

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच हैं कि उनके मंत्रालय ने मितव्ययता के दृष्टिकोण से व्यय पर कड़े प्रतिबन्ध लगाये हैं ;

(ख) यदि हां, तो नई दिल्ली में बड़ौदा हाउस की दीवारों पर भित्ति चित्र जैसे अनुत्पादक तथा अलाभकर कार्यों पर 50,000 रुपये व्यय करने का क्या कारण हैं ;

(ग) इस प्रकार के अपव्यय को रोकने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ; और

(घ) इस भित्ति-चित्र के अनावरण के अवसर पर कितना व्यय किया गया।

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :

(क) जी हां। यह पहले ही निश्चय किया जा चुका है कि पूंजीगत और राजस्व, दोनों तरह का खर्च अधिक से अधिक सम्भव सीमा तक सीमित रखा जाये और सभी रेल प्रशासनों को आवश्यक हिदायतें दी जा चुकी हैं।

(ख) बड़ौदा हाउस के भित्ति-चित्र पर 50,000 रुपये का खर्च एक ऐसी वचनबद्धता को पूरा करने के लिए किया गया जो, मितव्ययता के लिए विशेष उपाय बरतने के सम्बन्ध में विचार किये जाने से बहुत पहले ही की जा चुकी थी ।

(ग) जब तक यह कठिन आर्थिक स्थिति जारी रहेगी तब तक ऐसे कलात्मक कामों के लिए कोई नयी वचनबद्धता नहीं की जायेगी ।

(घ) 28 सितम्बर, 1966 को भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा इस भित्ति-चित्र के अनावरण के अवसर पर 400 रुपये की मामूली रकम खर्च की गयी ।

Allegation against Superintendent Chakradarpur Railway Station.

2955. Shri Bade : Shri Hukam Chand Kachhavaiya :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that as reported in the "Ranchi Express" dated the 11th September, 1966, a Superintendent in the office of South Eastern Railway at Chakradharpur has been indulging in favouritism and caste discrimination with the workers for the last 30 years;

(b) whether similar ill - treatment is being meted out to workers by the Boiler Inspecter at Chaibasa;

(c) whether it is also a fact that Complaints by the Bihar Legislators and a number of other persons demanding transfer of these officers have been lodged but the Railway Board have not taken any action in this regard; and

(d) if so, the reasons thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh)

(a) No.

(b) No. There is no Boiler Inspector at Chaibasa.

(c) Certain complaints were made by Shri R. P. Sarangi, M. L. A, Bihar, against Shri Gopal Krishna, Boiler Inspector, Chakradharpur, and Shri A. J. Swamy, Office Superintendent, Divisional Personnel Officer's Office, Chakradharpur. These were enquired into and it was found that the complaints were ill founded. Shri Gopal Krishna was, however, transferred to Tatanagar on 28.10.1966 in the interest of administration. Shri Swamy was also ordered to be transferred to Agra Division, but these orders have been kept in abeyance in the interest of administration.

(d) Does not arise in view of reply to part (c) above.

रेलवे मंत्रालय में विधि स्नातक

2956. श्री प्रिय गुप्त :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के विधि अनुभाग तथा जोनल रेलों में राजपत्रित तथा अराजपत्रित संवर्ग में कितने रेल कर्मचारी विधिस्नातक हैं ; और

(ख) क्या उन्होंने अभ्यावेदन किया है कि उन्हें डाक्टरों (चिकित्सा स्नातकों) के समान माना जाये और या तो विधि व्यवसाय न करने के लिये भत्ता दिया जाये अथवा उन्हें गैर-सरकारी लोगों को कानूनी सलाह देने की अनुमति दी जाये ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :

(क) 261.

(ख) जी नहीं ।

कटिहार से गोहाटी तक सीधी सवारी गाड़ी

2957. श्री प्रिय गुप्त :

क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कटिहार और गोहाटी के बीच कोई सीधी सवारी गाड़ी अथवा माल गाड़ी नहीं चलती और इस कारण बिहार से उत्तरी बंगाल तथा आसाम के बीच खराब हो जाने वाले पशुओं को लाने ले जाने में बड़ी कठिनाई होती है ; और

(ख) क्या आसाम तक बड़ी लाइन बन जाने के बाद कटिहार और गोहाटी के बीच सीधी सवारी/माल गाड़ियां पुनः चलाने के लिये मार्ग उपलब्ध हो जायेगा ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :

(क) यद्यपि कटिहार और गुवाहाटी के बीच सभी स्टेशनों पर रुकने वाली कोई सीधी सवारी गाड़ी नहीं है, परन्तु दो जोड़ी डाकगाड़ियों और मेल लेने वाली अन्य दो जोड़ी गाड़ियों के अलावा, 901 अप/902 डाउन पार्सल एक्सप्रेस गाड़ियों के रूप में इन स्थानों के बीच थ्रू पार्सल एक्सप्रेस सर्विस उपलब्ध है । बिहार और उत्तर बंगाल/आसाम के स्टेशनों के बीच बिगड़ जाने वाला जितना माल ढुलाई के लिए आता है उसकी जरूरतें इन पार्सल गाड़ियों द्वारा पर्याप्त रूप से पूरी हो जाती हैं ।

(ख) न्यू बोंगाईगांव/जोगीघोपा तक बड़ी लाइन की गाड़ियां चालू हो जाने के बावजूद, कटिहार गुवाहाटी के बीच अत्यावश्यक माल यातायात पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, थ्रू सवारी गाड़ी/पार्सल गाड़ी चलाने के लिए फिलहाल लाइन क्षमता उपलब्ध नहीं है ।

पूर्वी यूरोपीय देशों को रेल माल-डिब्बों का निर्यात

2959. श्री प्र. चं. बरुआ : श्री यशपाल सिंह :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में निर्मित रेल के मालडिब्बों के लिये यूगोस्लाविया में एक संयोजन कारखाना स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) पूर्वी यूरोपीय देशों को इस समय रेल के कितने माल-डिब्बों का निर्यात किया जाता है तथा इस संयोजन कारखाने के स्थापित हो जाने पर कितना निर्यात बढ़ जाने की संभावना है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :

(क) से (ग) : राज्य व्यापार निगम ने हंगरी को रेल के माल डिब्बों का संभरण करने के लिये हंगरी में मै. निकैक्स के साथ एक करार किया है और इस करार की कार्यान्विति के लिये रेल के माल डिब्बे अर्द्ध-निर्मित स्थिति में युगोस्लोविया को निर्यात किये जायेंगे जहां पर उनको

संयोजित करके हंगरी के लोगों को दिये जायेंगे। इस कार्य के लिये राज्य व्यापार निगम ने युगोस्लाविया में माल डिब्बों का निर्माण करने वाले एक कारखाने के साथ माल डिब्बों का संयोजन करने की व्यवस्था की है।

अन्य पूर्वी यूरोपीय देशों से आर्डर प्राप्त करने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं। भारतीय माल डिब्बों के एक बार यूरोपीय रेल-पटरियों पर चल जाने और उनके मूल्य स्पर्धात्मक होने का पता लगने पर उनके निर्यात की संभावना बढ़ जायेगी।

काली सूची में दर्ज की गई फर्में

2960. श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **उद्योग** मंत्री 18 नवम्बर, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1878 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा काली सूची में दर्ज की गई फर्मों के विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही के बारे में कब निर्णय घोषित किये जाने की संभावना है; और

(ख) क्या पहले काली सूची में दर्ज की जा चुकी फर्मों को बीच की इस अवधि में कोई कानूनी दंड दिया जायेगा और उन पर रोक लगाई जायेगी ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवय्या) :

(क) और (ख) यह प्रश्न कि वर्तमान नियमों को किस प्रकार मजबूत बनाया जा सकता है और इनके क्षेत्र को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है ताकि दुराचार करने वाली फर्मों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जा सके, अभी सरकार के विचाराधीन है। इस बीच वर्तमान नियमों के अन्तर्गत उपलब्ध शक्तियों के अनुसार ऐसी फर्मों के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है।

रोपड़-नंगल बांध सैक्शन के रेलवे प्लेटफार्मों पर शैड

2961. श्री दलजीत सिंह :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नंगल बांध, आनन्दपुर साहिब तथा रोपड़ रेलवे स्टेशनों पर प्लेटफार्मों पर शैड बनाने का निर्णय किया गया था और इस कार्य के लिए वर्कशापों को आदेश दे दिये गये थे; और

(ख) यदि हां, तो इन प्लेटफार्मों पर शैड बनाने के काम में कितना समय लगेगा ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :

(क) और (ख)- जी हां। नागल डैम और आनन्दपुर साहिब स्टेशनों के प्लेटफार्मों पर छत की व्यवस्था के लिए इस्पाती संरचनाएं तैयार की जा रही है और आशा है कि अप्रैल, 1967 तक इन स्टेशनों पर छत की व्यवस्था हो जायेगी। अभी रोपड़ स्टेशन के प्लेटफार्म पर छत की कोई विचार नहीं है।

रोपड़ जिले में हिन्दुस्तान मशीन टूल्स का कारखाना

2962. श्री दलजीत सिंह :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पंजाब राज्य के रोपड़ जिले में हिन्दुस्तान मशीन टूल्स का एक कारखाना स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवय्या) :

(क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Supply of Raw Iron and Manganese Ore to Rourkela Steel Plant

2963. Shri Madhu Limaye : Shri Kishen Pattnayak :

Will the Minister of Iron and Steel be pleased to state :

(a) whether the question of granting a contract to a firm of the former Chief Minister of Orissa for the supply of raw iron and manganese ore to Rourkela Steel Plant has been looked into;

(b) whether Government have also looked into the reasons for not giving this contract to the Metals and Minerals Corporation; and

(c) if so, the result thereof ?

The Minister of Iron and Steel (Shri T. N. Singh) :

(a) to (c) : The matter has been examined. As the Committee on Public Undertakings is looking into this matter, it would not be proper for Government to prejudice the examination of the case by that Committee by expressing any views before the Committee frames its conclusions.

काठगोदाम तक बड़ी लाइन

2964. श्री कृ० चं० पन्त :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में चौथी पंचवर्षीय योजना में कुल कितने मील लम्बी बड़ी लाइनें बिछाई जायेंगी ;

(ख) क्या यह सच है कि कुछ समय बाद में पहले बरेली/रामपुर से काठगोदाम तक एक बड़ी लाइन बिछाने का निर्णय किया गया था, जिसे स्थगित कर दिया गया था,

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे; और

(घ) उस क्षेत्र में बड़ी लाइन कब तक बिछा दी जायेगी ?

रेलवे मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शामनाथ) :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना में बिछायी जाने वाली नयी लाइनों के प्रस्तावों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

(ख) से (घ) बरेली या रामपुर से काठगोदाम तक बड़ी लाइन बनाने का पहले कोई निर्णय नहीं किया गया था । केवल 1956-57 में रामपुर से हलद्वानी (काठगोदाम के निकट)—57 मील 92 कि० मी०-तक बड़ी लाइन के लिए अभिदर्शन इंजीनियरिंग और यातायात सर्वेक्षण किये गये थे । उस समय इस लाइन की लागत का अनुमान 2·84 करोड़ रुपये लगाया गया था और इसे

अलाभप्रद पाया गया था। इसलिए इसे तीसरी पंचवर्षीय योजना में शामिल नहीं किया गया। चूंकि काठगोदाम के लिए बड़ी लाइन का इस समय न तो यातायात और न ही वित्तीय आधार पर औचित्य ठहराया जा सकता है, इसलिए चौथी पंचवर्षीय योजना के लिए भी इस प्रस्ताव पर विचार किये जाने की संभावना नहीं है।

उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में ऊन उद्योग

2965. श्री कृ० चं० पन्त :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों के निवासियों ने उस क्षेत्र में ऊन का उद्योग शुरू किये जाने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उनकी मांग पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार उस क्षेत्र में, जिसके व्यापार को 1962 के चीनी आक्रमण के परिणामस्वरूप भारी धक्का लगा था, ऊन उद्योग को प्रोत्साहन देने का है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :

(क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) उपयुक्त पहाड़ी क्षेत्रों में, जिनमें उत्तर प्रदेश के क्षेत्र भी शामिल हैं, बढ़िया किस्म की ऊन का उत्पादन करने के लिये कार्यक्रम बनाया गया है; इस कार्यक्रम के अन्तर्गत ऐसा प्रस्ताव है कि पशुओं की संख्या बढ़ाने और ग्रामीण पशु-कुलों में विस्तीर्ण रूप से संस्करण के लिये बढ़िया किस्म की ऊन वाली भेड़ों तथा मेढ़ों का आयात किया जायेगा।

चरखरी रोड़ स्टेशन के निकट यात्रियों का लूटा जाना

2966. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : श्री किन्दर लाल :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 26/27 अक्तूबर, 1966 की रात को मानिकपुर-झांसी फास्ट पैसेंजर गाड़ी में मध्य रेलवे के चरखरी रोड रेलवे स्टेशन के निकट पहले दर्जे के दो यात्रियों को पिस्तोल दिखा कर लूट लिया गया था; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :

(क) जी हां, लेकिन दुर्घटना 19.10.1966 को लगभग 02·15 बजे हुई।

(ख) राज्य सरकार रेलवे पुलिस बांदा ने, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 392 के अन्तर्गत एक मामला नं०45/66 दर्ज कर लिया है, जिसकी जांच हो रही है।

Removal of Fish Plates

2967, Shri Kindar Lal : Shri Vishwa Nath Pandey :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that in October, 1966 railway traffic between Chupra and Sonepur remained suspended upto 10.00 A. M. because at 6 A. M. on that day certain fish-plates were found to have been removed and some bolts missing at a place between Nayagaon and Parmanandpur Stations; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) :

(a) The correct position is that 2 incidents took place between Chupra and Sonepur stations, in which fish plates and bolts were found missing. The first was detected on 5—10—66 at 09—35 hours and the other on 20—10—66 at 06—29 hours. No train suffered any detention in first case. However, in the second case, 3 trains suffered detention of one hour and 20 minutes, one hour and 17 minutes and 53 minutes respectively. The double line working was restored at 10—30 hours the same day on 20—10—66.

(b) The State Govt. Railway police Sonepur have registered both the cases under section 126 of Indian Railways Act, which are still under investigation. Assistant Railway Officers Joint enquiry has been held and its result is awaited. Patrolling of the track between Nayagaon and Parmanandpur has been intensified.

B. G. Line from Kayamkulam to Ernakulam

2968. Shri Shinkre : Shri Onkarlal Berwa :
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :

Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that residents of Ernakulam who live on trade of fish and ropes are seriously handicapped for want of transport facilities and are unable to increase their trade and improve their living conditions:

(b) whether it is also a fact that area between Kayamkulam and Ernakulam in Kerala is served only by metre gauge line;

(c) if so, the steps taken by Government to have a broad gauge line there; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minsiter in the Ministry of Railways (Shri Sham Nath) :

(a) and (b) : Although a large number of people in this area live on trade of fish and ropes it is not quite correct to say that lack of transport facilities has affected their trade. The area is well served not only by metre gauge Railway line, but also by road and inland waterway communications, adequate to meet the transportation requirements of the region.

(c) and (d) : The density of traffic operating on the Quilon-Ernakulam section is 1075 net ton kilometres per route kilometre per day which is very much below the highest density attained elsewhere on the metre gauge, namely 7300. From investigations of the capacity and traffic prospects, it is seen that ample line capacity is available on the existing metre gauge line which can be further augmented as and when necessary by the provision of minor line capacity works and dieselisation and no difficulty is anticipated for handling all the traffic foreseeable in the near future. With the limited funds likely to be made available for the Fourth Plan, priorities will have to be determined on the basis of maximising gains in productivity in the shortest possible time. Therefore, as no limitation in capacity is expected which would require conversion, of this section would not merit high priority to justify its inclusion in the Fourth Plan.

रामगुण्डम-निजामाबाद रेलवे लाइन

2969. श्री मं० रं० कृष्ण : श्री रमापति राव :

क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड ने हाल में बनाये दक्षिण मध्य रेलवे ज़ोन को इस ज़ोन में आने वाले क्षेत्रों में नई रेलवे लाइनें बिछाने की संभावना पर विचार करने के अधिकार दिये हैं; और

(ख) क्या भूतपूर्व निजाम स्टेट रेलवे द्वारा प्रस्तावित रामगुण्डम-निजामाबाद रेलवे सम्पर्क के बारे में जांच जांच करेगा ?

रेलवे मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शाम नाथ) :

(क) और (ख) :— जी नहीं ।

घटिया किस्म का कयोला

2970. श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय कोयला विकास निगम घटिया किस्म के कोयले की बिक्री पर काफी छूट दे रहा है ; और

(ख) क्या यह भी सच है कि राष्ट्रीय कोयला विकास निगम को यह कोयला निकालने में घाटा हो रहा है ?

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु० कु० डे) :

(क) निम्न श्रेणी के कोयले अर्थात् श्रेणी II और श्रेणी III ए० और बी० नान कोकिंग किस्म तथा श्रेणी एच. एच. कोकिंग किस्म के लिए सरकार ने अधिकतम मूल्य नियत किया है जो यह दर्शाता है कि उत्पादक उसे कितने अधिक से अधिक मूल्य पर बेच सकता है और इसलिए छूट देने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ख) नहीं, महोदय यह सच नहीं है कि इस प्रकार के सारे कोयले का उत्पादन हानि पर किया जा रहा है ।

रोपड़-नगल सैक्शन में रेलवे यात्रियों के लिए सुविधायें

2971: श्री दलजीतसिंह :

क्या **रेलवे** मंत्री 29 अप्रैल, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4685 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रोपड़ और नंगल सैक्शन में यात्रियों और कर्मचारियों के लिये अत्यावश्यक सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिये उत्तर रेलवे को जारी किये गये निदेशों का क्या प्रभाव पड़ा; और

(ख) अब तक आरम्भ किये गये काम का ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :

(क) रोपड़-नांगल खंड पर यात्री और कर्मचारी सुविधाओं के आवश्यक निर्माण कार्यों

में से कुछ पर काम शुरू हो गया है जबकि अन्य मामलों के सम्बन्ध में विचार किया जा रहा है।

(ख) अब तक जिन निर्माण-कार्यों पर काम शुरू किया गया है, वे इस प्रकार हैं :—

निर्माण कार्यों के नाम

1. नांगल डैम के यात्री प्लेटफार्म पर छत की व्यवस्था।
2. नांगल डैम के पहले और दूसरे दर्जे के प्रतीक्षालय में फ्लश टाइप के शौचालयों की व्यवस्था। (काम पूरा हो गया हैं)
3. आनन्दपुर साहिब स्टेशन के यात्री प्लेटफार्म पर छत की व्यवस्था।
4. भानुपाली स्टेशन पर 4" व्यास का ट्यूबवेल लगाने के लिए 6" व्यास की बोरिंग (काम पूरा हो गया है)

रेलवे के चिकित्सा अधिकारी

2972. श्री दी० चं० शर्मा :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे चिकित्सा अधिकारी संस्था की केन्द्रीय कार्यकारी समिति ने यह मांग की है कि रेलवे के चिकित्सा अधिकारियों का दर्जा केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना के चिकित्सा अधिकारियों के दर्जे के समान किया जाये;

(ख) क्या इस असमानता के कारण रेलवे के डाक्टरों में आमतौर पर असन्तोष व्याप्त है; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है।

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. राम सुभग सिंह) :

(क) जी हां।

(क) रेलवे चिकित्सा अधिकारियों से कई अभ्यावेदन मिले हैं।

(ग) रेलवे चिकित्सा अधिकारियों के मामले पर रेलवे बोर्ड विचार कर रहा है।

पाक्कम और मदुरंताकम स्टेशनों के बीच रेल दुर्घटना

2973. श्री राम हरख यादव : श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण रेलवे में 3 नवम्बर, 1966 को पाक्कम और मदुरंताकम स्टेशनों के बीच रामेश्वरम-मद्रास सवारी गाड़ी की दुर्घटना हो गई थी;

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना के क्या कारण थे; और

(ग) दुर्घटना के कारण रेलवे सम्पत्ति को कुल कितनी क्षति पहुंची ?

रेलवे मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शामनाथ) :

(क) जी हां।

(ख) प्रत्यक्षतः दुर्घटना का कारण उस समय का तूफानी मौसम था।

(ग) रेल सम्पत्ति को लगभग 21,225 रुपये की क्षति का अनुमान है।

नकली रेशम का आयात

2974. श्री सुब्बरामन :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1963-64, 1964-65 और 1965-66 में किस किस्म की तथा कितनी नकली रेशम का आयात किया गया ;

(ख) इसका किन-किन देशों से आयात किया गया ; और

(ग) देश में इस का किस प्रकार उपयोग किया जाता है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :

(क) 1963-64, 1964-65 तथा 1965-66 में आयात किये गये नकली रेशम के तथा अन्य संश्लिष्ट धागों का परिमाण तथा किस्म निम्नलिखित थीं:—

परिमाण लाख किग्रा० में

वर्ष	विस्कोज रेयन धागा	एसीटेट रेयन धागा	ताम्र-अमोनियम रेयन धागा	संश्लिष्ट धागा	योग
1963-64	42.74	5.90	14.79	48.82	112.25
1964-65	11.49	9.05	23.22	69.28	113.04
1965-66	1.78	1.63	3.67	37.27	44.35

(ख) बलगेरिया, चेकोस्लोवाकिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी (पूर्व), जर्मनी (पश्चिम), हंगेरी, इजराइल, इटली, जापान, नीदरलैंड, पोलैंड, स्विटजरलैंड तथा ब्रिटेन ।

(ग) आयातित नकली रेशम के तथा अन्य संश्लिष्ट धागों का प्रयोग बुने । हाथ के बुने हुए वस्त्र, होजरी, रस्सियां जहाजी रस्से, वेणियां आदि बनाने में होता है ।

भारतीय रेलों के टाइपिस्टों को दिया गया भत्ता

2975. श्री राजदेव सिंह :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलों के टाइपिस्टों को मशीन भत्ता नहीं दिया जाता, जबकि पंच कार्ड आपरेटरों तथा टेलीफोन आपरेटरों को भत्ता दिया जाता है, हालांकि टाइपिस्टों का काम अधिक कठिन है ;

(ख) क्या यह सच है कि क्लर्कों तथा टेलीफोन आपरेटरों को एक ही वरिष्टता सूची में रखा जाता है जबकि टाइपिस्टों को कार्यालय क्लर्कों की संयुक्त वरिष्ठिता सूची में शामिल नहीं किया जाता ; और

(ग) क्या यह भी सच है कि उत्तर रेलवे के टाइपिस्टों को नीति के तौर पर अपना पांच वर्ष का सेवा काल पूरा करने से पहले क्लैरिकल कैडर में जाने की अनुमति नहीं दी जाती है, हालांकि इस बारे में रेलवे बोर्ड के स्पष्ट निर्देश हैं ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :

(क) जी हां, लेकिन टाइपिस्टों के काम को अधिक कठिन नहीं समझा जाता ।

(ख) जी हां, लेकिन 210-380 रुपये से निचले पदक्रम में नहीं ।

(ग) जी नहीं ।

रेलवे सेवा आयोग, इलाहाबाद

2976. श्री राजदेव सिंह :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच हैं कि रेलवे सेवा आयोग, इलाहाबाद स्टेनोग्राफरों के पद के लिये उम्मीदवारों को परीक्षा-एवं-साक्षात्कार के लिये बुलाते समय विभागीय उम्मीदवारों की अपेक्षा बाहर वालो को तरजीह देता है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :

(क) जी नहीं ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

भारतीय रेलों के टाइपिस्टों का दैनिक काम

2977. श्री राजदेव सिंह :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय रेलों के टाइपिस्टों द्वारा किये जाने वाले दैनिक काम की मात्रा भिन्न-भिन्न रेलों में भिन्न भिन्न है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ख) क्या यह भी सच हैं कि रेलों के टाइपिस्टों द्वारा किये जाने वाला दैनिक काम अन्य केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों के टाइपिस्टों द्वारा किये जाने वाले काम की तुलना में अधिक होता है ; और

(ग) रेलवे बोर्ड के कार्यालय में टाइपिस्टों (जो केबल टाइप ही का काम करते हैं) द्वारा किये जाने वाले दैनिक कार्य की मात्रा क्या है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्यमन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) :

(क) जी हां, क्योंकि काम के मापदंड क्षेत्रीय रेलों द्वारा स्थानीय अनुभव के आधार पर नियत किये जाते हैं ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) 7,100 शब्द प्रति दिन ।

भारतीय रेलों में क्लर्कों की संख्या के मुकाबले टाइपिस्टों की संख्या का अनुपात

2978. श्री राजदेव सिंह :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय रेल के जोनल मुख्यालय कार्यालयों में क्लर्कों की संख्या के मुकाबले टाइपिस्टों की संख्या का कोई अनुपात नहीं रखा जाता है ; और

(ख) उत्तर रेलवे में क्लर्कों की की संख्या की तुलना में टाइपिस्टों की संख्या का वास्तविक अनुपात क्या है ?

रेलवे मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) :

(क) जी हां।

(ख) 1 : 16, टाइपिस्टों की संख्या टाइप के काम की मात्रा के अनुसार होती है, क्लर्कों की संख्या के अनुसार नहीं।

जोनल रेलों में टाइपिस्टों के लिये समयोपरि भत्ता

2979. श्री राजदेव सिंह :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जोनल रेलों में काम करने वाले टाइपिस्टों को जब अधिक समय तक काम करने के लिये रोका जाता है अथवा राजपत्रित छुट्टियों तथा रविवारों को काम पर बुलाया जाता है तो उन्हें अधिक समय तक काम करने का भत्ता नहीं दिया जाता ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में रेलवे बोर्ड के कार्यालय में क्या व्यवस्था है ?

रेलवे मन्त्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :

(क) क्षेत्रीय रेलों के टाइपिस्ट रेल-प्रशासनों के अन्य कार्यालय कर्मचारियों की तरह भारतीय रेल अधिनियम के अध्याय IV-क द्वारा शासित होते हैं जिसके अन्तर्गत वे समयोपरि भत्ते के पात्र तभी बनते हैं जब उनके काम के घंटे, निर्धारित घन्टों अर्थात् एक पखवाड़े में 108 घंटे से अधिक हो जायें।

(ख) रेलवे बोर्ड का कार्यालय भारत सरकार का एक मंत्रालय है और इस मंत्रालय के कर्मचारी पृथक नियमों द्वारा शासित हैं जो सचिवालय के सभी कर्मचारियों पर लागू होते हैं।

दक्षिण रेलवे में सहायक स्टेशन मास्टरों की वरिष्ठता

2980. श्री शिंकरे : **श्री मधु लिमये :**
श्री मनोहरन : **श्री राजा राम :**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे में सैनिक कर्मचारियों की वरिष्ठता कौन निर्धारित करता है और रेलवे के अन्य अराजपत्रित तथा असैनिक कर्मचारियों में उनका समावेश किस प्रकार किया जाता है ;

(ख) सहायक स्टेशन मास्टरों की वरिष्टता निर्धारित करने के सिद्धान्त क्या हैं, जब वे पहले पहले क्लर्क पंक्ति से पदोन्नत किये जाते हैं, और यदि उनमें कोई सैनिक लोग हैं, तो उन के मुकाबले में क्या व्यवस्था होती है, और उन सिद्धान्तों का दक्षिण रेलवे के मदुरे तथा ओलावाकोट डिवीजनों में किस प्रकार अपनाया जाता है ;

(ग) दक्षिण रेलवे के डिवीजनल अधिकारियों द्वारा सहायक स्टेशन मास्टरों तथा कैबिन स्टेशन मास्टर के लिये 31 दिसम्बर, 1958 को 80-170 रुपये तथा 130-240 रुपये के ग्रेडों में प्रकाशित की गई वरिष्ठता सूची रद्द किये जाने के क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या 130-240 रुपये और 205-280 रुपये के ग्रेडों में उन की अब कोई वरिष्ठता सूचि बनाई गई है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह).

(क) युद्ध सेवा के जिन उम्मीदवारों की भर्ती उनके लिए आरक्षित रिक्त स्थानों पर की जाती है, अन्य कर्मचारियों के साथ उनकी वरिस्ठता रेलवे बोर्ड द्वारा जारी किये गये आदेशों के अनुसार निर्धारित की जाती है।

(ख) सहायक स्टेशन मास्टरों के रूप में अर्हता प्राप्त लिपिक वर्गीय कर्मचारियों की सहायक स्टेशन मास्टर के ग्रेड में पारस्परिक वरिष्ठता लिपिक संवर्ग में उनकी वरिष्ठता के आधार पर निर्धारित की जाती है। जो कर्मचारी लिपिक वर्गीय संवर्ग में युद्ध सेवा के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रिक्त स्थानों पर भर्ती किये गये थे, वरिष्ठता के लिए उन्हें युद्ध सेवा का लाभ केवल लिपिक वर्गीय संवर्ग में दिया जाता है।

(ग) 31-12-53 की स्थिति के अनुसार जो वरिष्ठता सूची प्रकाशित की गयी थी, उसमें वाणिज्य क्लर्क के रूप में युद्ध सेवा के उम्मीदवारों की वरिष्ठता निर्धारित करते समय उन्हें मिलने वाले लाभ का ध्यान नहीं रखा गया था।

(घ) जी हां।

"ट्रेक सर्किटिंग सिस्टम"

2981. श्री विश्वनाथ पान्डेय : **श्री किन्दर लाल :**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेल दुर्घटनाओं को कम करने के लिए चालू वर्ष में देश के कुछ चुनीदा रेलवे स्टेशनों के लिए "ट्रेक सर्किटिंग सिस्टम" की व्यवस्था कीं जायेगी ;

(ख) यदि हां, तो उन स्टेशनों की कुल संस्या कितनी है ;

(ग) इस योजना पर कुल कितना खर्च करने का विचार है ?

रेलवे मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शाम नाथ) :

(क) जी हां, रेल दुर्घटनाएं कम करने के लिए चालू वर्ष में सीधी मुख्य लाइन के कई छोटे स्टेशनों पर "ट्रेक सर्किट" की व्यवस्था की जा रही है।

(ख) 100 स्टेशन।

(ग) लगभग 1 करोड़ रुपये।

घाना अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला

रेलवे मंत्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह)

2982. श्री ब्रज बिहारी मेहरोत्रा : **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1 फरवरी, 1967 से 19 फरवरी, 1967 तक होने वाले प्रथम घाना अन्तर्राष्ट्रीय मेले में भाग लेने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मेले में क्या क्या भारतीय वस्तुयें दर्शायी जायेंगी ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :

(क) जी, हां।

(ख) मेले में जिन भारतीय वस्तुओं का प्रदर्शन करने का प्रस्ताव है, वे इस प्रकार है मशीनें तथा इन्जीनियरी सामान-जैसे मशीनी औजार, डीजल इन्जिन, पम्प, बिजली की मोटरें, कृषि सम्बन्धी मशीनें तथा उपकरण, बिजली के सामान तथा उपकरण शल्य चिकित्सा सम्बन्धी उपकरण आदि ; निर्मित उपभोक्ता सामान जैसे चमड़ा, खेल तथा प्लास्टिक का सामान कोयर तथा जूट से निर्मित वस्तुएं आदि; रासायनिक तथा समवर्गीय उत्पाद; वस्त्र--दोनों प्रकार के, मिल तथा हथकरघे से बने ; सिले सिलाये कपड़े, खाद्य उत्पाद, तम्बाकू,तथा तम्बाकू से बनी वस्तुएं और दस्तकारी की वस्तुएं ।इन के अतिरिक्त, ऐसा भी प्रस्ताव है कि मेले के लगे रहने के दौरान भारत के बारे में वाणिज्यिक आर्थिक एवं अन्य जानकारी का प्रसार भी किया जाये।

बन्देल (पूर्वी रेलवे) में रेलवे पुलिस तथा चावल के तस्कर व्यापारियों का झगड़ा

2983. श्री किन्दर लाल : श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता से लगभग 25 मील दूर बन्देल रेलवे स्टेशन पर एक स्थानीय रेलगाड़ी में रेलवे पुलिस के एक दल तथा चावल के तस्कर व्यापारियों के बीच 4 नवम्बर, 1966 को हुए झगड़े में 14 व्यक्ति जिनमें सात पुलिसमैन थे, घायल हो गये थे ; और

(ख) यदि हां, तो उस घटना का ब्यौरा क्या है और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :

(क) और (ख) : सही स्थिति यह है कि 4-11-1966 को लगभग 22.00 बजे जब एम०152 डाउन गाड़ी बन्डेल स्टेशन पहुंची, तो तलाशी के समय जांच-दस्ते और चावल-तस्करों में मारपीट हो गयी थी। तस्करों ने चार होम गार्ड, राज्य सरकारी रेलवे पुलिस बन्डेल के एक हवलदार और एक सिपाही को पीटा। राज्य सरकारी रेलवे पुलिस के सिपाही को, जिसे अस्पताल में भरती किया गया था, 15-11-66 को अस्पताल से जाने की अनुमति दे दी गयी। चारों होम गार्डों और राज्य सरकारी रेलवे पुलिस के हवलदार को मरहम-पट्टी के बाद उसी दिन अस्पताल से जाने दिया गया।

राज्य सरकारी रेलवे पुलिस, बन्डेल ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 147/235/323/379 के अन्तर्गत एक मामला दर्ज कर लिया है और इसकी जांच की जा रही है।

अभी तक पांच व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और 8.50 किलोग्राम चावल, 12.35 किलोग्राम गेहूं और दस किलोग्राम मुड़ी (भुना हुआ चावल) लावारिस पाया गया।

मौजा बान्द्रा दमदम(कलकत्ता) में सार्वजनिक सड़क में रुकावट

2984. श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व रेलवे में एक उप-बिजलीघर 'बिरती' एस० पी० बनाये जाने के कारण पी० एस० डमडम में मौजा बान्द्रा में सार्वजनिक सड़क रुक जाने के विरोध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ;

(ख) क्या बेलघोरिया और डमडम हवाई अड्डे को मिलाने वाली इस सड़क का प्रयोग आने जाने वाले सैकड़ों याली तथा अन्य लोग प्रतिदिन करते हैं क्योंकि यह मार्ग सुविधाजनक और छोटा है ; और

(ग) अभ्यावेदनों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शाम नाथ) :

(क) जी हां, दमदम-बानगांव खंड पर 'बिरती' एस० पी० को हटाने के लिए 9-7-64 को एक अभ्यावेदन मिला था।

(ख) 'बिरती' एस० पी० द्वारा किसी आम सड़क पर रुकावट नहीं पैदा हुई है और इसलिए यह सवाल नहीं उठता।

(ग) चूंकि अभ्यावेदन में समपार की भी चर्चा की गई थी इसलिए शिकायत करने वाले को सूचित कर दिया गया है कि नये समपार फाटक की व्यवस्था की जिम्मेदारी रेल-प्रशासन पर नहीं है। यह मांग स्थानीय सरकार की ओर से आनी चाहिए और समपार की व्यवस्था और अनुरक्षण का खर्च स्थानीय सरकार द्वारा उठाया जाना चाहिये।

Grants to Khadi and Village Industries Commission

2985. Shri Shinkre **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**

Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the amount granted by Government to the Khadi and Village Industries Commission, Bombay from 1961 to date for the development of Khadi industry; and

(b) the amount distributed by the Commission, amongst the various institutions during the above period ?

The Minister of Commerce (Shri Manubhai Shah) :

(a) Rs. 73.13 crores, including Rs. 8.78 crores as subsidy to off-set the short-fall in interest payable by the Commission after taking into account the interest realised by the Commission and credited to Government.

(b) Rs. 106. 12 crores.

[This figure, viz. Rs. 106.12 crores as disbursement is greater than (a) above, for the reason that in addition to payments by Government, the Commission receives repayments of instalments of past loans and refunds of unspent grants from loanees and grantees and utilises them for the increasing development of Khadi and Village Industries programmes.]

2986. श्री स० मो० बनर्जी :

क्या संभरण, तकनीकी विकास तथा सामग्री आयोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस आशय का कोई अभ्यावेदन मिला है कि संभरण विभाग की

कार्यप्रणाली तथा कार्य में दोष होने के कारण प्रतिवर्ष राजकोष को कई करोड़ रुपये की हानि उठानी पड़ती है ;

(ख) यदि हां, तो उस अभ्यावेदन का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार ने स्थिति को सुधारने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

सम्भरण तकनीकी विकास तथा सामग्री आयोजन मंत्री (श्री कोत्रा रघु रामय्या) :

(क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) : प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

पूर्वोत्तर सीमा रेलवे में विशेष सैनिक रेलगाड़ी का पटरी से उतर जाना

2987. श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या रेलवे मंत्री 14 नवम्बर, 1966 को सभा में दिये गये अपने वक्तव्य के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर सीमा रेलवे पिलान्सहाट रेलवे स्टेशन के निकट 11 नवम्बर, 1966 को विशेष सैनिक रेलगाड़ी के पटरी से उतर जाने के कारणों के बारे में जांच पूरी कर ली गई है ; और

(ख) यदि हां, तो जांच के क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) :

(क) और (ख) : रेलवे संरक्षा के अपर आयुक्त ने इस दुर्घटना की जांच की थी। उनकी अन्तिम रिपोर्ट अभी नहीं मिली है। लेकिन उनके अन्तिम निष्कर्ष के अनुसार यह दुर्घटना तोड़-फोड़ की कार्यवाही के कारण हुई।

रेल दुर्घटना का टल जाना

2988. श्री वृज वासी लाल :
श्री ब्रज बिहारी मेहरोत्रा :
श्री बाल गोबिन्द वर्मा :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री राम स्वरूप :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 13 नवम्बर, 1966 को 163 अप बुढवल-सीतापुर यात्री गाड़ी की दुर्घटना होते होते बची जब परसेंडी रेलवे स्टेशन के निकट रेलगाड़ी ड्राइवर ने पटरी पर कुछ पत्थर देखकर ब्रेक लगा कर रेलगाड़ी को रोक लिया ; और

(ख) यदि हां, तो इस दुर्घटना का ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) :

(क) जी हां।

(ख) 13-11-66 को लगभग 15.07 बजे जब नं० 163 अप सवारी गाड़ी पूर्वोत्तर रेलवे के बुढ़वल-सीतापुर खण्ड पर परसेंडी और सीतापुर जंक्शन स्टेशनों के बीच जा रही थी तब

ड्राइवर ने किलोमीटर 90/11 पर गाड़ी खड़ी कर दी क्योंकि उसने पटरी पर 4 पत्थर पड़े देखे। पत्थरों को तुरन्त हटा दिया गया और इसके कारण गाड़ी केवल 9 मिनट तक रुकी रही। इसमें जान या माल की कोई हानि नहीं हुई। सीतापुर की राज्य सरकारी पुलिस इस मामले की जांच कर रही है।

इस्पात जांच समिति

2989. श्री हरि विष्णु कामत :

क्या **लोहा तथा इस्पात** मंत्री 4 नवम्बर, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 405 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपेक्षित आंकड़े एकत्रित कर लिये गये हैं और सरकार समिति के समक्ष रख दिये गये हैं ?

(ख) क्या इस समिति के कार्यालय, तथा इसके अध्यक्ष और सदस्यों के लिए निवास के लिये पर्याप्त स्थान की व्यवस्था कर दी गई है, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

(ग) क्या इस समिति की अब तक कोई बैठक हुई है; और यदि हां, तो कब; और

(घ) समिति कार्य इस समय किस स्थिति में पहुंचा है ;

लोहा और इस्पात मन्त्री (श्री त्रि० ना० सिंह) :

(क) कुछ डेटा इकट्ठा किया गया है और समिति को दे दिया गया है। जैसे-जैसे समिति का काम प्रगति करेगा और समिति और भी सूचना चाहेगी वह उसे दे दी जायेगी।

(ख) जी, हां।

(ग) समिति की कुछ बैठकें हो चुकी हैं। अब समिति लगातार काम करेगी।

(घ) मन्त्रालय के लिए न तो यह उचित ही होगा और न यह सम्भव होगा कि एक ऐसी स्वतन्त्र समिति के काम की प्रगति के बारे में, जिसके अध्यक्ष भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश हों, समय-समय पर रिपोर्ट दें। मन्त्रालय समिति के निकट सम्पर्क में रहेगा और इसे अपना कार्य जल्दी से जल्दी पूरा करने में हर सम्भव सहायता देगा।

Clash between Railway Employees and police at Dankuni Station

2990. Shri Shinkre :
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Y. D. Singh :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that 20 persons including 11 Railway employees were injured in a clash with the Police while they were pilferring rice at Dankuni Station of the Eastern Railway, as reported in the "Hindustan" dated the 9th November, 1966; and

(b) if so, the action taken in this connection ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) :

(a) and (b) No. The correct position is that on 7—11—66. at about 16—30 hours a mob violence occurred at Dankuni station between four to five hundred smugglers and police cordoning party over the seizure of 12 bags of rice by a Deputy Superintendent Police from train No. C. 176 Down. Assistant Sub-Inspector, Railway Protection Force Dankuni with his staff and local public convinced the Deputy Superintendent Police

that it was actually a booked consignment and the same was released and the mob dispersed. Nine smugglers, one State Govt. Railway Police Constable and the Dy. Superintendent Police received minor injuries due to stone throwing by mob. No railway property was damaged. The police have arrested 5 persons in this connection. State Govt. Railway Police Howrah have registered a case under sections 147/148/332 I.P.C. which is under investigation.

Renovation of Delhi Railway Stations

2991. Shri Y. D. Singh : **Shri Shinkre :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government propose to renovate two main Stations of Delhi;

(b) if so, the estimated amount of expenditure to be incurred on this work; and

(c) when this work is likely to be completed ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) :

(a) There is no such proposal at present.

(b) and (c) Do not arise.

मकई का आयात

2992. श्री मुत्तु गौंडर :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में अमरीका से भोजन के लिए तथा वाणिज्यिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मांड बनाने के लिये कितनी मकई का आयात किया गया ; और

(ख) इसका किन दामों पर आयात किया गया तथा मकई और इससे बनाया गया मांड किन दामों पर बेचा गया ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री मनुभाई शाह) :

(क) तथा (ख) : गत तीन वर्षों में भोजन के लिये मकई का कोई आयात नहीं किया गया। मांड बनाने के लिये निम्न परिमाण में आयात किया गया था।

वर्ष	आयातित परिमाण	कांडला पर लागत बीमा भाड़े सहित मूल्य
1963–64	53,687 टन	1,63,18,938 रुपये
1964–65	1,10,935 टन	3,55,20,263 रुपये
1965–66	1,31,208 टन	4,53,95,133 रुपये

1963-64 में 50 किग्रा० स्टार्च का प्रति बोरा 40-41 रु० की दर पर बेचा गया था। 1964-65 में सितम्बर, 1964 तक मूल्य स्थिर रहे परन्तु बाद में मूल्य एकदम बढ़कर लगभग 100 रुपये प्रति बोरा हो गया। इस प्रवृत्ति पर शीघ्र ही काबू पा लिया गया और 1965-66 में मांड के निर्माता स्वेच्छा से स्टार्च को 57 से 60 रु० प्रति बोरे की दर पर बेचने के लिये सहमत हो गये।

Two-tier Sleeping coaches

2993. Shri Y. D. Singh : **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**
Shri Kashi Ram Gupta :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that no arrangements exist for the safety of luggage of passengers in the two-tier sleeping coaches;

(b) if so, whether Government propose to make arrangements for the safety of luggage of passengers in the said coaches similar to those provided at Cloak Rooms; and

(c) if not, the reasons thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh):

(a) to (c) Separate luggage compartments have been provided in the B. G. two-tier and B. G. sitting-cum-three tier sleeper coaches to enable passengers to deposit their luggage. Special T. T. Es. who are posted to man the Sleeper Coaches are required to issue tokens to passengers for receipt of the luggage in the luggage compartments.

In the Metre Gauge two-tier sleeper coaches, however, due to limited space available, no separate luggage compartment could be provided.

ऐस्बैस्टस सीमेंन्ट उद्योग

2994. श्री नम्बियार :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ऐस्बैस्टस सीमेंट उद्योग कच्चा माल न मिलने तथा ऐस्बैस्टस माल की बिक्री न होने के कारण संकट में है ?

(ख) क्या अपेक्षित कच्चे माल के आयात की अनुमति दी जाती है ?

(ग) क्या यह सच है कि कोयम्बटूर स्थित ऐस्बैस्टस सीमेंट लिमिटेड की फैक्टरियों के श्रमिकों को, कम उत्पादन होने के कारण जबरी छुट्टी लेने के लिये कहा गया है ; और

(घ) इस मामले में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवय्या) :

(क) 1965-66 में कम विदेशी मुद्रा आवंटित किये जाने के कारण इस उद्योग के लिये कच्चे माल की कमी रही है जिसके परिणाम स्वरूप 1966 में उत्पादन कम रहा। 1966 में ऐस्बैस्टस सीमेंट की छत की चादरों की मांग में अस्थायी रूप से कमी रही है । जनवरी से अक्तूबर, 1965 के दौरान 3,54,345 टन के उत्पादन की अपेक्षा जनवरी से अक्तूबर, 1966 के बीच 2,52,037 टन का उत्पादन हुआ ।

(ख) जी हां ।

(ग) जी हां, चार सप्ताह के लिये ।

(घ) विदेशी मुद्रा फिर से आवंटित किये जाने से कच्चे माल की स्थिति में इस बीच काफी सुधार हुआ है ।

रेलवे माल यातायात का कम हो जाना

2995. श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे द्वारा ढोये जाने वाले माल की मात्रा प्रति वर्ष कम होती जा रही है ।

(ख) यदि हां, तो रेलवे द्वारा वर्ष 1964-65 1965-66 तथा इस वर्ष के पूर्वार्द्ध में कितना माल लादा गया ; और

(ग) यह कमी होने के क्या कारण हैं तथा रेलवे के पास माल ढोने की कितनी क्षमता फालतू है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :

(क) जी नहीं । वास्तव में माल यातायात साल ब साल बढ़ता जा रहा है ।

(ख) 1965-66 में प्रारम्भिक माल यातायात 1938 लाख मीटरिक टन था जो 1965-66 में बढ़कर 2031 लाख मीटरिक टन हो गया । 1966-67 की पहली छमाही में प्रारम्भिक माल यातायात 971·3 लाख मीटरिक टन का रहा जो कि 1965-66 की पहली छमाही से 21·9 लाख मीटरिक टन अधिक है ।

(ग) सवाल नहीं उठता ।

बीकानेर डिवीजन में भूतपूर्व बीकानेर स्टेट रेलवे के कर्मचारी

2996. श्री प० ला० बारूपाल :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1953-54 में बीकानेर डिवीजन में भूतपूर्व बीकानेर स्टेट रेलवे के कर्मचारियों का कार्य का वास्तविक कार्य-विश्लेषण होने तक तदर्थ वर्गीकरण किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो काम के समय विनियम की कंडिका 71 (क) के अनुसार कार्य के मूल्यांकन के आधार पर इसे अन्तिम रूप दिया गया है ;

(ग) क्या यह सच है कि जनरल मैनेजर ने कार्य के समय विनियम निर्देशिका की कंडिका 22 का उल्लंघन करके कार्य का वास्तविक मूल्यांकन किये बिना ही तदर्थ वर्गीकरण को अब अन्तिम घोषित कर दिया है ; और

(घ) यदि हां, तो किस प्राधिकार से ऐसा किया गया है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :

(क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) और (घ) जी नहीं । कर्मचारियों का वर्गीकरण विहित प्राधिकारी द्वारा सांविधिक व्यवस्थाओं के अनुसार निर्धारित किया गया है ।

कार्य का समय विनियम

2997. श्री प० ला० बारूपाल :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वर्गीय न्यायाधीश राजाध्यक्ष की सिफारिशों के अनुसार बीकानेर डिवीजन में कार्य का समय विनियम के उपबन्धों के अनुकूल समुचित व्यवस्था करने के लिये पर्याप्त कर्मचारियों की नियुक्त की गई है ;

(ख) यदि हां, तो इन कर्मचारियों की नियुक्ति के लिये क्या मापदण्ड निर्धारित किया गया है ; और

(ग) यदि कोई मापदण्ड निर्धारित नहीं किया गया, तो विलम्ब के क्या कारण हैं और कब तक इसे अन्तिम रूप दिये जाने की सम्भावना है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) :

(क) जी हां ।

(ख) कर्मचारी काम की मात्रा के अनुसार तैनात किये जाते हैं ।

(ग) सवाल नहीं उठता ।

मंगलौर में कच्चे लोहे का कारखाना

2999. श्रीमती सावित्री निगम : **श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :**

क्या **लोहा और इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर राज्य में कुडरेमुख के स्थान पर पाये गये लौह-अयस्क का उपयोग करने के लिये मंगलौर में कच्चे लोहे का एक कारखाना स्थापित करने का प्रस्ताव है ;

(ख) क्या इस बारे में राज्य सरकार ने कोई सिफारिश की है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

लोहा और इस्पात मन्त्री (श्री वि० ना० सिंह) :

(क) और (ख) : जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

तीसरी श्रेणी के शयन डिब्बों में स्थान के आरक्षण में भ्रष्टाचार

3001. श्री दीनेन भट्टाचार्य : **श्री इम्बीचीबाबा :**
श्री म० ना० स्वामी : **श्री लक्ष्मी दास :**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय चिकित्सक प्रतिनिधि संस्थाओं के संघ के महा-सचिव ने उत्तर रेलवे में तीसरी श्रेणी के शयन डिब्बों में स्थान के आरक्षण के बारे में भ्रष्टाचार के एक मामले की ओर सरकार का ध्यान दिलाया था; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने ऐसे मामलों में भ्रष्टाचार को रोकने के लिये कोई कार्यवाही की है और यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) :

(क) जी हां । अभी हाल में एक शिकायत मिली है ।

(ख) टिकट देने और आरक्षण के सम्बन्ध में अनियमितताओं को रोकने के लिए आवश्यक व्यवस्था पहले से मौजूद है । फिर भी जो शिकायत मिली है उसकी जांच की जा रही है । जब जांच पूरी हो जायेगी तो आवश्यकतानुसार अनुवर्ती कार्रवाई की जायेगी ।

मध्य रेलवे में बाकंज और जुनहेटा स्टेशन

3002. श्री हरि विष्णु कामत :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य रेलवे के बाकंज और जुनहेटा स्टेशनों पर यात्री यातायात शुरू नहीं हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इन दोनों स्टेशनों पर यात्री यातायात के लिये बुकिंग कब चालू हो जायेगी ?

रेलवे मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शाम नाथ) :

(क) जी हां ।

(ख) और (ग) : बाकंज और जुनहेटा पार स्टेशन परिचालन की सुविधा के लिए खोले गये है । इन पार स्टेशनों को यात्री यातायात के लिए खोलने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है ।

जबलपुर-इटारसी सैक्शन पर अतिरिक्त रेलगाड़ी का चलाया जाना

3003. श्री हरि विष्णु कामत :

क्या रेलवे **मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उस क्षेत्र के रेलवे उपभोक्ताओं द्वारा बार-बार पेश किये गये अभ्यावेदनों को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार मध्य रेलवे के इटारसी जबलपुर सैक्शन पर एक अतिरिक्त यात्री गाड़ी चलाने का है ?

(ख) यदि हां, तो किस तारीख से; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) :

(क) से (ग) : इटारसी-जबलपुर खण्ड पर अतिरिक्त लाइन क्षमता और जबलपुर और इटारसी में आवश्यक पर्यन्त सुविधाओं के अभाव में अभी इस खण्ड पर एक अतिरिक्त गाड़ी चलाना परिचालन की दृष्टि से व्यावहारिक नहीं है । अभी इस खण्ड पर दोहरी लाइन बिछाने का काम जारी है । दोहरी लाइन बिछाने का काम पूरा होने और जबलपुर और इटारसी स्टेशनों पर आवश्यक पर्यन्त सुविधाओं को व्यवस्था, जो कि योजना में शामिल है, हो जाने के बाद इस खण्ड पर अतिरिक्त गाड़ी चलाने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा ।

Collision between two goods trains at Brajarajnagar Station

3004. Shri Shinkre : Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Y. D. Singh :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Railway traffic was suspended due to a collision between two goods trains at Brajarajnagar railway station in Howrah-Bombay Section as reported in the 'Navbharat Times' dated the 11th November, 1966;

(b) if so, the causes of the accident; and

(c) the action taken in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Sham Nath):

(a) The accident occurred on 11. 11. 1966 at about 22.25 hrs.

(b) The cause of the accident is under investigation.

(c) Suitable action will be taken after the completion of enquiry.

डीजल-रेल इंजन निर्माण कारखाना, वाराणसी में कर्मचारी

3005. **श्री सरजू पान्डेय :**

क्या **रेलवे मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डीज़ल रेल-इंजन निर्माण कारखाना, वाराणसी में पूर्वाधिकार प्राप्त उन निर्माण परीक्षकों, सहायक निर्माण परीक्षकों तथा वर्क्स मिस्त्रियों को, जो निर्माण कार्य की अवधि में तबादले/ प्रतिनियुक्ति पर आये थे और जिन्हें तीन अग्रिम वेतन वृद्धियों का भी लाभ दिया गया था, स्थायी पदों पर नियुक्त किया जा रहा है, जबकि "सीधे भर्ती हुये" व्यक्तियों को अर्थात् जिन्हें रेलवे सेवा आयोग अथवा विधिवत् गठित चयन बोर्ड के द्वारा, विशेष रूप से उस परियोजना के लिये भर्ती किया गया था, या तो पदावनत किया जा रहा है अथवा उन्हें किसी अन्य जगह भेजा जा रहा है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

(ख) "सीधे भर्ती हुये', व्यक्तियों को जिन्होंने पूर्वाधिकार प्राप्त कर्मचारियों के समान ही सेवा की है तीन अग्रिम वेतन वृद्धियां न दिये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) "सीधे भर्ती हुए" व्यक्तियों की नियुक्ति /स्थायीकरण ऊंचे पदों पर न किये जाने के क्या कारण है ?

रेलवे मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) :

(क) जी नहीं ।

(ख) अग्रिम वेतन वृद्धियां उन अनुभव-प्राप्त सेवारत कर्मचारियों को प्रोत्साहन के रूप में दी जाती हैं । जो राष्ट्रीय महत्व के उत्पादन यूनिटों में पदों की सम्हालने के लिए चुने जाते हैं और रेलों से स्थानान्तरित किये जाते हैं ।

(ग) इस कारखाने ने अपनी प्रारम्भिक अवस्था अभी पार की है । इसलिए यहां स्थायी संवर्गों की स्थापना अभी हाल में की गई है और अब कर्मचारियों को अपने संवर्गों में समाहित/ स्थायी करने का काम हाथ में लिया गया है ।

हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड, हरिद्वार

3006. **श्री प्रिय गुप्त :**

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड हरिद्वार के प्रबन्धकों ने 74 तथा 63 इंजीनियरों के दो दल भिन्न-भिन्न अवधियों के लिये प्रशिक्षण के लिये रूप भेजे थे !

(ख) क्या पहले दल के बारे में विशेषज्ञता के विषयों के नियतन की सूचना रूस को 8

महीने बाद दी गई थी जिससे उनके प्रशिक्षण में विलम्ब हुआ और दूसरे दल के बारे में विशेषज्ञता के विषय 8 मास पश्चात् बदल दिये गये जिससे समय की बरबादी हुई ; और

(ग) क्या प्रशिक्षण प्राप्त इंजीनियरों की बजाय सीधे भरती किये गये स्नातकों को जिन्हें कोई प्रशिक्षण नहीं था, इस प्रशिक्षण के लिये चुना गया था और यदि हां, तो इसके क्या कारण थे ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवय्या) :

(क) जी, नहीं । प्रशिक्षण की अवधि दोनों दलों के लिये एक ही है, अर्थात् 18 महीने ।

(ख) 74 इंजीनियरों का पहला दल मई, 1963 में रूस भेजा गया था और रूस में उनके पहुंचने के बाद, अर्थात्, जुलाई, 1963 में उनकी विशेषज्ञता का आवंटन किया गया था दो मामलों में विशेषज्ञता में परिवर्तन नवम्बर, 1963 में किया गया था ।

63 इंजीनियरों का दूसरा दल रूस को दो टोलियों में भेजा गया था ; 26 जुलाई, 1964 में और 37 नवम्बर, 1964 में ।

5 इंजीनियरों की विशेषज्ञता में फरवरी, 1965 में परिवर्तन किया था; दो अन्य इंजीनियरों के मामले में मार्च, 1965 में विशेषज्ञता में परिवर्तन किया गया था ।

(ग) इंजीनियरों को प्रशिक्षण के लिये उनके समान और परियोजना के लिये उनकी उपयोगिता के आधार पर चुना जाता है न कि केवल उनके पिछले प्रशिक्षण के आधार पर ।

रेलवे के नैमित्तिक श्रमिक

3007. श्री प्रिय गुप्त :

क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 6 महीनों की निर्धारित अवधि पूरी हो जाने पर नैमित्तिक श्रमिकों को केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा निर्धारित वेतन क्रम दिये जाने पर मर्यादा अवधि अधिनियम "लिमिटेशन ऐक्ट" के बहाने उन्हें वेतन की बकाया राशि नहीं दी जाती ;

(ख) यदि हां, तो कितने नैमित्तिक श्रमिकों को (रेलवे-वार) उनके वेतन की बकाया राशि नही दी गई ;

(ग) क्या सरकार का विचार नैमित्तिक श्रमिकों को हुई वित्तीय हानि की पूर्ति करने का है ; और

(घ) भविष्य में नैमित्तिक श्रमिकों को केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा निर्धारित वेतन क्रमों में लाने में प्रशासनिक विलम्ब को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) :

(क) जी हां ।

(ख) से (घ) सवाल नहीं उठता ।

फगवाड़ा रेलवे स्टेशन का जलाया जाना

3008. **श्री बृजबासी लाल :** **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
श्री ब्रज बिहारी मेहरोत्रा **श्री राम स्वरूप :**
श्री बाल गोविन्द वर्मा :

क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 17 नवम्बर, 1966 को छात्रों की एक क्रुद्ध भीड़ ने फगवाड़ा रेलवे स्टेशन (पंजाब) को लूटा और उसमें आग लगा दी ; और

(ख) यदि हां, तो उससे रेलवे सम्पत्ति का कुल कितना नुकसान हुआ ?

रेलवे मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) :

(क) जी हां ।

(ख) 8, 651 रुपये ।

तिरूवन्नूर स्पिनिंग एण्ड वीविंग कम्पनी के प्रबन्धक

3009. **श्री० अ० क० गोपालन :** **श्री प० कुन्हन :**
श्री लक्ष्मी दास : **श्री दीनेन भट्टाचार्य :**

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य में स्थिति तिरुवन्नूर स्पिनिंग एण्ड वीविंग कम्पनी को उसके प्रबन्धकों को सौंपने से पहले सरकार ने इस कम्पनी के प्रबन्धकों के साथ कोई करार किया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रबन्धकों ने उस करार का पालन किया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार ने प्रबन्धकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :

(क) से (ग) : सम्भवतः माननीय सदस्यों का आशय कालीकट में स्थित मालाबार स्पिनिंग एण्ड वीविंग कं० लि०, कलई से है जो कि 1958 में भारी वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रही थी और जिसको केरल राज्य ने, मिल कं० की सम्पत्ति को रेहन रख कर, ऋण दिया था । 1959 से 1963 तक मिल राज्य सरकार के प्रबन्ध में थी जबकि इस प्रबन्ध को संचालक-मण्डल ने अपने हाथ में ले लिया था । क्योंकि यह मामला राज्य सरकार का है इसलिए केन्द्रीय सरकार को मिल के प्रबन्धकों के साथ उस सरकार द्वारा किये गये करार की शर्तों को ठीक-ठीक जानकारी नहीं है ।

सेन नगर रेलवे कालोनी, बम्बई में कर्मचारियों के क्वार्टर

3010. **डा० रानेनसेन :**

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे बोर्ड ने दिनांक 22 जुलाई, 1955 के अपने आदेश संख्या एफ० (एक्स०) 2-52/टी० एक्स०—33/13 के द्वारा यह निर्णय किया है कि भूतपूर्व बी० बी० एण्ड सी० आई० रेलवे के कर्मचारियों से जिनके पास रेलवे क्वार्टर हैं, रेलवे प्रशासन द्वारा उपलब्ध की गई सामान्य सफाई सेवाओं के शुल्क की वसूली तुरन्त बन्द कर दी जानी चाहिये ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि "सेन नगर" रेलवे कालोनी, सांताक्रुज, बम्बई (पूर्व) में रेलवे क्वार्टरों में रहने वाले रेलवे कर्मचारियों से 1955 से 1962 तक ये शुल्क वसूल किये गये थे ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शाम नाथ) :

(क) से (ग) : एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

1955 से पहले, क्वार्टरों के भीतर सफाई के लिए अराजपत्रित कर्मचारियों से प्रभारों की वसूली के सम्बन्ध में विभिन्न रेलों पर समान परिपाटी लागू नहीं थी । 1955 में जब रेल मंत्रालय का 22 जुलाई, 1955 का पत्र सं० एफ (एक्स) 11-52/ टी० एस-33/13 जारी हुआ तो इस परिपाटी का मानकीकरण हो गया । इस पत्र के अधीन, सामान्य नियम के रूप में, यह विनिश्चय किया गया कि भीतरी सफाई अथवा क्वार्टर के भीतर की गई सेवाओं के लिये भुगतान किरायेदार करेगा । इस प्रकार की भीतरी सेवाओं के लिए वसूली की दर नियत करने का काम रेल प्रशासनों पर छोड़ दिया गया ।

पश्चिम रेलवे पर, रेलवे सफाई कर्मचारियों द्वारा, शौचालयों की सफाई को, भले ही वे सामूहिक शौचालय हों या अन्यथा, भीतरी सफाई-सेवा माना गया और इसलिये सेन नगर कालोनी के सम्बन्ध में, ऊपर पैरा 1 में निर्देशित बोर्ड के आदेशों के अधीन सफाई प्रभारों में संशोधन करना आवश्यक नहीं समझा गया । बाद में, मान्यता प्राप्त यूनियनों से अभ्यावेदन मिलने पर पुनः विचार किया गया और यह विनिश्चय किया गया कि 1-7-62 से सामूहिक शौचालयों की सफाई को सामान्य सफाई सेवा माना जाये और उनके मामले में कोई सफाई प्रभार न लिया जाये ।

तिरुनेलवेली जंक्शन पर तीसरी श्रेणी के यात्रियों के लिए स्नानागार

3011. श्री मुथिया :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय 1966 की समाप्ति से पहले तिरुनेलवेली जंक्शन रेलवे स्टेशन पर तीसरी श्रेणी के यात्रियों के लिये एक स्नानागार बनाने के लिये कोई कार्यवाही कर रहा है, जिसका आश्वासन राज्य मंत्री ने अगस्त, 1965 में तिरुनेलवेली के अपने दौरे के दौरान दिया था, क्योंकि ऐसा करना परमावश्यक है, क्योंकि कन्याकुमारी जाने के लिये अनेक यात्री वहां से हो कर जाते हैं ; और

(ख) क्या वह स्नानागार के निर्माण के लिये तत्काल आदेश देंगे ?

रेलवे मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) :

(क) जी हां । तीसरे दर्जे के प्रतीक्षालय में सुधार और तीसरे दर्जे के यात्रियों के लिये स्नानघर की व्यवस्था करने के उद्देश्य से अनुदान की मंजूरी दी जा चुकी है और काम आरम्भ किया जा रहा है ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

रेलवे इंजनों और माल डिब्बों का निर्माण

3012. **श्री मुथिया :**

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में 31 अक्तूबर, 1966 तक भाप, बिजली तथा डीजल से चलने वाले कितने इंजन बनाये गये ;

(ख) भारत में 31 अक्तूबर, 1966 तक कितने माल-डिब्बे बनाये गये ; और

(ग) वर्ष 1966 में अब तक कितने माल-डिब्बों की मांग रही और कितने माल डिब्बे दिये गये ?

रेलवे मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) :

(क) प्रारम्भ से अब तक रेल इंजनों का उत्पादन इस प्रकार रहा है :—

(i) **भाप रेल इंजन**

बड़ी लाइन=2049 (चित्तरंजन रेल इंजन कारखाने द्वारा)

मीटर लाइन=983 (टाटा इंजीनियरिंग एण्ड लोकोमोटिव कं० द्वारा)

(ii) **बिजली रेल इंजन**

बड़ी लाइन

डी० सी०=21 (चित्तरंजन रेल इंजन कारखाने द्वारा)

ए० सी०=89 (-यथोपरि-)

(iii) **डीजल रेल इंजन**

बड़ी लाइन

मुख्य लाइन=85 (डीजल रेल इंजन कारखाने द्वारा)

शण्टर=1 (यथोपरि-)

(ख) पहली योजना के प्रारम्भ अर्थात् 1-4-1951 से 31-10-1966 तक 2,03,046 माल डिब्बे ।

(ग) 1966 में 16,370 माल-डिब्बों के उत्पादन की योजना थी । इनमें से अक्तूबर, 1966 के अन्त तक 13,328 माल-डिब्बे सप्लाई किये जा चुके थे और आशा है 1966 के बाकी दो महीनों में 2,580 माल-डिब्बे और सप्लाई कर दिये जायेंगे ।

खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा अलोह धातुओं की खरीद

3013. **श्री सरजू पाण्डेय :**

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बड़े पैमाने पर काम करने वाली एक फर्म खनिज तथा धातु व्यापार निगम लिमिटेड के लिये विदेशी बाजार से सामान खरीदने के हेतु उसके एजेंट के रूप में काम करती हैं ; और

(ख) यदि हां, तो खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा विदेशी बाजार से की गई अलोह धातुओं की खरीद का ब्योरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह)

(क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा अलोह धातुओं की खरीद

3014. श्री सरजू पाण्डेय :

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष में भारतीय खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने किन दामों पर अलोह धातु खरीदे ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि अनुसूचित उद्योग सस्ते दामों पर अलोह धातु खरीद सकते हैं ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री मनुभाई शाह) :

(क) दो विवरण (अंग्रेजी में) संलग्न हैं जिनमें सम्बद्ध जानकारी दी गई है ।

[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 7503/66]

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में अलौह धातुओं के मूल्य प्रतिदिन उतरते चढ़ते रहते हैं ; किसी-किसी दिन तो यह उतार-चढ़ाव बहुत ही अधिक होता है । ऐसी परिस्थितियों में यह सर्वदा सम्भव है कि कुछ आयात उस समय सस्ते भाव पर किये जा सकते है जब मूल्यों का रुख गिरावट की ओर हो ।

अलोह धातुओं का नियतन

3015. श्री सरजू पाण्डेय :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अलौह धातुओं का प्रयोग करने वाले बड़े पैमाने के उद्योगों की आवश्यकतायें खनिज तथा धातु व्यापार निगम के माध्यम से पूरी की जाती हैं, जबकि पहले राज्य व्यापार निगम माध्यम से पूरी की जाती ; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :

(क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Refreshment-Rooms and Restaurants on Northern Railway

3016. Shri P. L. Barupal :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of vegetarian refreshment rooms and restaurants at all the railway stations on the Northern Railway;

(b) the total number of licensed vendors on these stations; and

(c) the number of these belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes out of the said licensed vendors ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) :

(a) to (c) Information is being collected and will be laid on the table of the Sabha.

इलेक्ट्रिकल मैनुफैक्चरिंग कम्पनी

3017. **श्री बदरुद्दुजा :** **श्री मधु लिमये :**
श्री राजेश्वर पटेल :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उद्योग मंत्रालय ने हाल में इलैक्ट्रिकल मैनुफैक्चरिंग कम्पनी का नाम काली सूची में दर्ज किया था ?

(ख) क्या इसकी सूचना आयात तथा निर्यात के संयुक्त मुख्य नियंत्रक को भेजी गई थी ;

(ग) क्या इस सूचना के बावजूद भी काली सूची में दर्ज इस कम्पनी को लाइसेंस दिये गये हैं ;

(घ) क्या बिजली बोर्डों, राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय सरकार के अन्य विभागों को सूची भेजी गई थी ;

(ङ) क्या सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ;

(च) क्या सरकारी अधिकारियों/कम्पनी से कोई चीज बरामद की गई है ; और

(छ) अधिकारियों/कम्पनियों के विरुद्ध की गई जांच/मुकद्दमे की वर्तमान स्थिति क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री सजीवय्या) :

(क) से (छ) इलेक्ट्रिकल मैनुफैक्चरिंग कम्पनी, कलकत्ता को काली सूची में रखने का आदेश 24-6-1966 को जारी किया गया था । कम्पनी ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में आदेश के विरुद्ध सिविल लेख याचिका दी है । इस प्रकार मामला न्यायालय से विचाराधीन है ।

नया गांव स्टेशन के निकट पुलिया को उड़ाने का प्रयास

3018. **श्री ब्रज बिहारी मेहरोत्रा :** **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
श्री राम हरख यादव : **श्री शिंकरे :**
श्री हुकम चन्द कछवाय : **श्री यु० द० सिंह :**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 13 नवम्बर, 1966 को हाजीपुर (बिहार) से लगभग 10 मील की दूरी पर पूर्वोत्तर रेलवे के छपरा-सोनपुर सैक्शन पर नया गांव स्टेशन के निकट एक पुलिया को उड़ाने का असफल प्रयास किया गया था और रेल की पटरी पर रखे गये तीन बमों में से एक बम फटने से एक व्यक्ति घायल हुआ था ; तथा शेष दो बम पकड़े गये थे ;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :

(क) से (ग) सही स्थिति यह है कि 13. 11. 66 को 4 देशी बमों में से एक नयागांव

रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म के बायें सिरे की पुलिया के निकट फट गया बाकी 3 बम घटनास्थल के समीप पाये गये। 18 और 11 वर्ष की आयु के दो लड़के गिरफ्तार कर लिये गये, जो धमाके से जख्मी हुए थे। पुलिस अभी इस मामले की जांच कर रही है। जिन लड़कों को गिरफ्तार किया गया, वे छपरा जिले के सोनपुर थाने में नयागांव के निवासी हैं।

अतारांकित प्रश्न संख्या 464 दिनांक 2.12.66 के उत्तर में शुद्धि

Correction of reply to Unstarred Question no. 464 dt. 2.12.66

लोहा और इस्पात मंत्री (श्री० त्रि० ना० सिंह) : 4 नवम्बर 1966 को लोक-सभा में अतारांकित प्रश्न संख्या 464 के उत्तर में मैंने इस प्रकार कहा था :—

यह फैसला किया गया है कि दुर्गापुर के मिश्रित इस्पात के कारखाने की क्षमता को 1 मिलियन टन पिण्डक से बढ़ाकर 3 मिलियन टन निष्ठक से किया जायेगा। विस्तार के लिये प्रायोजना प्रतिवेदन बनवाया जा रहा है।

आंकड़ों में टाइप में गलती है और उपर्युक्त उत्तर को इस प्रकार पढ़ा जाय।

यह फैसला किया गया है कि दुर्गापुर के मिश्रित इस्पात के कारखाने की क्षमता को 0·1 मिलियन टन पिण्डक से बढ़ाकर 0·3 मिलियन टन पिण्डक तक किया जाएगा। विस्तार के लिये प्रायोजना प्रतिवेदन बनवाया जा रहा है।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

पोर्ट ब्लेयर में सरकारी कर्मचारियों का निष्कासन और नेताओं की गिरफ्तारी

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर गृह कार्य मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वह उस पर एक वक्तव्य दें :

"पोर्ट ब्लेयर में सरकारी कर्मचारियों का निष्कासन और नेताओं की गिरफ्तारी।"

गृह कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : सरकारी भूमि पर अनधिकृत रूप से कब्जा किये जाने के विरुद्ध कार्यवाही करने के उद्देश्य से अंदमान द्वीपसमूह के प्रशासन ने 19 नवम्बर और 26 नवम्बर 1966 के बीच छः अनधिकृत इमारतों को गिरा दिया और तीन इमारतों को मुहरबन्द कर दिया। द्वीपसमूह के सम्पदाधिकारी ने इमारतों को गिराने का आदेश लोक परिसर (अप्राधिकृत दखलकारों की बेदखली) अधिनियम, 1958 के उपबन्धों के अधीन दिया था आठ परिवारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था और वे उन्होंने अपने लिये दूसरा स्थान ढूंढ लिया था। किसी अन्य सरकारी कर्मचारी का निष्कासन नहीं किया गया है। ऐसा करने पर आन्दोलन आरम्भ हुआ और अराजपत्रित अधिकारी संगठन के प्रधान श्री पी० के० एस० मेनन समेत 114 व्यक्तियों को भारतीय दण्ड संहिता तथा दंड प्रक्रिया संहिता आदि विभिन्न धारों के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया है।

श्री स० मो० बनर्जी : वक्तव्य में यह बताया गया है कि श्री प्रसाद समेत 114 व्यक्तियों को विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि किन

धाराओं के अन्तर्गत उन्हें गिरफ्तार किया गया है? मुझे वहां से एक तार भी आई है कि श्री प्रसाद का जीवन खतरे में है। वह जेल में है और भूख हड़ताल पर हैं। प्रशासन ने सरकारी कर्मचारियों के सभी नेताओं को बल पूर्वक गिरफ्तार कर लिया है। मैं यह चाहता हूं कि शीघ्र हस्तक्षेप किया जाना चाहिये। इसलिए मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या श्री प्रसाद तथा अन्य नेताओं को रिहा कर दिया गया है अथवा द्वीपसमूह के पृथक होने के कारण कमिश्नर महोदय उन्हें धमका रहे हैं ताकि वे आन्दोलन में भाग न ले सके ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : अंदमान के प्रशासन से जो जानकारी मुझे मिली है वह मैंने सदस्यों को बता दी है। लोगों को अन्य स्थान देने के मामले में सहानुभूति बरती जायेगी। परन्तु वहां पर राजनीतिक आन्दोलन हो रहा है। कुछ लोगों को कुछ क्षेत्रों का अतिक्रमण करने के कारण गिरफ्तार किया गया है और चार अथवा पांच व्यक्तियों को धारा 309 के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया है।

श्री स० मो० बनर्जी : वहां पर एक गृह कार्य मंत्रालय का अधिकारी भेजा जाना चाहिये। वहां सारे पोर्ट ब्लेयर में अशान्ति है।

श्री यशवन्त राव चव्हाण : कोई अशान्ति नहीं है।

श्री उमानाथ (पुद्दकोटै) : परिषद् के प्रतिनिधि सदस्य द्वारा दिये गये वक्तव्य से यह पता चलता है कि वहां के मुख्य आयुक्त ने कहा था कि सभी को मरने दो, मैं अपने पद पर स्थायी हूं और ज्यादा से ज्यादा मेरा तबादला किया जा सकता है। इससे अधिक और कुछ नहीं हो सकता। इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या गृह कार्य मंत्री का विचार वहां के प्रशासक को यहां बुलाने का और वहां की स्थिति के बारे में बातचीत करने का तथा उन्हें ऐसी सलाह देने का है कि इस मामले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाये? यदि ऐसा विचार नहीं है तो क्या सरकार उस अधिकारी को वापस बुलाकर उसके स्थान पर किसी अन्य अधिकारी को भेजने के मामले पर विचार कर रही है।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं सभा को आश्वासन देता हूं कि जहां तक मानवीय समस्याओं का सम्बन्ध है उनके बारे में सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जायेगा। अन्य आरोपों के बारे में तथ्य जाने बगैर मैं कुछ नहीं कह सकता।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (कलकत्ता दक्षिण पूर्व) : वक्तव्य में कहा गया है कि तीन परिवारों को निष्कासित किया गया है। यह विचित्र बात है क्योंकि नौ इमारतें गिराई गई थी। अत: मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या किसी व्यक्ति को निष्कासित करने पर उसे अन्य स्थान दिलवाने का उत्तरदायित्व प्रशासन का नहीं होता है? वक्त से यह पता चलता है कि वह उत्तरदायित्व भी निभावया नहीं गया है। अत: मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या भविष्य में और इमारतें गिराने का काम बन्द कर दिया जायेगा तथा क्या गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों को रिहा कर दिया जायेगा ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : पहली बात तो यह है कि वक्तव्य में एक शुद्धि की गई है। परिवारों की संख्या आठ है न कि तीन। इससे प्रश्न के पहले भाग का उत्तर मिल जाता है। मुझे यहां आने से थोड़ी देर पहले यह सूचना मिली थी।

यह समस्या इसलिये उत्पन्न हुई है क्योंकि नगरपालिका क्षेत्र में भूमि की कमी है। भूमि की कमी होने के कारण ऐसे प्रश्न उठते ही हैं। लोगों को निष्कासित करने से पहले उनको अन्य

स्थान देने के प्रश्न पर अवश्य ही सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जायेगा ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बैरकपुर) : हमारी जानकारी यह है कि मुख्य आयुक्त तथा बहुत से अधिकारी यह महसूस करते हैं कि वे जो चाहें कर सकते हैं क्यों अंदमान बहुत दूर है तथा वहां केन्द्र का कोई अन्य अधिकारी नहीं है । हमें तार में उन्होंने यह लिखा है कि सैकड़ों बेगुनाह व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं तथा स्त्रियों और बच्चों को घरों से बाहर फैंका जा रहा है । वहां बहुत गड़बड़ी है । इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि वहां के मुख्यायुक्त ने लोगों को मिलने से इन्कार क्यों कर दिया है तथा क्या आप मुख्यायुक्त को तुरन्त हिदायतें देंगे कि बातचीत करें ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं अवश्य ही इस मामले पर गौर करूंगा क्योंकि मेरा यह कर्त्तव्य है ।

श्री प्र० द० चक्रवर्ती (धनबाद) : क्या सरकार इस समस्या का हल करने के लिये स्थानीय प्रसाशन को सलाह देगी ।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जी, हां ।

Shri Vishwanath Pandey (Salempur) : In the Statement it is stated that people have taken unauthorised occupation. I would like to know whether they have occupied only unauthorised houses or they have occupied unauthorised land also ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मेरे ख्याल से माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि क्या उन लोगों को उन झौपड़ियों से निकाला गया है जो उन्होंने बगैर मजूरी के बनाई हुई थी ? उन्हें वहां से निकाला गया है । मेरी पहली जानकारी यह थी कि उन्होंने अन्य स्थानों की व्यवस्था स्वय की थी । यह जानकारी मुझे अब मिली है ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सेरामपुर) : क्योंकि बहुत से पूर्वी पाकिस्तानी शरणार्थी बसने के लिये अंदमान भेजे गये हैं इससे पश्चिम बंगाल में स्थिति बहुत गंभीर हो गई है । वहां न केवल सख्ती का राज है बल्कि भू-विवरण की प्रणाली तथा किराये के निर्धारण में भी गड़बड़ी है । क्या यह सच है कि स्थिति का लाभ उठाकर अधिकारी मनमाने ढंग से लगान इकट्ठी कर रहे हैं ।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मेरे विचार से कोई पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थी वहां नहीं गये है । समस्या बहुत गम्भीर नहीं है । मुझे बताया गया है कि अवैध रूप से कब्जा करने वाले व्यक्तियों की संख्या 100 है । यह ठीक है कि वहां भू वितरण की समस्या है । मैं इस बारे में मुख्य आयुक्त से बात करूंगा जो दिल्ली आ रहे हैं ।

श्री वासुदेवन नायर (अम्बल पूजा) : हमें बताया गया है कि नेताओ के अलावा 4000 कर्मचारी मंगलवार से भूख हड़ताल पर हैं । इसलिये मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वह समझौता कराने के लिये किसी को वहां भेजेंगे ।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : भूख हड़ताल के बारे में मेरे पास अभी तक कोई जानकारी नहीं आई है । मैं मुख्यायुक्त से लगातार पत्र व्यवहार कर रहा हूं ।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता मध्य) : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अंदमान के सरकारी कर्मचारियों को विवश होकर यह कार्यवाही करनी पड़ी है तथा मंत्री महोदय जो सहानुभूति दिखा रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए मैं यह जानना चाहता हूं कि दिल्ली और पोर्ट ब्लेयर के बीच हो रहे पत्र व्यवहार के बावजूद भी वहां के मुख्यायुक्त ने स्थिति को इतना खराब क्यों

होने दिया है ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय स्थिति में सुधार करने का प्रयत्न करेंगे ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं यह नहीं जानता कि स्थिति को किस ने खराब किया है। अराजपत्रित अधिकारियों के नेताओं ने स्थिति को खराब कर दिया होगा।

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्लि) : यह गृह कार्य मन्त्री तो नये ही आये है परन्तु अंदमान का मामला पुराना है। हमने सभा में कई बार इस मामले को उठाया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस समस्या को पहले क्यों नहीं हल किया गया है। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि मुख्यायुक्त के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी जिन पर इतने आरोप लगाये गये हैं ? किसी अधिकारी को निकालना आसान बात होती है। अतः क्या वह ऐसा करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : किसी अधिकारी को निकालने का निर्णय इस समय यहां नहीं किया जा सकता है।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मुख्यायुक्त को निकालने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री नम्बियार : आप उन्हें वापस बुला सकते हैं।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : उन्हें वापस बुलाने का प्रश्न ही नहीं उठता। मैं इस मामले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करूंगा।

डा० सारादीश राय (कटवा) : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि 114 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है तथा लोगों में बहुत असन्तोष की भावना है क्या सरकार उनको छोड़ने के प्रश्न पर पुनर्विचार कर रही है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : वे विभिन्न कानूनों के अन्तर्गत गिरफ्तार किये गये हैं। मैं ऐसा सीधा आश्वासन नहीं दे सकता।

Dr. Ram Manohar Lohia (Farukhabad) : Keeping in view the fact that I have so many times written to you about this matter, shall I be permitted to ask a question.

Mr. Speaker : No, Sir.

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत आदेश

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : मैं, श्री संजीवय्या की ओर से, उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा एक की उप-धारा (2) के अन्तर्गत आदेश की एक प्रति, जो दिनांक 30 जून, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 2001 में प्रकाशित हुआ था, सभा पटल पर रखता हूं। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल. टी. 7489/66]

मिनरल्स एण्ड मेटल्स ट्रेडिंग कारपोरेशन आफ इन्डिया का वार्षिक प्रतिवेदन

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उप-धारा (1) के अन्तर्गत मिनरल्स एण्ड मेटल्स ट्रेडिंग कारपोरेशन आफ इन्डिया लिमिटेड, नई दिल्ली, के 1965-66 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(दो) उक्त कम्पनी के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल. टी. 7490/66]**

(2) अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 5 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या एस० ओ० 3522 की एक प्रति जो दिनांक 21 नवम्बर, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये सख्या एल. टी. 7491/66]**

• इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन का वार्षिक प्रतिवेदन

परिवहन तथा उड्डयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ने० मु० पुनाचा) : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं:—

(1) विमान निगम अधिनियम, 1953 की धारा 37 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के 1965-66 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल. टी. 7492/66]**

(2) विमान निगम अधिनियम, 1953 की धारा 15 की उप-धारा (4) के अन्तर्गत इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के 1665-66 के प्रमाणित लेखे की एक प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल. टी. 7493/66]**

(3) विमान निगम अधिनियम, 1953 की धारा 15 की उप-धारा (4) के अन्तर्गत एयर इंडिया के 196'-66 के प्रमाणित लेखे की एक प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल. टी. 7494/66]**

केरल राज्य कृषि ऋण नियमों में संशोधन

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : मैं, राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करते हुए उपराष्ट्रपति द्वारा केरल राज्य के सम्बन्ध में दिनांक 24 मार्च, 1965 को जारी की हुई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित केरल कृषक ऋण अधिनियम, 1961 की धारा 9 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत अधिसूचना एस० आर० ओ० संख्या 411/66 की एक प्रति जो दिनांक 1 नवम्बर, 1966 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा केरल राज्य कृषि ऋण नियम, 1962 में एक संशोधन किया गया, सभा पटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल. टी. 7495/66]**

अखबारी कागज नियंत्रण (पहला संशोधन) आदेश

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : मैं श्री शफ़ी कुरेशी की ओर से मैं, अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप-धारा (6) के अन्तर्गत अखबारी कागज नियंत्रण (पहला संशोधन) आदेश, 1966 की एक प्रति, जो दिनांक 6 सितम्बर, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस. ओ. 2708 में प्रकाशित हुआ था, सभा पटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल. टी. 7496/66]**

सदस्य के त्यागपत्र के बारे में

RE RESIGNATION OF MEMBERS

Shri Laxmi Dass (Miryalguda) : Sir, I want to submit something before tendering the resignation.

Mr. Speaker : This matter was discussed yesterday. I cannot allow discussion unless I change the rules.

Shri Laxmi Dass : In stead of setting up a steel plant at Visakhapatnam Government have suppressed the people there. In protest I want to resign.

Mr. Speaker : Nothing will go in record now.

Shri Laxmi Dass : * *

Mr. Speaker : I had said something regarding it yesterday also, The matter was discussed yesterday,

Shri Laxmi Dass : * *

Shri Maurya (Aligarh) : Two speeches are going on and we are following nothing.

Shri Laxmi Dass : * *

Mr. Speaker : Now you may resume your seat. I have heard you,

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता मध्य) : अध्यक्ष महोदय, आपने यह आदेश दिया है कि जो कुछ भी माननीय सदस्य कहें उसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित न किया जाये। सभा के कार्यवाही वृत्तान्त में बहुत सी चीजें सम्मिलित की जाती है। जहां तक कि मंत्रियों के विरुद्ध लगाये गये भ्रष्टाचार के आरोप भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित किये जाते हैं। परन्तु जब कोई सदस्य किसी कारण सभा की सदस्यता से त्यागपत्र देना चाहता है तो और त्यागपत्र का कारण बताने के लिये एक आध मिनट सभा में बोलना चाहता है तो आप उसको अनुमति नहीं देते हैं। चाहे ऐसे नियम भी हो परन्तु हमें उनका विवेचन उदारता पूर्वक करना चाहिये। मेरे विचार से जब कोई सदस्य त्यागपत्र दे तो उसे कुछ कहने का अवश्य अधिकार है।

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्लि) : मेरा यह विचार है कि माननीय सदस्य ने पहले ही लिखकर दिया हुआ है कि वह वक्तव्य देना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : जब उन्होंने कहा था कि वह क्यों त्यागपत्र देना चाहते हैं तो मैंने उन्हें आध मिनट के लिये बड़े ध्यान से सुना था।

एक माननीय सदस्य : वह कार्यवाही के वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : वह कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित किया गया है। बाद में मैंने यह कहा था कि कोई लम्बा वक्तव्य कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : उन्होंने कहा था कि मैं त्यागपत्र दे रहा हूं। इसका यह अर्थ नहीं कि उन्होंने त्यागपत्र दे दिया है।

Shri Laxmi Dass : * *

श्री हेम बरुआ : आज का मामला कल के मामले से भिन्न है। माननीय सदस्य श्री

---

* * कार्यवाही के वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

**NOT RECORDED.

लक्ष्मी दास ने अभी अपना त्याग पत्र नहीं दिया है। वह आज 4 बजे से त्याग पत्र देना चाहते हैं। अतः वह अभी इस सभा के सदस्य हैं। वह एक वक्तव्य देना चाहते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप उन्हें अवसर देंगे।

अध्यक्ष महोदय : मैंने कल अपनी कठिनाई व्यक्त की थी। जब तक नियमों में संशोधन न हो जाये, हमें वर्तमान नियमों के अनुसार चलना होगा।

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति
COMMITTIEE ON PRIVATE MEMBERS BILLS AND RESOLUTION

कार्यवाही सारांश

श्री कृष्णमूर्ति राव (शिमोगा) : मैं गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति की चालू सत्र के दौरान हुई 96वीं से 100वीं बैठकों के कार्यवाही सारांश सभा-पटल पर रखता हूं।

Shri Bagri (Hissar): On a point of order. While one Member is speaking in the House, you allow another to speak. You are not controlling the House properly.

Mr. Speaker : It is not proper to begin to speak while another Member is speaking. Those Members who dont obey me, allege that I am unable to control the House.

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : हाल ही में आपने एक निर्णय दिया था कि यदि कोई सदस्य त्याग-पत्र दे देता है तो वह सभा का सदस्य नहीं रहता और उसे सभा की कार्यवाही में भाग लेने का कोई अधिकार नहीं है। परन्तु श्री लक्ष्मी दास ने अभी त्यागपत्र नहीं दिया। उन्होंने कहा है कि मैं त्यागपत्र आज 4 बजे से दे रहा हूं। नियमों के अनुसार कोई सदस्य, अध्यक्ष महोदय की अनुमति से सभा में व्यक्तिगत स्पष्टीकरण कर सकता है। मुझे आशा है कि आप उन्हें व्यक्तिगत स्पष्टीकरण की अनुमति देंगे।

अध्यक्ष महोदय : जब तक समय है, मैं किसी सदस्य के त्याग पत्र के कारण कार्यवाही में आने की अनुमति नहीं दे सकता जबकि त्याग-पत्र देते समय उन्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं है। उनके त्याग-पत्र देने से उन्हें कोई अतिरिक्त अधिकार नहीं मिल जाते।

सभा पटल पर रखे गये पत्र जारी
PAPER LAID ON THE TABLE-CONTD.

याचिका समिति
Committee on Petitions
कार्यवाही सारांश

श्रीमती ज्योत्सना चन्दा (कचार) : मैं याचिका समिति की चालू सत्र के दौरान हुई 25वीं और 26वीं बैठकों के कार्यवाही-सारांश सभा-पटल पर रखती हूं।

विधेयक पर राय
OPINIONS ON BILL

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी (जोधपुर) : मैं भारत के संविधान में आगे संशोधन करने वाले विधेयक, जो 12 अगस्त, 1966 को उस पर राय जानने के लिये सभा के निदेश से परिचालित किया गया था, सम्बन्धी पत्र संख्या I सभा-पटल पटल पर रखता हूं।

राज्य सभा से सन्देश
MESSAGE FROM RAJYA SABHA

सचिव : श्रीमान्, मुझे सभा को यह सूचना देनी है कि लोक-सभा द्वारा बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1966 में 16 नवम्बर, 1966 को किये गये संशोधनों से राज्य सभा अपनी 30 नवम्बर, 1966 की बैठक में सहमत हुई।

विशेषाधिकार समिति
COMMITTEE OF PRIVILEGES

चौदहवां प्रतिवेदन

श्री कृष्ण मूर्ति राव (शिमोगा) : मैं विशेषाधिकार समिति का चौदहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

प्राक्कलन समिति
ESTIMATES COMMITTEE

एक सौ ग्यारहवां तथा एक सौवा बारहवां प्रतिवेदन

श्री छूमू केदरिया (माण्डवी) : मैं निम्नलिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं :

(1) खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय (कृषि विभाग)—केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्था—पर प्राक्कलन समिति के 79वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के विषय में प्राक्कलन समिति का 111वां प्रतिवेदन।

(2) भूतपूर्व वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय—रबड़ बोर्ड—पर प्राक्कलन समिति (दूसरी लोक-सभा) के 148वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के विषय में प्राक्कलन समिति का 112वां प्रतिवेदन।

लोक लेखा समिति
PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

पैंसठवां प्रतिवेदन

श्री मुरारका (झुंझनू) : मैं होटल चलाने वाली एक फर्म को पहुँचाये गये अनुचित

लाभ के विषय में निर्माण आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय सम्बन्धी लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (सिविल), 1966 के पैरा 76 पर लोक लेखा समिति का पैंसठवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

लोक लेखा समिति
PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

छियासठवां प्रतिवेदन

श्री मुरारका : मैं विनियोग लेखे (डाक तथा तार), 1964-65, लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (डाक तथा तार) 1966 और लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) 1966 के बारे में लोक लेखा समिति का 66वां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

याचिका समिति
COMMITTEE ON PETITIONS

पांचवां प्रतिवेदन

श्रीमती ज्योत्सना चन्दा (कचार) : मैं याचिका समिति का पांचवां प्रतिवेदन उपस्थापित करती हूं।

मैसूर राज्य के साथ कुछ क्षेत्र मिलाये जाने के बारे में याचिका
PETITION RE : MERGER OF CERTAIN AREAS WITH MYSORE STATE

श्री शिव मूर्ति स्वामी (कोपल) : मैं तालावाड़ी फिरका, गोबीचेट्टिपाल्यम तालुक जिला कोयम्बटूर, में मैसूर राज्य के साथ मिलाये जाने के बारे में श्री रामाराव तथा अन्य व्यक्तियों की याचिका उपस्थापित करता हूं।

वैयक्तिक स्पष्टीकरण की बात
POINT OF PERSONAL EXPLANATION

रेलवे मन्त्री (श्री स० का० पाटिल) : डा० लोहिया ने मुझ पर यह आरोप लगाया है एक जहाजी कम्पनी को मैंने कई लाख रुपये का धोखा दिया है। जिस अखबारी रिपोर्ट में यह बात कही गई है, उसमें यह भी कहा गया है कि यह बात 1961-62 में हुई थी। मेरा निवेदन यह है कि यदि मैं उस समय सदन मे उपस्थित रहता तो मैं इन आरोपों का प्रतिवाद कर देता। मुझे यह भी पता चला है कि इस बारे में उप गृह मन्त्री ने औचित्य प्रश्न भी उठाया था। मैं यह बात बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि डा० लोहिया ने जो आरोप लगाया है वे बिलकुल झूठा और निराधार है। जिस धरना का उन्होंने उल्लेख किया है उससे मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है।

Dr. Ram Manohar Lohia (Farrukhabad): The Minister has stated that whatever I said was wrong, I say that it is the Minister's Statement that is wrong and not mine. I have proof. I have stated very clearly yesterday as to what and how much is missing, from what ships and on what dates. Documents in this connection, also, have been placed on the table of the House.

Mr. Speaker : Honourable Minister says that the honourable member is wrong, where as the honourable member asserts that Minister is wrong. My request is that the hon. member should pass on to me whatever additional proof he has got in this matter. I will go through all the papers and if necessary, appoint a Committee to have probe into the whole matter.

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बैरकपुर) :

बिना किसी प्रकार के सबूत प्राप्त किये ही आपने मन्त्री महोदय को प्रतिवाद करने का अवसर दे दिया ।

अध्यक्ष महोदय : यह गलत बात है ।

Shri Madhu Limaye (Monghey) : You have never allowed me to do so.

श्री हो० ना० मुकर्जी (कलकत्ता मध्य) :

उचित बात यह है कि इस सदन के प्रत्येक सदस्य को चाहे वह किसी पक्ष का हो उस पर लगाये गये आरोपों से दोष मुक्त किया जाना चाहिए । जब भी इस प्रकार के आरोप लगाये जाते हैं, तो दोनों पक्षों द्वारा विशेषाधिकारों के अन्तर्गत केवल एक संसदीय वक्तव्य दिया जाता है । उन वक्तव्यों का कोई परिणाम नहीं निकलता है और वे ज्यों के त्यों रह जाते है । मेरा कहना है कि जिन सदस्यों के विरुद्ध आरोप लगाये जाये उन्हें उनका उचित ढंग से मानन करना चाहिये ताकि इस प्रकार की स्थिति बार बार न आये ।

Dr. Ram Manohar Lohia : I am prepared to repeat my allegations in any Public meeting outside this House. He says that I am telling a lie. He has been rolling in luxuries ... ...****

अध्यक्ष महोदय : यह शब्द रिकार्ड में नहीं जायेंगे ।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी (केद्रदाड़ा)

डा० लोहिया अब भी कह रहे है कि जो कुछ उन्होंने कहा है, उसे प्रमाणित करने के लिए उनके पास तथ्य मौजूद है । इस स्थिति में उचित यही है कि अध्यक्ष महोदय एक समिति नियुक्त कर दे जो सभी मामलों पर जांच करके हमें सारी स्थिति बताये ।

श्री स० का० पाटिल : यदि ये आरोप सदन में न लगाकर कहीं बाहर लगाये जाते तो मैं सीधा अदालत का रुख करता ।

Shri Madhu Limaye : The Minister in his explanation has not said a word about facts that are mentioned in the House yesterday on which the allegations are based.

Mr. Speaker ; I want to make it clear that I am not concerned with whatever has been said outside this House. In that case people concerned can take up this matter as they like outside this House. I allowed the Minister to make a personal statement. The Minister has stated that the accusation are false. Dr. Lohia was of the opinion that he is in the possession of proof. It will be right in this situation that the honourable member may send to him whatever proof he has got. I will then see whether there is a case for an appointment of a Committee or not.

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : कल हुई चर्चा के दौरान डा० लोहिया ने तीन मन्त्रियों सर्वश्री पाटिल, स्वर्णसिंह तथा सुब्रह्मण्यम के विरुद्ध कुछ आरोप लगाये थे तथा हमने भी यह मांग की थी कि इस सारे मामले को या तो एक समिति को सौपा जाये अथवा केन्द्रीय जांच विभाग

****कार्यवाही के वृत्तांत में शामिल नहीं किया गया ।

****NOT RECORDED.

को सौंपा जाये। नियमों के अन्तर्गत वैयक्तिक स्पष्टीकरण देने का उपबन्ध है तथा मन्त्री को वैयक्तिक स्पष्टीकरण देने की अनुमति देने का आप को अधिकार है। परन्तु मन्त्री के स्पष्टीकरण का आधार क्या होना चाहिये ? मन्त्री के स्पष्टीकरण का आधार उस द्वारा इस सभा में दिया गया वक्तव्य होना चाहिये। यदि समाचार पत्रों में छपने वाले विभिन्न समाचारों के बारे में आप स्पष्टीकरण देने की अनुमति देते है, तो आप को हमें भी स्पष्टीकरण देने का अवसर देना चाहिये, क्योंकि श्री पाटिल रेल दुर्घटनाओं आदि के बारे में हमेशा विरोधी दलों पर निराधार आरोप लगाते हैं। हमने कभी वैयक्तिक स्पष्टीकरण देने की मांग नही की। आपने स्वंय कहा था कि आप कुछ भाग को सभा कार्यवाही से निकालने का निर्णय अपने चैम्बर में करेंगे। नियम इस प्रकार है :

"यदि अध्यक्ष की राय हो कि वाद-विवाद में कोई ऐसा शब्द या ऐसे शब्द प्रयुक्त किये गये हैं जो मानहानिकारक या अशिष्ट या असंसदीय या अभद्र हैं तो वह, स्वविवेक से, आदेश दे सकेगा कि ऐसा शब्द या ऐसे शब्द सभा की कार्यवाही में से निकाल दिये जायें"

अतः मेरा निवेदन यह कि आप ने जो निर्णय किया है कि आप यहां लगाये गये आरोपों, प्रत्यारोपों के कुछ शब्दों को निकालने का आदेश अपने चैम्बर में देगें, उससे यह धारणा बन गई है कि उन के बारे में समाचार पत्रों में कुछ नहीं छप सकेगा क्योंकि यदि किसी समाचारपत्र में कुछ छपता है तो श्री पाटिल उस समाचारपत्र के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न ले आयेंगे।

अध्यक्ष महोदय : मैंने तो कहा था कि मैं यह निर्णय करूंगा कि कुछ अन्य बातों को सभा की कार्यवाही से निकालने की आवश्यकता है अथवा नहीं और यदि आवश्यकता हुई तो कुछ बातों को सभा की कार्यवाही से निकाल दिया जायेगा और तदनुसार सभा को सूचित किया जायेगा। मेरा निर्णय सभा के समक्ष पेश होगा तथा उसे गोपनीय नहीं रखा जायेगा। इस लिये कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री स० मो० बनर्जी : उस हालत में समाचारपत्रों में कुछ भी प्रकाशित नहीं हो सकेगा तथा वह अपने उद्देश्य में सफल रहेंगे।

अध्यक्ष महोदय : समाचार पत्रों में जो कुछ प्रकाशित होना, होगा अवश्य होगा, क्योंकि मैंने कहा है कि मैं अपने निर्णय को सभा के समक्ष रखूंगा।

श्री स० मो० बनर्जी : मेरे पास श्री जीत पाल द्वारा श्री डी० नी० थापर को लिखे गये एक पत्र की फीटोस्टैट प्रतिलिपि है जिस में लिखा हैं श्री पाटिल को 50,000 रुपये तथा श्री स्वर्ण सिह 75,000 रुपये दिये गये हैं और दुर्भाग्य से इस पत्र में आपका नाम भी लिखा हुआ है। मैं उसे सभा पटल पर रखना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : यहां पर बहुत सी फोटेस्टैट प्रतिलिपियां लाई जा रही हैं। मैं माननीय सदस्य को सचेत करता हूं कि उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिये कि वे सही भी हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति स्वयं लिखकर उस की फोटोस्टैट प्रतिलिपि बनावा ले। इस बात की क्या गारंटी है कि वह प्रतिलिपि प्रमाणीकृत है ? फोटोस्टैट प्रतिलिपि की सत्यता पर विश्वास नहीं किया जा सकता।

संसद कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) : इस दस्तावेज को

विशेषाधिकार समिति के समक्ष रखा गया था। परन्तु इसे स्वीकार नहीं किया गया था। साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत यह ग्राह्य नहीं है।

Shri R. S. Pandey (Guna) : It has been very clearly laid down in Rule 353 of the Rules of Procedure that if any member levy any allegation of a defamatory or indiscriminatory nature, he should give prior intimation to you so that the Member concerned could be enabled to investigate the charges and furnish his explanation in the House.

It has also been stated that if in your opinion such allegations are derogatory to the dignity of the House that no public interest is served by making such allegation, then you are empowered to prohibit that member from making any such allegations. But this rule is being violated in this House day after day. Yesterday when such a point of order was raised in this House, it was observed by the chair that it is in violation the dignity of the House and the written rules of this House to levy allegation without prior information against a person who is not present in this House.

My submission is that many allegations is being levied in this House daily to the effect that huge sums of money have been misappropriated and when it is explained that all such allegations are baseless, even then Mr. Dwivedy is suggesting that a Committee be appointed. It is very unusal to suggest such things. Shri Patel has stated that all allegations are baseless. So I suggest all such allegations which in your opinion are derogatory to the dignity of the House by whom no public interest has been served should be expunged from the proceedings of the House with retrospective effect,

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : During this session two or three questions were asked regarding the shortage of rice imported by Appeejay Shipping Company. I am coming over to that. I will not speak even one sentence more. Half an hour discussion was raised for clarifying the questions arising out of the answers of those questions and there was a question whether any investigation has been made regarding the documents laid by Dr. Lohia on the Table during last session and whether any action has been taken in this regard. The second question was quantity of shortage of rice that were imported. You are not allowing the facts to come to light. The rule under which Half-an-hour discussion is raised says;

> "Provided that the notice shall be accompanied by an explanatory note stating the reasons for raising discussion on the matter in question."

Explanatory notes were given regarding the questions which were not clarified and when you were satisfied that there are certain points which require clarification, you gave the permission to raise half-an-hour discussion. Now when you are allowing them to give personal clarification, you should conduct the business under rule 357 which reads'

"A member may with the permission of the Speaker make a personal explanation although there is no question before the House but in this case no debatable matter may be brought forward and no debate shall arise"

Mr. Patel had not said even a word about the facts that were placed before the House yesterday. His statement should have contained clarification on these facts also. He had stated that Dr. Lohia has given a false statement. I plead tnat the word "false" is unparliamentary and it should be expunged from Mr Patil's speech.

You had observed on 21st November that a Committee would be appointed to investigate the charges levelled in my question, which as replied by Shri Lal it Narayan Misra on behalf of Shri Manubhai Shah and Shri Sachindra Chaudhuri I have written to you more than once that the matter be entrusted to a Committee and I have also

accepted the challenges of Sharveshri Manubhai Shah and Sachindra Chaudhari. I demand that a Committee be constituted to investigate Mr. Patil's case also. Three Committees should be appointed to investigate their case and I accept their challenges.

श्री गो० ना० दीक्षित (इटावा) : मैं आपका ध्यान नियम 352 की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें कहा गया है कि एक सदस्य दूसरे सदस्य पर वैयक्तिक आरोप नहीं लगायेगा। इस नियम के प्रयोजन के लिये मंत्री भी सदस्य ही होता है। इस नियम में आगे कहा गया है कि यदि कोई सदस्य किसी के विरुद्ध मानहानिकारक शब्दों को प्रयोग करता है, तो आपको अधिकार है कि आप उन शब्दों को सभा की कार्यवाही से निकाल दें। अतः इस नियम से यह निष्कर्ष निकलता है कि उस सभा में किसी सदस्य के विरुद्ध वैयक्तिक आरोप नहीं लगाये जा सकते। यदि कोई सदस्य इस सभा से बाहर किसी सदस्य के विरुद्ध वैयक्तिक आरोप लगाता है, तो वह इस सभा के क्षेत्राधिकार से बाहर है। इस सभा में तो किसी सदस्य के विरुद्ध केवल नियम के अन्तर्गत ही आरोप लगाये जा सकते हैं और उसके केवल दो तरीके हैं:—एक किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के समय अथवा दूसरे विशेषाधिकार के प्रश्न के द्वारा। इसके अतिरिक्त नियमों में समिति नियुक्त करने के बारे में कोई उपबन्ध नहीं है। क्योंकि वैयक्तिक मानहानिकारक आरोप लगाये गये हैं, इस लिये वे कहते हैं कि समिति नियुक्त की जाये। मेरा निवेदन यह है कि सभा को अथवा आपको समिति नियुक्त करने का कोई अधिकार नहीं है।

जहां तक फोटोस्टैट प्रतिलिपियों का सम्बन्ध है, मैं कहना चाहता हूं कि मेरे बादार्थी हैं, जिनमें कुछ जालसाज भी हैं। यदि आप चाहें तो वे यहां बैठे उस ओर के प्रत्येक सदस्य के विरुद्ध आरोप लगा सकते हैं और प्रत्येक सदस्य के विरुद्ध जाली दस्तवेज़ बनाकर उनकी फोटोस्टैट प्रतिलिपियां आपको दे सकते हैं। जहां तक नियमों का सम्बन्ध है उनमें ऐसी कीचड़ उछालने को अनुमति नहीं दी गई है अतः इस सभा में इस प्रकार कीचड़ नहीं उछाली जानी चाहिये।

श्री उमानाथ : उसने कहा है कि उनमें से कुछ जालसाज भी हैं और हमारी ओर इशारा किया है।

अध्यक्ष महोदय : उसने यह तो नहीं कहा कि विरोधी दल के सदस्य अथवा उस ओर के सब सदस्य जालसाज हैं। फिर भी यदि उसने सामान्य बात करते हुए यह कहा है कि कुछ सदस्य जालसाज है तो यह भी आपत्तिजनक बात है।

श्री गो० ना० दीक्षित : मैंने यह कभी नहीं कहा। मैंने कहा है कि मेरे कुछ वादार्थी जालसाज हैं और वे इस ओर के प्रत्येक सदस्य के विरुद्ध ऐसे दस्तावेज बना सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय :यदि किसी माननीय सदस्य को जालसाज कहा गया है, तो उसे सभा की कार्यवाही में शामिल नहीं किया जायेगा

श्री हेम बरुआ (गोहाटी) : माननीय मंत्री के विरुद्ध कुछ आरोप लगाये थे तथा माननीय मंत्री ने अपने वक्तव्य में कहा था कि वे छूटे एवं निरधार हैं। मैं आपकी बुद्धिमता की सराहना करता हूं तथा आपको बधाई देता हूं कि फिर आपने श्री द्विवेदी के इस सुझाव को स्वीकार कर लिया था कि उन आरोपों की जांच करने के लिये एक समिति नियुक्त की जानी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : मैंने यह नहीं कहा था। और जो कुछ मैंने कहा था वह सभा की कार्यवाही में शामिल है। मैंने कहा था कि सब दस्तावेज मेरे पास भेज दो और मैं इस बात को देखूंगा कि क्या सचाई का पता लगाने के लिये एक समिति की आवश्यकता है।

श्री हेम बरुआ : आपका यह निर्णय कि कागजात आप के पास भेज दिये जायें और आप उनकी जांच करेंगे तथा उन आरोपों में यदि कोई सचाई हुई तो आप समिति नियुक्त करेंगे बहुत ही सराहनीय है। आपका विनिर्णय बहुत उचित है तथा इससे बहुत अच्छी परम्परा स्थापित होगी। इस चर्चा को इसी प्रकार चलते रहने नहीं दिया जा सकता इस लिये मैं प्रस्ताव करता हू इस चर्चा का संवरण किया जाये। संवरण प्रस्ताव पेश करने से पहले मैं सभा को चुनौती देता हू कि यदि हम में से किसी के विरुद्ध एक भी आरोप लगाया जा सकता हैं तो मैं सर्वप्रथम इस सभा की सहायता से त्यागपत्र देने को तैयार हूं।

सदस्यों की गिरफ्तारी के बारे में (डा० राम मनोहर लोहिया)

Re : Arrest of Member (Dr. Ram Manohar Lohia)

Dr. Ram Manohar Lohia(Farrukhabad) : Mr. Speaker, I had requested you twice and thrice as well as I had written to you a letter also and you had assured me that you would be giving a statement regarding Section 107 after consulting the Home Minister Shri Chavan. Whenever the sittings of Lok Sabha are held the opposition Members are removed from the scene by using these Sections.

Mr. Speaker : If you want that I should give a statement just now then I am giving it just now. I have consulted both the Law Minister and the Home Minister and had discussed with them the ways to remove the apprehension that Section 107 was being misused and especially when the Lok Sabha was in session. Dr. Lohia had raised two main points in his letter. Firstly he had written that Members of Parliament should not be arrested under Section 107. Secondly he had said that during the session of Parliament no member of Parliament shonld de arrested.

Dr. Ram Manohar Lohia : Mr. Speaker the main point which I have raised in my letter and which I am repeating here also is that Section 107 is a bad Section. It has been misused. Section 107 of the Cr. P. C. is against the provisions of our Constitution. You have generally ruled that courts should be moved regarding such sections. I have moved the court also. I have told the Chief Justice that not only Section 107 but other Sections also like Sections 144 and 109 are being misused and they are inconsistent with the digoity of Indian citizens, their security and freedom and as such they should be declared ultra vires.

Mr. Speaker : He had raised two points. His first point is just as he has said now that Section 107 is against our Constitution. The first thing is that I can not decide about the Constitutional validity of this Section. Secondly the hon. Member had moved the court of law to declare that section ultra vires, but he had withdrawn his case. I think every citizen of the country is free to move a court of law and get the section 107 declared as ultra vires, whether he is charged under Section 107 or not.

There is no hindrance in moving a court of law in this regard. Thirdly he has said that Member of Parliament should not be arrested under Section 107. I can not do that, because doing that would be creating a new privilege for which neither I nor this House has been given powers. No new privilege can be created. I have done the utmost which I could do. I have pleaded with both the Ministers that there should not be such fears among the Members that they are not being allowed to discharge their normal duties. There should be no reason for them to think that this section is being misused against the Members and especially when the Parliament is in Session. Unless it becomes also absolutely necessary for the executive to make any arrest, it should not make it; they have to decide; it should not be left merely to the simple ordinary officer. More care should be taken and caution exercised. Due care and caution must be

exercised and only when it becomes absolutely necessary, arrest should be made; otherwise it should not be made. That was the most that I can do and I have done that.

श्री हरि विष्णु कामत : क्या मंत्री आपके पहले सुझाव से सहमत हैं ?

Mr. Speaker: They have to consider it.

Shri Hari Vishnu Kamat: Have they not assured you ?

Mr. Speaker: We have to see how they implement my suggestion.

श्री हरि विष्णु कामत : मुझे इस बात की चिन्ता है कि जो व्यवहार डा० लोहिया के साथ हुआ है, वह किसी अन्य विरोधी दल के सदस्य के साथ भी किया जा सकता है ।

Mr. Speaker : This has been discussed. It is not proper to allow a debate a fresh in this regard. I have informed the House, what I have told them.

Shri Maurya (Aligarh): Mr. Speaker, on that day you had given another assurance also. When the leader of the S. S. P, Shri Mani Ram Bagri was arrested, he was told by the Magistrate that be could be released on bail, if he furnished two sureties of Rs. 25,000/— each. So I along with Shri Kashi Ram Gupta, two M. Ps' went to the court. I took my jeep and new fiat car along with me whose value is Rs. 27,000/— and Shri Gupta also had his jeep and a car whose value comes to Rs. 30,000/—. We showed to the Magistrate our identity card and the jeeps and cars also. Firstly he was going to release Shri Bagri on bail but just at that moment he received a telephone and ordered the S. H. O. "S. H. O. to verify the assets of the surety" Thereafter I furnished an affidavit in the court but on that also he repeated the same orders. I want to say that the Magistrate wilfully wanted to detain the hon. Member, though we were there to have his bail. Leaving apart the fact that we are M. Ps., we showed him our identity card, we gave the written affidavit. I want to know how far it was proper for the Magistrate not to release Shri Bagri when we were there along with our property ?

Mr. Speaker: I can not give any judgement regarding the magistrate's discretion and exercise of his power. Whosoever goes in a court, he goes in the capacity of a citizen. I can not interfere with the courts affairs. I had forwarded your letter to the Home Minister and had also informed you of the reply he had given to me.

वैयक्तिक स्पष्टीकरण

Point of Personal Explanation

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्णसिंह) : महोदय, जब मैं सभा में उपस्थित नहीं था, तो डा० लोहिया ने एपीजय शिपिंग लाइन्स के बारे में कोई वक्तव्य दिया था । मैं अगस्त, 1963 से जुलाई 1964 तक खाद्य मंत्री था । मंत्री होने के नाते मेरे विभाग तथा मेरे अधिनस्थ अधिकारियों की भूलों और कमियों की जिम्मेदारी मैं स्वीकार करता हूं । परन्तु मुझे यह जानकर दुःख हुआ कि डा० लोहिया ने अपने आपको विभाग की भूलों तथा इसकी कमियों तक सीमित नहीं रखा परन्तु बहुत ही अस्पष्ट ढंग से मेरे ऊपर और श्री पाटिल पर अवैध पुरस्कार स्वीकार करने का आरोप लगाया । इस प्रकार का वक्तव्य बिल्कुल अनुचित है ।

मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ था कि पहले किसी ने कहा था कि मैंने कांग्रेस निधि के लिए 7 लाख रुपये लिये थे और अभी कोई कहने जा रहा है मुझे 75000 दिये गये थे । मैं नहीं जानता कि ये शब्द सभा की कार्यवाही से निकाले जायेंगे अथवा नहीं । परन्तु यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है और यह राशि सदस्यों की कल्पनाओं और इच्छाओं के अनुसार बढ़ती घटती जा रही है ।

मैं गत 15 वर्षों से इस सभा की सेवा में हूं ये मामले जो 3 अथवा 4 वर्ष पुराने हैं, सत्र के बिल्कुल अन्त में जबकि चुनाव बिल्कुल निकट हैं, उठाये जा रहे हैं। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि गलत आरोप लगाये गये हैं। मैं उनका खण्डन करता हूं, क्योंकि वे बिल्कुल निराधार हैं।

Shri Madhu Lemaye (Monghyr): The Hon. Minister has said that these matters are being raised at the fag end of the session when we are going to the polls, but I want to point out that the matter relating to M/s Amin Chand Pyare Lal and Steel Ministry are being raised from the last session.

Dr, Ram Manohar Lohia: when he was food Minister ... ...

Mr. Speaker: Now I cannot allow you to make fresh allegations. The Hon. Minister has repudiated the charges made by an hon. Member. Now it is for the House to give its judgement in the matter.

Shri Radhelal Vyas (Ujjain): I want to raise a point of order under rule 356 which says :

"A member while speaking shall not— make a personal charge against a member"

The rule is mandatory, Further sub-clause (7) of the rule says "other treasonable, seditious or defamatory words" My submission is that many unparliamentary words like "Kal Ka Chokra'' "Choor", "Doa Kodi ka Aadmi" etc. have been used in this House, which should be expunged from the proceedings of this House under rule 380. which says : "If the speaker is of the opinion that words have been used in debate which are defamatory or indecent or unparliamentary or undignified "My submission is that three or four members stand up at a time and start talking in such a way in which even fighting does not take place in Bazar. They have been violating the rules daily and been speaking without your permission. I suggest that you should see the proceedings of the House and all such words which are undignified. unparliamentary. indecent and defamatory be expunged from the proceedings of this House. The business in this House should be transacted strictly in accordance with the rules.

Shri Bagri (Hissar): Mr. Speaker, on a point of order. Once when I said whether it was Lok Sabha or Mugal Durbar, action was taken against me. Now an hon. Member belonging to Congress has said that this House is like a Bazar and no action is being taken against him. I want to know your ruling whether it is proper to call this House as a Bazar.

Mr. Speaker: My ruling is that it is not improper to say that this House is not a Bazar.

Da. Ram Manohar Lohia: Mr. Speaker, I want to draw your attention to rule 357 under which you have allowed Sardar Swaran Singh to give a personal statement, which says :

"In this case no debatable matter be brought forward and no debate shall arise"

It is undeniable that Sardar Swaran Singh has raised a debatable matter By merely repudiating that the allegations are unfounded and baseless, no purpose has been served. Only yesterday I have very clearly stated that 983 tones of rice were lost from a single ship named Rajiv, which was carrying 6987 tones and which actually brought only 6004 tones.

I have quoted Government figures and the relevant papers are with you. I want to say that a loss of 1000 tones of rice means a loss of five or six lakh rupees to the country and it is not a singular incidence, rice had been lost from nearly fifty ships. It is a very serious matter and requires thorough investigation. By mere repudiation that the allegations are baseless and unfounded, no useful purpose is served.

Mr. Speaker : I have heard you. You have been raising this point since long But I can not allow a debate on this. If you raise another question in accordance with the rules discussion can be allowed on that. Whenever allegations are made against a Minister, certainly he has got the right to repudiate them. It can not be there that you go on making allegations against him and he goes on sitting silent accepting them. I cannot agree with you on this point.

नेपाल में हाल में बनाये गये विधान के बारे में, जिसका भारतीयों के अधिकारों पर प्रभाव पड़ता है, विवरण

Statement Re : Recent Legislation in Nepal affecting rights of Indians

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : मैं नेपाल में हाल में बनाये गये विधान के बारे में, जिस का भारतीयों के अधिकारों पर प्रभाव पड़ता है, एक विवरण सभा पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 7497/66]**

श्री जोकीम अल्वा (कनारा) : महोदय क्या श्री बागड़ी एक दिन में चार स्थान बदल सकते हैं ? एक दिन जब आपकी कुर्सी खाली होगी तो वह वहां बैठ जायेंगे और बोलने लगेंगे।

अध्यक्ष महोदय : उनका इरादा अभी मेरी कुर्सी पर बैठ कर बोलने का नहीं है, परन्तु आप यह सुझाव देकर उन्हें प्रोत्साहन दे रहे हैं। अभी तक श्री बागड़ी को कोई निश्चित स्थान नहीं दिया गया है, इसलिये उन्हें स्थान बदलने की अनुमति दी जा रही है।

श्री हेम बरुआ (गोहाटी) : कार्य सूची में दर्ज 20 वें क्रमांक के बारे में क्या किया गया है ?

अध्यक्ष महोदय : वह विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

श्री हेम बरुआ : मैंने आपको लिखा था कि मैं इसके सम्बन्ध में स्पष्टीकरण चाहता हूं। क्या आप प्रधान मन्त्री को स्पष्टीकरण देने के लिये कहेंगे।

अध्यक्ष महोदय : जब श्री दिनेश सिंह सभा में उपस्थित होंगे, तो मैं उन्हें बुलाऊंगा।

विशेषाधिकार समिति के ग्यारहवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

Motion Re : Eleventh Report of the Committee of Privileges

श्री कपूर सिंह (लुधियाना) : विशेषाधिकार समिति का 11 वां प्रतिवेदन 30 नवम्बर, 1966 को सभा पटल पर रखा गया था। समिति का यह प्रतिवेदन एक विशेषाधिकार के मामले पर आधारित है जिसे श्री मुध लिमये ने 18 अगस्त को उठाया था और जिसे विशेषाधिकार समिति को सौंपा गया था। श्री मधु लिमये ने 4 अगस्त, 1966 के कर्नल अमरीक सिंह के एक पत्र का उल्लेख किया था, जिसे अध्यक्ष लोक सभा के नाम लिखा गया था और जिसमें किसी ऐसे दस्तावेज का उल्लेख था जिससे यह ज्ञात होता था कि श्री जीत सिंह द्वारा सरदार हुकमसिंह, अध्यक्ष लोकसभा को 40,000 रुपये की धनराशि दी गई।

समिति के इस प्रतिवेदन का गौरपूर्ण अध्ययन करने से पता चला है कि समिति के सदस्य इस मामले में नियमानुसार जांच नहीं कर सके, क्योंकि उनके दिमाग में यह विचार था कि यदि यह सिद्ध होता जाता है कि ऐसे दस्तावेजों का कोई अस्तित्व है, तो आप त्याग पत्र दे देंगे।

अध्यक्ष महोदय : क्योंकि वह समझते हैं कि समिति ने यह निष्कर्ष इसलिये निकाले कि कहीं मैं त्यागपत्र न दे दूं। समिति के विरुद्ध ये आक्षेप नहीं लगाये जाने चाहियें कि उन्होंने ईमान-

जारी से काम नहीं किया और ये निष्कर्ष इसलिये निकाले गये कि कहीं मैं त्यागपत्र न दे दूं ।

श्री कपूर सिंह : मैंने ऐसी तो कोई बात नहीं कही है ।

अध्यक्ष महोदय : इसका अर्थ यही निकलता है ।

श्री कपूर सिंह : इस समिति ने कार्य संचालन नियमों तथा समिति द्वारा साक्ष्य लेने के नियमों का उल्लघन करके अपने कार्य का संचालन किया है और यह शायद इसलिये किया गया क्योंकि समिति के सदस्यो को भारी दबाव में काम करना पड़ा है ।

श्री फ्रैंक एन्थनी (नाम निर्देशित-आंग्ल-भारतीय) : श्री मान्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । समिति में हम एक न्यायालय के रूप में कार्य करते हैं । जब हम समिति में एक न्यायालय के रूप में काम करते हैं, तो क्या समिति का एक सदस्य दूसरे सदस्यों पर लांछन लगा सकता है ?

श्री नि० च० चटर्जी (बर्दवान) : यह अर्द्ध न्यायिक न्यायाधिकरण पर लांछन लगाना है । सभा ने उस न्यायाधिकरण को नियुक्त किया था तथा उसे एक बहुत गम्भीर आरोप की जांच करने का कार्य सौंपा गया था । हमने जिम्मेवारी से काम किया है । हम पर इस बात का कोई दबाव नहीं था कि आपने त्यागपत्र देने को कहा है । हम तो सच्चाई जानना चाहते थे । हमने कर्नल अमरीक सिंह को वह दस्तावेज पेश करने का पूरा मौका दिया था, जिसके आधार पर वे आरोप लगाये गये थे, परन्तु हमारे बार बार अवसर देने के बाद भी वह वे दस्तावेज पेश नहीं कर सके ।

Shri Maurya (Aligarh) : Sir, I rise on a point of order. The fact mentioned by Sardar Kapur Singh and different from the fact mentioned in the report It is, therefore, very necessary that the entire proceedings of the Committee to which the Hon. Member is reffering to should be brought before the House, because unless the entire proceedings are brought before the House we are unable to reach at any conclusion whether the facts mentioned by Sardar Kapur Singh are correct or the fact mentioned by the Committee are correct.

Mr. Speaker : There is no point of order in it.

श्री कपूर सिंह : मुझे समिति के दो माननीय सदस्यों से यह जानकर बड़ी खुशी हुई कि उनके दिमाग पर आपके वाक्यों का कोई प्रभाव नहीं था । परन्तु दुर्भागय से इस बारे में विशेषाधिकार समिति में कुछ ऐसी बाते हुई हैं, जो गत चार अथवा पांच वर्षों मे नहीं हुई । मैं किसी पर किसी प्रकार का लांछन नहीं लगा रहा हूं, मैं तो केवल तथ्यों का उल्लेख कर रहा हूं और उनकी ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं । मैं सभा का ध्यान पहले एक अवसर पर उठाये गये इस प्रश्न की ओर दिलाना चाहता हूं कि क्या विशेषाधिकार समिति के एक सदस्य के विमतिटिप्पण के किसी वाक्य अथवा पैरे के समिति के प्रतिवेदन से निकाला जाना न्यायोचित है तथा उस समय यह तर्क दिया गया था कि यदि नियमों में यह दिया हुआ है कि विमति टिप्पण को निकाला जा सकता है, तो उसे निकाल दिया जाये और सभा ने वह प्रतिवेदन स्वीकार कर लिया था। मेरा निवेदन यह है कि उस निर्णय से प्रजातंत्र प्रणाली को भारी आघात पहुँचा है । इस विशेष मामले में मेरा विमति टिप्पण प्रतिवेदन से इस बात पर निकाल दिया गया क्योंकि प्रक्रिया नियमों के नियम 314 में केवल यह दिया हुआ है कि प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जायेगा परन्तु उसमें यह नहीं कहा गया है कि विमति टिप्पण भी पेश किया जायेगा । इस सम्बन्ध में मैं आगे तर्क पेश करना नहीं चाहता परन्तु सभा के विचारार्थ कुछ प्रश्न रखना चाहता हूं । मैं जानना चाहता हूं कि क्या समिति के प्रतिवेदन का यह अर्थ है कि वह केवल बहुसंख्यक सदस्यों का प्रतिवेदन है ? क्या इसका

अभिप्राय समिति के सभी सदस्यों द्वारा निकाले गये मत तथा निष्कर्ष से नहीं है। भारत के संसद के इतिहास में पहली बार यह आवश्यक क्यों समझा जा रहा है कि समिति के प्रतिवेदन के लेख से विमति मत को बिल्कुल निकाल दिया जाना चाहिये। मैंने अपने विमति टिप्पण में कुछ यथार्थ बातों की ओर ध्यान दिलाया था, जिसमें समिति की सूचना में लाना चाहता था।

श्री खाडिलकर (खेड) : श्रीमान् मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। माननीय सदस्य विमति टिप्पण का उल्लेख कर रहे हैं, परन्तु विमति टिप्पण सभा के समक्ष नहीं है।

श्री कपूर सिंह : मैं विमति टिप्पण को पढ़ नहीं रहा हूं मैं तो उसमें उल्लिखित केवल मुख्य मुख्य बातों का उल्लेख कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं भी यह कह रहा हूं कि माननीय सदस्य इस तरीके से विमति टिप्पण को सभा की कार्यवाही में शामिल नही कर सकते जबकि समिति ने उसे निकाल दिया है।

श्री कपूर सिंह : यदि समिति ने उसे अपने प्रतिवेदन से निकाल दिया है तो भी सभा का सदस्य होने के नाते प्रतिवेदन पर बोलने तथा अपनी राय प्रकट करने का मुझे अधिकार है।

मैं विमति टिप्पण को पढ़ नहीं रहा हूं। मैं केवल उसकी मुख्य मुख्य बातों का उल्लेख कर रहा हूं। इसमें क्या गलती है। मैं वे बातें समिति के समक्ष नहीं कह सका, इस लिये अब सभा के समक्ष कह रहा हूं ताकि सभा प्रतिवेदन पर उचित ढंग से विचार कर सके।

श्री खाडिलकर : उन्हें विमति टिप्पण का उल्लेख नहीं करना चाहिये, क्योंकि विमति टिप्पण को समिति ने, जो कि अर्द्ध न्यायिक न्यायाधिकरण और ससदीय समिति है, अपने प्रतिवेदन से निकाल दिया है। अतः उनकी बातें केवल समिति के प्रतिवेदन तक ही सीमित होनी चाहियें, जिसे सभा में पेश किया गया है।

श्री नि० च० चटर्जी : श्रीमान् मैं आपका ध्यान नियम 315 (2) की ओर दिलाना चाहता हूं जिस में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्रतिवेदन में उल्लिखित बातों के सिवाय किसी अन्य बात का उल्लेख नहीं किया जा सकता। नियम 315 (2) इस प्रकार है :

"प्रश्न सभा के सामने रखने से पूर्व अध्यक्ष प्रस्ताव पर बाद-विवाद की अनुज्ञा दे सकेगा जिसकी अवधि आधे घण्टे से अधिक नहीं होगी और ऐसे वाद-विवाद में प्रतिवेदन के ब्योरा का उससे अग्रेत्तर निदेश नहीं किया जायेगा। जितना यह सिद्ध करने के लिये आवश्यक हो कि सभा द्वारा प्रतिवेदन पर विचार किया जाये।"

इस लिये यहां पर वह केवल प्रतिवेदन का उल्लेख कर सकते हैं और उसकी आलोचना कर सकते हैं। निदेश संख्या 68 में स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि प्रतिवेदन के साथ कोई विमति टिप्पण नहीं होगा।

विधि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्) : अभी माननीय सदस्य ने यह दिखाने के लिये कि विमति टिप्पण नहीं हो सकता, विदेश संख्या 68 का उल्लेख किया है। मैं नियम संख्या 275 का उल्लेख करता हूं, जोकि संसदीय समितियो से सम्बन्धित है। यह एक संसदीय समिति हैं तथा प्रवर समिति नहीं है और इसके प्रतिवेदन के साथ विमति टिप्पण नहीं लगाया जा सकता नियम 275 में सर्वप्रथम कहा गया है कि समिति आदेश दे सकेगी कि सम्पूर्ण साक्ष्य या उसका कोई अश अथवा उसका साराश पटल पर रख दिया जाये। दूसरे इसम कहा गया

है कि कोई भी व्यक्ति अध्यक्ष द्वारा दिये गये अधिकार के सिवाय साक्ष्य के किसी अंश का, अथवा समिति के प्रतिवेदन के किसी अश का या उसकी कार्यवाही का जो सभा पटल पर न रखी गई हो, निरीक्षण नहीं कर सकेगा । तीसरे इसमें कहा गया है कि समिति के सामने दिया गया साक्ष्य तब तक प्रकाशित नहीं किया जायेगा, जब तक की वह पटल पर न रख दिया गया हो । इस नियम के परन्तुक में कहा गया है कि अध्यक्ष स्वविवेक से सदस्यों को गुप्त रूप से साक्ष्य उपलब्ध कर सकेगा । इसलिये स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है जहां तक समिति का सम्बन्ध है उसमें विमति टिप्पण का कोई उपबन्ध नहीं है । दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि समिति ने सारे मामले पर बहुत ध्यान पूर्वक विचार किया है तथा समिति के दो सदस्यों ने जाकर दस्तावेजों की जांच की थी । इसके बाद ही समिति ने अपने निष्कर्ष निकाले हैं और प्रतिवेदन पेश किया है । इसलिये मेरे विचार में नियमों में ऐसा कोई उपबन्ध नहीं है जिसके अन्तर्गत माननीय सदस्य विमति टिप्पण का उल्लेख कर सकें, जिसको कि समिति ने अपने प्रतिवेदन से निकाल दिया है ।

श्री त्यागी (देहरादून) : इस सम्बन्ध में मैं एक बात कहना चाहूंगा । जैसा कि माननीय सदस्य ने पहले कहा है समिति एक न्यायालय के रूप में काम करती है । उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों को विमति निर्णय देने का अधिकार हैं । कभी कभी बहुमंख्यक न्यायाधीश कुछ निर्णय देते हैं और अल्पसंख्यक न्यायधीश कुछ निर्णय देते हैं ? मैं समझता हूं कि समिति के एक सदस्य को विमति टिप्पण देने के अधिकार से वंचित करना उचित नहीं है । अत: इस बात पर विचार किया जाना चाहिये कि क्या एक सदस्य को विमति टिप्पण देने के अधिकार से वंचित करना उचित है ?

अध्यक्ष महोदय : अधिकार से वंचित करने का कोई प्रस्ताव नहीं हैं । श्री त्यागी लोक लेखा समिति के अध्यक्ष रहे हैं । आरम्भ से ही यह सोचा गया था कि संसदीय समितियों के प्रतिवेदन सर्वसम्मत होने चाहिये तथा उनके साथ कोई विमति टिप्पण जुडा हुआ नहीं होना चाहिये । अभी तक हमेशा यही पद्धति रही है । विधेयक के लिये नियुक्त प्रवर समितियों के प्रतिवेदनों के साथ विमति टिप्पण जोड़ने का अधिकार है, तथा उनमें प्रत्येक सदस्य को विमति टिप्पण देने का अधिकार है । इसी लिये यह निदेश 68 है । मेरा ख्याल है कि स्पीकर ने या जिसने भी यह कहा है उस वक्त इसीलिये कहा होगा कि कोई विमति टिप्पण नहीं लगाया जाना चाहिये ।

There shall be no minute of dissent. This provision has been made so that the prestige and respect of a parliamentary Committee may be maintained.

Shri Madhu Limaye : Is a select Committee not a Parliamentary Committee ?

Mr. Speaker : There is a provision for that so far as Select Committee is concerned.

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बैरकपुर) : जहां तक लोक लेखा समिति तथा प्राक्कलन समिति का सम्बन्ध है, इनके बारे में एक परमपरा है जिसमें अभी कुछ परिवर्तन किया गया है, कि उनके प्रतिवेदनों पर सभा में कभी सभा में वाद विवाद नहीं किया जाता है । परन्तु यह एक ऐसी समिति है जिसके प्रतिवेदन पर सभा में वाद विवाद किया जा सकता है । जैसा कि श्री त्यागी ने कहा है मेरा भी यही विचार है कि न्यायधीश को विमति निर्णय देने का अधिकार है, तो समिति के एक ऐसे सदस्य को जिसकी राय बहुमंख्यक सदस्यों से भिन्न है विमति टिप्पण देने का अधिकार क्यों नहीं है । मैं समझती हू कि ऐसा करना न केवल उसे विमति टिप्पण देने मे वंचित करना है, परन्तु उसे यहां अपनी राय प्रकट करने से भी वंचित करना है ।

अध्यक्ष महोदय : यह तो प्रतिवेदन मे ही दिया हुआ है कि उसकी राय भिन्न थी ।

श्री हरि विष्णु कामत: आपने कहा है कि यह समझा जाता है कि इन समितियों के प्रतिवेदन सर्वसम्मत होगे। मैंने इस विशेष समिति से सम्बन्धित प्रक्रिया नियम 313, 314, 315 तथा 316 का अध्ययन किया है, तथा उन नियमों में कहीं भी 'सर्वसम्मत" शब्द नहीं दिया हुआ है। इन नियमों में यह नहीं कहा गया है कि वे प्रतिवेदन सर्वसम्मत हों। अतः "सर्वसम्मत" शब्द न होने से यह निष्कर्ष निकलता है कि यह आवश्यक नहीं कि वे प्रतिवेदन सर्वसम्मत हों। यदि प्रतिवेदन सर्वसम्मत नहीं है, तो एक सदस्य को यह अधिकार है कि वह अपनी भिन्न मत प्रकट कर सके। अतः नियमों के अन्तर्गत एक सदस्य को विमति टिप्पण देने का अधिकार है। मैं आशा करता हूं कि जैसा कि आपने पहले कहा था आप एक सदस्य को .....

अध्यक्ष महोदय : कल जब श्री द्विवेदी ने मेरे से कहा था ..... ,

श्री हरि विष्णु कामत : मैंने भी निवेदन किया था।

अध्यक्ष महोदय : मैंने कहा था "हां"।

श्री हरि विष्णु कामत : आपके चैम्बर में विमति टिप्पण पढ़ने के बाद सदस्यों को उनका उल्लेख करने का अधिकार होना चाहिये। विशेषाधिकार समिति से सम्बन्धित नियमों में कहीं भी सदस्य के विमति टिप्पण देने से स्पष्टतः वंचित नहीं किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : आप निदेश संख्या 68 देखिये।

श्री हरि विष्णु कामत : मैं जानता हूं। मैं समझता हूं वह निदेश साक्ष्य के सम्बन्ध में है। परन्तु आपने पहले यह विनिर्णय दिया था कि कोई निदेश नियम से ऊपर नहीं समझा जा सकता, जैसा कि कोई नियम संविधान से उपर नहीं समझा जा सकता।

अध्यक्ष महोदय : यह निदेश किसी नियम को प्रभावहीन नहीं करता है।

श्री हरि विष्णु कामत : यदि हां निदेश किसी नियम को प्रभाव हीन नहीं करता है, तो किसी नियम के द्वारा तो सदस्य को विमति टिप्पण देने से वंचित नहीं रखा गया है।

अध्यक्ष महोदय : किसी नियम में यह भी नहीं कहा गया है कि वह विमति टिप्पण पेश कर सकता है।

संसद कार्य विभाग तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री

(श्री जगन्नाथ राव) : नियम 315 (3) इस प्रकार है :

"उपनियम (1) के अन्तर्गत किये गये प्रस्ताव के स्वीकृत हो जाने के बाद, यथास्थिति, सभापति या समिति का कोई सदस्य या कोई अन्य सदस्य, प्रस्ताव कर सकेगा कि सभा प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों को स्वीकार करती है या अस्वीकार करती है या संशोधन के साथ स्वीकार करती है"

इस लिये वह प्रतिवेदन की आलोचना कर सकते हैं, परन्तु विमति टिप्पण के बारे में नहीं बोल सकते।

श्री कपूर सिंह : मैं सभा के समक्ष यह प्रस्ताव पेश कर रहा हूं कि विशेषाधिकार समिति के ग्यारहवें प्रतिवेदन को स्वीकार न किया जाये, क्योंकि इस में बहुत खामियां हैं और इस प्रस्ताव के समर्थन में मैंने कुछ तथ्यों का उल्लेख करना है। इस प्रतिवेदन में बहुत गम्भीर खामियां हैं।

इसे ऐसी प्रक्रिया के बाद तैयार किया गया है, जो ऐसे मामलों के लिये उल्लिखित प्रक्रिया के लगभग सभी नियमों का उल्लंघन करता है। यह नियम 270,271 और 273 नियमों का खण्डन करता है। वह उपलब्ध सामग्री और ग्राह्य साक्ष्य को शामिल न करने और उसे छिपाने पर आधारित है।

कर्नल अमरीक सिंह की जांच के दौरान यह व्यंग्य किया गया था और उसके विरूद्ध सुझाव दिया गया था कि वह झूठे रूप से सेना के पद का दावा करते रहे हैं, वह पदच्युत सरकारी कर्मचारी हैं और वह गम्भीर दण्ड के अपराधों में शामिल थे। परन्तु प्रत्येक बार, जब कर्नल अमरीक सिंह ने इन व्यंग्यों को निराधार ठहराने के लिये दस्तावेजी साक्ष्य देने का प्रयत्न किया तो उन्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं दी गई। दूसरी बात यह है कि कर्नल अमरीक सिंह ने शपथ खा कर यह कहा था कि काठमांडू के जनरल थापा को जीतपाल द्वारा लिखा गया तथाकथित पत्र जिसमें सरदार हुकम सिंह को 40,000 रुपये की राशि के अवैध भुगतान का रहस्योद्घाटन किया गया है, अदालती कार्यवाही के दौरान उसके वकील ने पेश किया था।

उसने आगे शपथ खा कर कहा था कि इसके साक्ष्य तथा संकेत मिले हैं कि दस्तावेज न्यायिक मिसिल से चुराया गया था। उसने कानूनी प्रमाण भी पेश किया कि न्यायिक अभिलेखों से दस्तावेज की एक प्रति प्राप्त करने के सभी प्रयत्न एवं उस सम्बन्ध में अपने आवेदन पत्रों की प्रतिलिपियां प्राप्त करने के निवेदन भी असफल एवं बेकार ही रहे हैं। इस परिस्थितियों में उसने समिति से निवेदन किया था कि उन्हें उस पत्र को पेश करने की अनुमती दी जाये जो उनके वकील द्वारा 6 वर्ष पूर्व न्यायालय में पेश किये गये पत्रों के यथार्थ विषय को प्रमाणित करते हुए लिखा गया था तथा उस मूल पत्र को पेश करने की भी अनुमति दी जाये जिसमें यह दर्शाया हुआ है कि "एस० हुकम सिंह" जिसका कि जीतपाल के पत्र में उल्लेख हुआ है, हमारे वर्तमान अध्यक्ष हैं।

साक्ष्य सम्बन्धी कानून के अन्तर्गत ये दो दस्तावेज अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। चूंकि अब इस वकील की मृत्यु हो चुकी है, इसलिये भी ये दस्तावेज प्राथमिक साक्ष्य के रूप मे ग्राह्य हैं।

एक प्रश्न के उत्तर में कर्नल अमरीक सिंह इस बात से सहमत हो गये थे कि जनरल थापा से, जिसे जीतपाल ने पत्र भेजा था, पूछताछ नहीं की।

प्रक्रिया के नियम 270 के अन्तर्गत समिति को व्यक्तियों को बुलाने तथा रिकार्ड तथा कागजात मांगने का अधिकार है। किन्तु समिति ने अपने इस अधिकार का प्रयोग नहीं किया, इसके विपरीत उसने कर्नल अमरीक सिंह पर इस बात के लिये जोर डाला कि वह उस दस्तावेज को पेश करे जिसका उन्होंने अपने पास होने का भी दावा नहीं किया था।

प्रक्रिया का नियम 273 में गवाहों से पूछ ताछ करने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है किन्तु समिति ने कर्नल अमरीक सिंह से पूछताछ करते समय इस प्रक्रिया का पालन नहीं किया था। इस नियम के अन्तर्गत साक्ष्य अपने द्वारा दिये गये उत्तर मे कुछ और जोड़ सकता है। किन्तु कर्नल अमरीक सिंह को इसकी अनुमति नहीं दी गई थी।

इस समिति के समक्ष जो साक्ष्य प्रस्तुत किये गये थे उनके आधार पर प्रथम दृष्टया मामला बनता है कि इस प्रकार का कोई दस्तावेज विद्यमान है और उसमें वे बातें हैं, जो कर्नल अमरीक सिंह द्वारा जनरल थापा को लिखे गये पत्र में मौजूद है। मैं इससे अधिक और कुछ नहीं कहता हूं। समिति के निष्कर्ष न तो उसके समक्ष प्रस्तुत किये गये प्रमाणों पर आधारित है और

न ही प्रक्रिया के अनुकूल है ।

श्री निं० चटर्जी (बर्दवान) मैं सभा का ध्यान प्रतिवेदन के पृष्ठ 74 पर कंडिकार की ओर दिलाता हूं । कर्नल अमरीक सिंह द्वारा अध्यक्ष को लिखे गये पत्र-में जैसा कि श्री मधु लिमये ने बताया है और जिसे विशेषाधिकार समिति को सौंपा गया है- कहा गया है कि भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अन्तर्गत विवरण सहित प्रस्तुत किये गये एक महत्वपूर्ण दस्तावेज के अनुसार श्री पाल ने अनेक व्यक्तियों को घूस दी और 40,000 रुपये की रकम अध्यक्ष महोदय के नाम दिखाये गये हैं । ग्यारह वर्ष तक इन्कार करने के बाद इन मामलों से सम्बन्धित मुकदमों में सरकार द्वारा इन दस्तावेजों का होना उच्च न्यायालय में स्वीकार किया गया है ।

मैंने कर्नल अमरीक सिंह से पूछा कि यह दस्तावेज कहां है, तो उन्होंने बताया कि उसे दिल्ली के एक स्पेशल मजिस्ट्रेट के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था । श्री फ्रैंक एन्थोनी द्वारा पूछे जाने पर कर्नल अमरीक से कुछ बातों का विवरण बताया । हमने उन्हें दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिये कहा क्योंकि यह दस्तावेज उसके मामले की पुष्टि कर सकता था इसके लिये हमने उन्हें समय भी दिया ।

श्री मधु लिमये ने 18 अगस्त, 1966 को इस बारे में इस सभा में विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया था । मामले को उठाते समय उन्होंने अनुरोध किया था कि कर्नल अमरीक सिंह को सभा के सामने बुलाया जाय और उनसे कहा जाय कि वह अपने आरोपों के सम्बन्ध में श्री जीतपाल से सम्बन्धित दस्तावेजों के होने के बारे में प्रमाण दें । समिति ने भी उनसे कहा कि वह दस्तावेज प्रस्तुत करे । श्री मधु लिमये ने भी यही बात कही थी । यदि दस्तावेज का होना साबित हो जाये तो जीत पाल को दण्ड दिया जाना चाहिए था और ऐसा न हो सकने पर कर्नल अमरीक सिंह की भर्त्सना की जानी चाहिए । कर्नल अमरीक सिंह साबित नहीं कर सके अतः उनकी भर्त्सना की जानी चाहिए ।

सत्यता का पता लगाने के लिए समिति की पहली बैठक 19 अगस्त को हुई थी । समिति ने श्री फ्रैंक एन्थानी तथा श्री पाराशर से जो सुविख्यात वकील है, अनुरोध किया कि वे न्यायालय में जाकर इस मामले की सत्यता का पता लगाये । उन्होंने न्यायालय में जाकर इस दस्तावेज के बारे में जानकारी प्राप्त करनी चाही किन्तु न्यायालय में इस प्रकार का कोई दस्तावेज था ही नहीं ।

समिति की दूसरी बैठक 22 अगस्त को हुई और इस बैठक में कर्नल अमरीक सिंह को समिति के सामने उपस्थित होने का आदेश दिया । कर्नल अमरीक सिंह समिति की 1 सितम्बर, 1966 की बैठक में उपस्थित हुए । समिति ने उन्हें 20 सितम्बर तक दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिये कहा । किन्तु वह अपने द्वारा लगाये गये आरोपों की पुष्टि के लिये ऐसा कर सकने में असफल रहे । उनसे यह भी कहा गया था कि यदि दस्तावेज न्यायालय में हैं तो उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि ही प्रस्तुत की जाये । किन्तु वह प्रमाणित प्रतिलिपि भी प्रस्तुत करने में असमर्थ रहे ।

कर्नल अमरीक सिंह ने बताया कि ये दस्तावेज न्यायालय में फाइल से गायब कर दिये गये हैं । उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने उस दस्तावेज को मांगने के लिये न्यायालय में आवेदन किया है । जब उसने यह कहा कि वह इस आवेदन पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि समिति के सामने प्रस्तुत करें तो वह उसे भी प्रस्तुत नहीं कर सके । उनका कहना था कि अम्बाला के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने यह कह कर उनका आवेदन पत्र लौटा दिया है कि दस्तावेज नहीं मिल रहे हैं ।

किन्तु वह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पत्र को भी समिति के सामने प्रस्तुत नहीं कर सके। वह उस आवेदन पत्र की प्रतिलिपि भी समिति के सामने प्रस्तुत नहीं कर सके जिसे वह दस्तावेज वापिस मांगने के लिए दिल्ली के न्यायालय में दिया बताते हैं। इस तरह उनसे जो कुछ भी प्रस्तुत करने के लिए कहा गया, उनमें से वह कुछ भी प्रस्तुत नहीं कर सके।

समिति की अगली बैठक 4 अक्तूबर को हुई। कर्नल अमरीक सिंह ने समिति में किसी टाइप किये गये दस्तावेज की एक फोटो स्टैट प्रति पेश की जो उनके अनुसार उस पत्र की प्रतिलिपि था जो श्री जीतपाल द्वारा काठमाडू (नैपाल) में श्री बी० पी० थापा को भेजा गया था।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 के अनुसार गौण साक्ष्य पेश करने से पहले यह साबित करना पड़ता है कि मूल साक्ष्य खो गया है अथवा नष्ट हो गया है। इस मामले में कर्नल अमरीक सिंह दस्तावेज का होना साबित नहीं कर सके। उनका कहना है कि जिस वकील के पास ये दस्तावेज थे उनकी मृत्यु हो चुकी है। किन्तु वह उस वकील का नाम भी नहीं बताते हैं।

इसके बाद भी समिति कर्नल अमरीक सिंह को 31 अक्तूबर तक दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिये समय दिया गया। किन्तु उन्होंने कोई दस्तावेज अथवा कोई प्रमाणित प्रतिलिपि पेश नहीं की।

जब इतना समय दिये जाने के बावजूद कर्नल अमरीक सिंह कोई दस्तावेज पेश नहीं कर सके और न ही यह साबित कर सके कि इस प्रकार का कोई दस्तावेज था तो उसने अपने प्रारूप प्रतिवेदन पर 10 नवम्बर, 1966 को विचार किया और उसे स्वीकृत कर लिया।

इस मामले में विमति टिप्पण का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। समिति के अध्यक्ष को यह अधिकार है कि वह प्रतिवेदन में से जिस अंश को चाहे निकाल सकता है। दूसरी बात यह है कि श्री कपूर सिंह के इस कथन का कोई औचित्य नहीं है- जैसा कि उन्होंने पत्र लिख कर कहा है- कि कर्नल अमरीक को अपनी सफाई देने का फिर अवसर दिया जाये।

श्री फैंक एन्थानी (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय) मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। इस व्यक्ति ने मुझ पर भी एक आरोप लगाया है। समिति के सामने जब तक मैं उनसे पूछताछ कर रहा था, उन्होंने कुछ भी नहीं किया, किन्तु मेरे उठकर चले जाने के बाद उन्होंने मुझ पर झूठा आरोप लगाया है कि मैं अमींचन्द प्यारेलाल का कानूनी सलाहकार हूं, जबकि मैं उनको जानता तक नहीं।

श्री बड़े (खारगोन) : श्री नि० चं० चटर्जी ने कहा है कि श्री कपूरसिंह ने असहमति टिप्पणि नहीं दिया है। किन्तु प्रतिवेदन के पृष्ठ 17 पर कहा गया है। प्रकिया नियमों के अनुसार श्री कपूरसिंह की असहमति टिप्पणि को शामिल न करने का समिति ने निर्णय किया है।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Mr. Speaker, on your permission I submitted it.

यदि इस दस्तावेज में वर्णित बातें काल्पनिक और मिथ्या है, तो वह सभा के अपमान का दोषी है। यह सभा तथा विशेषाधिकार समिति का कार्य है कि वह इस दस्तावेज की जांच करे और कर्नल अमरीक सिंह अथवा श्री जीतपाल, जैसा हो, विशेषाधिकार का दोषी ठहराये।

Now I come to the documents at page 13 mentioned by the committee :

समिति के चेयरमैन ने आरम्भ में ही बताया था कि कर्नल अमरीक सिंह ने कुछ दस्तावेज पेश किये थे। जिन्हें उन्होंने सच्ची प्रतिलिपि प्रमाणित किया था। कर्नल अमरीक सिंह ने टाइप किये हुए पत्र की एक फोटो स्टैट प्रति प्रस्तुत की हैं। जिसमें कोई तिथि नहीं है और जिसे श्री जीतपाल द्वारा काठमांडू, नैपाल में किसी डी० पी० थापर को भेजा गया बताया गया है।

I submit the Report of the Privilege Committee for reconsideration on two grounds. These documents should be taken into account before taking any final decision because these were not taken into account so far.

Secondly, the dissenting remarks of Shri Kapur Singh should be incorporated into it and then the Privilege Committee may give its decision.

श्री गो० ना० दीक्षित (इटावा) : इस प्रश्न पर मैंने श्री मधु लिमये के विरुद्ध विशेषाधिकार भग के लिये सूचना दी है.....

श्री खाडिलकर (खेड) : मैं दो स्पष्टीकरण चाहता हूं । क्या कोई व्यक्ति, जिसके बारे में इस सभा में चर्चा की जा चुकी हो और जिसे दोषी समझा गया हो, पैरवी कर सकता है ? क्या कर्नल अमृक सिंह के विरुद्ध कोई अन्य मामले भी चल रहे हैं ? मुझे बताया गया है कि उनके विरुद्ध कुछ और मामले भी चल रहे हैं । यदि यह सच है तो उनकी जानकारी भी सभा को दी जानी चाहिए ।

Shri Ram Sewak Yadav (Barabanki): Shri Madhu Limaye had demanded that Col. Amrik Singh should be given deterrent punishment. What ia the punishment being given to him ?

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बैरकपुर) : मैं ससझती हूं कि सभा के सामने एक अत्यन्त महत्वपूर्ण मामला चर्चा के लिये आया है । हमें सत्य तक पहुँचना चाहिये । मैंने पहले भी अनुरोध किया था कि असहमति प्रकट करने वाले सदस्यों को भी अधिकार होना चाहिये । किन्तु मैं यह भी अनुभव करती हूं कि ससद सदस्यों को भी अपनी जानकारी के बारे में सतर्कता से कार्य लेना चाहिए । जानकारी देने वाले व्यक्ति विश्वसनीय होने चाहिये । जब हम इतने गम्भीर मामले पर चर्चा कर रहे हैं तो प्राप्त जानकारी का अत्यन्त महत्व होता है । मैं जानती हूं कि बहुत सी बातें गलत होती हैं जिन्हें हम साबित नहीं कर सकते हैं ।

वस्तुत: अध्यक्ष पीठ में सदैव इस बात पर जोर दिया गया है कि जानकारी विस्तार में ही जानी चाहिए क्योंकि आप किसी बात को कहने की अनुमति इस सभा में दे देते हैं । अत: हमें जानकारी के साधन की विश्वसनीयता के बारे में अपने आपको सन्तुष्ट कर लेना चाहिए । सोच समझकर मामले इस सभा में उठाये जाने चाहिए । यदि श्री अमृक सिंह इस किस्म के व्यक्ति हैं, तो उनका पिछला इतिहास भी अच्छा नहीं होगा । अत: हमें ऐसे मामलों को उठाते समय सावधानी से काम लेना चाहिये ।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : क्या सचिवालय अथवा इस सभा की अन्य समितियां हमें एक मामले के बारे में विश्वसनीय जानकारी दे सकती हैं ? मैं समझता हूं कि कर्नल अमृक सिंह के अनेक उपनाम हैं । क्या यह सच है कि कुछ वर्ष पूर्व कर्नल अमृक सिंह किसी उपनाम से इस सभा के किसी माननीय सदस्य के साथ रहते थे, किन्तु बाद में जब उन्हें मकान खाली करने के लिये कहा गया तो उन्होंने इन्कार कर दिया था और तब उन्हें जबरदस्ती निकाला गया था ?

अध्यक्ष : यह सच है ।

श्री दी० च० शर्मा (गुरुदासपुर) : यह सुझाव दिया जा रहा है कि विशेषाधिकार समिति इस सारे मामले पर फिर से विचार करे । जो व्यक्ति अविश्वसनीय तथा बुरे चरित्र वाला सिद्ध किया जा चुका है, क्या उसके मामले पर पुनर्विचार किये जाने पर वह विश्वसनीय हो जायेगा ?

श्री स० मो० बनर्जी : इस समिति के निर्णय को देखकर आश्चर्य होता है । समिति का

कहना है कि यह तथाकथित कर्नल अमृक सिंह दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके। यह आरोप अत्यन्त गम्भीर है। यह कई माननीय सदस्यों से चरित्र पर कुठाराघात है। अतः समिति ने इस व्यक्ति को कड़े दण्ड की सिफारिश क्यों नहीं की। पहले एक मामले में भी श्री करां जिया की इस सभा में भर्त्सना की गई थी। एक अन्य अवसर पर इस सभा के दो सदस्यों की भर्त्सना भी की गई थी। यदि अमृकसिंह दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके और उनका चरित्र अच्छा नहीं है तथा वह जाली काम करते हैं तो इस समिति ने उसे छोड़ क्यों दिया ? समिति ने उसके प्रति बड़ी उदारता दिखाते हुए कहा है कि चूंकि यह साधारण मामला है अतः इस बारे में आगे कार्यवाही आवश्यक नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है "कि विशेषाधिकार समिति के 14 वां प्रतिवेदन पर, जो 30 नवम्बर, 1966 को सभा में उपस्थापित किया गया था विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

श्री कृष्ण मूर्ति राव : मैं प्रस्ताव करता हूं। "कि यह सभा विशेषाधिकार समिति के 14 वें प्रतिवेदन से, जो 30 नवम्बर, 1966 को सभा में उपस्थापित किया गया था, सहमत है।"

श्री मधु लिमये : मैं अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं :

अध्यक्ष महोदय द्वारा श्री मधु लिमये का प्रस्ताव मतदान के लिये सभा में रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

The motion of Shri Madhu Limaye was put to the vote of the House and negatived:

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : "कि यह सभा विशेषाधिकार समिति के 14 वें प्रतिवेदन से, जो 30 नवम्बर, 1966 को सभा में उपस्थापित किया गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted,

विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में
RE : QUESTION OF PRIVILEGE

श्री गो० ना० दीक्षित (इटावा) : मैंने उच्च न्यायालय में दायर की गई लेख याचिका से सम्बन्धित सभी कागजातों का अच्छी तरह अध्ययन किया है उनमें से न तो अध्यक्ष महोदय और न ही अमीचन्द प्यारेलाल फर्म के किसी सदस्य का उल्लेख है। इस याचिका को पढ़ने पर मैं इस परिणाम पर पहुंचा हूं कि यदि किसी माननीय सदस्य का दिमाग का कोई पुर्जा ढीला न हो और न ही उसमें और कोई कमी हो तो वह इस याचिका को पढ़कर अमृक सिंह के प्रति यह राय बनायेगा कि या तो यह व्यक्ति पागल है अथवा पागल होने जा रहा है।

इस लेख याचिका के आधार पर मैं यह प्रमाणित करूंगा कि यह व्यक्ति नासमझ लगता है।

अध्यक्ष महोदय : चाहे हमारे विचार अन्य व्यक्तियों अथवा सदस्यों से भिन्न हों, किन्तु इस प्रकार की बात करना अनुचित है। माननीय सदस्य को अपने शब्द लेने चाहिये।

श्री गो० ना० दीक्षित (इटावा) : मैं आपके विनर्णय के समक्ष नतमस्तक होकर अपने शब्द वापिस लेता हूं।

पृष्ठ 85 पर 19 वीं कंडिका के अनुसार प्रत्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर सभी असेसरों तथा माननीय जज ने याचिका-कर्त्ता को दोषी पाया और उसे हत्या के अपराध में मृत्यु दण्ड तथा अन्य तीन अपराधों के लिये 7 वर्ष और छः महीने के कठोर कारावास का दंड दिया। इस प्रार्थी द्वारा उपरोक्त निर्णय के विरुद्ध अपील की जो अस्वीकृत की गई।

प्रार्थी पुलिस की हिरासत से भाग गया था। इसलिए उसे सजा नहीं दी जा सकी···

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है।

श्री हरि विष्णुकामत : यह सब किस बारे में है ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने श्री मधु लिमये के विरुद्ध इस आशय का विशेषाधिकार भंग के प्रस्ताव की सूचना दी है कि उन्होंने पहले सावधानी से काम नहीं लिया।

मैं श्री मधुलिमये से कहना चाहता हूं कि क्या वह यह नहीं समझते हैं कि उन्होंने मुझे दुख पहुंचाया है। माननीय सदस्य को पहले अच्छी तरह पूछताछ कर लेनी चाहिए थी। क्या ऐसा करना उचित नहीं था ?

Shri Madbu Limaye : I have taken every care in this matter and only with your permission have raised it here. Shrimati Ranu Chakravartty and Shri Kishen Pattnayak two witnessess were there.

Mr. Speaker: When you came to me with this information that 40 thousand rupees were shown against my name in one document, how could I conceal this thing from the House.

The certificate which is with you is a fictitions one. You have ascertained that there exists any letter or not. I donot want to pursue it further. But there is a pressure from other side to pursue it.

Shri Madhu Limaye : You may pursue it.

श्री गो० ना० दीक्षित : मैं समझता हूं कि यह मामला तभी आगे नहीं बढ़ाया जाना चाहिये जब श्री मधु लिमये आपसे बिना शर्त क्षमा याचना करें क्योंकि यह सभा के अवमान का गम्भीर मामला है।

Shri Bagri (Hissar) : What is this going on ? Is it a point of order ?

Mr. Speaker: You may sit down .. ... (Interruptions). Let me hear him ..... (Interruption).

माननीय सदस्यों को नियंत्रण से बाहर नहीं जाना चाहिये।

Shri Radhelal Vyas (Ujjain) : These Members should be taken to task, It is a contempt of the House.

श्री म० ला० द्विवेदी : माननीय सदस्य को कहा जाये कि वह अपने शब्द वापिस लें।

अध्यक्ष महोदय : श्री राधेलाल व्यास को भावुक नहीं होना चाहिये। इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना आपत्तिजनक है। विशेषतः ऐसे अवसर पर मुझे न कहा कि मैं कार्यवाही करूं।

श्री गो० ना० दीक्षित : श्री मधु लिमये जानबूझकर यह असद्भावपूर्ण कार्यवाही आपके प्रति है न कि श्री अमरीक सिंह के प्रति। उच्च न्यायालय के जिस निर्णय में इस दस्तावेज का उल्लेख है वह 26 जुलाई 1965 को दिया गया बताया जाता है। ठीक एक वर्ष बाद श्री अमरीकसिंह ने आपको पत्र भेजा और उसकी प्राप्ति की सूचना 4 अगस्त, 1966 को दी। प्रकाशित प्रतिवेदन के

अनुसार यह पत्र 4 अगस्त है और श्री मधु लिमये का पत्र 5 अगस्त का। अतः इसके आधार पर ऐसा प्रतीत होता है कि यह एक षडयंत्र था। श्री अमरीक सिंह उनके पास आये और उन्होंने पत्र को प्रमाणित किया। उसके बाद श्री लिमये सभा में आये और कहा कि वह श्री अमरीक सिंह को दंड दिलाना चाहते हैं। वह समझते थे कि यह पत्र अध्यक्ष महोदय के विरुद्ध है न कि श्री अमरीक सिंह के। इस प्रकार वह अध्यक्ष महोदय की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाना चाहते थे। आपको भेजे गये पत्र का श्री मधु लिमये द्वारा प्रकाशित किया जाना मुख्य अपराध है जो इस सभा के प्रति किया गया है। यह सभा का अपमान तथा विशेषाधिकार भंग का मामला है। ये कि संसदीय कार्य तथा प्रणाली में ऐसे अनेक मामलों का उल्लेख है जिसमें अध्यक्ष के चरित्र पर किये गये आक्षेपों को विशेषाधिकार भंग का मामला माना गया है। मैं हाउस आफ कॉमन्स की वाद विवाद में से 1911 का एक उद्धरण दूंगा। एक सदस्य ने दूसरे सदस्य को एक निजि पत्र लिखा था। जब तक यह निजि पत्र था और इसके बारे में कोई नहीं जानता था, तब तक कोई बात नहीं थी किन्तु दूसरे सदस्य ने इसे प्रकाशित करा दिया। जिसका परिणाय यह हुआ कि पूरी सभा ने उसकी निन्दा की और सम्बन्धित इन दोनों सदस्यों को बिना शर्त क्षमा मांगनी पड़ी। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य का इस मामले को सभा में उठाना प्रकाशित करने से भी बुरा है। श्री अमरीक सिंह द्वारा आपको पत्र भेजना कोई महत्व नहीं रखता है। महत्व इस बात का है कि श्री लिमये इस पत्र को सभा के सामने लाये और उसे प्रकाशित करा दिया। उन्होंने वही किया जो वह चाहते थे।

समिति की इन उत्पत्तियों को देखते हुए कि इस प्रकार का कोई पत्र नहीं है और श्री मधु लिमये ने इस सभा के सदस्य के रूप में अपनी शक्ति और स्थिति का दुरुपयोग किया, मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री लिमये की निन्दा की जाये और उन्हें इस सभा से निष्कसित किया जाये।

श्री मती रेणु चक्रवर्ती : क्या यह विशेषाधिकार भंग नहीं है ? उन्होंने अब निष्कासन शब्द क्यों जोड़ा है ?

अध्यक्ष महोदय : इसका पहले प्रस्ताव से कोई सम्बन्ध नहीं है। यह असंगत है।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Dewas) ; Mr. Speaker, what about my Motion. Let me start and then it may be postponed till tomorrow.

Mr. Speaker : I do not know, what the Leader of the House wants. I have no objection. I will give an opportunity to the hon. Member later on.

श्री गो० ना० दीक्षित : मैं इस प्रस्ताव को नियम 225 के अन्तर्गत पेश कर रहा हूं।

व्यवधान

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने मुझे विशेषाधिकार भंग सम्बन्धी प्रस्ताव की सूचना दी है :

Shri Madhu Limaye : Shri G. N. Dixit has levelled innumerable charges against me. This gentleman was not acquainted to me and he had come to me for the first time He put all these facts before me and he also stated that he had written a letter to you. I got suspicious and as a measure of precaution I did not sign on it at that time. Then I came to you along with Shrimati Renu Chakravartti and Shri Kishen Pattnayak. You had asked me to raise this matter quickly as it related to you. But still I did not initiate the matter for four or five days. Then at your direction I raised this matter. The cutting of the statement which I got from Dr. Aney was immediately despatched to you. Not only that, I had on a previous occasion also mentioned in this House that I had learnt from Dr. Aney that Pro. Ranga was having a bitter experience of Col.

Amrik Singh. Therefore, you should also have information from him. In my speech I had demanded that this gentleman should be arrested and produced before the House. It is with this intention that today I suggested for recommittal so that all the documents referred to by him might be considered by the Priviledges Committee. I have no intillegence department to verify the correctness of these documents.

So far Jitpal and others are concerned, the Public Accounts Committee had brought so many things into light about their companies etc. Sometimes some people try to mislead the Members of Parliament by supplying wrong information. I can quote several instances in this regard. Generally I try to find out the correctness of information supplied by anybody before taking any further steps in that regard.

I have drawn your attention to this fact that several contactmen are working on behalf of big capitalists and companies in Delhi. We have also to perform our duties as Member of this House. I always try to get the information as far as possible of such matters and raise them in House after studying them carefully. I always bow to your rulings for raising such matters.

The hon. Member has quoted the instances of the House of Commons in support of his point. In this connection I would like to say that Mr. Profumo, the then War Minister had to resign for giving wrong statement and concealing the facts from the House of Commons. But I have nothing to say about your ruling here.

I would like only to say that the charges levelled against me by Shri Dixit are totally wrong. I raised this matter here only to prove our honesty and honour. In my letter addressed to you I levelled some charges against Shri Manubhai Shah and Shri Sachindra Chaudhry and I am prepared to prove these charges before any Committee. If I fail to prove them, you may award any punishment to me.

Shri Maurya : Col. Amrik Singh should be arrested. ... (Interruptions)

Mr. Speaker : How can I arrest him. At present we are only discussing the motion moved by Shri Dixit against Shri Madhu Limaye.

Several hon. Members : No. No.

Mr. Speaker : Mr. Madhu Limaye has pleaded his case strongly. But he should have verified the correctness of the letter.

This matter may be dropped if the House agrees to it.

Several hon. Members : No. No.

Mr. Speaker : Then I put it to the vote of the House.

अध्यक्ष महोदय : मैं सभा के मतदान के लिये श्री दीक्षित को देखने जा रहा हूं कि श्री लिमये ने इस सम्बन्ध में विशेषाधिकार को भंग किया है ।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Why do you not raise the question of privilege ? ... ... (interruption) I am not a coward. I say, you raise the question.

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बैरकपुर) : श्रीमन् आपको याद होगा श्री लिमये और मैं दोनों आपसे मिलने गये थे क्योंकि यह एक गम्भीर मामला था । हमने आपके साथ बातचीत की थी फिर कैसे कहा जा सकता है कि यह असद्भाव से किया गया था ।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : श्रीमन्, आप सभा के सामने क्या वास्तविक प्रस्ताव रखना चाहते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : सूचना यह है कि श्री मधु लिमये ने विशेषाधिकार भंग किया है और

करनल अमरीक सिंह के विरुद्ध प्रस्ताव लाने से उनका अभिप्राय अध्यक्ष की ईमानदारी पर आपत्ति उठाना था।

श्री हरिविष्णु कामत (होशंगाबाद) : श्रीमन्, । सभा के सामने क्या रखा जा रहा है ?

अध्यक्ष महोदय : कि इस प्रस्ताव को रखने की अनुमति दी जाये।

श्री हरिविष्णु कामत : इसका अर्थ हैं आपने अनुमति दे दी है।

अध्यक्ष महोदय : जी हां :

श्री हरिविष्णु कामत : इस मामले में नियम 225 का पूरी तरह पालन नहीं किया गया है। उन्होंने आपको जो लिखकर सूचना दी है उसके क्षेत्र से उनका प्रस्ताव काफी बाहर चला जाता है और यह बहुत ही आपत्तिजनक बात है।

आप सभा के समक्ष जो कुछ रख रहे हैं वह प्रस्ताव नहीं है जो उन्होंने पेश किया था। उन्होंने कुछ प्रस्ताव दिया था और आप सभा के सामने कुछ और चीज रख रहे हैं। मैं नहीं जानता दोनों में से कौनसी ठीक है।

अध्यक्ष महोदय : यह मैंने तुरन्त कह दिया था कि अन्त में कहे गये शब्द असंगत है।

श्री हरि विष्णु कामत : श्रीमान् आपके प्रति पूरे सम्मान के साथ मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आपको सभा के सामने ऐसा प्रस्ताव रखने की शक्ति प्राप्त है जो सूचना में दिये गये प्रस्ताव से भिन्न हो ?

अध्यक्ष महोदय : जो प्रस्ताव उन्होंने पेश किया है जिसकी उन्होंने सूचना दी थी यद्यपि अपने भाषण में उन्होंने कुछ शब्द ऐसे कहे हैं जिनका प्रस्ताव से बिल्कुल कोई सम्बन्ध नहीं था।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : उन्होंने क्या प्रस्ताव किया है ?

श्री हरि विष्णु कामत : कि उन्हें सभा से बाहर निकाल दिया जाये।

श्री गो० ना० दीक्षित (इटावा) : मैंने अपने भाषण में कहा था कि यह दण्ड है जो कि उनको मिलना चाहिये। परन्तु मैंने श्री मधु लिमये के विरुद्ध विशेषाधिकार भंग के एक प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के लिये सभा की अनुमति के लिये प्रस्ताव किया था।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : श्रीमन्, नियम 223 के अन्तर्गत मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। श्री दाजी ने एक प्रस्ताव की सूचना दी थी जिसकी आपने अनुमति नहीं दी थी क्योंकि आपने समझा कि वह मामला हाल ही घटना में नहीं था। जब श्री दाजी ने कहा कि उनको 5 मिनट लग सकते हैं क्योंकि सभा नहीं बैठ रही थी, तो आपने कहा 5 मिनट से भी अन्तर पड़ता है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने यह कभी नहीं कहा कि यदि इस समय 5 मिनट की भी देर लगी तो मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा।

श्री स० मो० बनर्जी : तो आपने '5 दिन' कहा होगा।

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnor) : Sir, I move that the Private Members Business' Business scheduled to be taken at 3.30 P. M. be taken up at 4.30 P. M. and thus time for this increased by an hour.

अध्यक्ष महोदय : क्या सभा गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य के 4.30 बजे लिये जाने के पक्ष में है।

कुछ माननीय सदस्य : जी हां ।

श्री स० मो० बनर्जी : श्री मन्, यह मामला हाल की घटना नहीं है । श्री लिमये ने विशेषाधिकार का एक प्रश्न एक पत्र की फोटोस्टेट प्रति के आधार पर, जो कि उन्हें दी गई थी, उठाया था । श्री दीक्षित सभा में थे । यदि श्री दीक्षित इस को गलत समझते थे कि किसी को बदनाम करने के लिये ऐसा किया जा रहा है तो उन्हें इस आधार पर प्रस्ताव का विरोध करना चाहिए था ।

अध्यक्ष महोदय : इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है ।

श्री हुमायुं कबिर (बसिर हाट) : श्री मान् , जैसा कि आपने कुछ समय पूर्व कहा इस विषय पर काफी चर्चा हो चुकी है और इसको अब समाप्त किया जाना चाहिए । असद्भाव एक ऐसी चीज है जिसको सिद्ध करना बहुत कठिन है दोनों ओर से काफी गर्मी दिखाई गई है और ऐसी बातें की गई हैं जो शायद नहीं कही जानी चाहिए थी । अत: मेरा निवेदन है कि अब इसको समाप्त किया जाये क्योंकि ऐसी चर्चा से सभा के किसी भी पक्ष की शोभा नहीं बढ़ती है ।

अध्यक्ष महोदय : क्या सभा के नेता को इस मामले में कुछ कहना है ?

श्री सत्यनारायण सिंह : मैं अभी आया हूं और मुझे नहीं पता कि अब तक क्या हुआ हैं ।

अध्यक्ष महोदय : सभा के नेता इस पर विचार करें और उसके बाद मैं निर्णय करूंगा । अब हम श्री कछवाय के प्रस्ताव पर विचार करेंगे ।

श्री हरि विष्णु कामत : श्री मन् इस चर्चा के लिये 2 या 1/2 घन्टे का पूरा समय दिया जाना चाहिए । यदि यह आज समाप्त नहीं होती तो उसको कल सुबह लिया जाये न कि कल रात में

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर विचार करूंगा । अब श्री कछवाय ।

नई दिल्ली में 7 नवम्बर, 1966 की घटनाओं के बारे में और गोवध पर रोक लगाने के बारे में प्रस्ताव

Motion RE : Incident in New Delhi on 7th November, 1966 and RE : Banning Cow Slaughter

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Devas) : Sir I beg to move : "that the statement given by the Minister of state in the Ministry of **Home Affairs** on the 9th, November, 1966, regarding the incidents in New Delhi on 7th November be considered."

People from all parts of the country had come to Delhi on the 7th. November to express their sentiments against the Cow slaughter. There is a dominant feeling in the country that Cow slaughter is a slur on the face of this country and it should be banned.

The internal disscussions of the Congress are responsible for the most deplorable incidents of the 7th November.

There are two factions in the Central Government : One of Shri Nanda and the other of Shri L. P. Singh. Shri L. P. Singh's group has the support of the Prime Minister and because of this there was disagreement between the Prime Minister and the Home Minister, I want to tell you how a plan was hatched to undo this demonstration. A scheme was drawn in Delhi by both D. S. P. and S. P. Crimes and according to that scheme 62 goondas and some other anti-national elements were called from W. Bengal on the 5th of November. on the 6th November 272 goondas were arrested in Delhi and out of them 80 were kept and the rest were released. On the 6th November a record number of policemen were on leave. They were told to be present in the demonstration of the 7th November.

[श्रीमती रेणु चक्रवर्ती पीठासीन हुई
Shrimati Renu Chakravartty in the Chair]

These goondas of W. Bangal and Delhi and the policemen on leave were given a feast in the parliament Street Police Station. Their rehearsal was held here and they were told the manner in which they would disrupt the demonstration and make it a failure.

Each of these persons was given Rs. 150/—. Many policemen were given the lurement of promotion, They were asked to swear by their sacred religious books that they would do their duty most honestly.

The enquiry office of the All India Radio was set on fire by the policeman who had died and he was in civilian clothes. The Government should hold an enquiry into it.

It is incumbent on the police to inform the public before resorting to firing. They were given no such information. I want to know how many rounds were fired and how many tear-gas shells were thrown.

I want to tell you that even those persons were called from west Bengal who do espionage for Pakistan. What is the exact number of persons killed in this firing Where are the dead bodies of those 122 persons ? All of them were burnt in Badarpur at a distance of about 11—12 miles from here. What quantity of petrol was purchased on that day from the petrol pumps and what quantity was used to burn those persons ? What has happened to the dead body of Shri Jhoomr Lal Asopa of Jodhpur who was killed in this firing ? Where is the dead body of Satish Kumar aged 18 who recived a bullet in the leg and who later on ? This is a monstrous Government which is not prepared even to handover the dead bodies to next of kin of the dead. This is a mockery of democracy. The nineteen persons who had received injuiries were removed in a truck and then brutally strangled to death. Is it the way to run the Government ?

Shri Prabhudutt Brahmchari has been maliciously put behind the bars because he had contested election against the late Prime Minister. He is being tormented and nobody is allowed to see him. If an enquiry is held all the facts will come to light. When the theft of Hazaratbal hair took place Government moved heaven and earth to discover it, but on the other hand Government is blatautly offending the religious susceptibilities of the Hindus by profaning their religious places. I want that a judicial inquiry be held into the incidents of November, 7.

सभापति महोदय : यह संख्या 22 और 23 पर एक साथ चर्चा की जायेगी ।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि यह सभा 7 नवम्बर, 1966 को नई दिल्ली में हुई दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में 9 नवम्बर, 1966 को गृह-मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य पर विचार करती है ।"

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnor) : Respect for cow comes down to us right from the vedic age. From the very beginning we have called her mother. This agitation of banning the cow slaughter is as old as the cow slaughter itself in this country. There has been number of movements in this country which have demanded the ban on cow slaughter. Even in Moghal days it was banned by the Muslim Rulers. During British Government were not callously indifferent towards this sentiment. Let me also state this movement gained momentum when Mahatma Gandhi came to the fore in the political struggle of the country. Mahatma Gandhi firmly turned down Mr. Jinnah's demand that Muslims in India should have right to slaughter cows in free India. Even Lokmanya Tilak assured the Hindus in his times that the cow slaughter will be totally

banned as soon as the country attains independence. He went on to assure that the first law that will be passed after the country freedom will be the ban of cow slaughter. But today we find that after 20 years of independence the cow slaughter has not been banned. Certain saints, who are positively above the politic has taken charge of the movement to demand the ban on cow slaughter.

Let me state that the cow slaughter has been responsible for a very slow rate of growth of cow population in our country. As a result of this there have been very meager increase in the quality of milk. Figure of per capita consumption of cow milk in this country is 3.28 grames. We are a agriculturist country, and our farmers mainly depend upon bullocks for tilling the land. But what we find is that the price of bullocks is very high. This is always the result of cow slaughter. But the Government are not willing to ban cow slaughter because they think they are earning foreign exchange by export of beef and cow-skin.

I strongly repudiate their charge that the sponsors of the movement to ban cow-slaughter have an eye on the elections, Jagadguru Shankaracharya, Muni Sushil Kumar, Acharya Vinobha Bhave and Jaya Parkash Nairain are not the persons who are interested in election. But on the other hand it can very safely stated that the congress party got votes in the elections by exploiting the name of the bullocks. Government have never paid adequate attention to look after carefully the needs of cows and bullocks. If they had been looked after very carefully, it would have been very useful for the country. On this subject there is a book written by Shri Shri Satish Chandra Das. I would urge upon the Government to ask the savings of temples for being utilised on cow protection.

I feel the Central Government should come out with a legislation imposing a ban on cow slaughter in the entire country. Our Constitution should be ammended, if it is very necessary to do so. Government should not show callous indifference towards the sentiments of a such a large section of the population. On the other hand they should be respected. It is really very sad that our Government at the centre have not been able to impose a ban on cow slaughter even in certain union territories which are directly under their control.

The incident of the 7th Nov. are really very sad, but the reluctance on the part of the Government to hold a judicial inquiry into the incidents on November 7 have created a suspician in the minds of the people. The Government are not agreeing to hold an inquiry because they are apprehensive that certain high officials may be found guilty as a result of the inquiry. What I want to stress is that the Government should not make the ban on cow slaughter a prestige issue. My submission is that the Government should give objective consideration and come to a right decision; so that the lives of the saints who are on hunger strikes on this issue may be saved.

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी के संशोधन भी प्रस्तुत हुए ।

डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी (जोधपुर) : मैं अपने संशोधन प्रस्तुत करता हूं ।

Shri R. S. Pandey (Guna)

An assurance was given by the former Home-Minister that slaughter will be banned in the centrally administered areas on the 4th Nov. He also stated that on this issue some negotiations are going on between the Central Government and the Chief Ministers of the States. Let me make it clear that these are no two opinions that cow should be protected. But I am of the opinion that the way the sponsors of the movement for the ban on cow slaughter, is very objectionable. They are not adopting

proper tactics for this objective. One can very well imagine what can happen when large number of Sadhus armed with tridents are sent out to participate in demonstrations. And we the horrible results of that.

What I want to urge upon the sponsors of the movement is that they should give up the path of violence. They should adopt path of non-violence and adhere to the constitutional ways to achieve their objective. I will request them that they should not maligu the fair name of our religion and culture. Let me suggest that all sadhus should be requested to take care of a dry cow each. A national cow protection fund should be instituted and big pinjrapoles should be opened for the protection of cows.

I have urge upon the Home Minister that this matter should be discussed with the religious leaders. All the leaders who have been arrested in connection with cow protection movement should set free. The Home Minister should also try to persuade the Chief Minister of the concerned states to impose ban on cow slaughter. The feelings of the people should be respected by the Government. But people should be aware of such people who will demand vote by using the name of cow slaughter.

सभा के कार्य के बारे में
Re : Business of the House.

सभापति महोदय : अब हम गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों को लेंगे। यह चर्चा कल जारी रहेगी। क्या इसी सत्र में हमारे पास समय रहेगा ?

श्री जगन्नाथ राव (नौरंगपुर) : जी हां।

श्री हरिविष्णु कामत (होशंगाबाद) : एक दिन और बैठना पड़ेगा।

श्री श्याम लाल सर्राफ (जम्मू तथा काश्मीर) : दो महत्वपूर्ण विधेयक हैं जिनमें मेरी रुचि है। एक तो सिन्ध को आठवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए संविधान में संशोधन करने वाला विधेयक है और दूसरा भारतीय प्रशुल्क (दूसरा संशोधन) विधेयक है।

सभापति महोदय : सभी विधेयकों को ही लेना होगा। सरकार का भी यही मत है कि जो मदें अनुसूची में है उसे ले लिया जायेगा।

श्री जगनाथ राव : यह जो चर्चा चल रही है, उसे पेटेन्ट विधेयक के बाद ले लिया जायेगा।

Shri Bibhuti Misra (Motihari) : The Patents Bills should be given priority.

सभापति महोदय : पेटेन्ट विधेयक कल लिया जाये ?

श्री जगन्नाथ राव : सोमवार को, शाम के 5 बजे।

सभापति महोदय : कल प्रश्नों का घंटा नहीं होगा, प्रातः हम 11 बजे कार्य शुरू करेंगे। संविधान (संशोधन) विधेयक भी लिया जा सकता है।

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के सौवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव।
Motion RE : Hundredth Report of Committee on Private Members Bills and Resolutions.

श्री अ० शंकर आल्वा (मंगलौर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि यह सभा गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के सौवें

प्रतिवेदन से, जो 1 दिसम्बर,1965 को सभा में उपस्थापित किया गया था, सहमत है।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :—

'कि यह सभा गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के सौवें प्रतिवेदन से, जो दिसम्बर, 1966 को सभा में उपस्थापित किया गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 324 का संशोधन)

श्री श्रीनारायण दास (दरभंगा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

'कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुनः स्थापित करने की अनुमति दी जाय।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है।

"कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुनः स्थापित करने की अनुमति दी जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

श्री श्रीनारायण दास : मैं विधेयक पुनः स्थापित करता हूं।

संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 370 का संशोधन)

श्री हरिविष्णु कामत (होशंगाबाद) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुनः स्थापित करने की अनुमति दी जाय।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुनः स्थापित करने की अनुमति दी जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

श्री हरिविष्णु कामत : मैं विधेयक पुनः स्थापित करता हूं।

संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 130 का संशोधन)

श्री हरिविष्णु कामत : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुनः स्थापित करने की अनुमति दी जाय।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुनः स्थापित करने की अनुमति दी जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

श्री हरि विष्णु कामत : मैं विधेयक पुनः स्थापित करता हूं ।

उद्जनित वनस्पति तेलों के निर्माण तथा आयात का निषध विधेयक—जारी
Prohibition of Manufacture and import of Hydrogenated Vegetable oil Bills (cd)

सभापति महोदय : अब हम 18 नवम्बर, 1966 को श्री यशपाल सिंह द्वारा प्रस्तुत निम्न लिखित प्रस्ताव पर आगे चर्चा करेंगे : —

"कि उद्जनित वनस्पति तेलों के निर्माण तथा आयात का निषेध विधेयक को 1 फरवरी, 1967 तक राय जानने के लिए परिपालित किया जाय ।"

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Deputy Speaker in the chair]

Shri Radhe Lal Vays (Ujjain) : Vanaspati is used by every section of the society The moneyed people also use it on the occasions of marriages and parties. A ban on the manufacture of vanaspati will create great hardship. The real problem is to prevent aduteration of vanaspati with pure Ghee. Colouring of vanaspati will not solve the problem; because a device will be possiale to decolourise it. The vanaspati oil should not be hydrogenated in order to avoid aduteration. It should be kept in liquid form. Another solution of the problem is to increase the production of pure Ghee.

It should be the responsibility of each of us to pay proper attention to protection of cows and improve their breed. This will help in increase in the production of milk. More and more Goshalas should be established. People should take a pledge to use cow's milk and ghee. That is the only way to solve the problem.

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री शिन्दे) : श्री यशपाल सिंह के प्रस्ताव प्रस्तुत किया है कि वनस्पति के आयात तथा उत्पादन पर रोक लगाने वाला विधेयक लोक राय जानने के लिये परिचालित किया जाये । वर्तमान समय में न तो विदेशों से वनस्पति तेल का आयात किया जाता है, न ही सरकार का ऐसा करने का कोई विचार है । प्रस्तावक महोदय का मुख्य तर्क यह है कि वनस्पति तेल स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है और उसका उपभोग राष्ट्र को कमजोर बना देगा । उन्होंने यह भी कहा है कि सरकार वनस्पति को रंग देने के लिये कोई उचित रंग नहीं ढूंढ सकी है ।

वनस्पति का प्रयोग केवल भारत में ही नहीं होता है । इसका प्रयोग समूचे विश्व में होता है इसे विभिन्न देशों में विभिन्न नामों से पुकारा जाता है । यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि अन्य देशों में इसका उपयोग भारत की तुलना में बहुत अधिक है और उससे उन देशों के लोगों के स्वास्थ्य पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ा है ।

उद्जनित तेलों के प्रभाव के बारे में किये गये विस्तारपूर्वक अध्ययन से मालूम हुआ है कि मूंगफली का तेल तिल का तेल और उनकी जमाई हुई किस्मों, जिनका दृवणांक 350 सेन्टीग्रेड हो, और मक्खन आदि के पोषक तत्व समान है । जमाये गये तेलों और न जमाये गये तेलों का भी पाच्य गुण समान ही है । जिस रूप में मक्खन और उद्जनित तेल भारत में बिकते हैं, उस रूप में वे विटामिन 'ए' प्राप्त करने के अच्छे साधन हैं ।

इस समय देश में उपलब्ध खाने में प्रयोग होने वाले तेलों और चर्बी की कुल मात्रा 23·3 लाख टन के लगभग है यह ठीक है कि वनस्पति की घी के साथ मिलावट करने से वनस्पति का दुरुपयोग होता है। वनस्पति की घी में मिलावट का पता केवल रासायनिक विश्लेषण द्वारा ही लगाया जा सकता है । इसके अतिरिक्त, सरकार ने वनस्पति में 3 प्रतिशत तिल का तेल मिलाना अनिवार्य कर रखा है।

श्री जी० भ० मथालानी (अमरोहा). डॉक्टर लोग दिल के रोगियों को वनस्पति घी का प्रयोग करने से मना करते हैं।

श्री शिन्दे : मैं इस बात की जांच करूंगा। वनस्पति में रंग मिलाने के बारे में हमने विशेषज्ञों की राय ली है। उनकी राय यह रही है कि ऐसा करना व्यवहारिक नहीं है। वर्तमान परिस्थितियों में देश में वनस्पति का उत्पादन बन्द नहीं किया जा सकता। गैर सरकारी क्षेत्र के अतिरिक्त हम इस क्षेत्र में किसानों की सहकारी संस्थाओं को भी प्रोत्साहन देने का विचार कर रहे हैं। यदि कृषक अपने आपको सहकारी से संगठित कर लेंगे तो हमें सहकारी क्षेत्र में भी कुछ एकको को लाइसेंस देने पर विचार करना पड़ेगा। हम इस बात के इच्छुक है कि वर्तमान क्षमता का यथासम्भव अधिकतम लाभ उठाया जाये। मैं प्रस्तावक से प्रार्थना करता हू कि वह विधेयक को वापिस ले लें।

Shri Yashpal Singh (Kairana) : The arguments advanced by the Minister are not at all satisfactory. It is wrong to equate vanaspati oils and fats with Ghee. The quality of cow's milk and ghee are lacking in any other commodity. The health of our countrymen is steadily deteriorating because of the constant use of vanaspati oils. The sooner the production of vanaspati is stopped, the better would it be for the country. The Government should encourage the use of cow's milk and ghee since only then our people will become healthy and strong.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : "कि भारत में उद्जनित वनस्पति तेलों के उत्पादन तथा आयात के निषेध का उपबन्ध करने वाले विधेयक को उस पर 1 फरवरी, 1967 तक राय जानने के लिये परिचालित किया जाये।"

लोक-सभा में मत विभाजन हुआ
The Lok Sabha divided
पक्ष में 10 ; विपक्ष में 33
Ayes 10 ; Noes 33
प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ
The motion was negatived

हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) विधेयक
(धारा १४ का संशोधन)
HINDU SUCCESSION (AMENDENT) BILL
(AMENDENT OF SECTION 14)

श्री द्वा० ना० तिवारी (गोपालगज) मैं प्रस्ताव करता हूं 'कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

There was a provision in Hindu Succession Act, 1956 that a widow could get full share in the property of her husband. There cannot be any objection to this provision but there are some difficulties in it, But in case there are two sons, one from a predeceased wife of the hushand and another from the widow, she can give the property as gift to her own son. This causes a great hardship to the step son. He is deprived of his right t o property. It happens in many cases. The step son is left with no remedy under the present law. The intention of moving this Bill is to prevent such fictious sale which aims at depriving the step son of his legitimate right.

This Bill does not cause any hardship to the widow because she will still have the right to effect genuine transfer.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि "हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदास पुर) : हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम हिन्दुओं में सामाजिक न्याय लाने के लिये पारित किया गया था। कई बार विधि में त्रुटि रह जाती है। इसी कारण सशोधन प्रस्तुत किये जाते हैं। वर्तमान विधेयक में जीवित विधवा के पुत्र तथा मृत विधवा के पुत्र में किसी प्रकार के अन्तर को हटाने की मांग की गई है। यह विधेयक विधवाओं को सम्पत्ति में उनके अधिकार से वंचित नहीं करता। वे जब चाहें, अपनी सम्पत्ति बेच सकती हैं। यह उन्हें किसी प्रकार का मिथ्या सौदा करने से रोकता है जिससे सम्पत्ति का विधि पूर्वक भाग लेने के लिये सौतेला पुत्र वंचित हो जाये। जहां कहीं वैध आवश्यकता हो, विधवा अपनी सम्पत्ति बेच सकती है परन्तु यदि वह ऐसा अपने सौतेले पुत्र को वंचित करने के लिए करती है तो यह विधान उसे रोकेगा। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं।

श्री कु० कृ० वर्मा (सुल्तान पुर) : इस विधेयक का उद्देश्य प्रशंसनीय है परन्तु इसकी शब्दावलि में काफी त्रुटियां हैं। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 में विधवाओं को जो सम्पूर्ण अधिकार दिया गया था उसका इस देश में उचित प्रयोग नहीं हुआ है। इस देश की 70 प्रतिशत महिलायें अनपढ़ हैं और इसलिये उनको दिये गये सम्पूर्ण अधिकार का गलत प्रयोग किया गया है। कुछ बद्ध हित व्यक्ति उनको गलत मार्ग पर चला देते हैं जिससे वह अपनी वंशागत सम्पत्ति से वंचित हो जाती है। इसलिये मेरा सुझाव है कि सरकार कोई व्यापक विधेयक प्रस्तुत करने के बारे में गम्भीरता से विचार करे जिससे महिलाओं को दिये गये अधिकार का ठीक प्रयोग हो सके।

विधेयक के प्रारूप की तैयारी में कई गलतियों का पता लगता है। इसके उद्देश्यों में बताया गया है कि विधवा सौतेले पुत्र तथा पुत्री को सम्पत्ति से वंचित नहीं कर सकेगी परन्तु यदि शब्दावलि को पढ़ा जाये तो ऐसा लगता है कि सभी प्रकार के उपहारों की निषधी है। यद्यपि इस विधेयक का उद्देश्य सीमित है परन्तु इसके इस रूप से भी विधेयक के क्षेत्राधिकार के विस्तृत होने का पता लगता है। 1956 में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम पारित किया गया था और इसके पश्चात् कुछ हस्तान्तरण साधारण तरीके से अवश्य हुए होंगे। इन हस्तान्तरणों को अवैध बनाने के लिए विधेयक पारित करना उचित नहीं है। यदि सरकार इस विधेयक में निहित सिद्धान्त को स्वीकार करती है तो मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि सौतेले पुत्र तथा पुत्री अधिकारों को समाप्त करने के लिय सरकार हस्तान्तरण की निषधी के लिये एक अन्य विधेयक लावे। इससे मैं अपने मित्र श्री तिवारी से निवेदन करूंगा कि वह विधेयक को वापस ले लें।

Shri Bade (Khargone): I can not support the bill Mare complications will arise by the proposed amendment and litigation will also be on the increase. In 1956 Act women have been given same rights than that of the men. In a democratic country like ours there should be no difference in the rights of men and women. So, when once a woman is declared owner of the property she should have the right of transfer and sale of the said property.

The miner of the Bill also desires that it should be made applicable retrospectively. If this is done it will affect the transfer made during the period.
If this Bill is passed it will be a grave injustice to women of the country. I also do not support this Bill because it is against the principles of Hindu Sucession Act.

Shri Shree Narayan Das (Darbhanga): We accept the principle of equal right of men and women in property in Hindu Succession Act, 1956. Now if the proposed amendment is accepted it will be against the spirit of that Act. When a man has full right of transfer or sale of his property it will be a grave injustice to deprive the woman from this right. After the death of her husband she becomes the absolute owner of the property and she has the full right to dispose it off in a way she likes best. We should not deprive her of this right.

Shri Sheo Narain (Bansi) : I welcome the Bill. It is a matter of common knowledge that widows, who inherit property from the husband, do not behave properly with their step children. Sometimes step-children are considered as beggars even worse than that, The present amendment is suggested to ensure justice to step children. This amendment should be accepted.

When this Bill is passed, it should also be made applicable to Jammu and Kashmir because from Cape Commarine to Kashmir India is one.

Shri Balmiki (Khurja): I welcome the proposed amendment in the Bill, Grave injustice is done to step-children after the death of the father. I agree that the women should be given equal rights but some restrictions should be imposed on the widows to ensure justice to step-children. Some proviso to the effect should be included in the Act. If Government cannot accept this amendment then it should bring some comprehensive Bill to ensure justice to step-children.

उपाध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय इसका उत्तर बाद में दे सकते है। अभी हमें आधे घण्टे की चर्चा लेगे।

आधे घण्टे की चर्चा
HALF AN HOUR DISCUSSION
संसद सदस्यों के फ्लैट

श्री हेम बरुआ (गोहाटी) : ससद-सदस्यों के फ्लैट दो प्रकार के हैं। एक प्रकार के फ्लैटों का संसद के दोनों सदन तथा दूसरी प्रकार के फ्लैटों का प्रबन्ध निर्माण तथा आवास मंत्रालय करता है। राजधानी में मकानों की अत्यधिक कमी है और दूसरे गैर-सरकारी मकानों के किराये इतने अधिक है कि कम वेतन पाने वाले सरकारी कर्मचारी उनको किराये पर नहीं ले सकते।

सभी सम्बधिन्त व्यक्तियों से न्याय हो इसके लिये कोई नीति अथवा सिद्धान्त बनाया जाना चाहिये।

वर्तमान मन्त्री महोदय ने इस प्रणाली को युक्तिसंगत बनाने के लिये अनेक सिद्धान्त बनाये परन्तु दुर्भाग्यवश इसमें पक्षपात आ जाता है। सरकारी कर्मचारियों को मकान देने के लिये प्राथमिकता तिथि के आधार सम्बन्धी नियमों में छः बार परिवर्तन किया गया है। फिर भी स्थिति मे कोई सुधार नहीं हुआ है। जून 1962 में बारी से बाहर (आउट ऑफ टर्न) पद्धति में चिकित्सा के आधारों के बिना सभी को क्वाटरों का दिया जाना बन्द कर दिया गया था। परन्तु प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा था कि कुछ 20 व्यक्तियों को बारी से बाहर पद्धति में क्वाटर दिये गये हैं हो सकता है ऐसा चिकित्सा के आधारों पर किया गया हो।

जून 1964 चिकित्सा आधारों पर भी बारी से बाहर क्वाटर देना बन्द कर दिया गया। इन आदेशों को भूतलक्षी प्रभाव दिये गये। परन्तु इस सबके बावजूद बारी से बाहर क्वाटर दिये गये मन्त्री महोदय ने अपने उत्तर में केवल इतना कहा कि ऐसा तदर्थ आधारों पर किया गया है। ऐसा लोगों की वास्तविक तंगी के कारण नहीं बल्कि कुछ अन्य विशेष कारणों से किया गया। सरकारी तौर पर ऐसे मामलों की संख्या 31 बताई जाती है तथापि मुझे डर है कि यह संख्या वास्तव में अधिक है। इसके बावजूद एक बात और भी है। समय-समय पर सदस्यों के कुछ फ्लैट सदस्यों की आवश्यकता की अपेक्षा फालतू होने के कारण अथवा दोनों सदनों की संसदीय समितियों की सम्मति से, सामान्य संग्रह (जनरल पूल) को दे दिये गये हैं। इस प्रकार के फ्लैट बारी से बाहर के आधार पर दिये गये हैं। मंत्री महोदय ने उत्तर में कहा है कि ऐसे 20 मामले हैं। उन्होंने यह भी कहा कि बारी से बाहर के आधार के लिये उन्हें अभी कोई सिद्धान्त बनाना है।

माननीय मन्त्री का यह उत्तर कि संसद सदस्यों के फ्लैटों को दूसरे सरकारी क्वाटरों के समान नहीं समझा जाता बल्कि यह आवंटन अस्थायी रूप से तदर्थ आधार पर किया गया है, एक टालने वाला उत्तर है।

उनके उत्तर से यह भी पता चलता है कि यह फ्लैट उन लोगों को नहीं दिये गये जो नियमित क्रम के अनुसार उनके हकदार हैं। चूंकि आवंटन के लिये कोई सिद्धान्त नहीं है इसलिये यह बात भी स्पष्ट है कि राजनैतिक अथवा व्यक्तिगत कारणों से आवंटन किया जाता है। हो सकता कि मन्त्री महोदय की जानकारी के बिना उनके अधिकारियों ने पक्षपात करके कुछ ऐसे लोगों को दे दिये हो जो इसके पात्र नहीं हैं। जिन लोगों को वास्तविक कठिनाई है उनके अनुग्रह को रद्द करके अधिक वेतन पाने वाले अधिकारियों को फ्लैट दिये गये हैं जो कि गैर-सरकारी मकानों का किराया भी वहन सकते हैं। यह बात मन्त्री द्वारा दी गई सूची से भी स्पष्ट हो जाती है क्योंकि 20 में से 9 फ्लैट डाक्टरों को दिये गये हैं। ऐसे दो मामले हैं जहां आवंटन 1966 से दिलाया गया है परन्तु वास्तव में वे उन फ्लैटों में 1962 से रह रहे हैं। मन्त्री महोदय ने स्वयं डाक्टरों के लिये विशेष चिकित्सक पूल भी समारित की थी। परन्तु फिर भी 20 में से 9 फ्लैट डाक्टरों को दिये गये। यदि डाक्टरों को एक विशेष क्लास समझा जाना है तो इस पूल को समाप्त क्यों किया गया और अन्य वरिष्ठ तथा अच्छे डाक्टरों की, जिनकी सेवाये संसद सदस्यों के निकट होने के कारण अधिक आवश्यक है, यह फ्लट क्यों नहीं दिये गये। इन फ्लैटों के मिलने से पूर्व कुछ अधिकारी गैर-सरकारी मकानों में रहते थे।

यह भी पता लगा है कि जब संसद सदस्यों के फ्लैटों को सामान्य संग्रह में डाला जाता है और इनको अन्य अधिकारियों को दिया जाता है तो दोनों सदनों की समितियों को सूचना नहीं दी

जाती जिससे ये समितियां असन्तुष्ट हैं। सूची में दिये गये कुछ अधिकारियों के पद नाम ठीक नहीं बताये गये हैं।

मन्त्री महोदय द्वारा आवेदन प्रणाली को युक्तिसंगत बनाने सम्बन्धी सभी प्रयासों के बावजूद स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है और इसमें पक्षपात साफ तौर पर देखा जा सकता है।

श्री बेड (खारगोन) : क्या संसद सदस्यों के फ्लैटों के मिलने से पूर्व इन अधिकारियों के पास गैर सरकारी मकान थे। संपदा के सहायक निर्देशक तथा शिक्षा मन्त्रालय के संयुक्त सचिव को यह फ्लैट कब दिये गये थे तथा उनको यह फ्लैट देने का क्या प्रौचित्य है?

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैं जानना चाहता हूं कि चिकित्सा आधारों पर जो लोग इनके हकदार थे उनकी किन परिस्थितियों में उपेक्षा की गई है। इन मामलों में नियम की क्यों उपेक्षा की गई।

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : सभा के समक्ष यह प्रश्न लाने के लिये मैं श्री हेम बरुआ का धन्यवाद करता हूं। उन्होंने समस्या के दो पहलुओं पर कहा है एक तो सामान्य संग्रह तथा दूसरे संसद सदस्यों के फ्लैटों के बारे में।

आज से चार अथवा साढ़े चार वर्ष पूर्व जब मैंने इस मंत्रालय का भार सम्भाला था तो उस समय तीन प्रकार के पूल थे। ये तीनों प्रकार के पूल आज भी विद्यमान हैं। एक मंत्री के नाते मैं सामान्य पूल में उन्हीं अधिकारियों को क्वाटर देता हूं जो इसके हकदार होते हैं। संसद सदस्यों के लिये जो मकान हैं उनका आवंटन सदनों की समितियों द्वारा ही किया जाता है

गत साढ़े चार वर्षों में ससद सदस्यों के संग्रह में विभिन्न स्थानों पर कई अन्य इकाइयों को मिलाया गया। इसके परिणाम स्वरूप संसद सदस्यों को आवास के सम्बन्ध में शत प्रतिशत संतुष्ट करने के पश्चात् नार्थ तथा साऊथ एवेन्यू में कुछ फ्लैट फालतू पड़ गये। परन्तु यह फ्लैट इस शर्त पर उपलब्ध किये गये कि सम्बन्धित आवास समितियां उन्हें एक महीने की सूचना पर संसद सदस्यों के लिये वापस ले सकती है। इन फ्लैटों के आवंटन के बारे में एक प्रणाली का हम अनुसरण कर रहे हैं।

इस समय सामान्य संग्रह में लगभग 37,000 अथवा 38,000 क्वाटर हैं परन्तु प्रतीक्षा सूची में 70,000 सरकारी कर्मचारी हैं परन्तु जब इन फ्लैटों के आवटन का प्रश्न आता है तो मैं बताना चाहता हूं कि पूर्णतया अस्थायी रूप से तथा तदर्थ आधारों पर दिया गया है। उन लोगों पर यह बात स्पष्ट कर दी गयी है कि उनको अल्प सूचना में यह फ्लैट खाली करने पड़ सकते हैं और उनको इसके लिए तैयार रहना चाहिये। इस बारे में उनसे कोई रियायत नहीं बरती जाती।

पटौदी तथा बिठ्ठल भाई हाऊस में क्वाटरों के आवंटन के सम्बन्ध में विशेष नियम बनाया गया है। नार्थ तथा साऊथ ऐवन्यू में क्वाटरों के आवंटन के लिये कोई नियम नहीं है परन्तु शीघ्र ही कोई प्रक्रिया बनाई जायेगी। मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि उचित प्रक्रिया के अनुसार ही क्वाटरों का आवंटन किया जाये।

एक बात मैं सभा को बता देना चाहता हूं कि यदि इन फ्लैटों को नियमानुसार क्रमबद्ध अधिकारियों को दिये जाते हैं तो फिर ये फ्लैट अल्प सूचना पर खाली करने में कठिनाई होगी।

ऐसे अधिकारियों का उल्लेख किया गया है जिनके अपने मकान भी है और जिनके सामान्य संग्रह से आवंटन भी हुआ है। तीन वर्ष पूर्व हमने यह निर्णय अधिक से अधिक क्वाटर बचाने के

लिए लिया था। यह मामला दो बार मंत्री परिषद के समक्ष उठाया गया और उक्त आदेश को रद्द कर दिया गया।

अब प्रत्येक सरकारी कर्मचारी चाहे उसका मकान है अथवा नहीं, सामान्य संग्रह से क्वाटर के आवंटन का हकदार है।

अब प्रत्येक व्यक्ति को महीने की 25 तारीख को पता लग जाता है कि उसे क्वाटर मिलने वाला है अथवा नहीं। मैं सभा को पहले ही सूचित कर चुका हूं कि इस वर्ष मेरे मंत्रालय को दी जाने वाले राशि में शत प्रतिशत कटौती कर दी गई है। मकान बनाने के लिये वित्त मंत्रालय ने हमें कोई पैसा नहीं दिया है। यदि हमें धन दिया जाये केवल तभी हम मकान बना सकते हैं।

हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) विधेयक-जारी

HINDU SUCCESSION (AMENDMENT) BILL—CONTD.

सभापति महोदय : श्री चे० रा० पट्टाभिरामन अब अपना भाषण जारी कर सकते हैं।

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन : मेरे माननीय मित्र श्री तिवारी के विधेयक में यह मांग की गई है कि एक विधवा को, अपने सौतेले पुत्र की उपेक्षा करके, अपने पुत्र को अपनी सम्पत्ति उपहार मे देने अथवा उसे उसके पक्ष में असद भावना से बेचने से रोका जाये। विधेयक में केवल यह मांग की गई है कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 14 की उप-धारा (1) में एक उपबन्ध होना चाहिये। इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि हमने धारा चौदह को सोचे हुए पास नहीं किया था। उस पर ससद में बहुत चर्चा हुई थी चूंकि विधवा अब अपनी सम्पत्ति की पूरी मालिक होती है इसलिये वह उसे जैसे चाहे बेच सकती है। वह उसे अपने सौतेले बच्चों के हित के विरुद्ध भी बेच सकती है। ऐसे मामले जिनमें इन अधिकारों का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा होगा बहुत कम होंगे तथा और समय बीतने पर ऐसे मामलों की संख्या न के बराबर हो जायेगी। यदि प्रस्तावित संशोधन को स्वीकार कर भी लिया जाये तो इससे कई कठिनाइयां उत्पन्न हो जायेंगी। पहली बात तो यह है कि यह विधान इस सीमा तक भूतलक्षी होगा कि इससे किसी विधवा द्वारा हस्तान्तरित की गई सारी सम्पत्ति, जो बिना विचार किये तथा असदभाव से हस्तान्तरित की गई हो, अवैध समझी जायेगी। इस प्रकार वर्तमान विधेयक से पूर्व किये गये सभी विधिवत हस्तान्तरण रद्द हो जायेंगे। इसके अतिरिक्त किसी सौतेली माता द्वारा अपनी सौतेली पुत्रियों तथा पुत्रों को हस्तान्तरित की गई सम्पत्ति के बारे में मुकदमेबाज़ी के द्वार खुल जायेंगे। प्रत्येक हस्तान्तरण को असद्भावना से किया गया समझा जायेगा तथा उसका परिणाम मुकदमेबाजी होगा। दूसरी बात यह है कि इससे न केवल किसी विधवा तथा उसके सौतेले पुत्र और पुत्रियों के मामले में ही समस्या उत्पन्न होगी बल्कि अन्य मामलों में भी। तीसरी बात यह है कि इस धारा का उद्देश्य हिन्दू स्त्री की तथाकथित सीमित सम्पदा की विचार धारा को समाप्त करना रहा है और इसलिये यदि इस विधेयक को पास कर दिया गया तो उससे ऐसी सम्पदा के अनुचित तरीके से, पुनः स्थापित किये जाने की सम्भावना हो जायेगी। चौथी बात यह है कि माननीय सदस्य द्वारा सुझाया गया संशोधन हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के क्षेत्र के बाहर चला गया मालूम पड़ता है। इस अधिनियम को हिन्दुओं में वसीयत हीनता उत्तराधिकार सम्बन्धी कानून में संशोधन करने के लिये पास किया गया था न कि "अन्तःजीवी" हस्तान्तरण के लिये। अतः मैं इस विधेयक

को स्वीकार नहीं कर सकता। इसलिये मैं माननीय सदस्य से प्रार्थना करूंगा कि वह इन परिणामों को ध्यान में रखते हुए विधेयक को वापस ले लें।

Shri D. N. Tiwary (Gopalganj): Nobody would say that women widows should not possess property rights. But that right should not be so utilised that it harms the other party. I do not want that that right be curtailed. But on the same time I would like to see that step-sons and step-daughter are treated equally. Hence I would seek to prevent widow from making gifts or **male fide** sales in favour of her son after ignoring the step-son. The widow should not have a right to deprive her step son from her property.

I fail to undestand as to why the Hon. Minister is hesitant to accept this Bill. He may accept the Bill in principle and then introduce a Government Bill after changing the phraseology and wordings thereof.

श्री च० रा० पट्टाभिरामन : मैं यह बता चुका हूं कि इसके क्या परिणाम निकलेंगे। तथापि जो भी उन्होंने कहा है मैं उसे ध्यान में रखूंगा।

Shri D. N. Tiwary: Hence I withdraw the Bill.

सभापति महोदय : विधेयक वापस लिया गया है।

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक

REPRESENTATION OF THE PEOPLE (AMENDMENT) BILL

Shri Prakash Vir Shastrj (Bijnor): I had presented the Bill on 11th March, 1964. The aim of this Bill is to deprive such persons from the candidature who have been Ministers of Centre or States six months prior to election. My second suggestion is that the Central and State Ministers should resign six months earlier to elections and in stead President's rule should be proclaimed enfaced so that fair and impartial elections may be conducted.

Mr. Chairman: Now the hon. Member may resume his speech on the day marked for Bill.

इसके पश्चात् लोक सभा शनिवार, 3 दिसम्बर 1966/12 अग्रहायण, 1888 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Saturday the 3rd December, 1966/12 Agrahayanna (Saka).